VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव

भाग 2 : 2023

DELHI JAIPUR HYDERABAD PUNE AHMEDABAD LUCKNOW CHANDIGARH GUWAHATI RANCHI ALLAHABAD BHOPAL

ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़

देश के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज़ प्रोग्राम के इनोवेटिव असेसमेंट सिस्टम का लाभ उठाएं

प्रारंभिक

✓ सामान्य अध्ययन ✓ सीसैट

for PRELIMS 2023: 30 April | प्रारंभिक 2023 के लिए 30 अप्रैल

for PRELIMS 2024: 28 May | प्रारंभिक 2024 के लिए 28 मई

मुख्य

✓ सामान्य अध्ययन ✓ निबंध ✓ दर्शनशास्त्र

for MAINS 2023: 4 June | मुख्य 2023 के लिए 4 जून

for MAINS 2024: 28 May | मुख्य 2024 के लिए 28 मई

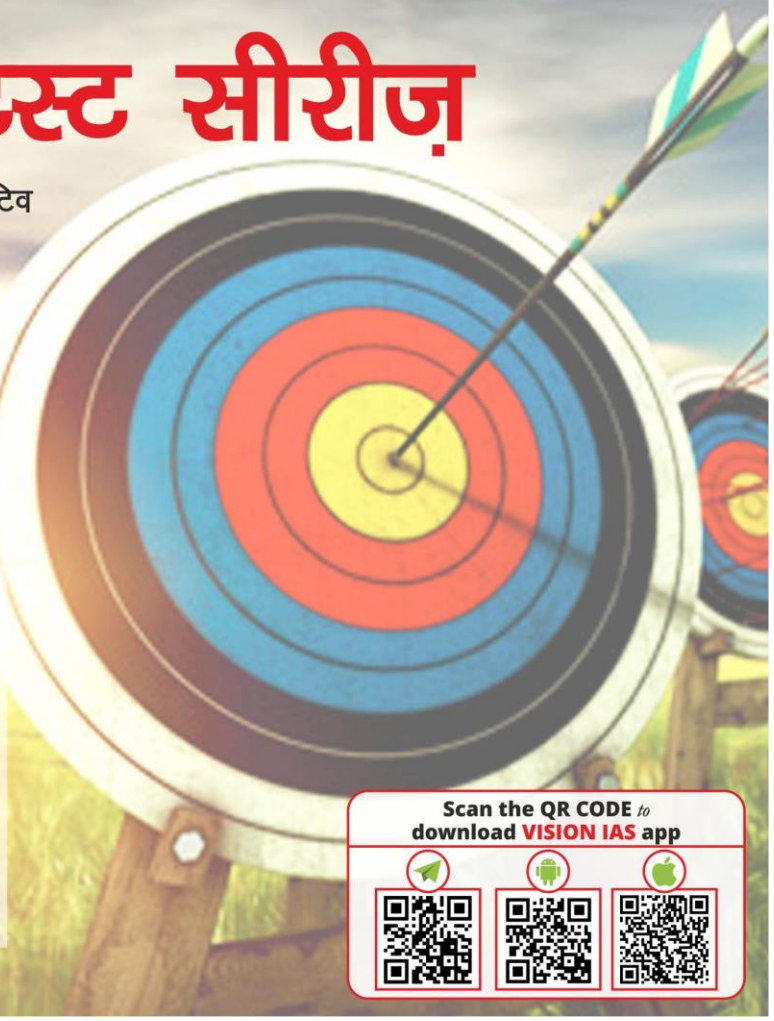

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

फाउंडेशन कोर्स

सामान्य अध्ययन

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा 2024

इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम

- प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
- मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
- एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
- अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
- योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
- नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
- सीसैट कक्षाएं
- PT 365 कक्षाएं
- MAINS 365 कक्षाएं
- PT टेस्ट सीरीज
- मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
- निबंध टेस्ट सीरीज
- सीसैट टेस्ट सीरीज
- निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
- करेंट अफेयर्स मैगजीन

लाइव/ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध

DELHI: 30 मई, 9 AM | 21 जून, 1 PM

LUCKNOW: 7 जून, 9 AM

JAIPUR: 15 जून, 7:30 AM & 4 PM

BHOPAL: 5 जुलाई

Scan the QR CODE to download VISION IAS app

विषय-सूची

1. भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises) 6

1.1. ऑटोमोबाइल व ऑटो कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile & Auto Components}..... 6

1.2. उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना "राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल बैट्री भंडारण कार्यक्रम" {Production Linked Incentive (PLI) Scheme National Programme on Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Storage} 7

1.3. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives) 8

2. गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) 10

2.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives) 10

3. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs: MOHUA) 13

3.1. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) {Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation – AMRUT 2.0}..... 13

3.2. दीन दयाल अंत्योदय योजना- शहरी (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) {Deen Dayal Antyodaya Yojana- Urban (National Urban Livelihoods Mission): (DAY-NULM)} 15

3.3. प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban: PMAY-U) 16

3.4. स्मार्ट सिटी मिशन (Smart Cities Mission: SCM) 17

3.5. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) SBM-U 2.0 {Swachh Bharat Mission (URBAN) SBM-U 2.0} 19

3.6. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives) 21

4. जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti) 22

4.1. जल जीवन मिशन-ग्रामीण {Jal Jeevan Mission (JJM)-Rural} 22

4.2. नमामि गंगे योजना (Namami Gange Yojana) 24

4.3. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण- II {Swachh Bharat Mission (Grameen) Phase-II} 27

4.4. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives) 29

5. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment) 31

5.1. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना {National Child Labour Project (NCLP) Scheme}..... 31

5.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives) 32

6. विधि और न्याय मंत्रालय (Ministry of Law And Justice) 34

6.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives) 34

7. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises: MSME) 37

7.1. सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (Micro & Small Enterprises Cluster Development Programme: MSE-CDP) 37

7.2. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister's Employment Generation Programme: PMEGP)..... 38

VISION IAS

7.3. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives) 39

8. खान मंत्रालय (Ministry of Mines) 45

8.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives) 45

9. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs) 46

9.1. प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram: PMJVK) 46

9.2. प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना {Pradhan Mantri Virasat Ka Samvardhan (PM VIKAS) Scheme} 47

9.3. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives) 48

10. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy) 49

10.1. प्रधान मंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना {PM-Kisan Urja Suraksha Evam Utthaan Mahaabhiyan (PM-KUSUM) Scheme} 49

10.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives) 49

11. पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj) 52

11.1. स्वामित्व: ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण (SVAMITVA: Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas) 52

11.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiative) 53

12. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions) 54

12.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives) 54

13. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) 55

13.1. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 {Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) 2.0} 55

13.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives) 55

14. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (Ministry of Ports, Shipping and Waterways) 58

14.1. सागरमाला (Sagarmala) 58

14.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives) 59

15. विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power) 60

15.1. पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme) 60

15.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives) 61

16. रेल मंत्रालय (Ministry of Railways) 64

16.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives) 64

17. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways) 66

17.1. भारतमाला परियोजना (Bharatmala Pariyojana) 66

17.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives) 67

VISION IAS

18. ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) 68

18.1. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana- National Rural Livelihoods Mission: DAY-NRLM) 68

18.2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (MGNREG) योजना (या अधिनियम, 2005) {Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (MGNREG) Scheme (Or ACT, 2005)} 69

18.3. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-III (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-III) 71

18.4. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) {Pradhan Mantri Awas Yojana (Grameen)} 72

18.5. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives) 73

19. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology) 75

19.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives) 75

20. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship) 81

20.1. प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana: PMKVY) 81

20.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives) 82

21. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment) 84

21.1. यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना {National Action Plan for Mechanized Sanitation Ecosystem (NAMASTE)} 84

21.2. आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए सहायता (स्माइल) {Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise: SMILE} 86

21.3. लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ) {Scheme for Residential Education for Students in High schools in Targeted Areas (SHRESTHA)} 87

21.4. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives) 87

22. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) 93

22.1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (Members of Parliament Local Area Development Scheme: MPLADS) 93

22.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives) 94

23. इस्पात मंत्रालय (Ministry of Steel) 95

23.1. विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme For Specialty Steel} 95

23.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives) 96

24. वस्त्र मंत्रालय (Ministry of Textile) 97

24.1. एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (Scheme For Integrated Textile Park: SITP) 97

24.2. सिल्क समग्र - रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना (Silk Samagra- Integrated Scheme for Development of Silk Industry) 97

24.3. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (National Technical Textiles Mission) 98

VISION IAS

24.4. वस्त्रों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Textiles}..... 99
24.4.1. मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क (पीएम मित्र) योजना {Mega Integrated Textile Region and Apparel Parks Scheme (PM MITRA)}..... 100
24.5. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)..... 100
25. पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism)..... 103
25.1.स्वदेश दर्शन (Swadesh Darshan)..... 103
25.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)..... 104
26. जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs)..... 106
26.1. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (Eklavya Model Residential School: EMRS)..... 106
26.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)..... 106
27. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development)..... 108
27.1. मिशन शक्ति: एक एकीकृत महिला अधिकारिता कार्यक्रम (Mission Shakti: An Integrated Women Empowerment Programme)..... 108
27.1.1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao)..... 110
27.2. सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (Saksham Anganwadi and Poshan 2.0)..... 112
27.3. मिशन वात्सल्य (Mission Vatsalya)..... 114
27.4. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)..... 116
28. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports)..... 118
28.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)..... 118
29. नीति आयोग (Niti Aayog)..... 120
29.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)..... 120
30. प्रधान मंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office)..... 123
30.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)..... 123
31. अंतरिक्ष विभाग/ इसरो की पहलें {Department of Space/ ISRO's Initiatives}..... 124
31.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)..... 124
32. विविध योजनाएं (Miscellaneous Schemes)..... 125
32.1. मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (NMP) {PM Gati Shakti National Master Plan (NMP) for Multimodal Connectivity}..... 125

VISION IAS

नोट:

- पढ़ाई को आसान बनाने के लिए और अभ्यर्थियों को उनके समय का सबसे कुशल तरीके से उपयोग करने में मदद करने के लिए, हम पहले ही **"सुर्ख़ियों में रही सरकारी योजनाएं"** डॉक्यूमेंट जारी कर चुके हैं, जिसमें उन सभी योजनाओं को शामिल किया गया है जो पिछले एक साल में सुर्ख़ियों में थीं।

- अब हम सरकारी योजनाओं पर एक व्यापक अध्ययन सामग्री जारी कर रहे हैं जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के अंतर्गत संचालित की जा रही लगभग सभी योजनाओं को शामिल किया गया है।

यह अध्ययन सामग्री 2 भागों में जारी की जा रही है:

- **सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव (भाग 1):** यह डॉक्यूमेंट जारी हो चुका है।
- **सरकारी योजनाएं कॉम्प्रिहेंसिव (भाग 2):** वर्तमान डॉक्यूमेंट।

- विषय/ टॉपिक की आसान समझ के लिए इन्फोग्राफिक्स को शामिल किया गया है। यह सीखने और समझने के अनुभव को आसान बनाता है तथा पढ़े गए विषय/ कंटेंट को लंबे समय तक याद रखना सुनिश्चित करता है।

आसानी से रिवीजन करने हेतु विभिन्न योजनाओं के लिए **आइकॉन्स** जोड़े गए हैं, अर्थात्,

अभ्यर्थी द्वारा सीखी और समझी गई अवधारणाओं के परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries & Public Enterprises)

1.1. ऑटोमोबाइल व ऑटो कंपोनेंट्स के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Automobile & Auto Components}

स्मरणीय तथ्य

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **लक्ष्य: वैश्विक ऑटोमोटिव व्यापार में भारत की हिस्सेदारी में वृद्धि करना।**
- **प्रकार:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** की योजना है।
- **कवरेज:** इसके तहत मौजूदा और नई निर्माण कंपनियों, दोनों को कवर किया जाएगा।
- **अवधि:** वित्त वर्ष 2026-27 तक।

अन्य उद्देश्य:

- लागत असमर्थताओं को कम करना।
- इकोनॉमी ऑफ़ स्केल (लागत में आनुपातिक बचत) अर्थव्यवस्था का निर्माण करना।
- **उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (AAT) उत्पादों के क्षेत्रों में एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला** का गठन करना।

क्या आप जानते हैं?

ऐसी संभावना है कि **भारत 2026 तक मात्रा के मामले में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव बाजार** बन जाएगा।

प्रमुख विशेषताएं

<table>
<tr><td>प्रोत्साहन</td><td>

AAT की स्वदेशी आपूर्ति श्रृंखला में नए निवेश के लिए 18% तक प्रोत्साहन।
संपूर्ण ग्रुप कंपनी/कंपनियों के लिए कुल प्रोत्साहन = 6,485 करोड़ रुपये।
प्रोत्साहन हेतु योग्य बिक्री की गणना के लिए आधार वर्ष: 2019-20.
इसके तहत FAME-II योजना में अपनाए गए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का पालन किया जाता है।

</td></tr>
<tr><td>प्रोत्साहन के लिए शर्तें</td><td>
<table>
<tr><td>न्यूनतम 50% घरेलू मूल्यवर्धन</td><td>प्रोत्साहन केवल एक बार के लिए होगा- या तो घटक स्तर पर या वाहन स्तर पर</td><td>उच्च विकास दर हासिल करने के लिए 2% अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाएगा</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>दो घटक</td><td>
<table>
<tr><td>चैंपियन मूल उपकरण विनिर्माता प्रोत्साहन योजना {Champion original equipment manufacturer (OEM) Incentive Scheme}</td><td>कंपोनेंट चैंपियन प्रोत्साहन योजना (Component Champion Incentive Scheme)</td></tr>
<tr><td>यह सभी सेगमेंट के बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइड्रोजन ईंधन सेल द्वारा चालित वाहनों पर लागू की गई है।</td><td>यह योजना वाहनों के AAT घटकों, जैसे कि कंप्लीटली नॉक्ड डाउन (CKD)/सेमी नॉक्ड डाउन (SKD) किट आदि पर लागू है।</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>FAME-II के तहत पात्रता का प्रभाव</td><td>

इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन (EV) निर्माताओं को देय प्रोत्साहन, इलेक्ट्रिक (और हाइब्रिड) वाहनों के तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण-2 (FAME/फेम-II योजना) के तहत दिए गए प्रोत्साहनों के अतिरिक्त/से स्वतंत्र होगा।

</td></tr>
<tr><td>परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA)</td><td>

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड (IFCI) परियोजना प्रबंधन एजेंसी है। IFCI सार्वजनिक क्षेत्रक की एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी है।

</td></tr>
</table>

1.2. उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना "राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल बैट्री भंडारण कार्यक्रम" {Production Linked Incentive (PLI) Scheme National Programme on Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Storage}

स्मरणीय तथ्य

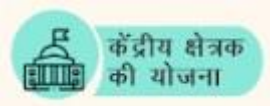

- **प्रकार:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** की योजना है।
- **लक्ष्य:** भारत की उन्नत रसायन सेल (ACC) बैटरी भंडारण संबंधी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना।
- **स्थानीयकरण:** 'मदर यूनिट लेवल' पर कम-से-कम 25% और प्रोजेक्ट लेवल पर 60% का अनिवार्य घरेलू मूल्यवर्धन।
- **निगरानी:** इसकी निगरानी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (EGoS) द्वारा की जाती है।

अन्य उद्देश्य: अधिक घरेलू मूल्यवर्धन प्राप्त करना। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करना कि **भारत में** बैटरी निर्माण की स्तरीय लागत **विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी हो।**

- ACC वस्तुतः उन्नत भंडारण प्रौद्योगिकियों पर आधारित एक नई पीढ़ी की बैटरी है। यह विद्युत ऊर्जा को या तो विद्युत रासायनिक या रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित कर सकती है। साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर इसे वापस विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती है।

मुख्य विशेषताएं

लक्ष्य	**निर्माण क्षमता:** ACC का 50 GWh **अतिरिक्त संचयी क्षमता:** आला ACC प्रौद्योगिकियों (Niche ACC Technologies), के लिए 5 GWh • **आला प्रौद्योगिकियां:** ऐसे तकनीकी उत्पाद, जो बाजार के एक विशेष छोटे क्षेत्र के लिए डिज़ाइन किए गए होते हैं।
लाभार्थी फर्म की प्रतिबद्धता	• **न्यूनतम 5 GWh की ACC के निर्माण की इकाई स्थापित करना।** • **2 वर्षों के भीतर** परियोजना स्तर पर **न्यूनतम 25% मूल्यवर्धन** सुनिश्चित करना और इसे **5 वर्षों में 60% घरेलू स्तर** तक बढ़ाना।
सब्सिडी	• सरकार द्वारा वितरित की जाने वाली कुल वार्षिक नकद सब्सिडी अधिकतम **20 GWh प्रति लाभार्थी फर्म** तक दी जाएगी।
चयन संबंधी स्वतंत्रता	• लाभार्थी फर्म **उपयुक्त उन्नत तकनीक** तथा संबंधित संयंत्र, मशीनरी, कच्चा माल एवं अन्य मध्यवर्ती वस्तु का **चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं।**
अपवर्जन	• उद्योग के **कन्वेंशनल बैटरी पैक सेगमेंट को प्रोत्साहन नहीं** दिया जाएगा, क्योंकि भारत में इसका उत्पादन पहले से ही हो रहा है।
अन्य योजनाओं के तहत प्रदत्त लाभ पर प्रभाव	• **इस योजना के तहत किया गया प्रोत्साहन संबंधी दावा किसी भी तरह से FAME-II या PLI योजना के तहत ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के लिए किए जाने वाले प्रोत्साहन संबंधी दावे को समाप्त/प्रतिबंधित नहीं करेगा।**
व्यापक आर्थिक लाभ	• घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना। • इलेक्ट्रिक वाहनों और स्थिर भंडारण, दोनों के लिए बैटरी स्टोरेज की मांग सृजन को प्रोत्साहन प्रदान करना। • पूर्ण रूप से घरेलू आपूर्ति श्रृंखला का विकास करना। • देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करना। • कच्चे तेल के आयात को कम करना।

© Vision IAS

1.3. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, 2020 (NEMMP, 2020)

- इसे 2013 में प्रारंभ किया गया था।
- **उद्देश्य:** देश में **हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों** को बढ़ावा देकर **राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा** प्राप्त करना।
- **लक्ष्य: वर्ष 2020 तक प्रतिवर्ष 6-7 मिलियन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री का लक्ष्य** रखा गया है।
- NEMMP 2020 एक राष्ट्रीय मिशन दस्तावेज है। **यह देश में xEV (हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की संपूर्ण श्रृंखला) को तीव्रता से अपनाने तथा उनके विनिर्माण के लिए दृष्टिकोण एवं रोडमैप प्रदान करता है।**

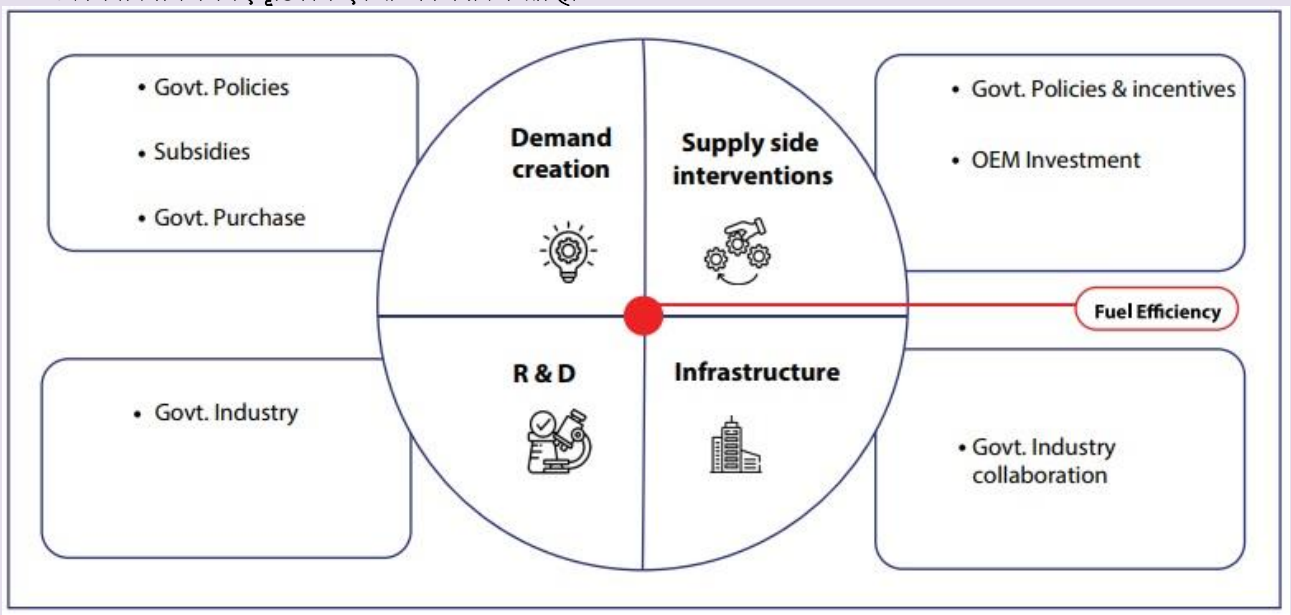

- **नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, 2020 की संरचना**
  - **नेशनल काउंसिल फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (NBEM):** यह सर्वोच्च निकाय (25 सदस्य) है, जिसमें मंत्री तथा उद्योग और शिक्षा जगत के प्रतिनिधि शामिल हैं।
  - **नेशनल मिशन फॉर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी (NCEM):** 25 सदस्य; सचिव स्तर पर सभी हितधारक शामिल हैं।
  - **राष्ट्रीय मोटर वाहन बोर्ड (NAB):** NBEM और NCEM की सहायता के लिए विशेषज्ञ निकाय।

भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का त्वरित अंगीकरण एवं विनिर्माण योजना-II: फेम-2 {Faster Adoption and Manufacturing of Electric (& Hybrid) Vehicles in India) Scheme-II: FAME-2}

- **यह फेम-II सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण पर केंद्रित है।**
- इसे 2019 में प्रारंभ किया गया था और यह **2024** तक जारी रहेगी।
- **निगरानी:** इस परियोजना की निगरानी भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में परियोजना कार्यान्वयन और स्वीकृति समिति द्वारा की जाएगी।
- **पृष्ठभूमि**
  - **फेम योजना** 2015 में **राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना (NEMMP)** के तहत प्रारंभ की गई थी।
  - **उद्देश्य:** वित्तीय सहायता प्रदान करके **इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की खरीद** को प्रोत्साहित करना।
  - **अवधि: 2019 तक।**

फेम के 3 कार्यक्षेत्र		
मांग-आधारित प्रोत्साहन • हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अग्रिम **रूप से कम खरीद मूल्य।**	**चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना** • सरकारी एजेंसियों, उद्योगों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSEs) सहित **अलग-अलग हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ।**	**सूचना, शिक्षा एवं संचार IEC अभियान** • **उपभोक्ता में जागरूकता पैदा करना** और परियोजना का प्रचार करना।

स्मार्ट एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन हब (समर्थ) उद्योग 4.0

- **उद्देश्य:** इसका विज़न 2025 तक प्रत्येक भारतीय विनिर्माण में उद्योग 4.0 प्रौद्योगिकियों के सेट के प्रोत्साहन के लिए पारितंत्र को सुगम बनाना और उसका सृजन करना है।
- इसे **भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्रक में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने की योजना** के तहत प्रारंभ किया गया है।
- यह निम्नलिखित प्रदर्शन केंद्रों के माध्यम से **भारतीय विनिर्माण उद्योग के बीच उद्योग 4.0 के बारे में जागरूकता** बढ़ाने का प्रयास करता है:
  - सेंटर फॉर इंडस्ट्री 4.0 (C4i4) लैब (पुणे),
  - IITD-AIA फाउंडेशन फॉर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग,
  - I4.0 इंडिया एट IISc फैक्ट्री R&D प्लेटफॉर्म, तथा
  - स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग डेमो एंड डेवलपमेंट सेल एट CMTI

समर्थ उद्योग 4.0 के तहत शामिल परियोजनाओं की विशेषताएं

- जागरूकता अभियान
- मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षित किया जाना
- स्टार्ट-अप/इनक्यूबेटर प्रदान करना
- SMEs को आरंभिक समर्थन
- पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित अधिक से अधिक क्लस्टर्स को शामिल करना
- ई-अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्याप्त प्रावधान करना
- स्थायित्व और निरंतरता के लिए SPV सदस्यता मॉडल में उद्योग को शामिल करना
- छात्र प्रशिक्षण/इंटर्नशिप कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों के साथ सहयोग करना

भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्रक- चरण- II में प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि (Enhancement of Competitiveness in the Indian Capital Goods Sector- Phase-II)

- **उद्देश्य:** सामान्य प्रौद्योगिकी के विकास और सेवा अवसंरचना को सहायता प्रदान करना।
- **चरण I पायलट योजना द्वारा उत्पन्न प्रभाव के विस्तार और वृद्धि के लिए** 2022 में चरण II को लॉन्च किया गया था।
- यह योजना एक **मजबूत और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी पूंजीगत वस्तु क्षेत्रक के निर्माण** की सुविधा प्रदान करेगी। **पूंजीगत वस्तु क्षेत्रक विनिर्माण क्षेत्रक में कम-से-कम 25%** योगदान देता है।

चरण II के तहत शामिल छह घटक

- प्रौद्योगिकी नवाचार पोर्टल के माध्यम से प्रौद्योगिकियों की पहचान करना;
- चार नए उन्नत उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करना;
- पूंजीगत वस्तु क्षेत्रक में स्किलिंग को बढ़ावा देना;
- चार सामान्य इंजीनियरिंग सुविधा केंद्रों (CEFCs) की स्थापना करना;
- मौजूदा परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों का विस्तार करना; तथा
- प्रौद्योगिकी विकास के लिए दस उद्योग त्वरकों की स्थापना करना।

© Vision IAS

2. गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs)

2.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

साक्षी संरक्षण योजना (Witness Protection Scheme)

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य आपराधिक कानून प्रवर्तन एजेंसियों और न्याय के समग्र प्रशासन को सहायता प्रदान करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल व्यक्तियों की सुरक्षा को सुविधाजनक बनाकर कानून प्रवर्तन को बढ़ावा देना है। (इन्फोग्राफिक्स देखें)।
- उपायों में शामिल हैं- आवश्यक होने पर गवाहों की पहचान बदलना, उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाना, उनके आवास पर सुरक्षा उपकरणों की स्थापना करना, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कोर्ट रूम का उपयोग करना आदि।
- योजना संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए यह योजना **राज्य गवाह संरक्षण कोष** का प्रावधान करती है।

साक्षी संरक्षण योजना के तहत साक्षियों (गवाह) को खतरे की संभावना के अनुसार इनकी तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं:

श्रेणी A	श्रेणी B	श्रेणी C
जब मामले की जांच/सुनवाई के दौरान या उसके उपरांत साक्षी या उसके परिवार के सदस्यों के जीवन को खतरा हो। इसके अलावा, यह खतरा जांच/सुनवाई के बाद भी एक निश्चित अवधि के लिए उनके जीवन को प्रभावित करता है।	जब केवल मामले की जांच/सुनवाई के दौरान साक्षी या उसके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा, प्रतिष्ठा या संपत्ति को खतरा हो।	ऐसे मामले जहां खतरा मध्यम हो और जांच/ सुनवाई के दौरान या उसके उपरांत साक्षी अथवा उसके परिवार के सदस्यों का उत्पीड़न करने या उन्हें धमकाने की संभावना हो।

राज्य गवाह संरक्षण कोष के संसाधन

- बजट आवंटन।
- न्यायालयों/ अधिकरणों द्वारा गवाह सुरक्षा कोष में जमा किए जाने के लिए आदेशित/ आरोपित लागत राशि की रसीद।
- परोपकारी/ धर्मार्थ संस्थानों आदि से प्राप्त दान/ आर्थिक योगदान।
- कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत प्रदत्त निधि का योगदान।

अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (Crime and Criminal Tracking Network and Systems: CCTNS)

- यह भारत सरकार की **राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (NeGP)** के तहत एक मिशन मोड परियोजना है।
- **लक्ष्य:** इसका उद्देश्य **ई-गवर्नेंस के सिद्धांत के माध्यम से पुलिसिंग की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए** एक व्यापक और एकीकृत प्रणाली का निर्माण करना है।
- 'अपराध की जांच और अपराधियों का पता लगाने वाली IT सक्षम अत्याधुनिक ट्रैकिंग प्रणाली के विकास के लिए एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्किंग अवसंरचना का निर्माण करना है।
- **इसे देशभर के सभी थानों में लागू कर** दिया गया है। साथ ही, 99% थानों में 100% FIRs सीधे अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम में दर्ज की जा रही हैं।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Border Area Development Programme: BADP)

- **कवरेज:** 16 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों के 117 सीमावर्ती जिलों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहली बस्ती से 0-10 किलोमीटर के भीतर स्थित बस्तियां इसके दायरे में आती हैं।
- **उद्देश्य:** अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित, सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशिष्ट विकासात्मक आवश्यकताओं व सुख सुविधाओं की पूर्ति करना।

- केंद्रीय/ राज्य/ BADP/ स्थानीय योजनाओं का अभिसरण करके सहभागी दृष्टिकोण अपनाते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में सभी आवश्यक अवसंरचनात्मक जरूरतों की पूर्ति करना।

महिला एवं बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (Cyber Crime Prevention Against Women and Children: CCPWC)

- **उद्देश्य: व्यापक और समन्वित तरीके** से साइबर अपराधों से निपटने के लिए तंत्र को मजबूत करना।
- राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को **साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना, प्रशिक्षण और जूनियर साइबर सलाहकारों की भर्ती हेतु** उनके प्रयासों का समर्थन करने के लिए **वित्तीय सहायता** प्रदान की जाती है।

भारत के वीर (Bharat Ke Veer)

- यह एक **आईटी आधारित मंच** है। इसमें **इच्छुक दानदाता ऐसे वीरों के परिवार के लिए योगदान करने में** सक्षम होते हैं, जिन्होंने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया है।
- नागरिक (NRIs सहित) **किसी वीर के खाते** में सीधे दान कर सकते हैं या **भारत के वीर कॉर्पस फंड** में दान कर सकते हैं।
- अधिक वीरों को शामिल करने के लिए **प्रति वीर 15 लाख रुपये की सीमा की परिकल्पना** की गई है।
- भारत के वीर कॉर्पस का प्रबंधन **प्रतिष्ठित व्यक्तियों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की एक समिति द्वारा** किया जाता है। समिति में दोनों तरह के व्यक्तियों की संख्या समान होती है।
- इस योगदान को **आयकर अधिनियम 2018** की धारा 80(G) के तहत **छूट प्राप्त** है।

भारत के वीर

भारत के वीर, गृह मंत्रालय की एक पहल है। इसे देश की सुरक्षा के लिए अपना जान न्योछावर करने वाले हमारे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वीरों को नागरिकों द्वारा श्रद्धांजलि और आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू किया गया है।

पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (Modernisation of Police Forces: MPF)

केंद्र प्रायोजित योजना

- **प्रकार:** यह **केंद्र प्रायोजित** योजना है।
- **उद्देश्य: राज्य पुलिस बलों को** पर्याप्त रूप से उपकरणों से लैस करना। साथ ही, आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) पर राज्य सरकारों की निर्भरता को कम करने के लिए उन्हें **आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना।**
- **'नारकोटिक्स नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता'** की योजना की अवधि को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना का कार्यकाल अब **2021-22 से 2025-26 तक है।**

MPF की प्रमुख विशेषताएं	पुलिस द्वारा आधुनिक तकनीक को अपनाना
	इंडिया रिज़र्व बटालियन/स्पेशलाइज्ड इंडिया रिज़र्व बटालियन का विकास करना
	'नारकोटिक्स के नियंत्रण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता' की केंद्रीय क्षेत्रक की योजना शुरू की गई है
	वामपंथी उग्रवाद (LWE) से निपटने के लिए 'राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना'
	देश में एक मजबूत फोरेंसिक व्यवस्था का विकास करना

'ई-सहज' पोर्टल ('e-Sahaj' Portal)

- यह पोर्टल कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में संगठनों/व्यक्तियों को लाइसेंस/परमिट, अनुमति, अनुबंध आदि जारी करने से पूर्व सुरक्षा मंजूरी के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान करता है।
- **लाभार्थी:** कंपनियां/बोली लगाने वाला/कोई भी व्यक्ति।
- राष्ट्रीय सुरक्षा मंजूरी का लक्ष्य आर्थिक खतरों सहित **संभावित सुरक्षा खतरों का मूल्यांकन** करना है। साथ ही, प्रमुख क्षेत्रकों में **निवेश और परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी देने से पहले जोखिम मूल्यांकन प्रदान** करना है।
- **उद्देश्य:** राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यताओं को पूरा करने तथा ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस और देश में निवेश को बढ़ावा देने के बीच **स्वस्थ संतुलन स्थापित करना।**

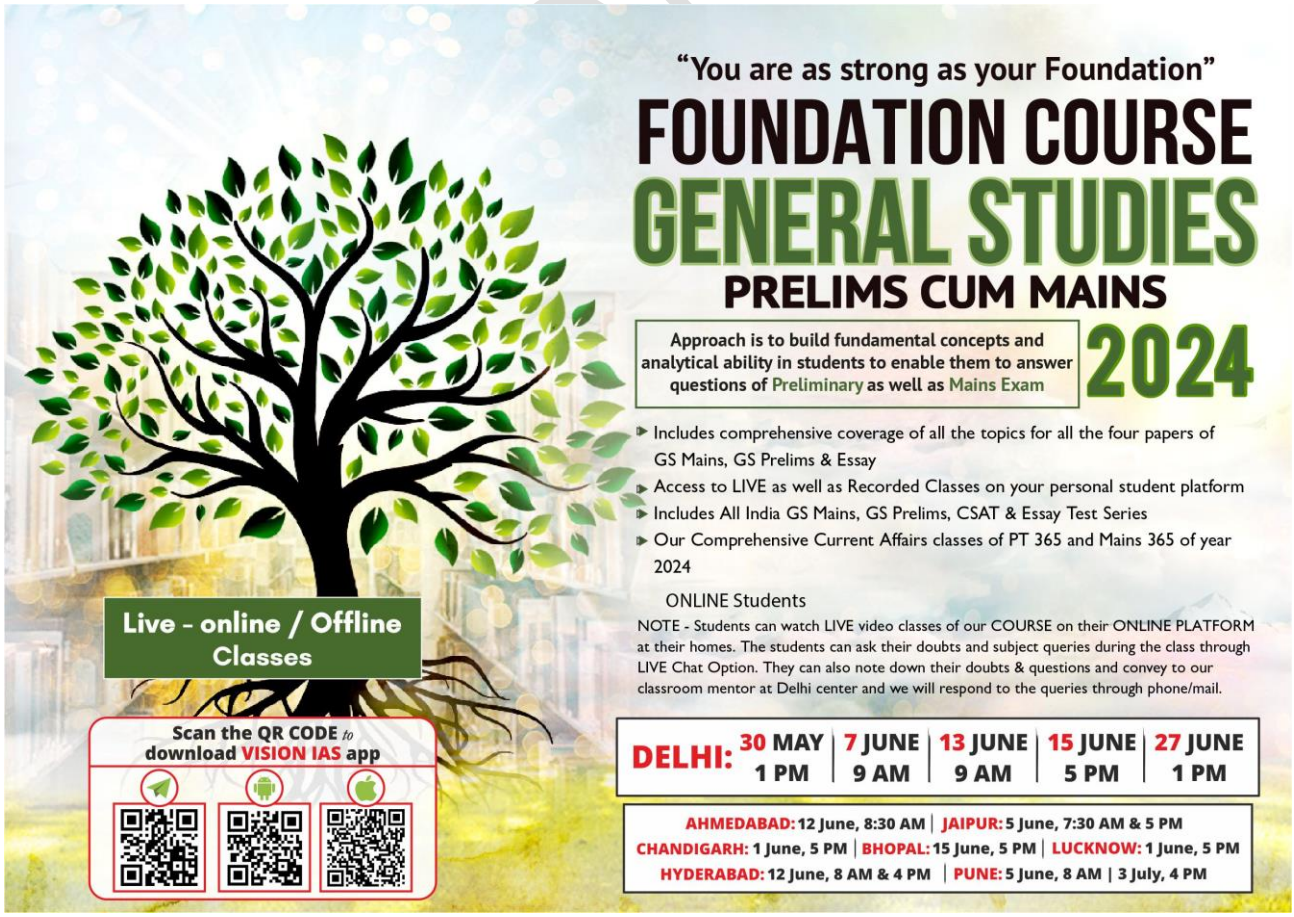

3. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (Ministry of Housing and Urban Affairs: MOHUA)

3.1. अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) {Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation – AMRUT 2.0}

स्मरणीय तथ्य

केंद्र प्रायोजित योजना

- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **उद्देश्य:** शहरों को **'जल सुरक्षित'** बनाना और **सभी घरों में कार्यात्मक पानी के नल का कनेक्शन** प्रदान करना।
- **वित्त-पोषण:** उन शहरों को परिणाम आधारित वित्त-पोषण प्रदान करना, जो उनके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले परिणामों के लिए रोडमैप प्रस्तुत करेंगे।
- **अवधि:** 2025-26 तक।

अन्य उद्देश्य: जल सुरक्षित शहर का निर्माण करना, सभी वैधानिक शहरों में जल का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना तथा 500 अमृत शहरों में सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन का 100% कवरेज प्रदान करना।

शहरी जल संतुलन योजना (CWBP) को शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) द्वारा विकसित किया जाना है। इसके अंतर्गत जल निकायों, जल उपचार और वितरण संबंधी बुनियादी ढांचे आदि सहित जल स्रोतों का विवरण शामिल होगा।

मुख्य विशेषताएं

पृष्ठभूमि	• अमृत (AMRUT) को वर्ष 2015 में 500 शहरों में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य **500 चयनित अमृत शहरों में जल आपूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करना और सीवरेज कवरेज में व्यापक सुधार करना है।** • अमृत मिशन को **अमृत 2.0 में शामिल कर लिया** गया है। • अमृत 2.0 योजना **जल जीवन मिशन-शहरी (JJM-U)** के तहत लक्ष्यों को पूरा करने में भी मदद करेगी। **अमृत के तहत महत्वपूर्ण क्षेत्रक:** • जलापूर्ति • सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन • वर्षा जल की निकासी • हरित स्थल और पार्क • गैर-मोटर युक्त शहरी परिवहन • क्षमता निर्माण

जल जीवन मिशन (शहरी)- जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था के माध्यम से जल सुरक्षित शहर

- **प्रस्तावित परिव्यय 2,87,000 करोड़ रुपये**
  - **केंद्र: 86,760 करोड़ रुपये**
  - **राज्य: 2,00,240 करोड़ रुपये**

घटक

- 4,372 कस्बों/ शहरों में सभी शहरी परिवारों को सार्वभौमिक जलापूर्ति
- 500 अमृत शहरों में 100% सीवरेज और सेप्टेज उपचार
- जल निकायों का कायाकल्प
- प्रवेश्य हरित स्थलों और पार्कों का विकास

प्रमुख विशेषताएं/ जल सुरक्षित शहर

- शहर की मांग का 20% और राज्य की औद्योगिक मांग का 40% पूरा करने के लिए **उपचारित जल का पुनर्चक्रण**

- **पोटेबिलिटी इंडेक्स**
- पर्याप्त शहरी नियोजन के माध्यम से **भूमि उपयोग दक्षता में सुधार**
- नगरपालिका वित्त सुधारों के माध्यम से **वित्तीय स्थिरता**
- गैर-राजस्व जल को 20% से कम करना;
- **जल निकायों का कायाकल्प**

सुधार एजेंडा

प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना- सर्वोत्तम वैश्विक तकनीकों का लाभ उठाना - आत्मनिर्भर भारत
पेयजल सर्वेक्षण- शहरों का आकलन और रैंकिंग
निगरानी- प्रौद्योगिकी आधारित मंच के माध्यम से
परिणाम आधारित वित्त-पोषण- लाभार्थी प्रतिक्रियाएं

जल की सर्कुलर इकोनॉमी	• सर्कुलर इकोनॉमी के सिद्धांत **जल के पूर्ण मूल्य को पहचानने और प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं।** ये एक सेवा, प्रक्रियाओं के लिए एक इनपुट, ऊर्जा के स्रोत एवं पोषक तत्वों और अन्य सामग्रियों के वाहक के रूप में अवसर प्रदान करते हैं। • इसे प्राप्त करने के लिए ULBs द्वारा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में प्रस्तावित परियोजनाओं की **विस्तृत शहर जल संतुलन योजना (CWBPs) और शहर जल कार्य योजना (CWAPs)** प्रस्तुत की जाएगी। 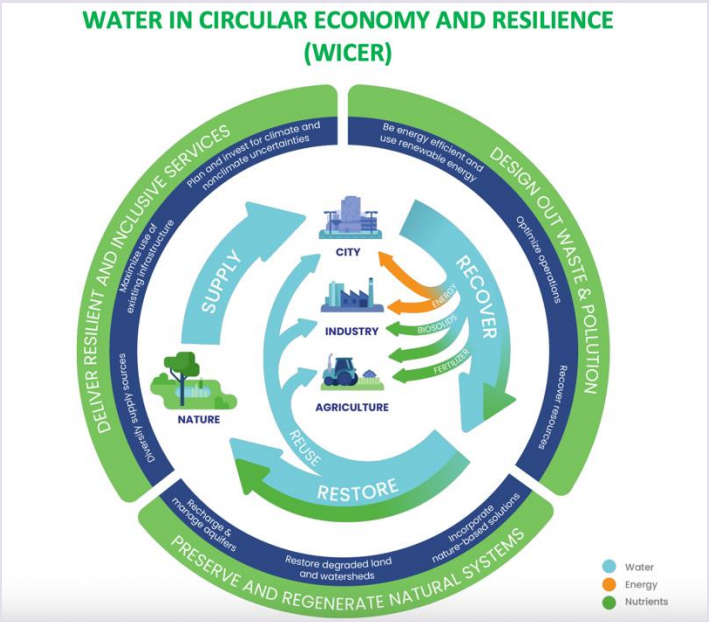
शहर जल संतुलन योजना (CWBP)	• इसके तहत जल निकायों सहित जल स्रोतों, जल उपचार और जल वितरण करने वाली अवसंरचना आदि तथा क्षेत्र-वार जल कवरेज, गैर राजस्व जल (NRW) की स्थिति, मलजल उपचार संयंत्र (STP) सहित सीवरेज नेटवर्क आदि **का विवरण** शामिल होगा।
शहर जल कार्य योजना (CWAPs)	• इसमें जलापूर्ति; सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन; हरित स्थानों और पार्कों सहित जल निकायों के कायाकल्प संबंधी **प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों के संबंध में ULBs द्वारा प्रस्तावित परियोजनाओं की सूची शामिल होगी।**
स्टार्ट-अप और निजी उद्यमिता को बढ़ावा देना	• स्टार्ट-अप विचारों और निजी उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रौद्योगिकी उप-मिशन को पायलट परियोजनाओं में शामिल करना। • **मिलियन प्लस शहरों हेतु** PPP परियोजनाओं को **अनिवार्य** कर दिया गया है। • **शहर के स्तर पर कुल वित्तीय आवंटन का कम-से-कम 10% PPP परियोजनाओं के लिए** निर्धारित करना अनिवार्य होगा।
क्षमता निर्माण कार्यक्रम	• **ठेकेदारों, प्लंबर, प्लांट परिचालकों, छात्रों, महिलाओं और नागरिकों सहित सभी हितधारकों** के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
जन आंदोलन मिशन (समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करना)	• यह मिशन अपनी प्रगति के बारे में **समवर्ती फीडबैक के लिए महिलाओं और युवाओं** को शामिल करेगा। • जल मांग प्रबंधन तथा जल से संबंधित बुनियादी ढांचे के प्रबंधन और गुणवत्ता संबंधी परीक्षण में **महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs)** को शामिल किया जाएगा।

3.2. दीन दयाल अंत्योदय योजना- शहरी (राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन) {Deen Dayal Antyodaya Yojana- Urban (National Urban Livelihoods Mission): (DAY-NULM)}

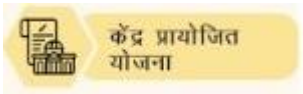

प्रकार: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।

लक्ष्य: संधारणीय आधार पर शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और सुभेद्यता को कम करना।

लाभार्थी: शहरी गरीब व्यक्ति/समूह/स्वयं सहायता समूह (SHGs)।

कवर किया गया क्षेत्र: सभी जिला मुख्यालय वाले शहर और 1,00,000 या इससे अधिक आबादी वाले अन्य सभी शहर (2011 की जनगणना के अनुसार)।

अन्य उद्देश्य: गरीबों से संबंधित जमीनी स्तर के मजबूत संस्थानों के निर्माण के माध्यम से शहरी गरीबों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाना।

मुख्य विशेषताएं

सामाजिक लामबंदी	• **प्रत्येक शहरी गरीब परिवार से कम-से-कम एक सदस्य, विशेष रूप से एक महिला** को समयबद्ध तरीके से **स्वयं सहायता समूह (SHG)** नेटवर्क के तहत शामिल किया जाना है।
पात्र स्वयं सहायता समूह (SHGs)	• **SHGs के कम-से-कम 70% सदस्य शहरी गरीब** होने चाहिए, ताकि वे वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकें। • SHGs में **10-20 सदस्य** शामिल हो सकते हैं, सिवाय इसके कि- ○ **आदिवासी बहुल पहाड़ी इलाके/क्षेत्र:** इन क्षेत्रों में 10 से कम सदस्यों की अनुमति है। ○ **दिव्यांग व्यक्तियों का समूह:** न्यूनतम 5 सदस्य।
क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण	• **मंत्रालय और संबंधित राज्य एजेंसियों की भूमिका को उच्च गुणवत्ता वाले तकनीकी सहायता प्रदाताओं** में रूपांतरित करना।
कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट के माध्यम से रोजगार (EST&P)	**कौशल विकास** शहरी गरीबों के कौशल विकास/उन्नयन हेतु सहायता की सुविधा **कौशल प्रमाणीकरण** कौशल प्रशिक्षण को मान्यता और प्रमाणन से जोड़ा गया है **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP)** कौशल संबंधी प्रमाणन के लिए PPP मोड को प्राथमिकता दी जाती है।
स्वरोजगार कार्यक्रम (Self-Employment Programme: SEP)	• यह कार्यक्रम व्यक्तिगत और सामूहिक, दोनों **सूक्ष्म उद्यमों** की स्थापना का समर्थन करता है। • **उद्यम विकास के लिए क्रेडिट कार्ड:** कार्यशील पूंजी और अन्य उद्देश्यों के लिए लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड प्रदान करना। **वित्तीय सहायता** **सामूहिक नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यम** • **न्यूनतम 2 सदस्य** होने चाहिए **(शहरी गरीबों से कम-से-कम 70%)** • प्रति सदस्य **2 लाख रुपये अथवा 10 लाख रुपये** (जो भी कम हो) के अधिकतम ऋण के लिए पात्र **व्यक्तिगत नेतृत्व वाले सूक्ष्म उद्यम** • इसकी परियोजना लागत सीमा **2 लाख रुपये** है
स्वयं सहायता समूह (SHG)- बैंक लिंकेज	• **स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज प्रोग्राम (SHG-BLP)** का मॉडल पहुंच से बाहर और कम सेवा प्राप्त करने वाले गरीब परिवारों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए लागत प्रभावी तंत्र के रूप में विकसित किया गया है। • यह अलग-अलग शोध अध्ययनों की टिप्पणियों और नाबार्ड द्वारा किए गए एक क्रियात्मक शोध प्रोजेक्ट पर आधारित है। **7% से अधिक ब्याज दर पर ब्याज सब्सिडी** • बैंक ऋण प्राप्त करने वाले **सभी स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के लिए लागू।** **अतिरिक्त 3% का ब्याज अनुदान** • **सभी महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs)** को जो सभी शहरों में अपने ऋण का पुनर्भुगतान समय से करती हैं।

© Vision IAS

शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को समर्थन (Support to Urban Street Vendors)	• स्किलिंग • सूक्ष्म उद्यम विकास • क्रेडिट सक्षमता • शहरी योजना निर्माण में वेंडर्स के पक्ष को शामिल करना • महिलाएं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आदि सुभेद्य लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा विकल्प
शहरी बेघरों के लिए आश्रय योजना (Scheme of Shelter for Urban Homeless: SUH)	• शहरी बेघरों के लिए **स्थायी सभी मौसम में अनुकूल 24x7 आश्रय** की सुविधा उपलब्ध कराना।
अभिनव एवं विशेष परियोजनाओं को बढ़ावा देना	• यह पूर्णतः केंद्र द्वारा प्रशासित है। **इसमें किसी राज्य के हिस्से के प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।** • **उद्देश्य:** ○ सार्वजनिक-निजी-सामुदायिक भागीदारी (P-P-C-P) के माध्यम से शहरी आजीविका के लिए स्थायी दृष्टिकोण उत्प्रेरित करना। ○ मापनीय पहलों के माध्यम से एक आशाजनक कार्यप्रणाली का प्रदर्शन या शहरी गरीबी की स्थिति पर एक अलग प्रभाव डालना।
निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय पहल (निपुण/ NIPUN)	• **उद्देश्य: 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को प्रशिक्षित करना** और उन्हें विदेशों में भी काम के अवसर प्रदान करना। • **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) • उद्योगों/बिल्डरों/ठेकेदारों के माध्यम से **अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट** की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

स्किलिंग के 2 तरीके

निर्माण स्थलों पर पूर्व अधिगम की मान्यता (RPL) कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। • यह कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (MSDE) की प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) का एक घटक है।	प्लंबिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्किल काउंसिल (SSC) द्वारा फ्रेश स्किलिंग के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा।

3.3. प्रधान मंत्री आवास योजना- शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban: PMAY-U)

स्मरणीय तथ्य

प्रकार: यह एक **केंद्र प्रायोजित और केंद्रीय क्षेत्रक** की योजना है।

उद्देश्य: सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराना।

अवधि: 2015 से 2024 तक।

अपवर्जन: देश के किसी भी हिस्से में लाभार्थी के परिवार के पास या लाभार्थी के नाम पर अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पक्का घर नहीं होना चाहिए।

अन्य उद्देश्य: वर्ष 2024 तक सभी पात्र परिवारों/लाभार्थियों को सभी मौसम में रहने योग्य पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करना।

मुख्य विशेषताएं

लाभार्थी

• एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित पुत्र और/या अविवाहित पुत्रियां शामिल होंगी।

इसके लाभार्थियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

परिवार की आय (प्रति वर्ष)	आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग (Economically weaker section: EWS)	निम्न आय समूह (Low-Income Groups: LIGs)	मध्यम आय समूह (Middle Income Groups: MIGs)
	3 लाख रुपये	**3-6 लाख रुपये**	**6-18 लाख रुपये**

<table>
<tr><td>चार कार्यक्षेत्र</td><td>
<table>
<tr><td colspan="4">चार कार्यक्षेत्र: इनमें से केवल एक कार्यक्षेत्र के तहत लाभ प्राप्त किया जा सकता है।</td></tr>
<tr><td>इन-सीटू स्लम रिडेवलपमेंट (ISSR)</td><td>क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (CLSS)</td><td>अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (AHP)</td><td>बेनेफिसिअरी-लेड कंस्ट्रक्शन (BLC)</td></tr>
<tr><td>1 लाख प्रति घर की दर से अनुदान दिया जाएगा।</td><td>3%-6% की ब्याज सब्सिडी के माध्यम से 2.67 लाख रुपये तक का लाभ प्राप्त होगा।</td><td>1.5 लाख रुपये प्रति घर की दर से अनुदान दिया जाएगा।</td><td>1.5 लाख रुपये प्रति घर की दर से अनुदान दिया जाएगा।</td></tr>
</table>

आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) श्रेणी के लाभार्थी सभी चार कार्यक्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
LIG और MIG श्रेणियां केवल CLSS के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
केवल CLSS एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है, शेष केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं।

</td></tr>
<tr><td>किफायती किराया आवास परिसर (ARHCs) योजना का कार्यान्वयन दो मॉडल्स के माध्यम से किया जाएगा</td><td>वर्तमान में सरकार के वित्त से निर्मित रिक्त आवासीय परिसरों को सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा ARHCs में परिवर्तित किया जाएगा।
सार्वजनिक/ निजी संस्थाओं द्वारा अपनी रिक्त भूमि पर ARHCs का निर्माण, संचालन और रख-रखाव किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>CLSS घटक के लिए कार्यान्वयन एजेंसी</td><td>राष्ट्रीय आवास बैंक (NHB)
आवास और शहरी विकास निगम (HUDCO)</td></tr>
<tr><td>महिला सशक्तीकरण</td><td>परिवार में किसी वयस्क महिला सदस्य के न होने की स्थिति में ही पुरुष सदस्य के नाम पर घर हो सकता है।</td></tr>
<tr><td>ग्रामीण योजनाओं के तहत प्राप्त होने वाले लाभ</td><td>PMAY(G) की स्थायी प्रतीक्षा सूची में शामिल लाभार्थियों को PMAY(G) या PMAY(U) के तहत घर चुनने की छूट प्राप्त होगी।
किसी भी लाभार्थी को सभी मौजूदा और भविष्य की ग्रामीण योजनाओं के तहत प्रदान किए जाने वाले लाभों की प्राप्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>अवसंरचनात्मक स्थिति</td><td>सरकार ने वहनीय आवास क्षेत्रक को "अवसंरचना का दर्जा" प्रदान किया है</td></tr>
</table>

3.4. स्मार्ट सिटी मिशन (Smart Cities Mission: SCM)

स्मरणीय तथ्य

केंद्र प्रायोजित योजना

- **उद्देश्य:** 100 स्मार्ट शहरों को विकसित करना और उन्हें नागरिकों के अनुकूल बनाना।
- **प्रकार:** यह एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है।
- **अवधि:** 2023 तक।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV).

अन्य उद्देश्य: इसका उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है, जो अपने नागरिकों को मूल अवसंरचना (Core Infrastructure) उपलब्ध करवाते हैं और उन्हें एक संतोषजनक व गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करते हैं। साथ ही, वे स्वच्छ व संधारणीय पर्यावरण का विकास करते हैं तथा 'स्मार्ट' समाधानों के प्रयोग को प्रोत्साहित करते हैं।

मुख्य विशेषताएं

स्मार्ट सिटीज	परिभाषा
	• स्मार्ट शहर की कोई भी मानक परिभाषा नहीं है। • ये देश की एक-तिहाई से अधिक जनसंख्या को आवास उपलब्ध कराते हैं।

 © Vision IAS

<table>
<tr><td></td><td>चयन
ऐसे उचित मानदंडों के आधार पर चयन, जो शहरी आबादी और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में वैधानिक कस्बों की संख्या को समान भारांश प्रदान करते हैं।</td></tr>
<tr><td>मूलभूत सिद्धांत</td><td>स्मार्ट सिटी की अवधारणा 6 मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है।
योजना के केंद्र में समुदाय- योजना निर्माण और उसके कार्यान्वयन में समुदाय को केंद्र में रखा जाएगा।
कम से अधिक की प्राप्ति - कम संसाधनों के उपयोग से अधिक परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता
सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद - प्रतियोगिता के माध्यम से चुने गए शहर; परियोजनाओं को लागू करने के लिए लचीलापन।
एकीकरण, नवाचार, संधारणीयता - नवाचारी पद्धतियां तथा एकीकृत और संधारणीय समाधान।
प्रौद्योगिकी को माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, न कि लक्ष्य के रूप में - प्रौद्योगिकी का सावधानीपूर्वक चयन अर्थात शहरों के संदर्भ में प्रासंगिक प्रौद्योगिकी का चयन किया जाएगा।
अभिसरण - क्षेत्रीय और वित्तीय अभिसरण।</td></tr>
<tr><td>स्मार्ट समाधान</td><td>मुख्य स्मार्ट समाधान
ई-गवर्नेंस और नागरिक सेवाएं- ई-गवर्नेंस और नागरिक सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण, अपराधों की वीडियो निगरानी आदि।
अपशिष्ट प्रबंधन- अपशिष्ट से ऊर्जा एवं ईंधन और अपशिष्ट से खाद की प्राप्ति तथा निर्माण व ध्वंस अपशिष्ट का पुनर्चक्रण एवं उसे कम करना।
जल प्रबंधन- स्मार्ट मीटर और प्रबंधन, रिसाव की पहचान एवं रोकथाम आदि।
ऊर्जा प्रबंधन- अक्षय ऊर्जा, स्मार्ट मीटर और प्रबंधन, हरित भवन एवं ऊर्जा दक्षता।
शहरी गतिशीलता- स्मार्ट पार्किंग, विवेकशील यातायात प्रबंधन, एकीकृत मल्टी-मॉडल परिवहन आदि।
अन्य- टेली मेडिसिन और टेली एजुकेशन, इन्क्यूबेशन एवं व्यापार सुविधा केंद्र, कौशल विकास केंद्र आदि।</td></tr>
<tr><td>स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV)</td><td>SPV शहरी स्तर पर कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निगमित एक लिमिटेड कंपनी होगी।
इसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और ULBs के 50:50 इक्विटी शेयरधारिता वाले प्रमोटर शामिल होंगे।
भारत सरकार द्वारा SPV को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदत्त निधियां सशर्त अनुदान के रूप में होंगी। इन्हें एक अलग अनुदान कोष में रखा जाएगा।</td></tr>
<tr><td>20:20 मॉडल/अवधारणा</td><td><table><tr><td>हाल ही में, केंद्र ने एक “100-डेज चैलेंज” की शुरुआत की है। इसमें शीर्ष प्रदर्शनकर्ता 20 स्मार्ट शहरों को अंतिम 20 स्मार्ट शहरों के साथ सिस्टर सिटी के रूप में संबद्ध किया जाएगा।</td><td>इससे पीछे रह गए शहरों को तकनीक ज्ञान प्राप्त करके व वित्तीय अध्ययन करके प्रक्रिया में सुधार करने के लिए सहायता मिलेगी।</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>एकीकृत नियंत्रण और कमान केंद्र (Integrated Control and Command Centres: ICCC)</td><td>यह केंद्र यातायात प्रबंधन, स्वास्थ्य, जलापूर्ति आदि क्षेत्रकों में नागरिकों को कई ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करता है।
इससे अपराध की रोकथाम, बेहतर निगरानी और महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में कमी लाने में भी सहायता मिलेगी।</td></tr>
<tr><td>अन्य प्रमुख पहलें</td><td><table><tr><td>“ईज़ ऑफ़ लिविंग” सूचकांक, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) की एक पहल है। यह सूचकांक शहरों को वैश्विक और राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार उनमें रहने की सुगमता का आकलन करने में सहायता करता है। साथ ही, यह शहरों को शहरी नियोजन और प्रबंधन के</td><td>भारत शहरी वेधशाला (India Urban Observatory): यह एक ऐसी वेबसाइट है, जो शहरी पारितंत्र में डेटा संस्कृति को स्थापित करने के उद्देश्य से जानकारियों, दृश्य संसाधनों और यूज़ केस के भंडार के रूप में कार्य करती है।</td><td>वर्चुअल हब (Virtual hub): उभरती प्रौद्योगिकियों और नवाचारों का लाभ उठाने के लिए 'शहरी परिवर्तन पर सहयोग के लिए वर्चुअल हब' स्थापित किया गया है। इसे विश्व आर्थिक मंच के साथ साझेदारी में स्थापित</td><td>अन्य पहलें (Other initiatives)
शहरी परिणाम रूपरेखा 2022;
शहरों के लिए AI प्लेबुक;
AMPLIFI (रहने योग्य, समावेशी और</td></tr></table></td></tr>
</table>

	'परिणाम-आधारित' दृष्टिकोण को अपनाने हेतु प्रोत्साहित करता है।		किया गया है।	भविष्य के लिए तैयार शहरी भारत हेतु आकलन तथा निगरानी मंच) पोर्टल

3.5. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) SBM-U 2.0 {Swachh Bharat Mission (URBAN) SBM-U 2.0}

केंद्र प्रायोजित योजना

स्मरणीय तथ्य

उद्देश्य: 'कचरा मुक्त शहर (GFCs)' का निर्माण करना।

प्रकार: यह एक **केंद्र प्रायोजित** योजना है।

कवरेज: इसके तहत सभी **वैधानिक शहर** शामिल हैं।

अवधि: 2026 तक।

अन्य उद्देश्य-

- सार्वजनिक स्थानों पर **सफाई और स्वच्छता** सुनिश्चित करना,
- **वायु प्रदूषण को कम करना,**
- **समग्र सेनिटेशन,**
- **उपयोग किए जा चुके जल को छोड़े जाने से पहले उपचार,**
- **क्षमता निर्माण,**
- **जागरूकता एवं जन आंदोलन आदि।**

मुख्य विशेषताएं

पृष्ठभूमि	• स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) को **2 अक्टूबर, 2014 को पांच वर्ष की अवधि (2014-2019)** के लिए प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य **भारत को खुले में शौच मुक्त या ODF (अर्थात, एक भी व्यक्ति खुले में शौच न करता हो)** बनाना था। • **चूंकि, ODF भारत के लक्ष्य को प्राप्त** कर लिया गया था, इसलिए **मिशन को 'स्वच्छ' व्यवहार को संस्थागत और स्थायी बनाने के लक्ष्य तक विस्तारित** कर दिया गया।
परिकल्पित परिणाम	• **वैधानिक कस्बों के लिए स्टार रेटिंग** ○ सभी वैधानिक कस्बों को उनके अपशिष्ट मुक्त होने के आधार पर कम से कम 3-स्टार या उच्चतर रेटिंग से प्रमाणित किया जाता है। • **सभी वैधानिक कस्बें न्यूनतम ODF+ की रेटिंग प्राप्त करें** ○ जल, रखरखाव और **स्वच्छता युक्त शौचालय** • **1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक शहर न्यूनतम ODF++ की रेटिंग प्राप्त करें** ○ मल गाद और **सेप्टेज प्रबंधन से युक्त शौचालय** • **1 लाख से कम आबादी वाले सभी वैधानिक कस्बों में से कम-से-कम 50% कस्बे जल+ (Water+) की रेटिंग प्राप्त करें** ○ यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई अनुपचारित अपशिष्ट (उपयोग किया जा चुका) जल खुले वातावरण या जल निकायों में नहीं छोड़ा जाता हो।

GFC-स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल

- **इसे शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) के बीच प्रतिस्पर्धी एवं मिशन-मोड की भावना** को प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया है।
- **ULBs द्वारा कम-से-कम 1-स्टार प्रमाणीकरण को सरकारी अनुदान** जारी करने के लिए एक शर्त के रूप में बना दिया गया है।

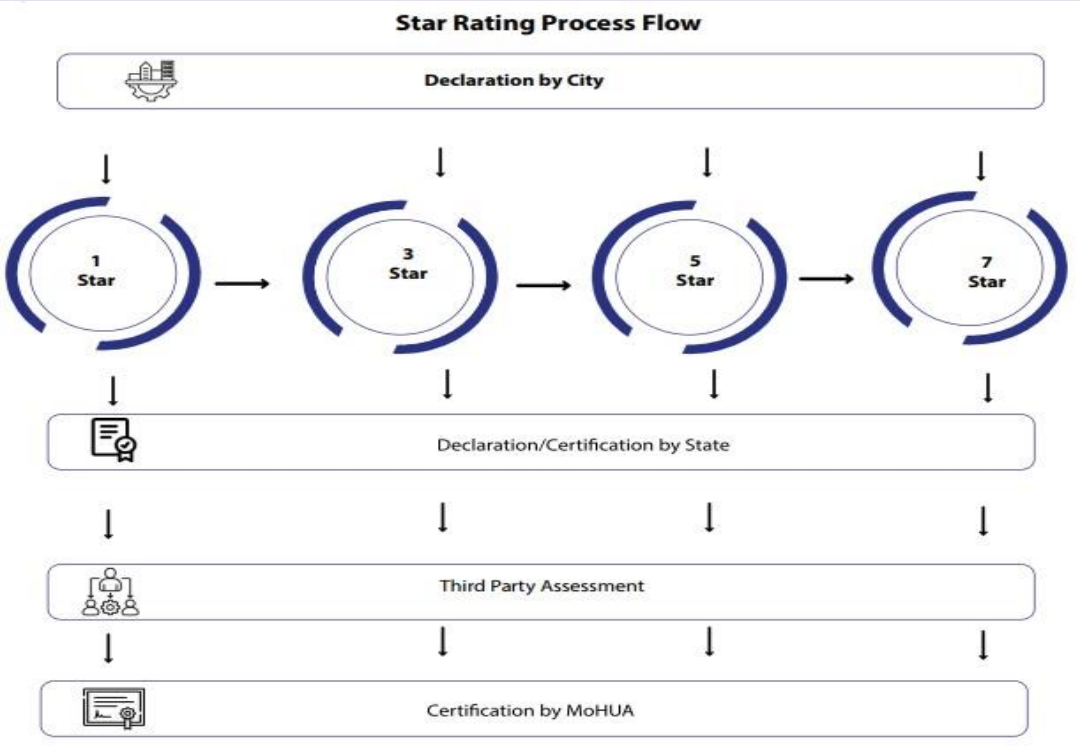

कचरा मुक्त शहर (GFCs)

कचरा मुक्त शहर के लिए निर्धारित मुख्य गतिविधियां			
पूर्ण रूप से स्रोत पर पृथक्करण	संपूर्ण कचरे का पूर्ण प्रसंस्करण	एकल उपयोग प्लास्टिक (SUP) की चरणबद्ध कमी	सभी पुरानी डंपसाइट्स का उपचार

डिजिटल सक्षमता

संस्थागत और व्यक्तिगत क्षमताओं के निर्माण के लिए **ई-लर्निंग और अन्य सुस्थापित प्लेटफॉर्म्स** को मजबूत करना।	**स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में कौशल विकास** पर ध्यान देना।	**संपत्ति की वास्तविक समय आधारित निगरानी** को सक्षम बनाने तथा **मिशन को डिजिटल और कागज रहित बनाने के लिए मजबूत ICT-सक्षम गवर्नेंस** की स्थापना।

उद्यमशीलता को बढ़ावा देना

- छोटे पैमाने के और निजी उद्यमियों द्वारा स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में स्थानीय रूप से नवाचारी, लागत प्रभावी समाधान व व्यवसाय मॉडल को अपनाना।

शहरी-ग्रामीण अभिसरण

- पड़ोसी ULBs और ग्रामीण क्षेत्रों के समूहों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्लस्टर आधार पर बुनियादी ढांचे का विकास करना, ताकि सामान्य अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं का कुशलता से उपयोग किया जा सके।

चैलेंज फंड

- 15वें वित्त आयोग के तहत स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सेवा स्तरीय मापदंड प्राप्त करने के लिए **10 लाख एवं उससे अधिक आबादी वाले शहरों को 5 वर्ष की अवधि में ₹13,029 करोड़ का चैलेंज फंड प्रदान** किया गया है।
- यह **स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर सेवा स्तर के बेंचमार्क को पूरा करने की सुविधा** प्रदान करेगा।

स्वच्छ सर्वेक्षण	• स्वच्छ सर्वेक्षण संपूर्ण भारत के शहरों और कस्बों में साफ-सफाई व समग्र स्वच्छता का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। • भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) इस सर्वेक्षण का कार्यान्वयन भागीदार है।	 **स्वच्छ सर्वेक्षण विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण** है।

3.6. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

स्वच्छ तीर्थ (Swachh Teerth)

- MoHUA ने उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर तथा ओडिशा को क्रमशः केदारनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा और रथ यात्रा का उच्च स्तर की स्वच्छता के साथ आयोजन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।
- **लक्ष्य:**
  - मंदिरों तक पहुंचने वाली सड़कों पर पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए पर्याप्त संख्या में स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध कराना;
  - सभी भोजनालयों को कचरा संग्रहण के प्रति संवेदनशील बनाना;
  - खाद्य अपशिष्ट के स्व-स्थाने प्रसंस्करण की व्यवस्था करना;
  - स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना आदि।

स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम (SVANidhi se Samriddhi programme)

- **उद्देश्य:** स्ट्रीट वेंडर्स को उनके समग्र विकास और सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करना।
- हाल ही में, इस योजना का **126 अतिरिक्त शहरों को कवर करने के लिए** विस्तार किया गया है।
- वर्ष 2021 में **पीएम स्वनिधि (प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि) नामक एक अतिरिक्त कार्यक्रम** को प्रारंभ किया गया था। अभी इसके चरण 1 को 125 शहरों में लागू किया गया है।
- **भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)** इस कार्यक्रम के लिए **कार्यान्वयन भागीदार** है।
- **स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से सशक्त बनाना**
- **मुख्य विशेषताएं**
  - **कार्यशील पूंजी पर 1 वर्ष की ऋण अवधि।**
  - **समय पर ऋण चुकाने की स्थिति में ब्याज दर में 7% की छूट, जिसे तिमाही** रूप से उपलब्ध करवाया जाएगा।
  - डिजिटल लेन-देन पर प्रोत्साहन के रूप में 100 रुपये तक मासिक कैशबैक।
  - पहले ऋण के समय पर/जल्दी चुकौती की स्थिति में उच्च ऋण पात्र बनना।
  - इसमें संपूर्ण देश के शहरी स्थानीय निकायों को शामिल किया गया है।

नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड {National Common Mobility Card (NCMC)}

- NCMC को परिवहन गतिशीलता के लिए **वन नेशन, वन कार्ड** के रूप में घोषित किया गया है।
- **नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC) एक स्वचालित किराया संग्रहण प्रणाली** है।
- यह प्रणाली स्मार्टफ़ोन को एक अंतर-संचालनीय (Interoperable) ट्रांसपोर्ट कार्ड में रूपांतरित कर देगी। यात्री अंततः मेट्रो, बस और उपनगरीय रेलवे सेवाओं (Suburban Railways Services) के लिए भुगतान भुगतान इसका उपयोग कर सकते हैं।
- **उद्देश्य:** खुदरा खरीदारी के अलावा देश भर की अलग-अलग परिवहन प्रणालियों द्वारा निर्बाध यात्रा को सक्षम बनाना।

4. जल शक्ति मंत्रालय (Ministry of Jal Shakti)

4.1. जल जीवन मिशन-ग्रामीण {Jal Jeevan Mission (JJM)-Rural}

स्मरणीय तथ्य

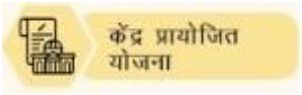

- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **उद्देश्य:** प्रत्येक ग्रामीण घर में नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- **बच्चों पर फोकस:** स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं में नल से जल की आपूर्ति करना।
- **कार्य प्रगति का मूल्यांकन:** प्रत्येक वर्ष हर जिले में किसी तृतीय-पक्ष द्वारा इसके तहत किए गए कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है।

अन्य उद्देश्य: वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार (हर घर नल से जल) को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (Functional Household Tap Connection: FHTC) उपलब्ध कराना है।

मुख्य विशेषताएं

कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (Functional Household Tap Connection: FHTC)	• **FHTC ऐसे घरेलू नल कनेक्शन को संदर्भित करता है, जो निम्नलिखित के साथ जल की आपूर्ति करता हो:** ○ **पर्याप्त मात्रा:** कम-से-कम 55 lpcd (लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन) ○ **निर्धारित गुणवत्ता:** BIS: 10500 मानक ○ **नियमित आधार पर:** दीर्घावधि तक निरंतर जलापूर्ति
ग्रामीण-शहरी अंतराल को समाप्त करना	• **इसका लक्ष्य 90 करोड़ से अधिक ग्रामीण लोगों तक सीधे लाभ पहुंचाना है।**
विकेंद्रीकृत	• **यह एक मांग-संचालित और समुदाय-प्रबंधित जलापूर्ति कार्यक्रम है।**
'सेवा वितरण' पर ध्यान केंद्रित करना	• इसमें जलापूर्ति के लिए केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण की बजाय प्रत्येक घर में पीने योग्य जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
ग्रामीण कार्य योजना (Village Action Plan: VAP)	• **दीर्घकालिक पेयजल सुरक्षा के लिए VAP** • इसके तहत ग्रामीण स्तर पर अलग-अलग कार्यक्रमों के सभी उपलब्ध संसाधनों को एकजुट किया जाएगा। • **VAP के तहत निम्नलिखित पर फोकस किया गया है:** ○ **पेयजल स्रोत पर** ○ **ग्रे जल के पुनरुपयोग पर** ○ **परिचालन एवं रखरखाव पर** ○ **जलापूर्ति प्रणाली पर**
प्राथमिकता वाले क्षेत्र	• इसके तहत उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है जहां भूजल में आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, लवणता, भारी धातु जैसे भू-जन्य प्रदूषक पाए जाते हैं।
जन शक्ति अभियान	• यह एक मिशन-मोड **जल संरक्षण अभियान है।**
पानी समिति	• **प्रत्येक गांव** में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति/पानी समिति की स्थापना करना। ○ इसमें **न्यूनतम 50% सदस्य महिलाएं होनी चाहिए और समाज के कमजोर वर्गों को इसमें आनुपातिक स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रदान** किया जाना चाहिए। • **पानी समिति की जिम्मेदारियां** ○ मौजूदा जल स्रोत का मानचित्रण करना ○ जल संरक्षण करना ○ जल उपभोग शुल्क का भुगतान करने हेतु समुदाय के साथ संवाद करना

<table>
<tr><td></td><td>

नियमित अंतराल पर जल की गुणवत्ता की जांच करना
निर्मित बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करना

</td></tr>
<tr><td>महिला सशक्तीकरण</td><td>

इसके तहत उन क्षेत्रों में महिलाओं की क्षमता का निर्माण किया जाएगा, जिन्हें केवल पुरुषों का क्षेत्र माना जाता है, जैसे कि राजमिस्त्री, मैकेनिक, प्लंबर आदि का कार्य करना।

</td></tr>
<tr><td>सामुदायिक निगरानी</td><td>

ग्राम स्तर पर जल की गुणवत्ता के परीक्षण हेतु फील्ड टेस्ट किट (FTKs) का उपयोग करने के लिए प्रत्येक गांव में कम-से-कम पांच व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जाना है। इसमें महिलाओं को वरीयता दी जानी चाहिए।
पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं आम जनता के लिए खुली होती हैं, जहां वे जल के नमूनों की जांच करा सकते हैं।

</td></tr>
<tr><td>राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन</td><td>

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यात्मक मूल्यांकन सर्वेक्षण के आधार पर प्रदर्शन अनुदान प्रदान किया जाता है।

</td></tr>
<tr><td>सहभागितापूर्ण कार्यान्वयन</td><td>

स्वयं सहायता समूह, गैर सरकारी संगठन, स्वैच्छिक संगठन आदि जागरूकता बढ़ाने और भागीदारी सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

</td></tr>
<tr><td>पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए तकनीकी हस्तक्षेप</td><td>
<table>
<tr><th>निगरानी में सुधार</th><th>वितरण में सुधार</th></tr>
<tr><td>

जल जीवन मिशन-जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (JJM - WQMIS): इसका उद्देश्य JJM के तहत हुई भौतिक और वित्तीय प्रगति की वास्तविक समय आधारित निगरानी करना है।
वास्तविक समय के आधार पर जल आपूर्ति की माप और निगरानी के लिए सेंसर आधारित इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) समाधान लागू किए गए हैं।
सभी लेन-देन सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के माध्यम से किए जाने का प्रावधान किया गया है।

</td><td>

JJM के तहत सृजित प्रत्येक संपत्ति की जियो-टैगिंग की जाएगी।
नल के कनेक्शन को घर के मुखिया के आधार नंबर के साथ जोड़ा जाता है।
कार्यों को सुगम एवं आसन बनाने हेतु सभी हितधारकों के उपयोग के लिए एक 'मोबाइल ऐप' बनाया गया है।

</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td colspan="2">संबंधित पहलें</td></tr>
<tr><td>जलमणि कार्यक्रम</td><td>

इस कार्यक्रम के तहत वर्ष 2008 से ग्रामीण विद्यालयों में स्टैंड अलोन जल शोधन प्रणाली की स्थापना की जा रही है।
इसमें जल शोधन प्रणाली का स्वामित्व विद्यालय के अधिकारियों के पास होता है।
जबकि इस कार्यक्रम के संचालन के लिए धन राज्य सरकारों द्वारा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जाता है।

</td></tr>
<tr><td>स्वजल योजना</td><td>

मिनी पाइप्ड वाटर सप्लाई (PWS) कार्यक्रम को नीति आयोग द्वारा चिन्हित 117 आकांक्षी जिलों में प्रारंभ किया गया है।
यह सामुदायिक मांग द्वारा संचालित, विकेंद्रीकृत, एकल ग्राम आधारित और मुख्यतः सौर ऊर्जा से संचालित एक मिनी पाइप्ड वाटर सप्लाई (PWS) कार्यक्रम है।
ग्रामीण समुदायों और राज्य क्षेत्रक एजेंसियों के साथ साझेदारी में ग्राम पंचायतों को इस योजना के निष्पादन हेतु शामिल किया जाएगा तथा ये इस योजना का संचालन और देखरेख भी करेंगी।
इस योजना के तहत स्वजल इकाइयों के संचालन और रखरखाव के लिए सैकड़ों ग्रामीण तकनीशियनों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा।
यह कार्यक्रम ODF स्थिति को भी बनाए रखेगा।

</td></tr>
</table>

 © Vision IAS

4.2. नमामि गंगे योजना (Namami Gange Yojana)

स्मरणीय तथ्य

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **लक्ष्य:** गंगा नदी का कायाकल्प करना, अर्थात "अविरल धारा" (सतत प्रवाह), "निर्मल धारा" (प्रदूषण रहित प्रवाह"), भूगर्भिक और पारिस्थितिक अखंडता सुनिश्चित करना।
- **प्रकार:** यह एक **केंद्रीय क्षेत्रक** की योजना है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन।
- **बाह्य सहायता:** विश्व बैंक द्वारा 5 वर्षों की अवधि (2026 तक) के लिए स्वीकृत ऋण के माध्यम से संबंधित परियोजनाओं का वित्त-पोषण किया जा रहा है।

अन्य उद्देश्य: राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण का प्रभावी उन्मूलन करना। साथ ही, नदी का संरक्षण और कायाकल्प भी करना।

पृष्ठभूमि	**1985 GAP-I (गंगा कार्य योजना-1)** • गंगा नदी की मुख्यधारा पर ध्यान केंद्रित किया गया • 25 शहरों को शामिल किया गया • 260 योजनाएं **1993 GAP-II (गंगा कार्य योजना-2)** • 1993 में GAP-I से विस्तारित • 1996 में NRCP के साथ विलय • इसके तहत यमुना, गोमती, दामोदर और महानंदा नदियों को शामिल किया गया **1995 NRCP (राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना)** • देश की 41 प्रमुख नदियां • गंगा बेसिन की प्रमुख नदियों जैसे- गंगा, यमुना, गोमती, दामोदर, महानंदा, बेतवा, मंदाकिनी, रामगंगा आदि को शामिल किया गया **2009 NGRBA (राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण)** • 2009 में गंगा के लिए एक अलग प्राधिकरण की स्थापना की गई • इसकी अध्यक्षता प्रधान मंत्री द्वारा की जाती है • 2011 विश्व बैंक द्वारा गंगा बेसिन परियोजना, NMCG व राज्य मिशन को सहायता प्रदान की गई • NMCG (राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन) का केंद्र स्तर पर कार्यान्वयन करने वाला निकाय है **2015 नमामि गंगे मिशन** • एकीकृत संरक्षण मिशन • बेसिन अप्रोच • इसमें सभी सहायक नदियां शामिल हैं
गंगा का कायाकल्प	 **जन गंगा** • गंगा क्वेस्ट(ऑनलाइन क्विज)

	• रिवर फ्रंट, घाट और श्मशान घाट • सामुदायिक संलग्नता • गंगा दौड़ (ganga run) • गंगा आमंत्रण अभियान (राफ्टिंग अभियान) • गंगा उत्सव (राष्ट्रीय नदी उत्सव) **निर्मल गंगा** • ठोस अपशिष्ट प्रबंधन • सीवेज अवसंरचना • औद्योगिक प्रदूषण • प्रयोग किए जा चुके जल का पुनरुपयोग और पुनर्चक्रण • ग्रामीण स्वच्छता **अविरल गंगा** • छोटी नदियों का कायाकल्प • अविरल धारा (ई-प्रवाह) • आर्द्रभूमि का मानचित्रण और संरक्षण • बाढ़ के मैदानों की सुरक्षा • संधारणीय कृषि • वनीकरण और जैवविविधता का संरक्षण **ज्ञान गंगा** • शहरी नदी प्रबंधन योजना • जल की गुणवत्ता की निगरानी • गंगा LiDAR की हाई रिज़ॉल्यूशन मैपिंग • सूक्ष्म जीवों की विविधता • जलभृत का मानचित्रण और झरनों का कायाकल्प • सांस्कृतिक मानचित्रण और जलवायुविक परिदृश्य का मानचित्रण
प्रमुख स्तंभ	**8 प्रमुख स्तंभ** • सीवेज उपचार अवसंरचना • रिवर फ्रंट का विकास • नदी की सतह की सफाई • जैव-विविधता • वनीकरण • जन जागरूकता • औद्योगिक बहि:स्राव की निगरानी • गंगा ग्राम
मुख्य रणनीतियां	**रणनीति** • व्यापक एकीकृत कार्यक्रम, • इसके लिए गैर-व्यपगत निधि का प्रयोग किया जाता है, • हाइब्रिड एन्युटी आधारित PPP मॉडल अपनाया गया है, • 5 वर्षीय समर्पित बजट का आवंटन किया जाता है, • 15 वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव (O&M) लागत को शामिल किया गया है।
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission For Clean Ganga: NMCG)	• NMCG को 2011 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत एक सोसायटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। • यह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA) के लिए एक कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता है। • NGRBA का गठन पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA), 1986 के प्रावधानों के तहत किया गया था।
संधारणीय और पर्यावरण अनुकूल कृषि (Sustainable and Eco-Agriculture)	• इसका उद्देश्य इस नदी घाटी में स्थायी कृषि-क्षेत्र विकसित करना और जल उपयोग दक्षता में सुधार करना है।

 © Vision IAS

	• गंगा ग्राम में जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना। • इसका कार्यान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ साझेदारी में किया जाएगा।
गंगा प्रहरी	• **ये ऐसे स्व-प्रेरित व्यक्ति** हैं जो आगे गंगा संरक्षण के प्रयासों में दूसरों को भी लामबंद करेंगे। • उन्हें **गंगा नदी** और उसकी जैव विविधता **की पारिस्थितिक निगरानी**, वृक्षारोपण तकनीक, जागरूकता आदि **के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।**
जन गंगा	**उद्देश्य:** • जन जागरूकता बढ़ाना, • नदी के साथ लोगों के जुड़ाव को बढ़ावा देना, • समुदाय और जनसामान्य की व्यापक स्तर पर सहभागिता और भागीदारी सुनिश्चित करना।
रिवर फ्रंट का विकास (River front development)	• गंगा नदी के तट पर **घाटों और श्मशान घाटों** का निर्माण करना।
स्वच्छ गंगा कोष (Clean Ganga Fund: CGF)	**कानूनी स्थिति** • यह भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत पंजीकृत है और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) का एक भाग** • इस कोष में योगदान भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक अधिसूचित CSR गतिविधि है। **योगदान के लिए प्रोत्साहन** • इसे विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) से छूट प्राप्त है। • यह आयकर अधिनियम की धारा 80 G के तहत 100% कर कटौती के लिए पात्र है।
गंगा उत्सव	• **यह गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किए जाने को उत्सव के रूप में मनाने के लिए** एक बहु गतिविधि कार्यक्रम है। • नदी सिनेमा, क्विज़, स्टोरी टेलिंग आदि सहित **छात्रों और युवाओं** को शामिल करता है।
गंगा नदी बेसिन प्रबंधन और अध्ययन केंद्र (Centre for Ganga River Basin Management and Studies: cGanga)	• यह NMCG के लिए एक व्यापक थिंक-टैंक के रूप में कार्य करता है। ○ **वर्ष 3 दिवसीय भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है।**
भौगोलिक मानचित्रण	• **सर्वे ऑफ इंडिया LiDAR** (लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग) **और GIS तकनीक का उपयोग करके गंगा कायाकल्प संबंधी कार्यों को सुगम बनाता है।** • **इसका लक्ष्य 5 प्रमुख राज्यों नामतः उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल** को कवर करते हुए लगभग 45,000 वर्ग किमी. क्षेत्र का मानचित्रण करना है।
सांस्कृतिक मानचित्रण	• **इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज (INTACH) के साथ साझेदारी में गंगा नदी के किनारे पर स्थित मूर्त, अमूर्त और निर्मित विरासत का दस्तावेजीकरण (Documentation) करना।**
माइक्रोबियल मैपिंग	• पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं के लिए गंगा की **माइक्रोबियल विविधता** का GIS-आधारित मानचित्रण करना।
शहरी नदी प्रबंधन योजना (Urban River Management Plan: URMP)	• **इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स (NIUA)** और NMCG द्वारा विकसित किया गया है। • इसका उद्देश्य गंगा नदी बेसिन में **शहरी नदियों की संपूर्णता को बनाए रखना है।**
अर्थ गंगा	• **उद्देश्य: संधारणीय विकास को बढ़ावा देकर** गंगा संरक्षण हेतु लोगों की भागीदारी को बढ़ाना। • **लोगों को नदी के साथ जोड़ने के लिए आर्थिक गतिविधियों का उपयोग करना।** • **यह देश की सकल घरेलू उत्पाद में गंगा नदी बेसिन से लगभग 3% का योगदान सुनिश्चित करेगा।**
गंगा ग्राम योजना	• **उद्देश्य: गंगा नदी की मुख्य धारा के तट पर स्थित** ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और धार्मिक

	और/या पर्यटन महत्व वाले **गांवों को विकसित करना।** • **इसके तहत व्यापक ग्रामीण स्वच्छता, जल निकायों और नदी घाटों का विकास, श्मशान घाटों का निर्माण/ आधुनिकीकरण आदि शामिल हैं।**
ग्रामीण स्वच्छता	• **गंगा तट पर स्थित सभी 4465 गांवों को खुले में शौच मुक्त (ODF) घोषित किया गया है।** • **गंगा गांवों में आवश्यकता आधारित तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था की गई है।**
कंटीन्यूअस लर्निंग एंड एक्टिविटी पोर्टल (CLAP)	• यह एक इंटरैक्टिव पोर्टल है जो **भारत में नदियों के संबंध में संवाद और कार्रवाई शुरू करने की दिशा में कार्य कर रहा है।** • **विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित और समर्थित है।**

4.3. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) चरण- II {Swachh Bharat Mission (Grameen) Phase-II}

केंद्र प्रायोजित योजना

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार**: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **लक्ष्य**: सभी गांवों को जल्द-से-जल्द खुले में शौच मुक्त प्लस (ODF प्लस) का दर्जा प्राप्त करने में सक्षम बनाना।
- **फोकस**: बेहतर स्वच्छता और स्वास्थ्य प्रथाओं को अपनाने के लिए लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना।
- **अवधि**: 2020-21 से 2024-25 तक

अन्य उद्देश्य:

- गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट का सुरक्षित प्रबंधन सुनिश्चित करना,
- ODF व्यवहार को समर्थन प्रदान करना तथा
- यह सुनिश्चित करना कि कोई भी इसके लक्ष्यों की प्राप्ति में पीछे न रहे और प्रत्येक व्यक्ति शौचालय का उपयोग करे।

प्रमुख विशेषताएं

<table>
<tr><td>पृष्ठभूमि</td><td>• 02.10.2014 में SBM (G) के लॉन्च के समय देश में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज 38.7% दर्ज की गई थी।
• SBM (G) के तहत सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों ने 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वयं को खुले में शौच मुक्त (ODF) घोषित कर दिया है।</td></tr>
<tr><td>ODF प्लस</td><td><table><tr><td>ODF की निरंतरता</td><td>ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन (SLWM)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>वित्त-पोषण के लिए अभिसरण</td><td><table><tr><td colspan="3">वित्त-पोषण के प्रमुख स्रोत</td></tr><tr><td>15वें वित्त आयोग के तहत जारी की गई धनराशि</td><td>MGNREGS, MPLADS, MLALADS, CSR, आदि</td><td>विशेष रूप से ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राजस्व सृजन मॉडल</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>इसके तहत किया जाने वाला मुख्य निर्माण कार्य</td><td><table><tr><td>व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHLs)</td><td>शौचालयों की मरम्मत</td><td>सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSCs)</td><td>ठोस और तरल अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु परिसंपत्तियां (SLWM)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन हेतु परिसंपत्तियां (SWM)</td><td><table><tr><td colspan="4">SWM</td></tr><tr><td>जैव निम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन</td><td>कम्पोस्ट पिट (घरेलू स्तर और सामुदायिक स्तर)</td><td>गोबर-धन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो-रिसोर्स धन)</td><td>प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन</td></tr></table></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>प्रोत्साहन के लिए पात्रता</td><td>गरीबी रेखा से नीचे के (BPL) परिवार>गरीबी रेखा से ऊपर के (APL) परिवार>अनुसूचित जाति\अनुसूचित जनजाति>दिव्यांगजनों के परिवार (PWD)>अधिवास वाले भूमिहीन परिवार>लघु किसान>सीमांत किसान>महिला प्रधान परिवार</td></tr>
<tr><td>प्रोत्साहन राशि</td><td><table><tr><td>IHHL और जल भंडारण सुविधाओं के निर्माण के लिए 12,000/- रुपये</td><td>प्रति व्यक्ति आधार पर SLWM के लिए वित्तपोषण</td><td>ग्राम स्तर पर CMSC के निर्माण के लिए ग्राम पंचायतों को अधिक वित्तीय सहायता की प्रदायगी</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>SLWM की निगरानी</td><td>यह निगरानी 4 प्रमुख संकेतकों के आउटपुट-आउटकम पर आधारित है-<table><tr><td>जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट प्रबंधन</td><td>प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन</td><td>ग्रे वाटर (गंदला जल) प्रबंधन</td><td>मलीय अपशिष्ट प्रबंधन</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>स्वच्छाग्रही</td><td>• मिशन के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख स्वच्छता आदतों के संबंध में व्यवहार परिवर्तन के लिए लोगों को संगठित और प्रेरित करते हैं।
• ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, ANM, वाटर लाइन मैन, पंप ऑपरेटर आदि हो सकते हैं।
• ये मिशन के चरण I की सफलता में प्रमुख एजेंट थे।</td></tr>
<tr><td>पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की भूमिका</td><td>• योजना निर्माण
• निधि प्रवाह की प्राप्ति
• समन्वय
• निगरानी (सोशल ऑडिट आयोजित करना)</td></tr>
<tr><td>गोवर्धन योजना</td><td>• यह पशुओं और जैव अपशिष्ट के सुरक्षित प्रबंधन पर एक जन आंदोलन है।
• पशु अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट और जैव अपशिष्ट को सुरक्षित रूप से प्रबंधित करने में गांवों को सहायता प्रदान करता है।
• पशुओं एवं जैव अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान को प्राप्त करने के लिए केंद्र तकनीकी सहायता और प्रति जिला 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
• इसके तहत बायो-गैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं जो ग्रामीण लोगों को अपने अपशिष्ट को धन में बदलने में सहायता प्रदान करते हैं।</td></tr>
<tr><td>योजना की प्रगति की निगरानी हेतु उपकरण</td><td>• राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा निम्नलिखित को विकसित किया गया है-
○ ठोस-तरल अपशिष्ट प्रबंधन (SLWM) डैशबोर्ड
○ ODF-प्लस ऐप
○ स्वच्छ ग्राम दर्पण ऐप</td></tr>
<tr><td colspan="2">अन्य संबंधित पहलें</td></tr>
<tr><td>स्वच्छ आइकॉनिक स्थल (SIP) पहल</td><td><table><tr><td colspan="4">अन्य प्रमुख हितधारक</td></tr><tr><td>आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय</td><td>पर्यटन मंत्रालय</td><td>संस्कृति मंत्रालय</td><td>संबंधित राज्य/ संघ शासित प्रदेश की सरकारें</td></tr></table>• उद्देश्य: विरासत स्थलों पर और उनके आसपास स्वच्छता एवं सफाई मानकों में सुधार करके आइकॉनिक स्थलों (आध्यात्मिक और सांस्कृतिक) पर पर्यटन को बढ़ावा देना।
• SIP में अजंता की गुफाएं (महाराष्ट्र), सांची स्तूप (मध्य प्रदेश), कुंभलगढ़ किला (राजस्थान), जैसलमेर किला (राजस्थान) आदि शामिल हैं।</td></tr>
<tr><td>राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र (RSK)</td><td>• इसे चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी पर अर्थात् 10 अप्रैल, 2017 घोषित किया गया था।
• इसे राजघाट पर स्थित गांधी स्मृति और दर्शन समिति के तहत, SBM पर एक परस्पर संवादात्मक अनुभव केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है।</td></tr>
<tr><td>दरवाजा बंद मीडिया</td><td>• उद्देश्य: उन पुरुषों को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु प्रोत्साहित करना जिनके पास शौचालय तो हैं लेकिन वे</td></tr>
</table>

अभियान	उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। • **विश्व बैंक** द्वारा समर्थित। • **'दरवाजा बंद - भाग 2'** अभियान देशभर के **गांवों की ODF स्थिति को बनाए रखने पर केंद्रित है।**
स्वच्छता ही सेवा अभियान	• **उद्देश्य**: स्वच्छता के लिए लोगों को एकजुट करना और जन आंदोलन को मजबूत करना। • यह SBM की स्वच्छता पहल को सहायता प्रदान करने हेतु **एक पाक्षिक स्वच्छता अभियान है।**

4.4. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

राष्ट्रीय जलविज्ञान परियोजना (National Hydrology Project: NHP)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **उद्देश्य**:
  - **जल संसाधन सूचना की गुणवत्ता और उस तक पहुंच** में सुधार करना तथा
  - **लक्षित जल संसाधन प्रबंध संस्थानों की क्षमता** को मजबूत करना।
- **प्रकार**: यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
- **बाह्य सहयोग:** विश्व बैंक द्वारा
- **अवधि**: 2016-17 से 2023-24 तक
- यह परियोजना **कुशलतापूर्वक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने की सुविधा** प्रदान कर रही है जो एक प्रभावी जल संसाधन विकास और प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त करेगी।
- **यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम**
  - **लॉन्च किया गया:** इसे **ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर सेंटर** के नेतृत्वकर्ता संस्थानों- पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय और गुवाहाटी स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है।
  - **उद्देश्य**: YWPs की क्षमता का निर्माण करना और उन्हें भारत में जल संसाधनों तथा **जल प्रबंधन सुधारों** के प्रबंधन के लिए आवश्यक परियोजना प्रबंधन कौशल प्रदान करना।
  - इस कार्यक्रम के पहले चरण में **NHP's की केंद्रीय और राज्यस्तरीय कार्यान्वयन एजेंसियों** से 20 युवा अधिकारियों (10 पुरुष एवं 10 महिलाओं) का चयन किया गया है।

परियोजना के उद्देश्य और घटक			
A - जल संसाधन निगरानी प्रणाली	**B - जल संसाधन सूचना प्रणाली**	**C - जल संसाधन संचालन और नियोजन प्रणाली**	**D - संस्थागत क्षमता में वृद्धि**

भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली (India-WRIS)

- यह भारत के **जल संसाधनों** तथा उनसे संबद्ध प्राकृतिक संसाधनों के व्यापक एवं प्रामाणिक **आंकड़ों** के लिए **एक सिंगल विंडो** समाधान है।
- **एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM)** के लिए डेटा को खोजने, एक्सेस करने और विश्लेषण हेतु उपकरणों के साथ **एक मानकीकृत राष्ट्रीय GIS ढांचे** में डेटा उपलब्ध है।
- यह जल शक्ति मंत्रालय के तहत कार्यरत **केंद्रीय जल आयोग (CWC)** और अंतरिक्ष विभाग के मुख्य घटक **भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO)** की एक संयुक्त पहल है।
- यह **राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (NHP)** का हिस्सा है।

बांध पुनरुद्धार और सुधार परियोजना (Dam Rehabilitation And Improvement Project: DRIP)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

चरण I	**चरण II &III**
कवरेज: 7 राज्यों (झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड) में स्थित 223 मौजूदा बड़े बांध)	**कवरेज: देश भर में स्थित 736 मौजूदा बांध**

अवधि: 2012 से 2021 तक	अवधि : 2021 से 2031 तक

- **पृष्ठभूमि:** इसे वर्ष 2012 में **विश्व बैंक** की मदद से छह वर्ष के लिए लॉन्च किया गया था।
- **प्रकार**: यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **उद्देश्य**: **संस्थागत मजबूती के साथ-साथ चयनित बांधों की सुरक्षा और परिचालन प्रदर्शन** में सुधार करना।
- **वित्त पोषण:** इसके व्यय का कुछ हिस्सा **विश्व बैंक** एवं **एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक** द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। शेष राशि **संबंधित कार्यान्वयन एजेंसियों** द्वारा वहन की जानी है।

अटल भूजल योजना (Atal Bhujal Yojna: ATAL JAL)

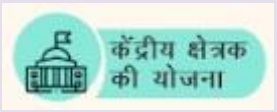

- **प्रकार**: यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **उद्देश्य:** सात राज्यों में चिह्नित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से **भूजल प्रबंधन में सुधार करना।**(मानचित्र देखें)
- **अवधि: वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक**
- **अन्य विशेषताएं**
  - **समुदायों** की सक्रिय भागीदारी
  - **जल संरक्षण योजनाओं का ग्राम पंचायत वार निर्माण** और कार्यान्वयन।
  - **संधारणीय भूजल प्रबंधन से संबंधित IEC गतिविधियां।**
  - **महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी।**
  - **संस्थागत सुदृढ़ीकरण** और क्षमता निर्माण।
  - **बेहतर भूजल प्रबंधन** प्रथाओं, जैसे- डेटा प्रसार, जल संरक्षण योजनाओं की तैयारी, आदि की प्राप्ति के लिए **राज्यों को प्रोत्साहित करना।**

अटल भूजल योजना-अटल जल: अपेक्षित लाभ

- लक्षित क्षेत्रों में बेहतर भूजल स्थिरता।
- जल जीवन मिशन के तहत हस्तक्षेप के लिए स्रोत संबंधी स्थिरता।
- किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में योगदान।
- विवेकपूर्ण जल उपयोग को बढ़ावा देने हेतु व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देना।

फंडिंग	
50% विश्व बैंक द्वारा ऋण के माध्यम से	**50% बजटीय समर्थन के माध्यम से**

- अटल भूजल योजना के तहत **गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जल संकट वाले क्षेत्रों (78 जिले, 193 ब्लॉक्स; 8,350 ग्राम पंचायतें)** पर ध्यान दिया जाएगा।

राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन (National Aquifer Mapping and Management: NAQUIM)

- **पृष्ठभूमि:** इसे वर्ष 2012 में 'भूजल प्रबंधन और विनियमन' योजना के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था।
- **उद्देश्य**: भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** केंद्रीय भूजल बोर्ड
- **संबद्ध संस्थान:** इसके संबद्ध संस्थानों के अंतर्गत राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, विश्व बैंक, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (DFID) और राज्य भूजल विभाग शामिल हैं।
- यह **जलभृतों (**जल धारण करने वाली संरचनाओं**) के मानचित्रण, उनके लक्षणों के वर्णन और जलभृत प्रबंधन योजनाओं के विकास की परिकल्पना करता है।**

एक व्यवस्थित जलभृत मानचित्रण की आवश्यकता - निम्नलिखित के संदर्भ में हमारी समझ में सुधार करने के लिए:

- जलभृतों की भूवैज्ञानिक रूपरेखा,
- उनकी हाइड्रोलॉजिकल विशेषताओं,
- जलभृतों का जल स्तर और समय के साथ उसमे होने वाला परिवर्तन,
- भूजल भरण क्षमता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक और मानवजनित संदूषकों की उपस्थिति।

5. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment)

5.1. राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना {National Child Labour Project (NCLP) Scheme}

स्मरणीय तथ्य

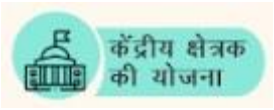

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **उद्देश्य:** बाल श्रमिकों का पुनर्वास।
- **लक्षित समूह:** 14 वर्ष से कम आयु के सभी बाल श्रमिक; खतरनाक व्यवसायों/ प्रक्रियाओं में संलग्न 18 वर्ष से कम आयु के किशोर श्रमिक।
- **कार्यान्वयन**: **जिला परियोजना समितियों (DPS)** के माध्यम से।

अन्य उद्देश्य: बाल श्रम के सभी रूपों को खत्म करना। बाल श्रम निगरानी, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग सिस्टम बनाने और उनके बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए।

मुख्य विशेषताएं

<table>
<tr><td>पृष्ठभूमि</td><td>• वर्ष 2021 से NCLP योजना का विलय समग्र शिक्षा अभियान (SSA) योजना में कर दिया गया था।
नोट: SSA योजना के बारे में विस्तार से जानने के लिए शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट देखिए।</td></tr>
<tr><td>पुनर्वास</td><td>• प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से बच्चों को कम-से-कम तीन महीने के लिए मॉड्यूलर आधार पर छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाता है।
<table>
<tr><td rowspan="2">पुनर्वास के दो तरीके</td><td>5 से 8 वर्ष के बीच की आयु के बच्चे</td><td>बच्चों को छुड़ाना और उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना।</td></tr>
<tr><td>9-14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे</td><td>बच्चों को छुड़ाना और उन्हें सेतु शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, आदि के लिए NCLP विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में दाखिला कराना, तत्पश्चात उन्हें औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में शामिल करना।</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>जिला परियोजना समितियां</td><td>• कलेक्टर/ जिलाधिकारी के अधीन स्थापित।
• ये समितियां खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रमों में कार्य करने वाले बच्चों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण आयोजित करती हैं।
• इसके साथ ही, ये परियोजना के कार्यान्वयन की देखरेख करती हैं।</td></tr>
<tr><td>पेंसिल (PENCiL) पोर्टल</td><td>• पारदर्शिता के साथ कार्य का समय पर निपटान सुनिश्चित करने हेतु बेहतर निगरानी और कार्यान्वयन के माध्यम से राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (NCLP) को सफल बनाने के लिए पेंसिल (PENCiL) (शून्य बाल श्रम के लिए प्रभावी प्रवर्तन हेतु मंच) नामक एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया है।
• विशेषताएं:
○ रजिस्टर / नई शिकायत दर्ज करना
○ बच्चे की रिपोर्ट करना
○ शिकायत को ट्रैक करने की स्थिति
○ परिपत्र और महत्वपूर्ण आदेश देखें
○ बाल श्रम नीति/NCLP योजना के बारे में जानकारी देना</td></tr>
<tr><td>संबंधित जानकारी</td><td>• भारत ने ILO के बाल श्रम के सबसे खराब रूपों के कन्वेंशन 182 और रोजगार की न्यूनतम आयु के कन्वेंशन 138 की पुष्टि की है।
• बाल श्रम (निषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम 2016 बच्चों (14 वर्ष से कम आयु) को सभी व्यवसायों में और किशोरों (18 वर्ष से कम आयु) को खतरनाक व्यवसायों में संलग्न करने पर रोक लगाता है।</td></tr>
</table>

5.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना या बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्रक की योजना (Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourer - 2021)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **प्रकार :** यह केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है।
- **अवधि :** 2021-22 से 2025-36 तक
- **उद्देश्य :** बंधुआ मजदूरी प्रथा का उन्मूलन

पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता		
1 लाख रुपये	**2 लाख रुपये**	**3 लाख रुपये**
प्रति वयस्क पुरुष लाभार्थी या तो वार्षिकी योजना के माध्यम से या नकद अनुदान के माध्यम से	**विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए** जैसे महिलाएं और बच्चे	बलात् श्रम के लिए जिसमें वंचना के चरम मामले शामिल हैं जैसे - दृश्यमान यौन शोषण से मुक्त कराए गए ट्रांसजेंडर या महिलाएं या बच्चे

- प्रत्येक राज्य द्वारा स्थायी कोष के साथ जिला स्तर पर **बंधुआ श्रम पुनर्वास निधि** के निर्माण का प्रावधान
- **DM/SDM**, सामाजिक आर्थिक सहायता की आवश्यकता वाले मामलों में स्वयं द्वारा प्रशासित किसी अन्य योजना के तहत **राज्य सहायता प्रदान कर सकते हैं,** भले ही यह योजना इसके लिए न हो
- **निगरानी**: NCLP योजना के तहत निर्धारित केंद्रीय निगरानी समिति द्वार

बंधुआ मजदूर पुनर्वास कोष (Bonded Labour Rehabilitation Fund)

- छुड़ाए गए बंधुआ मजदूरों को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है।
- अपराधियों से वसूले गए **जुर्माने** की पूरी राशि को कोष (Corpus) में जमा किया जा सकता है।
- कम-से-कम **10 लाख रुपये का स्थायी कोष जो नवीकरणीय होता है।**
- यह **जिला मजिस्ट्रेट (DM)** के नियंत्रण में होता है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **प्रकार :** यह केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है।
- **उद्देश्य:** औपचारिक क्षेत्रक में रोजगार को बढ़ावा देना और कोविड-19 महामारी के दौरान हुई रोजगार की क्षति को पुनः बहाल करना।
  - **केंद्र सरकार द्वारा EPF में योगदान से** रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलता है।
- **कार्यान्वयन: EPFO द्वारा।**

EPF में केंद्र द्वारा दिया गया योगदान	1,000 तक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के लिए: कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों का अंशदान (12% प्रत्येक)
	1,000 से अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों के लिए: केवल कर्मचारियों द्वारा अंशदान (12%)

- **लाभार्थी:**
  - **15000 रुपये प्रति माह से कम वेतन** प्राप्त करने वाले कर्मचारी **और जो 1 अक्टूबर, 2020 से पहले EPFO** (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) **में पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में काम नहीं कर रहे थे।**
  - ऐसे कर्मचारी **जिनकी नौकरी कोविड-19 महामारी के दौरान चली गई है** और वे 30 सितंबर तक EPFO द्वारा कवर किए गए किसी भी प्रतिष्ठान में शामिल नहीं हैं।
- EPFO यह सुनिश्चित करने का कार्य करेगा कि **EPFO द्वारा कार्यान्वित किसी अन्य योजना के साथ** ABRY के तहत प्रदान किए गए **लाभों की कोई ओवरलैपिंग न हो।**

अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY)

- **पात्रता:** कर्मचारी राज्य बीमा (ESI) अधिनियम, 1948 के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी
- **इसके तहत बीमित व्यक्तियों की आकस्मिक बेरोजगारी** की स्थिति में कर्मचारी के **जीवनकाल में एक बार 90 दिनों तक का नकद मुआवजा** प्रदान किया जाता है।
  - इसके तहत प्रदान की गई राहत में **दावेदार की औसत दैनिक आय का 50% शामिल होता है।**
  - यह राहत **बेरोजगार होने के 30 दिन बाद देय होती है।**
- **पात्रता:** बीमित व्यक्ति को अन्य न्यूनतम योगदान अवधि को पूरा करते हुए **कम-से-कम 2 वर्षों के लिए बीमा योग्य रोजगार** होना चाहिए।
- **इसके लिए नियोक्ता के माध्यम से फाइल करने** और **दावेदार द्वारा एफिडेविट जमा करने** की कोई आवश्यकता नहीं होती है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना (Employees' State Insurance Scheme)

- इसके अंतर्गत **बीमारी, प्रसूति,** रोजगार के दौरान चोट लगने के कारण **विकलांगता और मृत्यु** की घटनाओं के विरुद्ध बीमा प्रदान किया जाता है। साथ ही **बीमाकृत व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिकित्सकीय** देखभाल प्रदान की जाती है।
- **पात्रता: कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में वर्णित ऐसे कर्मचारी** (ट्रांसजेंडर सहित) जो **21,000 रुपये तक का वेतन प्राप्त कर रहे हैं।**
- **कवरेज:** ऐसे कारखाने और अन्य प्रतिष्ठान जिनमें **10 (कुछ राज्यों में 20) या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं।**
- **वित्त-पोषण:** नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अंशदान द्वारा

योगदान का हिस्सा	
• अंशधारकों की अंशदान की दर	• नियोक्ताओं की हिस्सेदारी
वेतन का 3.25%	वेतन का 0.75% या 137/- रुपये प्रतिदिन से कम कमाने पर कोई अंशदान नहीं

- **कार्यान्वयन एजेंसी:** कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)

श्रम सुविधा - श्रम और रोजगार के लिए एकीकृत पोर्टल

- **नियोक्ता, कर्मचारी और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच संपर्क का एक बिंदु** जो उनकी **दिन-प्रतिदिन की अंतः क्रियाओं** में पारदर्शिता लाता है।
- विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के बीच डेटा के एकीकरण के लिए, किसी भी श्रम कानून के तहत **प्रत्येक निरीक्षण योग्य इकाई** को **एक श्रम पहचान संख्या (LIN)** प्रदान की गई है।

निरीक्षण के लिए इकाइयों के क्रमरहित चयन हेतु पारदर्शी केंद्रीय श्रम निरीक्षण योजना

- **इसका उद्देश्य निरीक्षण के लिए इकाइयों के चयन में मानवीय विवेकाधिकार को समाप्त करने** हेतु प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है।
- इसके अंतर्गत **निरीक्षण के 72 घंटे के भीतर निरीक्षण रिपोर्ट अपलोड करना** अनिवार्य है।

यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN)

- **UAN एक 12-अंकीय अद्वितीय संख्या** होती है जो EPF में अंशदान करने वाले प्रत्येक कर्मचारी को प्रदान की जाती है।
- यह **प्रोविडेंट फंड (PF) खाते को वहनीय और सार्वभौमिक रूप से सुलभ** बनाता है।

राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल {(NCS) portal}

- NCS पोर्टल **नियोक्ताओं, नौकरी चाहने वालों, नौकरी दिलाने वाले संगठनों और प्रशिक्षण प्रदाताओं के पंजीकरण** के लिए रोजगार संबंधी सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान करता है। नौकरी तलाशने वालों एवं नौकरी देने वालों के मध्य तथा करियर मार्गदर्शन और प्रशिक्षण की मांग करने वालों व परामर्श एवं प्रशिक्षण प्रदान करने वालों के मध्य व्याप्त अंतराल को दूर करना।
- NCS **सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध हैं।**

6. विधि और न्याय मंत्रालय (Ministry of Law And Justice)

6.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

न्याय बंधु (प्रो बोनो लीगल सर्विस) योजना

- **उद्देश्य:** समाज के **हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए "न्याय तक पहुंच"** को बढ़ाना। साथ ही **सभी के लिए "निःशुल्क विधिक सहायता"** प्रदान करने वाले राज्य के संवैधानिक दायित्व को पूरा करना।
- इसके अंतर्गत उन व्यक्तियों और संगठनों को स्वैच्छिक विधिक परामर्श (प्रो बोनो) प्रदान किया जाता है जो विधिक परामर्श प्राप्त करने में असमर्थ हैं और/या विधिक सहायता तक नहीं पहुंच सकते हैं।
- विधिक सहायता के लिए प्रयास करने वाला व्यक्ति **न्याय बंधु मोबाइल ऐप** के माध्यम से निःशुल्क विधिक परामर्श प्रदान करने वाले (प्रो बोनो) अधिवक्ताओं के साथ जुड़ सकता है।

अधिवक्ता

- एक ऐसा वकील जिसके पास किसी भी स्टेट बार काउंसिल द्वारा जारी किया गया वैध प्रैक्टिस लाइसेंस हो।
- अधिवक्ता को न्याय बंधु मोबाइल ऐप पर पंजीकरण करते समय अपना एनरोलमेंट नंबर और प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य है।

न्याय मित्र योजना

- **पृष्ठभूमि:** इसे वर्ष 2017 में "न्याय तक पहुंच" योजना के तहत शुरू किया गया था।
- **उद्देश्य**: हाशिए पर रहने वाले लोगों के लिए न्याय तक पहुंच बढ़ाना।
- **उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में 10-15 वर्ष पुराने लंबित मामलों के** त्वरित निपटान की सुविधा प्रदान करना।
- **देश की विधिक प्रणाली को डिजिटल रूप से रूपांतरित करने** की दिशा में यह एक कदम आगे का प्रयास है।

न्याय मित्र के लिए पात्रता	न्याय मित्र की भूमिका और उत्तरदायित्व
• **स्थानीय निवासी** • सेवानिवृत्त **न्यायिक अधिकारी** • सेवानिवृत्त **कार्यकारी अधिकारी** • **वेतनमान** का एक निर्दिष्ट स्तर वाला आवेदक **केवल एक जिले के लिए आवेदन कर सकता है;** अन्यथा उसके सभी आवेदन खारिज कर दिए जाएंगे	• जिले के **10 वर्ष पुराने लंबित वादों की विस्तृत सूची** तैयार करना • **लंबित वादों का** आलोचनात्मक **विश्लेषण करना** • राज्य/जिला प्राधिकारियों के साथ **समन्वय करना** • **लोक अदालत** के लिए वादों की पहचान करना • **अनुवर्ती कार्रवाई करना** • **अन्य संबंधित गतिविधियां**

टेली लॉ योजना

उद्देश्य: CSC विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) कार्यालय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) में भारत भर में कार्यरत वकीलों के एक पैनल के माध्यम से **विधिक परामर्श देने की** सुविधा प्रदान करना।

- **इसके अंतर्गत साधारण सेवा केंद्र (CSCs) में वकीलों के साथ विधिक परामर्श और काउंसलिंग के लिए ग्रामीण नागरिकों को जोड़ने की परिकल्पना की गई है।** यह कार्य भारत भर की चिन्हित ग्राम पंचायतों (GP) में स्थापित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधाओं के माध्यम से किया जाएगा।
- **अर्ध न्यायिक स्वयंसेवी (PLVs)** इस योजना के बारे में जागरूकता का प्रसार करते हैं और विधिक सलाह हेतु नागरिकों/वादों की पहचान करते हैं।
  - **एक PLV को** 10वीं पास होना चाहिए और उसी पंचायत का निवासी होना चाहिए।
- **हाशिए पर रहने वाले वर्गों के लिए सेवाएं निःशुल्क हैं** अन्यथा आवेदकों को 30 रुपये का भुगतान करना होगा।

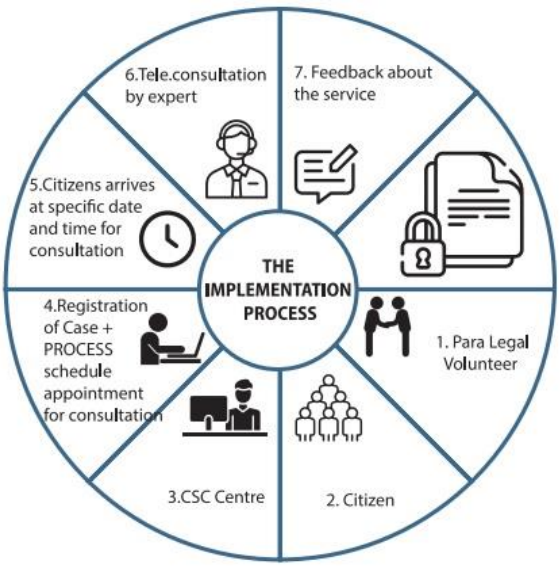

ई-कोर्ट (e-Courts)

- **पृष्ठभूमि:** इस परियोजना की परिकल्पना **'भारतीय न्यायपालिका में सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना-2005'** नामक रिपोर्ट के आधार पर की गई है।

ई-कोर्ट परियोजना के चरण I और II के तहत प्रमुख पहलें:

- आपराधिक मामलों में पारदर्शिता और प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए **अंतर-प्रचलित आपराधिक न्याय प्रणाली (ICJS)**
- प्रत्येक न्यायाधीश के लिए एक विशिष्ट आईडी प्रदान करने के लिए **एक न्यायिक अधिकारी कोड (JO Code)**
- **दलीलों, आदेशों और निर्णयों से कनेक्ट होने के लिए एक QR कोड** का विकास
- प्रत्येक वाद के लिए एक अद्वितीय **वाद संख्या रिकॉर्ड (CNR)** का विकास
- उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में सभी मामलों के सारांश के आंकड़े रखने वाले **राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG)** की स्थापना
- सूचना की पहुंच में सुधार के लिए सभी उच्च न्यायालयों और प्रत्येक राज्य में एक जिला न्यायालय में **ई-सेवा केंद्र की स्थापना**
- वर्चुअल कोर्ट, ई-कोर्ट सर्विस ऐप
- **वाद संबंधी रिकॉर्ड,** विशेष रूप से पुराने वाद संबंधी रिकॉर्ड **का डिजिटलीकरण**।

- परियोजना के **पहले और दूसरे चरण** में भारत भर में सभी न्यायालयों में **हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की स्थापना सुनिश्चित करने और स्थापित प्रणाली को अद्यतन करने पर** ध्यान केंद्रित किया गया था।
- **इसके तीसरे चरण** में **डिजिटल कोर्ट** का निर्माण करने और **रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण को सुनिश्चित करने** की परिकल्पना की गई है।
- **उच्चतम न्यायालय की ई-समिति** को ई-न्यायालय परियोजना की देखरेख का प्रभार सौंपा गया है।

विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (LIMBS) संस्करण 2

- यह LIMBS का **उन्नत संस्करण** है। इसे **NIC के सहयोग** से वर्ष 2020 में शुरू किया गया था।
- यह उपयोगकर्ता विभागों के लिए एक **डैशबोर्ड-आधारित प्रणाली** है जिस पर वे अपने विधिक मामलों को एक नज़र में देख सकते हैं।
  - यह **विधिक मामलों और दस्तावेजों के भंडारण, वर्गीकरण और खोज के लिए स्टैण्डर्ड टेम्पलेट** का उपयोग करता है।

LIMBS 2.0 मंत्रालय/ विभाग को अनुमति प्रदान करता है:

- कार्यवाहियों को अपडेट करने और अनुपालन दर्ज करने के लिए
- प्रगति को शामिल करने के लिए
- अधिवक्ताओं/न्यायाधीशों को शामिल करने के लिए
- उनके वादों को अन्य उपयोगकर्ताओं (विभागों/प्रभागों/मंत्रालय) को स्थानांतरित करने के लिए
- अलग-अलग रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए
- उनके सभी वादों और उनकी स्थिति के बारे में डैशबोर्ड देखने के लिए
- नए वादों को दर्ज करने या मौजूदा वादों को अद्यतन करने के लिए
- सलाह/मुकदमे के लिए वादों को विधिक मामलों के विभाग (DOLA) को अग्रेषित करने के लिए

- **उद्देश्य**: समयबद्ध **प्रशासनिक प्रक्रियाओं और ऑडिट ट्रेल** के प्रबंधन की सुविधा प्रदान करना जिससे **भारतीय संघ की मुकदमेबाजी की संपूर्ण श्रृंखला में प्रशासनिक मानदंडों में एकरूपता आती है।**
- इसने **सभी हितधारकों** जैसे उपयोगकर्ताओं, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों, अधिवक्ताओं आदि को **एकल मंच पर** लाने का कार्य किया है।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (FTSCs)

केंद्र प्रायोजित योजना

- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **उद्देश्य:** दांडिक विधि (संशोधन) अधिनियम 2018 के अनुसरण में **बलात्कार और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम,** से संबंधित मामलों का त्वरित सुनवाई और निपटान करना।

लाभ

- असहाय पीड़ितों को त्वरित न्याय प्रदान करना
- लैंगिक अपराधियों के लिए निवारण ढांचे का विकास करना
- बलात्कार और POCSO अधिनियम के लंबित मामलों की संख्या में कमी लाना
- लैंगिक अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित करना

© Vision IAS

- न्यायिक प्रणाली में विद्यमान अवरोध को दूर करना आदि।

- **क्रिमिनल लॉ (संशोधन) अधिनियम, 2018** के तहत FSTCs स्थापित किए गए हैं। इनका मुख्य कार्य बलात्कार तथा **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012** से जुड़े मामलों का शीघ्र निपटान करना है।
- लैंगिक अपराधों से संबंधित त्वरित सुनवाई के लिए **देश भर में** कुल 1023 **FSTCs** स्थापित करने के प्रयास किए गए थे। इनमें से **389 FSTCs** विशेष रूप से POCSO अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई पर केंद्रित हैं।
- **अवधि : मार्च 2023 तक**
- **वित्त-पोषण : निर्भया फंड**
  - **'निर्भया फंड फ्रेमवर्क'** महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक गैर-व्यपगत समग्र कोष प्रदान करता है। यह कोष **आर्थिक कार्य विभाग** द्वारा प्रशासित है।
  - **महिलाओं की रक्षा और सुरक्षा में सुधार** के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई परियोजनाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
  - **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MWCD) निर्भया फंड के तहत** वित्त-पोषित किए जाने वाले प्रस्तावों और योजनाओं का **मूल्यांकन/सिफारिश** करने वाला नोडल मंत्रालय है।
  - FSTCs ने अक्टूबर, 2022 तक 1,24,000 से अधिक वादों का निपटान किया है। हालांकि, इन न्यायालयों में **1,93,000 से अधिक वाद अभी भी लंबित हैं।**

एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल

- **उद्देश्य:** देश में **व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देना और अनुबंध प्रवर्तन व्यवस्था में सुधार करना है।**
- इस पोर्टल के संबंध में ऐसी परिकल्पना की गई है कि यह **"अनुबंध प्रवर्तन" के मापदंडों पर किए जा रहे विधायी और नीतिगत सुधारों** से संबंधित सूचना का समग्र स्रोत होगा।
- यह दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता के **समर्पित वाणिज्यिक न्यायालयों में वाणिज्यिक मामलों पर नवीनतम जानकारी तक सुगम पहुंच** प्रदान करेगा।

7. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises: MSME)

7.1. सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (Micro & Small Enterprises Cluster Development Programme: MSE-CDP)

स्मरणीय तथ्य

प्रकार: MSE-CDP एक मांग संचालित केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।

लाभार्थी: स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के रूप में मौजूदा उद्यमी।

वित्त-पोषण : सरकारी वित्त-पोषण केंद्र और राज्यों के बीच साझा किया जाता है।

कार्यक्रम की अवधि: MSE-CDP के नए दिशा-निर्देशों को **15वें वित्त आयोग की अवधि (2021-22 से 2025-26)** के दौरान लागू किया जाएगा।

अन्य उद्देश्य:

- **MSEs की संधारणीयता, संवृद्धि और क्षमता निर्माण में सहायता करना।**
- **औद्योगिक क्षेत्रों में** परीक्षण, प्रशिक्षण केंद्र, कच्चा माल डिपो, बहिस्राव उपचार, पूरक उत्पादन प्रक्रियाओं को पूरा करने आदि के लिए **सामान्य सुविधा केंद्रों** की स्थापना करना।

मुख्य विशेषताएं

<table>
<tr><td>क्लस्टर की विशेषताएं</td><td>

पहचान योग्य और निकटवर्ती क्षेत्र (काफी हद तक) या एक मूल्य श्रृंखला के भीतर अवस्थित उद्यमों का समूह।
ऐसे उद्यम जो भौगोलिक क्षेत्र से बाहर हो सकते हैं और समान/ समरूप उत्पादों/ पूरक उत्पादों/ सेवाओं का उत्पादन कर सकते हैं जिन्हें साझा भौतिक अवसंरचना सुविधाओं द्वारा एक साथ जोड़ा जा सकता है।
इनकी साझा चुनौतियों का समाधान करना होगा।

</td></tr>
<tr><td>दो घटक</td><td>

सामान्य सुविधा केंद्र (CFCs)

घटक में औद्योगिक संपदा में CFCs के रूप में भौतिक "परिसंपत्तियों" का निर्माण शामिल है।

अवसंरचना विकास (ID)

यह घटक नए/मौजूदा अधिसूचित औद्योगिक संपदा में अवसंरचना के विकास के लिए है।

</td></tr>
<tr><td>कार्यक्रम में हालिया संशोधन</td><td>

अलग-अलग परियोजनाओं की लागत के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है, हालांकि केंद्र सरकार की सहायता केवल ऊपरी सीमा तक ही सीमित होगी।
पूर्वोत्तर (NE) और पहाड़ी राज्यों, द्वीप क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों के लिए प्रत्येक श्रेणी के तहत अतिरिक्त 10% सहायता प्रदान की जाएगी।
वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों और उन समूहों को शामिल करना, जिनमें 50% से अधिक सूक्ष्म गांव या महिला स्वामित्व वाली या अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाली इकाइयां शामिल हैं।

<table>
<tr><td>परियोजना</td><td colspan="2">सामान्य सुविधा केंद्र (CFCs)</td><td colspan="2">अवसंरचना का विकास</td></tr>
<tr><td>सीमा</td><td>5-10 करोड़</td><td>10-30 करोड़</td><td>नई परियोजनाओं के लिए 5-15 करोड़</td><td>उन्नयन के लिए 5-10 करोड़</td></tr>
<tr><td>केंद्र सरकार का योगदान</td><td>परियोजना लागत का 70%</td><td>परियोजना लागत का 60%</td><td>परियोजना लागत का 60%</td><td>परियोजना लागत का 50%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

© Vision IAS

7.2. प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (Prime Minister's Employment Generation Programme: PMEGP)

स्मरणीय तथ्य

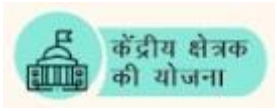

- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना
- **उद्देश्य:** बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने की सुविधा प्रदान करना।
- **नोडल कार्यान्वयन एजेंसी:** खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) और कॉयर बोर्ड, कॉयर इकाइयों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी हैं।
- **कार्यक्रम की अवधि: 2025-26 तक**

उद्देश्य: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं और पारंपरिक कारीगरों के लिए सतत रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए **स्वरोजगार उद्यमों को वित्तीय सहायता** प्रदान करना।

मुख्य विशेषताएं

पृष्ठभूमि

- यह योजना 2022 में **MSME चैंपियंस योजना** के तहत शुरू की गई थी।
- इसमें निम्न **योजनाओं को सम्मिलित किया गया**:
  - **प्रधान मंत्री रोजगार योजना (PMRY)**
  - **ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम ((REGP)**

पात्रता

पात्रता		
18 वर्ष से ऊपर **का कोई भी व्यक्ति**	**विशेष श्रेणी के लाभार्थी**	**अन्य लाभार्थी**
विनिर्माण के लिए **10.00 लाख रुपये से अधिक** या **सेवा क्षेत्रक के लिए 5 लाख रुपये** से अधिक की परियोजना हेतु **VIII मानकों को पूरा** करना आवश्यक है।	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ भूतपूर्व सैनिक/ पूर्वोत्तर क्षेत्र (NER)/ महिला/ दिव्यांग/ अल्पसंख्यक वर्ग, **आकांक्षी जिले और ट्रांसजेंडर**	**सोसायटी, SHGs, चैरिटेबल ट्रस्ट और उत्पादन सहकारी समितियों** के तहत पंजीकृत संस्थान

सब्सिडी हकदार और बैंक वित्त

	बैंक वित्त	KVIC से सब्सिडी		प्रमोटर का योगदान
		शहरी इलाका	ग्रामीण क्षेत्र	
सामान्य श्रेणी लाभार्थी / संस्था	90%	15%	25%	10%
विशेष श्रेणी लाभार्थी/संस्था	95%	25%	35%	5%

सहायता की प्रकृति

- सहायता केवल स्थापित की जाने वाली **नई इकाइयों के लिए उपलब्ध** है।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में **सभी व्यवहार्य** (तकनीकी और आर्थिक रूप से) **सूक्ष्म उद्यमों पर लागू है।**
- परियोजनाओं की स्थापना में सहायता के लिए **कोई आय सीमा नहीं।**
- **परिवार से केवल एक व्यक्ति** वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है।

डिजिटलीकरण

- वित्तपोषण शाखाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से **आवेदनों का ऑनलाइन प्रसंस्करण और मार्जिन मनी का आवंटन।**

हालिया संशोधन

- **अधिकतम** स्वीकार्य **परियोजना लागत:**
  - विनिर्माण क्षेत्रक में 50 लाख रुपये
  - सेवा क्षेत्रक में 20 लाख रुपये
- **कुल परियोजना लागत की शेष राशि** बैंकों द्वारा **सावधि ऋण के रूप में प्रदान की जाएगी।**
- अत्यधिक सब्सिडी प्राप्त करने के लिए **आकांक्षी जिलों और ट्रांसजेंडरों के आवेदकों को** विशेष श्रेणी के आवेदकों में **शामिल करना।**

7.3. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

MSME इनोवेटिव स्कीम (इनक्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआर)

- MSME इनोवेटिव योजना एक समग्र दृष्टिकोण है। यह MSME के लिए एक नई अवधारणा है जहां **इन्क्यूबेशन में इनोवेशन, डिजाइन इंटरवेंशन और बौद्धिक संपदा अधिकार की रक्षा** के लिए काम किया जाएगा। भारत के नवाचार के बारे में MSME के बीच **जागरूकता पैदा करने** और उन्हें **MSME चैंपियन बनने** के लिए प्रेरित करने पर भी इसका जोर रहेगा।
- **योजना की मुख्य विशेषताएं/ घटक:**

इन्क्यूबेशन	डिजाइन	बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)
• **उद्देश्य:** MSMEs में **अप्रयुक्त रचनात्मकता को बढ़ावा देना** और उन्हें सहायता पहुँचाना; **नवीनतम तकनीकों को अपनाने के लिए** प्रोत्साहित करना। • **वित्तीय सहायता:** प्रत्येक **नवाचारी विचार के लिए 15 लाख रुपये** और इससे **संबंधित संयंत्र और मशीनों के लिए एक करोड़** रुपये प्रदान किए जाएंगे।	• **उद्देश्य: निम्नलिखित के लिए रियल टाइम आधारित** डिजाइन संबंधी समस्याओं पर **विशेषज्ञ सलाह और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करना:** ○ नए उत्पादों का विकास करने के लिए, ○ इन उत्पादों में निरंतर सुधार लाने के लिए, ○ मौजूदा और नए उत्पादों में मूल्यवर्धन करने के लिए। • **वित्तीय सहायता:** डिजाइन प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम 40 लाख रुपये और स्टूडेंट प्रोजेक्ट के लिए अधिकतम 2.5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।	• **उद्देश्य:** MSMEs के बीच IPRs के बारे में जागरूकता बढ़ाते हुए, भारत में IP संस्कृति में सुधार करना। • साथ ही, इसका उद्देश्य MSMEs द्वारा **विकसित विचारों, तकनीकी नवाचार और ज्ञान-संचालित व्यवसाय संबंधी रणनीतियों के संरक्षण के लिए उपयुक्त उपाय** करना है। • इसके तहत विदेशी पेटेंट, घरेलू पेटेंट, भौगोलिक संकेतक (GI) पंजीकरण आदि के लिए **वित्तीय सहायता** प्रदान की जाएगी।

MSME चैंपियन्स योजना

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **पृष्ठभूमि:** इस योजना को पहले क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम (CLCS-TUS) कहा जाता था।
- **प्रकार:** यह एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
- **चैंपियन (CHAMPIONS)** का आशय "उत्पादन और राष्ट्रीय क्षमता बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाओं का निर्माण और सामंजस्यपूर्ण अनुप्रयोग" (Creation and Harmonious Application of Modern Processes for Increasing the Output and National Strength) से है।
- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य मूलतः **लघु इकाइयों को विशेष रूप से** उनकी समस्याओं और शिकायतों का समाधान करने में मदद और मार्गदर्शन प्रदान करके **बड़ी इकाई बनाने का प्रयास करना है।**
- यह योजना **MSMEs की विनिर्माण प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण को सुगम बनाती है,** अपशिष्ट को कम करती है, नवाचार को प्रोत्साहित करती है, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को तीव्र करती है और **उनकी राष्ट्रीय और वैश्विक पहुंच और उत्कृष्टता को सुगम बनाने में मदद करता है।**

MSME चैंपियंस योजना के तहत घटक		
MSME-इनोवेटिव	MSME-सस्टेनेबल (ZED)	MSME-कंपीटिटिव (LEAN)

MSME-प्रतिस्पर्धात्मक (LEAN) योजना

- **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य **LEAN विनिर्माण प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना और उन्हें** LEAN स्तरों को अर्जित करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
  - LEAN विनिर्माण **उत्पादकता को अधिकतम करने के साथ-साथ अपशिष्ट को कम करने पर केंद्रित है।**
- **उद्यम पंजीकरण पोर्टल के साथ पंजीकृत सभी MSME** भाग लेने के पात्र होंगे।
- **यह स्फूर्ति (SFURTI) और क्लस्टर विकास कार्यक्रम योजनाओं के लिए भी खुला है।**

 © Vision IAS

LEAN विनिर्माण तकनीकों का उपयोग

- अपशिष्ट को कम करना
- उत्पादकता को बढ़ाना
- समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार के लिए नवीन प्रक्रियाओं की शुरुआत
- अच्छी प्रबंधन प्रणाली विकसित करना
- निरंतर सुधार की संस्कृति को आत्मसात करना

संशोधित जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट (ZED) प्रमाणन योजना

- **पृष्ठभूमि:** ZED प्रमाणन योजना 2016 में शुरू की गई थी। यह योजना विनिर्माताओं को पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक बनाती हैं।
- **उद्देश्य:** भारतीय कंपनियों को **विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी** बनाना **और उन्हें पूंजी तक आसान पहुंच उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करना।**

सब्सिडी से जुड़े तथ्य

ZED प्रमाणन सब्सिडी	**ZED प्रमाणन पर 10 % अतिरिक्त सब्सिडी**
• सूक्ष्म उद्यम - 80 % • लघु उद्यम - 60 % • मध्यम उद्यम - 50 %	• महिला /अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति उद्यमी के स्वामित्व वाले MSMEs • NER / हिमालयी क्षेत्र / LWE/आकांक्षी जिले वाले MSMEs

ऐसे MSMEs के लिए 5 % अतिरिक्त सब्सिडी है जो **स्फूर्ति (SFURTI) या सूक्ष्म और लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (MSE-CDP) का भी हिस्सा है।**

ZED प्रमाणन के तहत MSMEs के लिए समर्थन व मार्गदर्शन तथा कंसल्टेंसी सहायता हेतु 5 लाख रुपए (प्रति MSME) उपलब्ध कराया जाएगा।

सेवा क्षेत्रक के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (Credit Linked Capital Subsidy Scheme for Services Sector: SCLCSS)

- इस योजना के तहत **प्रौद्योगिकी उन्नयन पर किसी क्षेत्रक विशिष्ट प्रतिबंध के बिना** SC व ST MSEs को संस्थागत ऋण के माध्यम से संयंत्र एवं मशीनरी तथा सेवा उपकरण की खरीद के लिए **25% पूंजीगत सब्सिडी दी जाती है।**

संशोधित 'सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना' (Revamped Credit Guarantee Scheme For Micro & Small Enterprises: CGTMSE)

- **पृष्ठभूमि:** CGTMSE को 2005 में शुरू किया गया था।
- **उद्देश्य:** MSMEs को **संपार्श्विक मुक्त ऋण उपलब्ध कराना** और **पहली पीढ़ी के उद्यमियों** को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना।
- **लाभ**: यह योजना **MSEs** (मौजूदा और नए उद्यम दोनों) को ऋण देने वाली संस्थाओं के माध्यम से **संपार्श्विक मुक्त ऋण** उपलब्ध कराती है।
- **ऋण देने वाली संस्थाएं:** वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक, आदि।
- **कार्यान्वयन प्राधिकरण**- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा स्थापित **क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट।**

संशोधित प्रावधान

वार्षिक गारंटी को कम करना	**गारंटी के लिए बढ़ाई गई सीमा**	**दावा निपटान में आसानी**
1 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए शुल्क को 2% प्रति वर्ष से घटाकर 0.37% प्रति वर्ष कर दिया गया है।	गारंटी की सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है।	10 लाख रुपये तक के बकाया के लिए कानूनी कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता नहीं होगी।

MSME के प्रदर्शन को बेहतर करने और इसकी गति में तेजी लाने की योजना {Raising and Accelerating MSME Performance (RAMP)}

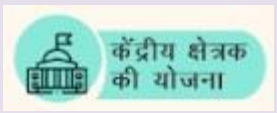

- **उद्देश्य**: **राष्ट्रीय स्तर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की क्षमता का** निर्माण करना **और गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में कार्यान्वयन क्षमता और फर्म कवरेज को बढ़ाना।**
- **प्रकार**: केंद्रीय क्षेत्रक की योजना।
- **योजना की अवधि:** वर्ष 2021-22 से 2025-26
- **वित्त पोषण**: **विश्व बैंक** और भारत सरकार
- **पर्यावरण और सामाजिक मूल्यांकन (ESSA)** मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत आने वाले लास्ट माइल उद्यमों द्वारा पर्यावरण और सामाजिक मानकों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए **अनिवार्य है।**
- नवाचार को बढ़ावा देने, विचारधारा को प्रोत्साहित करने आदि के **द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान का पूरक बनाना।**

पहली बार के MSE निर्यातकों का क्षमता निर्माण (CBFTE) योजना {Capacity Building of First-Time MSE Exporters (CBFTE)}

- **उद्देश्य:** अंतर्राष्ट्रीय मानकों के **उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करने के लिए MSMEs को प्रोत्साहित करना।**
- **कार्यान्वयन एजेंसी**: भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC)
- **पात्रता:**
  - वैध **उद्यम पंजीकरण** के साथ **सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSE)**
  - MSE का आयात-निर्यात कोड संख्या **3 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए**
  - **प्रीमियम भुगतान का** प्रमाण।

पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम में MSMEs को बढ़ावा देना

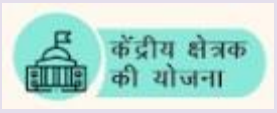

- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना
- **योजना की अवधि: वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक**
- **उद्देश्य**: **NER और सिक्किम में MSMEs की** उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता **और क्षमता निर्माण को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।**

योजना के घटक

- **मौजूदा लघु प्रौद्योगिकी केंद्रों को नवीन एवं आधुनिक बनाना**
  - **परियोजना की जियो टैगिंग अनिवार्य है**
- **नए और मौजूदा औद्योगिक संपदा का विकास करना**
- **पर्यटन क्षेत्रक का विकास करना**
  - होम स्टे के क्लस्टर में किचन, बेकरी, लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनिंग जैसी **सामान्य सेवाओं** के निर्माण पर विचार किया जा सकता है।

MSMEs को वृद्धिशील ऋण के लिए ब्याज सबवेंशन योजना 2018

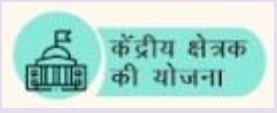

- **प्रकार**: केंद्रीय क्षेत्रक की योजना।
- **उद्देश्य**: **उत्पादकता में वृद्धि के लिए** विनिर्माण और सेवा उद्यमों दोनों को प्रोत्साहित करना। साथ ही, **GST प्लेटफॉर्म पर ऑनबोर्डिंग** के लिए MSMEs को प्रोत्साहन प्रदान करना।
- **लाभ**: सभी **GST पंजीकृत MSMEs** के लिए नए या वृद्धिशील ऋणों पर **2% ब्याज अनुदान** प्रदान करता है।
- **कवरेज**: निम्नलिखित द्वारा दिए गए 1 करोड़ रुपये तक के सभी सावधि ऋण / कार्यशील पूंजी:
  - **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक,**
  - **RBI पंजीकृत SI-NBFCs** (प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां) और
  - सहकारी बैंक।
- **योजना के तहत कौन पात्र नहीं है:** ऐसे MSMEs जो पहले से ही राज्य/ केंद्र सरकार की किसी भी योजना के तहत ब्याज छूट का लाभ उठा रहे हैं।
- **नोडल कार्यान्वयन एजेंसी:** सिडबी (SIDBI)
- **ऋण की लागत को कम करते हुए अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने** में मदद करता है।

 © Vision IAS

शहद मिशन (Honey Mission)

- **पृष्ठभूमि:** 'स्वीट रिवॉल्यूशन' ('मीठी क्रांति') के लिए 'शहद मिशन' को अगस्त 2017 में प्रारंभ किया गया था।
- **उद्देश्य:** ग्रामीण भारत में विशेष रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े और दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों, आदिवासियों और बेरोजगार युवाओं के बीच **मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना तथा आत्मनिर्भर रोजगार के अवसर प्रदान करना।**

शहद, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी **(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत एक लघु वनोपज (MFP) है।**

भारत के राष्ट्रीय शहद मिशन के तहत गतिविधियां

- लोगों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण देना
- राष्ट्रव्यापी मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना
- तकनीकी सहायता बढ़ाना
- शहद प्रसंस्करण अवसंरचना के क्लस्टर विकसित करना
- मधुमक्खी उत्पादों के लिए विपणन सुविधाओं का निर्माण करना
- महिलाओं, वंचितों समुदायों की सहायता करना

- **RE-HAB परियोजना:** कुछ राज्यों में हाथियों के प्रवेश मार्गों में मधुमक्खी के बक्सों को रख करके "मधुमक्खी-बाड़" बनाई जाती है ताकि हाथियों के मानव आवास में प्रवेश को अवरुद्ध किया जा सके **और मानव पशु संघर्ष को रोका जा सके।**
- **नोडल कार्यान्वयन एजेंसी:** खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)

सोलर चरखा मिशन

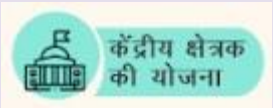

- **पृष्ठभूमि**: इस मिशन को एक पायलट परियोजना के रूप में 2016 में बिहार के नवादा जिले के खानवा गांव में स्थापित किया गया था। सोलर चरखा पर इस पायलट परियोजना की सफलता के आधार पर, केंद्र ने ऐसे 50 क्लस्टर स्थापित करने की मंजूरी दी। ध्यातव्य है कि इस पायलट परियोजना से लगभग 1180 कारीगर लाभान्वित हुए थे।
- **उद्देश्य:** रोजगार सृजन द्वारा समावेशी विकास, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और कम लागत वाली, नवीन तकनीकों का लाभ उठाना।

उद्यम संचालित योजना

- प्रत्येक क्लस्टर में 200 से 2042 लाभार्थी होने की उम्मीद (कातने वाले, बुनकर, सिलाई करने वाले और उनके कौशल) है।
- प्रत्येक कातने वाले को 10-10 तकलियों वाले दो चरखे दिए जाएंगे।
- सोलर चरखे सौर ऊर्जा से संचालित होते हैं जो हरित अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होंगे।
- 8-10 कि.मी. के दायरे में 'सौर चरखा क्लस्टर' की स्थापना की जाएगी। इस क्लस्टर में एक केंद्रीय (फोकल) गांव और अन्य आस-पास के गांव होंगे।

- **प्रकार**: केंद्रीय क्षेत्रक की योजना
- **पात्रता**: व्यक्तिगत या एक प्रमोटर एजेंसी या मौजूदा खादी और ग्रामोद्योग संस्थान (KVI) सौर चरखा क्लस्टर स्थापित कर सकते हैं।
  - प्रमोटर एजेंसी को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत **स्पेशल पर्पज व्हीकल** (SPV) बनाना होगा।
- **लक्ष्य**: देश भर में 50 से अधिक क्लस्टरों को कवर करना।
- **वित्तीय सहायता**: प्रति सोलर चरखा क्लस्टर के लिए अधिकतम 9.599 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।

प्रमुख हस्तक्षेप

- व्यक्तिगत और स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) के लिए पूंजीगत सब्सिडी
- कार्यशील पूंजी के लिए ब्याज सबवेंशन (सबवेंशन की अधिकतम सीमा 8%)।
- कताई करने वालों और बुनकरों तथा अन्य लोगों के लिए क्षमता निर्माण।

ग्रामोद्योग विकास योजना

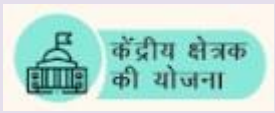

- **उद्देश्य:** सामान्य सुविधाओं, तकनीकी आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण आदि के माध्यम से ग्रामोद्योग का प्रचार और विकास करना।
- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना** है।
- **पात्रता:**
  - **18-55 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक** (एक परिवार से केवल एक व्यक्ति सहायता के लिए पात्र है)।
  - KVIC/ नाबार्ड/ KVKs आदि द्वारा संबंधित उद्योगों में पहले से **प्रशिक्षित व्यक्ति पात्र हैं।**
- **योजना के लिए पात्र नहीं है:** समान/ एक जैसे उद्देश्यों के लिए अन्य सरकारी योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति इसके पात्र नहीं हैं।
- **योजना की अवधि**: 2021-22 से 2025-26 तक
- **नोडल कार्यान्वयन एजेंसी:** KVIC
- **मशीनों, औजारों और उपकरणों के लिए लाभार्थियों का अंशदान**
  - **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति द्वारा 10%** (पूर्वोत्तर भारत में 5%)
  - **सामान्य श्रेणी द्वारा 20%** (पूर्वोत्तर भारत में 10%)
  - **BPL द्वारा 0%**

प्रमुख घटक

- वेलनेस एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री (WCI); अगरबत्ती उद्योग
- हस्तनिर्मित कागज, चमड़ा और प्लास्टिक उद्योग (HPLPI]: फुटवियर क्षेत्रक
- कृषि आधारित और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (ABFPI): हनी/ शहद मिशन
- खनिज आधारित उद्योग {MBI): मिट्टी के बर्तन
- रूरल इंजीनियरिंग एंड न्यू टेक्नोलोजी इंडस्ट्री (RENTI): लकड़ी के खिलौने, पंचगव्य आदि
- सेवा उद्योग

पारंपरिक उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिए कोष योजना (स्फूर्ति) (A Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries: SFURTI)

- **उद्देश्य**: परंपरागत **उद्योगों और कारीगरों एवं उत्पादकों को सामूहिक रूप से** संगठित करना। साथ ही, इस क्षेत्रक और इसके कारीगरों की **दीर्घकालिक संधारणीयता के लिए गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी उत्पादों के लिए** उनकी सहायता **करना।**

परंपरागत उद्योगों की श्रेणियां

- खादी उद्योग
- ग्रामोद्योग
- कॉयर उद्योग

- **नोडल कार्यान्वयन एजेंसी:** खादी और ग्रामोद्योग समूहों के लिए KVIC और कॉयर आधारित क्लस्टर के लिए कॉयर बोर्ड।
- **कार्यान्वयन एजेंसियां (IAs)**: NGOs, केंद्र और राज्य सरकारों के संस्थान और अर्ध-सरकारी संस्थान, पंचायती राज संस्थान पंजीकृत उत्पादक समूह आदि।
- **फोकस**: भौतिक अवसंरचना निर्माण, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रशिक्षण, उत्पाद विकास, नवाचार आदि।
- **निजी संस्थाओं की भागीदारी:** क्लस्टर विकास में विशेषज्ञता रखने वाले कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) फाउंडेशन को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- **SPV का गठन:** स्फूर्ति क्लस्टर के संचालन के लिए समर्पित SPV का गठन करना **अनिवार्य है।**
- **वित्तीय सहायता**

क्लस्टर का प्रकार	**प्रति क्लस्टर बजट सीमा**
नियमित समूह (500 कारीगरों तक) *	**2.50 करोड़ रुपये**
प्रमुख समूह (500 से अधिक कारीगर)*	**5.00 करोड़ रुपये**

 © Vision IAS

MSME के कार्यों का विनियमन

- **MSME समाधान पोर्टल:** इसका उद्देश्य देश भर के सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को सशक्त बनाना है ताकि वे विलंबित भुगतानों से संबंधित अपने मामलों को प्रत्यक्ष रूप से पंजीकृत कर सकें।
- **MSME संबंध पोर्टल**: यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के कार्यान्वयन की निगरानी में सहायता करने के लिए है।
- **MSME संपर्क पोर्टल:** एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां नौकरी की तलाश करने वाले (उत्तीर्ण प्रशिक्षु/ MSME प्रौद्योगिकी केंद्रों के छात्र) और नियोक्ता इससे जुड़े होते हैं।

एस्पायर (नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता के संवर्धन के लिए योजना) (A Scheme for Promotion of Innovation, Rural Industry & Entrepreneurship: ASPIRE)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **उद्देश्य**: आजीविका व्यवसाय इन्क्यूबेटरों (Livelihood Business Incubators:LBIs) के माध्यम से कृषि ग्रामीण क्षेत्रक में **संभावित उद्यमियों को प्रशिक्षण और इन्क्यूबेशन सहायता प्रदान करना।**
- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना
- स्थानीय कारीगरों को **प्रत्यक्ष लाभ देने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है।**

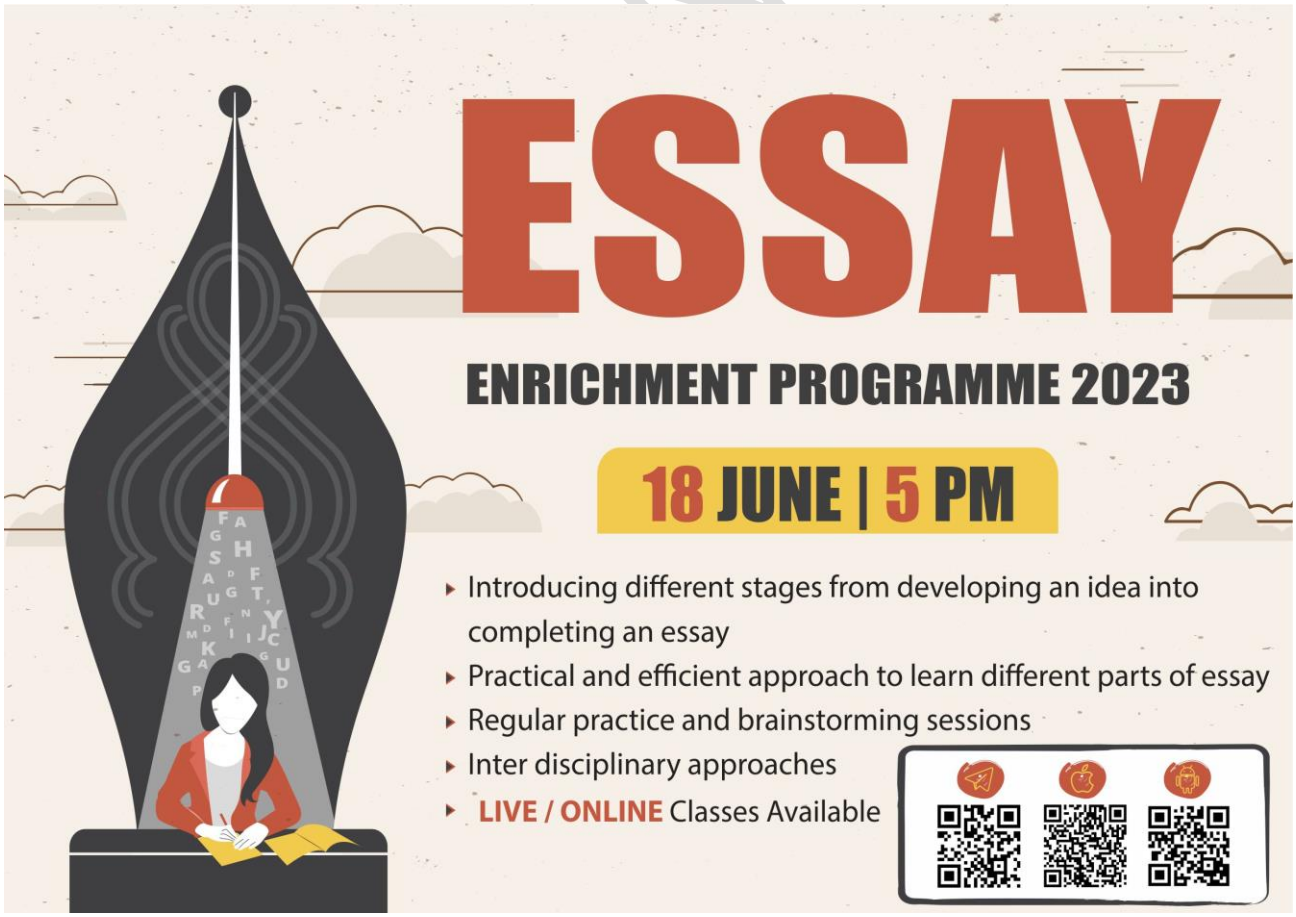

8. खान मंत्रालय (Ministry of Mines)

8.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

प्रधान मंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)

- **उद्देश्य:**
  - खनन प्रभावित क्षेत्रों में अलग-अलग **विकासात्मक और कल्याणकारी कार्यक्रमों** को कार्यान्वित करना।
  - **खनन के कारण प्रतिकूल सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना/ उनका शमन करना।**
  - **खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घकालिक स्थायी आजीविका** सुनिश्चित करना।
- **इसमें बजटीय आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है** और इस योजना को संबंधित जिले के **जिला खनिज फाउंडेशन (DMFs)** द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
- **खान और खनिज (विकास और विनियमन) या MMDR अधिनियम 1957** के तहत स्थापित एक **गैर-लाभकारी वैधानिक 'न्यास/ट्रस्ट' को स्थापित किया गया है।**
- **खनन** वाले **प्रत्येक जिले में** एक **अलग DMF** बनाया गया है।
- **वित्त-पोषित:** खनन पट्टा धारक से वैधानिक योगदान-
  - 2015 से पहले प्रदान किए गए खनन पट्टे के लिए रॉयल्टी का **30%**
  - अन्य के लिए स्वीकृत खनन पट्टे के लिए रॉयल्टी का **10%**
- **DMFs की उपयोगिता:**
  - पीने योग्य जल की आपूर्ति
  - पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के उपाय
  - स्वास्थ्य देखभाल
  - शिक्षा
  - महिलाओं और बच्चों का कल्याण
  - कौशल विकास और स्वच्छता
  - भौतिक मूल ढांचा
  - सिंचाई
  - ऊर्जा और वाटरशेड विकास
  - पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के अन्य उपाय

ताम्र (ट्रांसपरेंसी, ऑक्शन मॉनिटरिंग एंड रिसोर्स ऑग्मेंटेशन) {TAMRA (Transparency, Auction Monitoring and Resource Augmentation)}

- ताम्र (TAMRA) एक वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप है। इसे उत्खनन कार्य के लिए आवश्यक विभिन्न **सांविधिक मंजूरियों की प्रक्रिया को सरल बनाने** के लिए विकसित किया गया है।
- **उद्देश्य:** भारत में खनन गतिविधि में तेजी लाना।

9. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs)

9.1. प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम (Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram: PMJVK)

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **उद्देश्य:** विकास की कमी वाले क्षेत्रों का **सामाजिक-आर्थिक विकास** करना।
- **कवरेज:** अल्पसंख्यक आबादी की सघनता (15 कि.मी. के दायरे) में **25% से अधिक** आने वाले सभी जिलों को शामिल किया गया है।
- **अवधि:** 2021-22 से 2025-26 तक

अन्य उद्देश्य:

- चिन्हित किए गए अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को विकसित करना,
- बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना, तथा
- असंतुलन और विकास की कमी को कम करना।

मुख्य विशेषताएं

पृष्ठभूमि	• इसे 2008-09 में **बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (MsDP)** के रूप में शुरू किया गया था। • MsDP को 2017-18 में PMJVK के रूप में पुनर्गठित किया गया था। 2022 में इसके सकारात्मक प्रभाव तथा इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधित किया गया था।
लाभार्थी	• इसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक अर्थात् **मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी समुदाय शामिल हैं।**
दृष्टिकोण	• केवल सामुदायिक परिसंपत्तियों के अवसंरचनात्मक विकास के लिए **मांग-आधारित वित्तीय सहायता करना।** • हालांकि, इस परियोजना के तहत विकसित अवसंरचनात्मक परिसंपत्तियां **अल्पसंख्यक आबादी की सघनता (15 किमी के दायरे) में रहने वाले सभी समुदायों के उपयोग के लिए है।**
महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होने वाले क्षेत्र	• **लगभग 80% संसाधनों** का उपयोग प्राथमिकता वाले क्षेत्रकों से संबंधित परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। **प्रमुख क्षेत्रक-** • शिक्षा • स्वास्थ्य • कौशल विकास • महिला केंद्रित परियोजनाएं • राष्ट्रीय महत्व के उभरते क्षेत्रक (खेल, स्वच्छता, सौर ऊर्जा आदि)
महिला सशक्तिकरण	• **कम-से-कम 33-40% धनराशि का उपयोग** महिलाओं/ लड़कियों हेतु परिसंपत्तियों/ सुविधाओं के निर्माण हेतु **किया जाना चाहिए।**
प्रधान मंत्री विकास (PM VIKAS) के साथ अभिसरण	• प्रधान मंत्री विकास योजना के तहत **विश्वकर्मा गांवों में कला, शिल्प, कौशल, विरासत जैसी** कौशल विकास से संबंधित **भौतिक बुनियादी सुविधाओं** को भी शामिल किया जाएगा।
मोबाइल ऐप PMJVK भुवन	• इसे PMJVK के तहत निर्मित की गई **सभी परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग** करने के लिए विकसित किया गया है। इसके तहत परियोजना के निर्माण/ परियोजना के पूरा होने के अलग-अलग चरणों की तस्वीरों सहित इसकी विशिष्ट विशेषताओं को कैप्चर भी किया जाएगा। इससे परियोजना का **बेहतर कार्यान्वयन/ निगरानी सुनिश्चित होगी।**
राज्यों के लिए लचीलापन	• PMJVK के तहत जारी की गई **धनराशि किसी विशिष्ट परियोजनाओं से संबंधित नहीं होती है।** इससे राज्य धनराशि का इष्टतम उपयोग करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं।

9.2. प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना {Pradhan Mantri Virasat Ka Samvardhan (PM VIKAS) Scheme}

स्मरणीय तथ्य

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है।
- **उद्देश्य:** अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से शिल्पकार समुदायों की आजीविका में सुधार करना।
- **फोकस:** इसके तहत शिल्पकार के परिवारों, महिलाओं, युवाओं और दिव्यांगों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- **अवधि: 2025-26 तक**

अन्य उद्देश्य:

- अल्पसंख्यक एवं शिल्पकार समुदायों की क्षमता का निर्माण करना,
- सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना,
- अल्पसंख्यक और शिल्पकार समुदायों की महिलाओं का सशक्तीकरण करना, तथा
- आजीविका के अवसर उत्पन्न करना।

मुख्य विशेषताएं

<table>
<tr><td>अल्पसंख्यक</td><td>इस योजना में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत अधिसूचित अल्पसंख्यक - मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन और पारसी- शामिल हैं।</td></tr>
<tr><td>अम्ब्रेला योजना</td><td><table><tr><th colspan="5">पूर्ववर्ती योजनाओं का अभिसरण</th></tr><tr><th>सीखो और कमाओ</th><th>उस्ताद</th><th>हमारी धरोहर</th><th>नई रोशनी</th><th>नई मंजिल</th></tr></table></td></tr>
<tr><td>कौशल और प्रशिक्षण</td><td><table><tr><th>पारंपरिक प्रशिक्षण उप-घटक</th><th>गैर-पारंपरिक कौशल</th></tr><tr><td>• इसमें तत्कालीन उस्ताद और हमारी धरोहर योजना को शामिल किया गया है।
• इसके तहत पारंपरिक कला और शिल्प में संलग्न अल्पसंख्यक कारीगरों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।</td><td>• इसमें पूर्ववर्ती सीखो और कमाओ योजना को शामिल किया गया है।
• कला और शिल्प के साथ संबंध रखने वाले क्षेत्रकों में राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) के अनुरूप रोजगार की भूमिकाएं प्रदान करना।</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>नेतृत्व और उद्यमिता</td><td><table><tr><td>इसमें पूर्ववर्ती नई रोशनी योजना को शामिल किया गया है।</td><td>मुख्य रूप से युवाओं के बीच नेतृत्व विकास और बुनियादी उद्यमिता को बढ़ावा देता है।</td><td>योजना में कुल लक्ष्य का कम-से-कम 33% हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित है।</td><td>प्रशिक्षित लोगों में से इच्छुक महिला उद्यमियों का चयन करना, बिजनेस मेंटर ('बिज सखियों') बनने तथा इस उद्देश्य हेतु व्यक्तिगत या समूह उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देना।</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>शिक्षा सेतु कार्यक्रम (Education Bridge Program)</td><td><table><tr><td>इसमें पूर्ववर्ती 'नई मंजिल' को शामिल किया गया है।</td><td>यह योजना स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा ब्रिज कार्यक्रम की सुविधा प्रदान करती है, ताकि ये बच्चे कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं में ओपन स्कूलिंग से जुड़ सकें।</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>अवसंरचना का विकास</td><td>• 'हब एंड स्पोक' मॉडल में अवसंरचना विकसित करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों की अन्य योजनाओं को एक साथ मिलाना।<table><tr><td>'विश्वकर्मा गांवों' (जिन्हें 'हब' भी कहा जाता है) के रूप में ज्ञात कला और शिल्प गांवों को बढ़ावा दिया जा रहा है।</td><td>विश्वकर्मा गांव स्थानीय कलात्मक उत्साह और अंदाज को मूर्त रूप देने, प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने वाले मॉडल गांव हैं।</td><td>वे कारीगरों को एक अनूठी और प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पहचान प्रदान करते हैं।</td></tr></table></td></tr>
</table>

© Vision IAS

9.3. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

छात्रवृत्ति योजना (Scholarship Scheme)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है।
- इस योजना के तहत **30 प्रतिशत** छात्रवृत्ति **छात्राओं के लिए** निर्धारित है।

छात्रवृत्ति के प्रकार और उनकी पात्रता

प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	• **पात्रता-** • पिछली परीक्षा में **50% अंक या समकक्ष ग्रेड** हासिल करने वाले छात्र। • **माता-पिता की** वार्षिक आय **1 लाख रुपये** से अधिक न हो।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	• तकनीकी/व्यावसायिक डिप्लोमा पाठ्यक्रमों सहित ग्यारहवीं कक्षा से MPhil/PhD स्तर तक की पढ़ाई के लिए। • **पात्रता-** • पिछले वर्ष की अंतिम परीक्षा में **50% अंक या समकक्ष ग्रेड** हासिल करने वाले छात्र। • **माता-पिता / अभिभावकों की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक न हो।**
योग्यता-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति	• मान्यता प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पेशेवर एवं तकनीकी पाठ्यक्रम करने के लिए। • **पात्रता-** • **कम-से-कम 50% अंक** प्राप्त करने वाला छात्र। • माता-पिता की **वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो।**

जियो पारसी (Jiyo Parsi)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है।
- **लक्ष्य:** भारत में **पारसी समुदाय की घटती जनसंख्या को रोकना।**
- **उद्देश्य: वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और ढांचागत हस्तक्षेप को अपनाकर पारसी आबादी को स्थिर करना है।**

मुख्य घटक

पक्ष-समर्थन (Advocacy)- प्रजनन क्षमता वाले युगलों की काउंसलिंग, विवाह, परिवार और बुजुर्गों की काउंसलिंग करना	**सामुदायिक स्वास्थ्य-** पारसी माता-पिता को क्रेच/बच्चे की देखभाल, बुजुर्गों की सहायता आदि के खर्चों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता देना	**चिकित्सा सहायता-** इसमें सहायक प्रजनन तकनीक (Assisted Reproductive Technology: ART) के लिए वित्तीय सहायता करना

10. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of New and Renewable Energy)

10.1. प्रधान मंत्री-किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना {PM-Kisan Urja Suraksha Evam Utthaan Mahaabhiyan (PM-KUSUM) Scheme}

स्मरणीय तथ्य

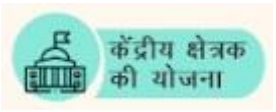

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है।
- **लक्ष्य:** किसानों को खेती हेतु सौर सिंचाई पंप स्थापित करने के लिए सब्सिडी देना।
- **मांग आधारित:** क्षमता का आवंटन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त मांग के आधार पर किया जाता है।
- **अवधि: 2026 तक**

अन्य उद्देश्य: कृषि क्षेत्र को डीजल-मुक्त बनाना, किसानों को जल एवं विद्युत सुरक्षा प्रदान करना, किसानों की आय में वृद्धि करना तथा पर्यवरण प्रदूषण को कम करना।

<table>
<tr><td>प्रमुख घटक</td><td>
<table>
<tr><th>घटक-A</th><th>घटक-B</th><th>घटक-C</th></tr>
<tr><td>कृषि भूमि पर 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत सौर या अन्य नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करना।</td><td>ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों के लिए 2 मिलियन स्टैंड-अलोन सौर पंपों की स्थापना करना और डीजल पंपों को प्रतिस्थापित करना।</td><td>फीडर लेवल सोलराइजेशन सहित 1.5 मिलियन ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सोलराइजेशन/ सौरकरण करना।</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>लाभ और लाभार्थी</td><td>

घटक-A: लाभार्थी बंजर/ परती/ दलदली/ खेती योग्य भूमि पर 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सकते हैं।
लाभार्थी: इसमें सहकारी समितियां, पंचायतें, किसान उत्पादक संगठन (FPO), जल उपयोगकर्ता संघ (Water User Association: WUA) और किसान या किसानों के समूह शामिल हैं।
घटक-B और घटक-C: लाभार्थियों में किसान, किसानों के समूह, क्लस्टर सिंचाई प्रणाली, WUAs, FPOs और प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS) शामिल हैं।

</td></tr>
<tr><td>प्रोत्साहन राशि</td><td>

घटक-A: इसके तहत डिस्कॉम व्यावसायिक संचालन की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए खरीद आधारित प्रोत्साहन (PBI) 0.40 रुपये प्रति यूनिट या स्थापित क्षमता का 6.6 लाख रुपये प्रति मेगावाट, जो भी कम हो, प्राप्त करने के लिए पात्र है।
घटक-B और C: इसके तहत केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) बेंचमार्क लागत का 30% की दर से या स्टैंड-अलोन पंप की निविदा लागत या मौजूदा पंप का सोलराइजेशन, जो भी कम हो, लाभार्थी को प्रदान किया जाता है।

पूर्वोत्तर राज्यों को CFA 50% प्रदान की जाती है। इन राज्यों में सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। साथ ही, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप जैसे केंद्र शासित प्रदेशों को 50% CFA प्रदान की जाती है।

</td></tr>
</table>

10.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सौर योजना (द्वितीय चरण) {Grid Connected Rooftop Solar Programme (Phase-II)}

- ग्रामीण क्षेत्रों में घरों सहित आवासीय क्षेत्र में **केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA)** के माध्यम से **40 GW रूफटॉप सोलर (RTS) क्षमता** वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

आवासीय उपयोगकर्ताओं के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता (Central Financial Assistance: CFA)	डिस्कॉम को प्रोत्साहन
• **व्यक्तिगत परिवारों के लिए** ○ 3 किलोवाट तक की क्षमता वाली SRT प्रणाली की मानक लागत का 40 प्रतिशत CFA के रूप में प्रदान किया जाएगा। ○ 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक की क्षमता वाली SRT प्रणाली की मानक लागत का 20 प्रतिशत CFA के रूप में प्रदान किया जाएगा। • 10 किलोवाट तक की क्षमता के लिए प्रति आवास और ग्रुप हाउसिंग सोसायटी (GHS) और रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) हेतु 500 किलोवाट तक की संचयी क्षमता के लिए मानक लागत का 20%, CFA के रूप में प्रदान किया जाएगा।	• इसके तहत डिस्कॉम (18 GW की आरंभिक अतिरिक्त क्षमता वृद्धि के लिए) को प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, हालांकि यह वित्तीय वर्ष में उनके (डिस्कॉम) द्वारा आधार क्षमता (पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में प्राप्त संचयी क्षमता) से अधिक प्राप्त की गई SRT क्षमता के आधार पर दिया जाएगा।

सौर पार्कों एवं अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजना के विकास की योजना (Scheme for Development of Solar Parks and Ultra Mega Power Project)

- **लक्ष्य: कम-से-कम 25 सौर पार्क तथा अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं** के लिए 40 GW की सौर ऊर्जा क्षमता को स्थापित करना।
- **अवधि:** सौर पार्कों को **2023-24 तक** स्थापित करने का प्रस्ताव है।
- यह योजना बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन के लिए **ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना** की सुविधा और उन्हें गति प्रदान करती है।
- सौर पार्कों की क्षमता **500 मेगावाट या उससे अधिक** होगी।
- इस योजना के अंतर्गत देश के विभिन्न स्थानों पर **सौर पार्क स्थापित करने के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता** करने की परिकल्पना की गई है।
- **सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश** लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

शब्दावली को जानें

सौर पार्क: यह एक ऐसी भौतिक जगह होती है जहां सभी वैधानिक मंजूरियों के साथ पारेषण (Transmission) अवसंरचना, सड़क, जल, जल निकासी जैसी **साझा अवसंरचनात्मक सुविधाएं** उपलब्ध होती हैं।

केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA)	
प्रत्येक प्रति सोलर पार्क के लिए 25 लाख रुपये तक का CFA	**20 लाख रुपये प्रति मेगावाट या ग्रिड-कनेक्टिविटी लागत सहित परियोजना लागत का 30% CFA** (जो भी कम हो)
सोलर पार्क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने, सर्वेक्षण करने आदि के लिए।	योजना में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने पर।

सौर शहरों का विकास

- **भारत के प्रत्येक राज्य में कम-से-कम एक शहर** को सौर शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह शहर या तो राज्य की राजधानी या एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है।
- **शहर की सभी विद्युत आवश्यकताओं को एं पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, मुख्य रूप से सौर ऊर्जा से पूरा किया जाएगा पूरी होंगी।**

द्वीपों पर हरियाली लाना

- **उद्देश्य: अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप द्वीप समूहों को हरित ऊर्जा में पूरी तरह से परिवर्तित करना।** यहां ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके पूरा किया जाएगा।
- **लक्ष्य: वितरण ग्रिड से जुड़ी सौर फोटोवोल्टिक (PV) विद्युत परियोजनाओं के 52 मेगावाट को स्थापित करना।**

हरित ऊर्जा गलियारा (GEC) चरण- II

- **पृष्ठभूमि:** GEC-चरण-I को लगभग 24 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा के **ग्रिड एकीकरण और विद्युत उत्पादन निकासी** हेतु शुरू किया गया था। इसका पहले से ही आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु में कार्यान्वयन किया जा रहा है।

- **अंतरा-राज्यीय पारेषण प्रणाली (Intra-State Transmission System: InSTS) के लिए GEC चरण- II**
  - लगभग **20 GW नवीकरणीय ऊर्जा** परियोजनाओं के ग्रिड एकीकरण और विद्युत उत्पादन निकासी (Power Evacuation) हेतु।
  - इसे **सात** राज्यों नामतः, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है।
  - **केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) - परियोजना लागत का 33 प्रतिशत।**
  - **अवधि:** 2021-22 से 2025-26 तक

सूर्यमित्र कौशल विकास कार्यक्रम

- सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना, संचालन और रख-रखाव के लिए **18 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को सौर फोटोवोल्टिक (PV) तकनीशियनों के रूप में प्रशिक्षित करना।** भारत और विदेशों में बढ़ती सौर ऊर्जा परियोजना के संस्थापन, संचालन और रख-रखाव में रोजगार के अवसरों पर विचार करते हुए युवाओं का कौशल विकास करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, गुरुग्राम

राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम (NBP)

- **उद्देश्य:** केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) प्रदान करके **अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन करने वाले संयंत्रों की स्थापना** का समर्थन करना। इन संयंत्रों के माध्यम से शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस, बायो CNG एवं विद्युत उत्पादन किया जा सकेगा।
- **कार्य अवधि:** 2021-22 से 2025-26

प्रमुख उप-योजनाएं		
अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम (शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट/अवशेषों से ऊर्जा पर कार्यक्रम)	**बायोमास कार्यक्रम {ब्रिकेट्स और पेलेट्स के निर्माण और उद्योगों में बायोमास (गैर-खोई) आधारित कोजेनरेशन को बढ़ावा देने के लिए योजना}**	**बायोगैस कार्यक्रम**
बड़े बायोगैस, बायो CNG और बिजली संयंत्रों (MSW से विद्युत परियोजनाओं को छोड़कर) की स्थापना का समर्थन करने के लिए।	विद्युत उत्पादन और गैर-खोई आधारित विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में उपयोग के लिए पेलेट्स और ब्रिकेट्स की स्थापना का समर्थन करने हेतु।	ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार और मध्यम आकार के बायोगैस की स्थापना में सहायता करना।

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (JNNSM)

- इस योजना को 2010 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था।
- इसका लक्ष्य 2022 तक **100 गीगावॉट (GW)** की सौर ऊर्जा क्षमता स्थापित करना था।
- इसके लक्ष्य में **मुख्य रूप से 40 GW रूफटॉप और 60 GW ग्रिड से जुड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाएं शामिल थीं।**
- वर्तमान में, भारत में **65 GW सौर ऊर्जा सहित लगभग 170 GW की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है।**
- **नोट:** 2021 में ग्लासगो में आयोजित UNFCCC (CoP-26) में, भारत ने **2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से स्थापित विद्युत क्षमता के 500 GW के लक्ष्य** की घोषणा की है।
  - सोलर मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत ने **2030 तक करीब 300 GW सौर विद्युत क्षमता** स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।

11. पंचायती राज मंत्रालय (Ministry of Panchayati Raj)

11.1. स्वामित्व: ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी द्वारा ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण और मानचित्रण (SVAMITVA: Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas)

स्मरणीय तथ्य

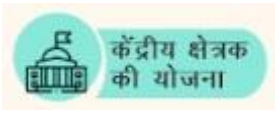

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **उद्देश्य:** ग्रामीण भारत के लिए एक एकीकृत आवासीय (आबादी) संपत्ति स्वामित्व समाधान प्रदान करना।
- **प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी:** भारतीय सर्वेक्षण (Survey of India)
- **कवरेज:** यह योजना देश भर में लागू है।

अन्य उद्देश्य: गांव में रहने वाले परिवारों के स्वामियों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना और संपत्ति के स्वामियों को संपत्ति कार्ड जारी करना।

मुख्य विशेषताएं

सर्वे में शामिल संस्थाएं	• पंचायती राज मंत्रालय • भारतीय सर्वेक्षण • राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) • राज्य के राजस्व विभाग • राज्य के पंचायती राज विभाग
कॉर्स (Continuous Operating Referencing System: CORS) नेटवर्क	• **5 से.मी. की सटीकता के साथ मानचित्रों का निर्माण** करने के लिए **सतत संचालन संदर्भ प्रणाली (CORS) नेटवर्क का उपयोग किया जा रहा है।**
ड्रोन सर्वेक्षण	• ड्रोन सर्वेक्षण तस्वीरों का उपयोग कर आबादी वाली भूमि (Inhabitant Land) में **संपत्ति की सीमाओं का मानचित्रण करना।**
अन्य विशेषताएं	• संपत्ति कार्ड अब **डिजिलॉकर ऐप** में उपलब्ध हैं। • **राज्यों के बीच ज्ञान साझा करना और सर्वोत्तम प्रथाओं का संचालन करना।** • सूचना शिक्षा और संचार (IEC) का प्रसार करना जैसे कि ग्राम सभा के स्तर पर पेंटिंग और जागरूकता अभियान को चलाना।
प्रभाव के चार व्यापक क्षेत्रों की पहचान की गई	**ग्रामीण क्षेत्रों में स्वामित्व (SVAMITVA) संपत्ति कार्ड के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की ओर:** **1. समावेशी समाज** • सामाजिक-आर्थिक उत्थान **2. सुधारात्मक भूमि शासन** • विनियमित संपत्ति बाजार **3. संधारणीय आवास** • बेहतर योजना **4. आर्थिक संवृद्धि** • संपत्ति कर संग्रह में वृद्धि
पृष्ठभूमि	• 31 मार्च, 2023 तक **लगभग 2.38 लाख गांवों को कवर** किया गया है। साथ ही, शेष गांवों को मार्च 2024 तक ड्रोन सर्वेक्षण से कवर करने की योजना है।

11.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiative)

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan: RGSA)

- हाल ही में, कैबिनेट ने इस योजना को **2026 तक जारी रखने की मंजूरी** दी है।
- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **उद्देश्य:** पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की शासन क्षमताओं का विकास करना।
- **विस्तार:** इसका विस्तार देश के **सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों** तक होगा, और इसमें **ऐसे गैर अधिसूचित (non-Part) IX क्षेत्रों में ग्रामीण स्थानीय सरकार के संस्थान भी सम्मिलित होंगे**, जहां पर पंचायतें विद्यमान नहीं हैं।
- यह पंचायतों की क्षमताओं और प्रभावशीलता तथा शक्तियों एवं उत्तरदायित्वों के हस्तांतरण को बढ़ावा देकर उन महत्वपूर्ण अंतरालों के समाधान का प्रयास करता है, जो पंचायतों की सफलता में बाधक हैं।
- **इसके तहत नई पंचायतों के गठन का प्रावधान नहीं है।**

नोट: यह योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्राम स्वराज अभियान (विस्तारित) से अलग है। ग्राम स्वराज अभियान को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में बदलाव के लिए संचालित किया गया है।

© Vision IAS

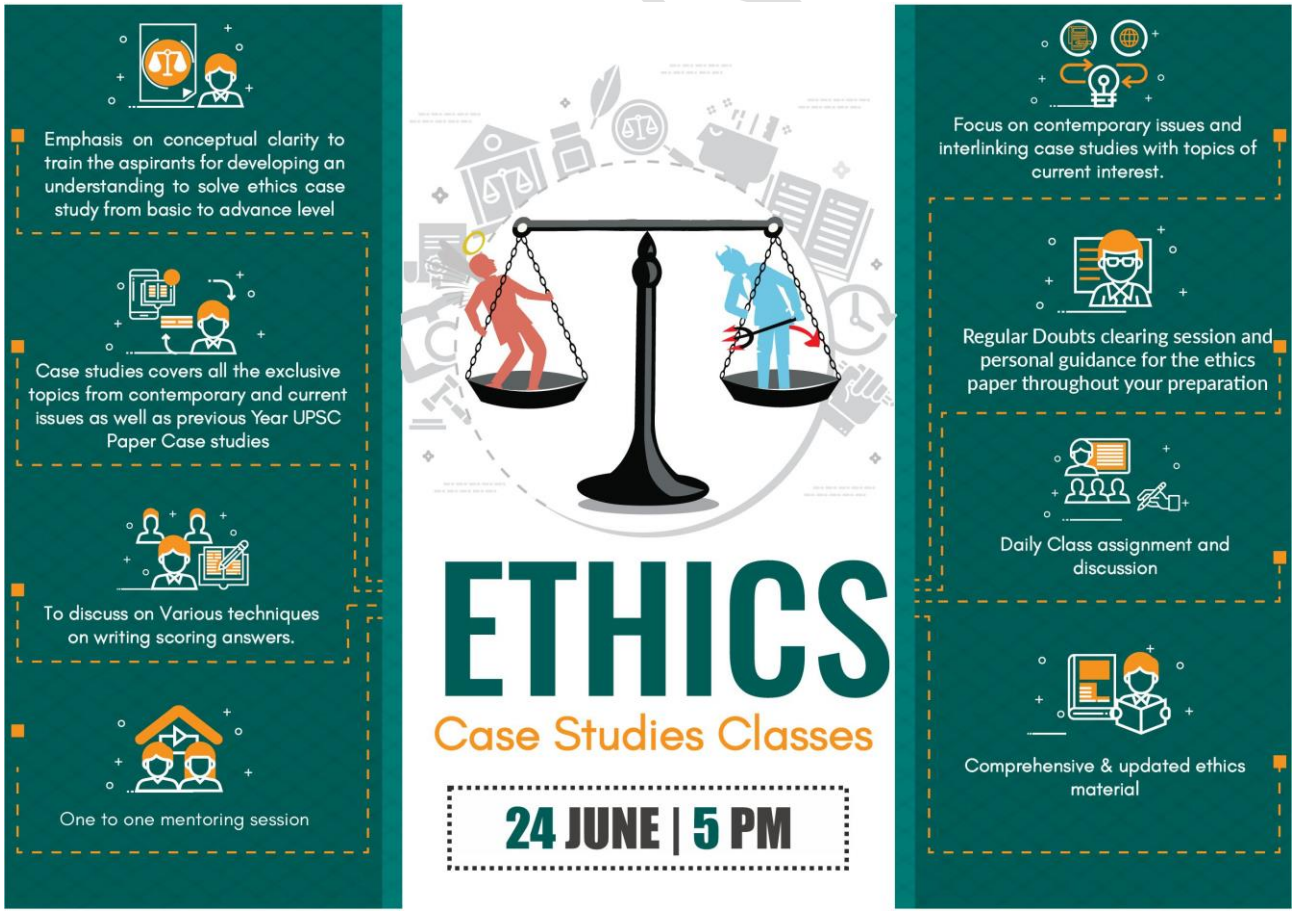

12. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions)

12.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (Centralized Public Grievance Redress and Monitoring System: CPGRAMS)

- **यह सेवा वितरण से संबंधित किसी भी विषय पर** सरकारी अधिकारियों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने हेतु **नागरिकों के लिए 24x7 उपलब्ध एक ऑनलाइन मंच है।**
  - यह भारत सरकार और राज्यों के **सभी मंत्रालयों/विभागों से जुड़ा एक एकल पोर्टल है।**
- **प्रमुख विशेषताएं:**
  - **ट्रैकिंग:** दर्ज की गई शिकायत की स्थिति को **विशिष्ट पंजीकरण ID** से ट्रैक किया जा सकता है।
  - **अपील की सुविधा:** शिकायत अधिकारी द्वारा दिए समाधान से संतुष्ट नहीं होने पर नागरिकों को अपील करने की सुविधा प्रदान की जाती है।
  - **फीडबैक:** शिकायत समापन होने के बाद, यदि शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं हो, तो वह फीडबैक दे सकता है।
- यदि रेटिंग 'खराब' श्रेणी की है तो अपील दायर करने का विकल्प उपलब्ध होता है।

निम्नलिखित मामलों को शिकायत नहीं माना जाता है

- RTI संबंधी मामले
- धार्मिक मामले
- सरकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामले
- न्यायालय से संबंधित/ न्यायाधीन मामले
- सुझाव

13. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas)

13.1. प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 {Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY) 2.0}

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** स्वच्छ एल.पी.जी. रसोई ईंधन उपलब्ध करवाकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा करना।
- **आवेदक: 18 वर्ष की आयु** पूर्ण कर चुकी **केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं।**
- **लाभ:** बगैर अग्रिम राशि के रसोई गैस सिलेंडर कनेक्शन मिलता है।
- **प्राथमिक लाभार्थी:** महिलाएं और बच्चे।

अन्य उद्देश्य: निम्न-आय वाले उन परिवारों को बगैर अग्रिम राशि के एल.पी.जी. कनेक्शन प्रदान करना जिन्हें PMUY के पहले चरण के तहत शामिल नहीं किया जा सका था।

मुख्य विशेषताएं

पृष्ठभूमि	• केंद्र सरकार ने 2016 में PMUY की शुरुआत की थी, ताकि ग्रामीण और वंचित परिवारों को **बगैर अग्रिम राशि के 8 करोड़ एल.पी.जी.कनेक्शन उपलब्ध कराया जा सके।** • उज्ज्वला के पहले चरण के सफल समापन के बाद, केंद्रीय बजट 2021-22 में PMUY योजना के तहत **अतिरिक्त एक करोड़ रसोई गैस कनेक्शन** के प्रावधान की घोषणा की गई थी। ○ 30 जनवरी, 2023 तक **PMUY के तहत जारी किए गए रसोई गैस कनेक्शनों की कुल संख्या 9.6 करोड़ थी।**
शामिल किए गए परिवार	• अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (MBC), अंत्योदय अन्न योजना (AAY), सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना (SECC) के तहत सूचीबद्ध परिवार आदि।
जो इस योजना के पात्र नहीं हैं	• ऐसे परिवार जिनके पास किसी भी तेल विपणन कंपनी से **कोई अन्य एल.पी.जी.कनेक्शन** मौजूद है।
प्रवासियों के लिए पंजीकरण में सुगमता	• **प्रवासियों को राशन कार्ड या किसी पते से संबंधित प्रमाण जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।** • इसके लिए एक स्व-घोषणा पत्र ही पर्याप्त होगा।
सब्सिडी	• केंद्र सरकार द्वारा प्रत्येक एल.पी.जी.कनेक्शन के लिए **1600 रुपये** की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। • **प्रतिवर्ष 12 सिलेंडर तक प्रत्येक सिलेंडर में 14.2 किलोग्राम एल.पी.जी. भरवाने पर 200 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।**

13.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ (PAHAL) योजना/ एल.पी.जी. का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBTL)

- **उद्देश्य:** सब्सिडी वाले एल.पी.जी. की अवैध बिक्री पर अंकुश लगाना।
- उपभोक्ता घरेलू सिलेंडर के लिए **बाजार मूल्य का भुगतान करते हैं और सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है।**
- यह **घरेलू** एल.पी.जी. **सिलिंडरों को अपात्र लोगों या अन्य उद्देश्यों के लिए डाइवर्ट करने पर मिलने वाले फायदे को हटा देती है।** पहले ये सिलेंडर आपूर्ति शृंखला में उनके वास्तविक बाजार मूल्य के लगभग आधे दामों पर उपलब्ध हो जाते थे।
- **अर्हता:** एल.पी.जी. उपयोगकर्ता और उनके जीवनसाथी, जिन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में 10,00,000 रुपये से अधिक कर योग्य आय अर्जित नहीं की है।
- **शर्तः** योजना को **जन धन** खातों के माध्यम से चलाया जाता है। **लाभ प्राप्त करने के लिए खाते को आधार (AADHAAR) से जोड़ना अनिवार्य है।**

प्रधान मंत्री जी-वन (जैव ईंधन- वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण) योजना

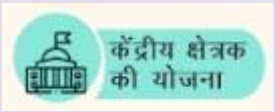

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **उद्देश्य:** लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरणीय फीडस्टॉक का उपयोग करके **दूसरी पीढ़ी (2G) की इथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना** के लिए एकीकृत बायो-इथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- **वित्तीय सहायता:** वाणिज्यिक व्यवहार्यता में सुधार के साथ-साथ 2G इथेनॉल के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना।

- वाणिज्यिक परियोजनाओं के लिए प्रति परियोजना **150 करोड़ रुपये,** और
- प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए **प्रति परियोजना 15 करोड़ रुपये**

- प्रधान मंत्री जी-वन योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, 2G इथेनॉल संयंत्रों को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए अन्य कदमों में शामिल हैं-
  - **गैर-मिश्रित ईंधनों पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क** लगाना;
  - अधिशेष जैव ईंधन फीडस्टॉक की क्षमता वाले क्षेत्रों की पहचान करने सहित अलग-अलग पहलुओं पर **अध्ययन को प्रोत्साहित** करना;
  - मुख्यधारा के जैव ईंधन के लिए **नीतिगत हस्तक्षेप;** 2G इथेनॉल आदि के लिए अलग कीमत निर्धारित करना।

जैव ईंधन की पीढ़ियां (Generations of Biofuels)

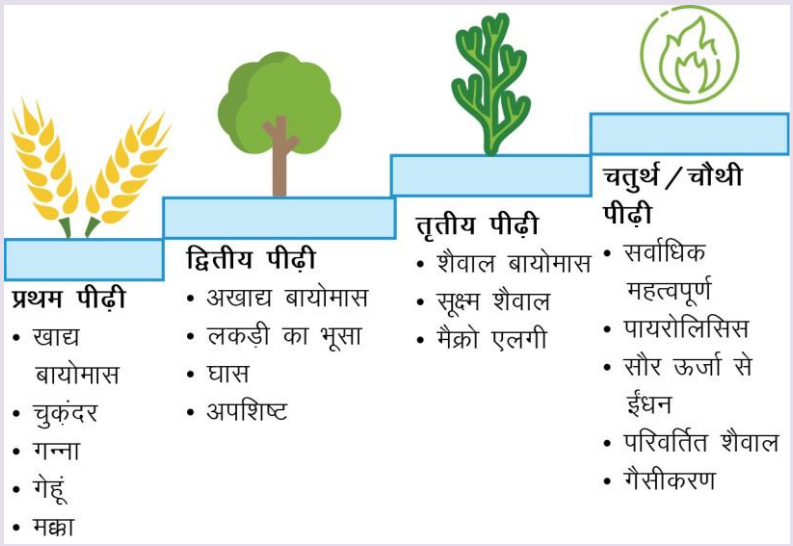

इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (Ethanol Blended Petrol: EBP) कार्यक्रम

- इस कार्यक्रम के तहत **तेल विपणन कंपनियां इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को बेचती हैं।**
- **लक्ष्य:** 2022 एवं 2025 तक पेट्रोल में क्रमशः 10% और 20% इथेनॉल का मिश्रण करना।
- **इथेनॉल के उत्पादन और उपयोग को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:**
  - **इथेनॉल ब्याज सबवेंशन योजना:** इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, **बैंकों/ वित्तीय संस्थानों द्वारा ली जाने वाली सबवेंशन ब्याज दर पर 6% प्रतिवर्ष या ब्याज दर के 50% में से जो भी कम हो, उस दर पर पांच वर्षों के लिए ब्याज अनुदान (Subvention)।** साथ ही, इसके लिए एक वर्ष का ऋणस्थगन (Moratorium) भी दिया जाता है।
- **जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति-2018** के तहत विभिन्न प्रकार के फीडस्टॉक से इथेनॉल के उत्पादन की अनुमति प्रदान की गई है; जैसे
  - कृषि अवशेष (चावल की भूसी, कपास के डंठल, आदि);
  - स्टार्च युक्त सामग्री जैसे मक्का, कसावा, आदि;
  - खराब खाद्यान्न जैसे गेहूं, टूटे चावल आदि; और
  - खाद्यान्न जैसे चावल, गन्ना और अन्य चीनी युक्त सामग्री (जैसे चुकंदर, मीठी ज्वार आदि)।
- **देश में इथेनॉल की मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने** के लिए **उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951** में संशोधन किए गए हैं।
- 2018 में EBP कार्यक्रम के लिए बने इथेनॉल पर वस्तु और सेवा कर (GST) को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

EBP के लाभ

- तेल आयात पर निर्भरता में कमी
- किसान की आय में वृद्धि
- फसल दहन कम करता है जिससे प्रदूषण कम होता है
- रोजगार के अवसर सृजित करता है

राष्ट्रीय गैस ग्रिड (National Gas Grid: NGG)

- NGG की परिकल्पना देश के सभी हिस्सों में प्राकृतिक गैस की **पर्याप्त उपलब्धता और समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए** की गई है।

NGG के प्रमुख उद्देश्य

- CNG और PNG की आपूर्ति के लिए अलग-अलग शहरों में शहरी गैस वितरण नेटवर्क विकसित करना
- गैस स्रोतों को प्रमुख मांग केंद्रों से जोड़ना और उपभोक्ताओं हेतु गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- प्राकृतिक गैस की पहुंच के संबंध में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना

- **उद्देश्य: 2030 तक ऊर्जा बास्केट (Energy basket) में गैस की हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाना और अतिरिक्त 13,605 किलोमीटर पाइपलाइनों का विकास करना।**
  - वर्तमान में, देश में **लगभग 21715 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का नेटवर्क** संचालन में है।
- पाइपलाइन बिछाने के लिए **प्राधिकार/अनुज्ञा प्रदान करने** हेतु **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) को** प्राधिकृत किया गया है।

NGG के तहत मुख्य परियोजनाएं

प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना	नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड	सिटी गैस वितरण नेटवर्क {City Gas Distribution (CGD) Network}
• इसका उद्देश्य पूर्वी भारत को जोड़ना है। • इस परियोजना को गेल (GAIL) द्वारा विकसित किया जा रहा है। • इसमें निम्नलिखित शामिल हैं- ○ **हल्दिया-बोकारो-धामरा पाइपलाइन (JHBDPL)** ○ **बरौनी-गुवाहाटी पाइप लाइन**	• इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत के आठ राज्यों को जोड़ना है। • **इसे इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड (IGGL)** द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। IGGL पांच केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यमों (CPSEs) अर्थात् IOCL, ONGC, GAIL, OIL और NRL की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है।	• यह एक निर्दिष्ट **भौगोलिक क्षेत्र** में स्थित घरेलू, औद्योगिक या वाणिज्यिक परिसरों और CNG स्टेशनों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने हेतु पाइपलाइनों का परस्पर संबद्ध नेटवर्क है। • इसे CNG और PNG की आपूर्ति के लिए विभिन्न शहरों में विकसित किया जा रहा है।

सक्षम/ SAKSHAM (संरक्षण क्षमता महोत्सव)

- **यह एक महीने का ईंधन संरक्षण अभियान है।**
- **उद्देश्य:** पर्यावरण संरक्षण के लिए ईंधन संरक्षण और दक्षता उपायों को अपनाने के लिए जनता को प्रभावित करना है।
- **गतिविधियां:** सामूहिक गतिविधियां पूरे भारत में आयोजित की जाती हैं और इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म/ टेलीविजन/ रेडियो, प्रिंट मीडिया प्रकाशन आदि के माध्यम से प्रसारित किया जाता है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (PCRA)। PCRA, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक सोसायटी है।

किफायती परिवहन के लिए सतत विकल्प (SATAT) पहल

- **उद्देश्य:** संपीड़ित जैव गैस (CBG) और बायो-खाद के रूप में बायो-मास अपशिष्ट से आर्थिक मूल्य प्राप्त करना है।
- इस योजना में **2023-24 तक CBG के प्रति वर्ष 15 मिलियन मीट्रिक टन (MMT) के उत्पादन हेतु 5,000 CBG संयंत्र स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।**

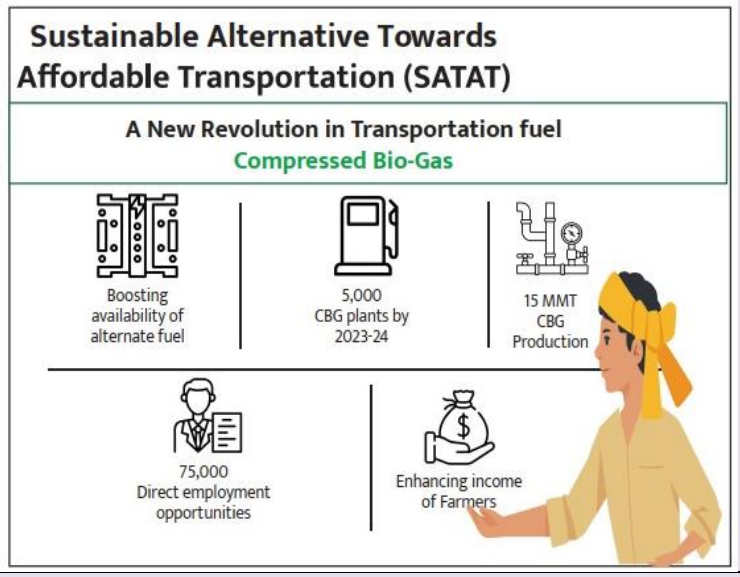

प्रधान मंत्री LPG पंचायत योजना (Pradhan Mantri LPG Panchayat Scheme)

- यह ग्रामीण LPG उपयोगकर्ताओं के लिए LPG के सुरक्षित उपयोग, पर्यावरण के लिए इसके लाभ, महिला सशक्तिकरण एवं महिलाओं के स्वास्थ्य जैसे अलग-अलग विषयों से संबंधित एक **इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म** है।
- इस प्लेटफार्म का उपयोग उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाएगा कि वे नियमित रूप से स्वच्छ ईंधन के रूप में LPG का इस्तेमाल करें।

© Vision IAS

14. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (Ministry of Ports, Shipping and Waterways)

14.1. सागरमाला (Sagarmala)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** अवसंरचना में कम-से-कम निवेश के साथ **एक्जिम (निर्यात-आयात) और घरेलू व्यापार के लिए लॉजिस्टिक लागत** को कम करना।
- **वित्त-पोषण:** स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (SPVs) और बजटीय सहायता के जरिए इक्विटी सहायता।
- **परियोजनाओं का कार्यान्वयन:** परियोजनाओं को **निजी या PPP मोड** के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।
- **राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति:** केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री इसके अध्यक्ष होते है। यह नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं एवं कार्यान्वयन की समीक्षा करते हैं।

अन्य उद्देश्य: भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा और 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जलमार्गों की क्षमता का उपयोग करके **आर्थिक विकास** में तेजी लाना।

मुख्य विशेषताएं

<table>
<tr><td>पृष्ठभूमि</td><td>• इसे भारतीय तटरेखा के समग्र विकास के लिए 2016 में शुरू किया गया था। यह राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना (NPP) के अनुरूप है।</td></tr>
<tr><td>पत्तन आधारित विकास</td><td><table><tr><td colspan="5">योजना के तहत परियोजनाओं को पांच स्तंभों में वर्गीकृत किया गया है</td></tr><tr><td>पत्तन आधुनिकीकरण और नए पत्तनों का विकास</td><td>पत्तन कनेक्टिविटी को बढ़ाना</td><td>पत्तन आधारित औद्योगिकीकरण</td><td>तटीय समुदाय विकास</td><td>तटीय पोत परिवहन एवं अंतर्देशीय जल परिवहन</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>पत्तन आधुनिकीकरण एवं नए पत्तनों का विकास</td><td>• बढ़ते यातायात को संभालने के लिए 2025 तक भारतीय पत्तनों की क्षमता को 3300+ मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) तक बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है।</td></tr>
<tr><td>पत्तन कनेक्टिविटी को बढ़ाना</td><td>• पत्तनों और घरेलू उत्पादन/उपभोक्ता केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने का का प्रयास करता है।</td></tr>
<tr><td>पत्तन आधारित औद्योगीकरण</td><td>• तटीय आर्थिक क्षेत्र (CEZs)
• तटीय आर्थिक इकाइयां (CEUs)
• पत्तन - आधारित औद्योगिक और समुद्री क्लस्टर
• स्मार्ट औद्योगिक पत्तन शहर</td></tr>
<tr><td>तटीय समुदाय विकास</td><td>• समुद्री क्षेत्रक से संबंधित गतिविधियों जैसे मत्स्ययन, समुद्री पर्यटन और इससे जुड़े कौशल विकास के माध्यम से विकास करना।</td></tr>
<tr><td>तटीय पोत परिवहन एवं अंतर्देशीय जल परिवहन</td><td>• पत्तनों पर अवसंरचना और तटीय आवागमन को सुगम बनाने के लिए रेल/सड़क एवं जलमार्गों का उपयोग करके अवसंरचना का निर्माण करना।</td></tr>
<tr><td>सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड</td><td>• इसे कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत स्थापित किया गया है, ताकि राज्य स्तर/क्षेत्र स्तरीय स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (SPVs) का गठन हो सके।</td></tr>
<tr><td>प्रमुख पत्तनों पर आधुनिक गवर्नेंस</td><td><table><tr><td>निर्णय लेने में अधिक स्वायत्तता</td><td>'विकास का लैंडलॉर्ड मॉडल'</td><td>विश्व स्तरीय पत्तन अवसंरचना</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>अब तक की प्रमुख उपलब्धियां</td><td>• बायोमेट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज़ (BSID): सुरक्षा-आधारित पहचान पत्र के अंदर बायोमेट्रिक चिप लगा होता है।
• मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट (MMT) को प्रोत्साहित करना: राष्ट्रीय राजमार्ग-1 पर, वाराणसी और साहिबगंज में दो MMTs का निर्माण किया गया है तथा हल्दिया में एक और MMT का निर्माण पूरा होने वाला है।
• नए प्रमुख पत्तन: महाराष्ट्र के दहानू (Dahanu) में वधावन में एक प्रमुख पत्तन की स्थापना के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी</td></tr>
</table>

	दी गई है। इसे **'लैंडलॉर्ड मॉडल'** पर विकसित किया जाएगा। • **कार्गो हैंडलिंग क्षमता को 2500** MMTPA **तक बढ़ाया गया है।**
सागरमाला युवा पेशेवर (SYP) योजना	• **उद्देश्य: मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों में प्रतिभाशाली, आगे की सोच रखने वाले और गतिशील युवा पेशेवरों को शामिल करना।** • शुरुआत में, इस योजना के तहत **अवसंरचना, डेटा विश्लेषण, परियोजना प्रबंधन, जैसे क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट देने के लिए** लगभग **25 युवा पेशेवरों को 2 वर्ष (2 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है)** के लिए काम पर रखा जाएगा।

14.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

जलमार्ग विकास परियोजना (Jal Marg Vikas Project: JMVP)

- **उद्देश्य: राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) के हल्दिया-वाराणसी खंड पर नौवहन (Navigation) की क्षमता में वृद्धि करना है।**
- इस परियोजना में अलग-अलग अवसंरचनाओं का विकास शामिल है, जैसे कि वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में **मल्टीमॉडल टर्मिनलों का निर्माण, रोल ऑन-रोल ऑफ (रो-रो) टर्मिनलों का निर्माण ,** फरक्का में **नेविगेशनल लॉक,** चैनल मार्किंग सिस्टम, **एकीकृत पोत मरम्मत और रखरखाव आदि।**
- इस परियोजना के अंतर्गत भारत में पहली बार जलमार्ग परिवहन के संसाधन प्रबंधन का बेहतर उपयोग करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी आधारित **नदी सूचना प्रणाली (River Information System)** को अपनाया गया है।
- **इसके लिए विश्व बैंक** से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त है।

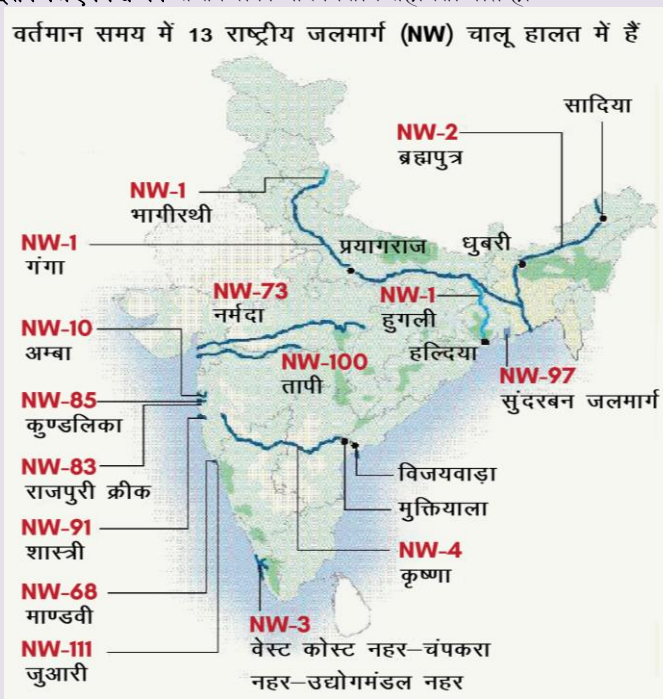

राष्ट्रीय जलमार्ग (NW) तथा उनकी लंबाई

NW-1	गंगा–भागीरथी–हुगली (हल्दिया–प्रयागराज)	1,620 KM
NW-2	ब्रह्मपुत्र नदी	891 KM
NW-3	वेस्ट कोस्ट नहर–चंपकरा नहर–उद्योगमंडल नहर	205 KM
NW-4	कृष्णा नदी (मुक्तियाला–विजयवाड़ा)	82 KM
NW-10	अम्बा नदी	45 KM
NW-83	राजपुरी क्रीक	31 KM
NW-85	रेवदंडा क्रीक–कुण्डलिका नदी	31 KM
NW-91	शास्त्री नदी–जयगढ़ क्रीक प्रणाली	52 KM
NW-68	माण्डवी नदी (उसगाँव पुल–अरब सागर)	41 KM
NW-111	जुआरी नदी (सांवोर्डेम पुल–मोरमुगाओ बंदरगाह)	50 KM
NW-73	नर्मदा नदी	226 KM
NW-100	तापी नदी	436 KM
NW-97	सुंदरबन जलमार्ग	172 KM

भारत में व्यापारिक पोतों की फ्लैगिंग करने को बढ़ावा देने की योजना (Scheme for promotion of flagging of merchant ships in India)

- यह योजना फ़्लैगिंग के लिए मंत्रालयों और CPSEs द्वारा जारी वैश्विक निविदाओं में घरेलू **पोत परिवहन** कंपनियों को **पांच वर्षों तक सब्सिडी सहायता प्रदान करती है।**
- **पोतों की फ्लैगिंग:**
  - एक पोत **किसी देश में पंजीकृत** होने के बाद ही **उस देश का झंडा लगाने** का हकदार होता है।
  - पंजीकरण का उद्देश्य **यह सुनिश्चित करना है** कि **भारतीय झंडे के विशेषाधिकार और सुरक्षा के हकदार व्यक्तियों** को सुनिश्चित सुविधाएं प्राप्त हों।
  - पोत का यह पंजीकरण **उसकी सुरक्षा और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।**
- भारतीय बेड़े में वृद्धि से **भारतीय नाविकों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा क्योंकि भारतीय पोतों के लिए केवल भारतीय नाविकों को ही रोजगार देना अपेक्षित है।**

15. विद्युत मंत्रालय (Ministry of Power)

15.1. पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (Revamped Distribution Sector Scheme)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** सभी डिस्कॉम की परिचालन दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना।
- **अपवाद:** निजी क्षेत्रक के डिस्कॉम
- **कार्यान्वयन एजेंसियां: ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC)।**
- **अवधि:** 2025-26 तक

अन्य उद्देश्य:

- वित्त वर्ष 2024-25 तक **समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (AT&C) हानियों** को अखिल भारतीय स्तर पर 12-15 प्रतिशत तक कम करना। वित्त वर्ष 2024-25 तक **आपूर्ति की औसत लागत-औसत राजस्व प्राप्ति (ACS-ARR)** के अंतर को शून्य करना।
- वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल वितरण क्षेत्रक के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति की **गुणवत्ता, विश्वसनीयता एवं सामर्थ्य में सुधार करना।**

मुख्य विशेषताएं

इसमे निम्न योजनाओं को सम्मिलित किया गया है।

- एकीकृत विद्युत विकास योजना (IPDS),
- दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)
- प्रधान मंत्री विकास कार्यक्रम (PMDP) - 2015

2 प्रमुख घटक

भाग 'A'	भाग 'B'
डिस्कॉम के परिणाम पर आधारित वित्तीय सहायता	प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण करने वाली तथा अन्य **सहयोगात्मक एवं सक्षम बनाने वाली गतिविधियां**

डिस्कॉम को वित्तीय सहायता

सहायता के लिए पूरी की जाने वाली शर्तें	स्मार्ट मीटरिंग के लिए वित्तीय सहायता	स्मार्ट मीटरिंग के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए वित्तीय सहायता
वितरण अवसंरचना का उन्नयन	**"विशेष श्रेणी" स्थिति:** 1350 रुपये का अनुदान या प्रति उपभोक्ता लागत का 22.5% (जो भी कम हो)	**"विशेष श्रेणी" का स्टेटस:** स्वीकृत लागत का 90% तक
मीटरिंग और सिस्टम मीटरिंग आधारित प्रीपेड स्मार्ट उपभोक्ता	**अन्य चरण:** 900 रुपये का अनुदान या प्रति उपभोक्ता मीटर लागत का 15% (जो भी कम हो)	**अन्य चरण:** स्वीकृत लागत का 60%

स्मार्ट मीटरिंग में प्राथमिकता

500 अमृत शहर, 15% से अधिक AT&C हानियों वाले शहर	सभी केंद्र शासित प्रदेश (UTs)	MSMEs, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ता	ब्लॉक स्तर और उससे ऊपर के सभी सरकारी कार्यालय	अत्यधिक क्षति वाले अन्य क्षेत्र

राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहन

- दिसंबर 2023 तक प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को **स्थापित करने में तेजी लाना।**

कृषि फीडरों का सौरीकरण	• अविभाजित फीडरों के लिए **फीडर पृथक्करण** • **इन फीडरों का पीएम कुसुम योजना के तहत सौरीकरण किया जाना है।** इससे सिंचाई हेतु किफायती/ नि:शुल्क विद्युत प्राप्त हो सकेगी।
उपभोक्ता सशक्तिकरण	• इसे **प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग** के माध्यम से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मोड में लागू किया जाएगा।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लाभ उठाना	• सिस्टम मीटर, प्रीपेड स्मार्ट मीटर आदि सहित IT/OT उपकरणों के माध्यम से **उत्पन्न डेटा का विश्लेषण करना शामिल है।**

15.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY)

- **उद्देश्य:** विद्युत वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाना।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC)
- **नया सबस्टेशन स्थापित करना**, कृषि और गैर-कृषि **फीडरों** को पृथक करना; हाई टेंशन और लो टेंशन (HT&LT) लाइनों को 850000 ckt से जोड़कर **पुराने सबस्टेशन का विस्तार** करना; इत्यादि।
- उन गांवों के लिए **ऑफ ग्रिड मोड के माध्यम से विद्युतीकरण करना** जहां ग्रिड कनेक्टिविटी न तो व्यवहार्य रही और न ही लागत प्रभावी।

उजाला (Unnat Jyoti By Affordable LEDs For All: UJALA)

- **यह दुनिया का सबसे बड़ा गैर-सब्सिडी प्राप्त स्वदेशी प्रकाश कार्यक्रम है।**
- यह कार्यक्रम **उच्च विद्युतीकरण** लागत और **उच्च उत्सर्जन** की समस्याओं का समाधान करता है जो अदक्ष प्रकाश व्यवस्था के कारण पैदा होती हैं।
- **एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL)** घरेलू परिवारों को सक्षम बनाता है कि वे **10 रुपये प्रति यूनिट की सस्ती कीमत** पर LED लाइट खरीद सकते हैं तथा वे इसका भुगतान अपने **बिजली बिल की बकाया राशि के साथ कर सकते हैं।**
- उजाला के द्वारा, **LED बल्ब की कीमत में 85% की कमी आई है।**
- EESL ने उजाला कार्यक्रम के तहत **LED बल्बों के वितरण के लिए SHGs को भी शामिल किया** है।

स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (Street Lighting National Program: SLNP)

- **इस पहल की परिकल्पना पूरे भारत में पारंपरिक स्ट्रीट लाइट को स्मार्ट और ऊर्जा कुशल LED स्ट्रीट लाइट से बदलने की पहल को "प्रकाश पथ" के रूप में** की गई थी।
- **यह दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रीट लाइट रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है।**
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL)
- **SLNP के कार्य करने का तरीका:**

EESL ने अपनी लागत पर (नगर पालिकाओं को निवेश करने की अनिवार्यता के बिना) **पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों की जगह LEDs को लगाया** है।	नगर पालिका की **ऊर्जा और रखरखाव लागत में परिणामी कमी** का उपयोग **EESL को समय-समय पर भुगतान करने के लिए** किया जाता है।	EESL नगर पालिकाओं के साथ जो अनुबंध करता है, **वह आमतौर पर सात वर्ष के लिए होता है।** इसमें यह न्यूनतम **ऊर्जा बचत** (सामान्यतः 50%) **की गारंटी देता है** और लाइटों के **नि:शुल्क प्रतिस्थापन और रखरखाव की भी व्यवस्था करता है।**

मेरिट (आय एवं पारदर्शिता के कायाकल्प के लिए विद्युत का मेरिट ऑर्डर डिस्पैच) वेब पोर्टल {MERIT (Merit Order Despatch of Electricity for Rejuvenation of Income and Transparency) Web Portal}

- **विकसित किया गया:** इसे विद्युत मंत्रालय द्वारा **पॉवर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (POSOCO)** तथा **केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण** के

सहयोग से विकसित किया गया है।

- यह राज्य/**राज्यों द्वारा खरीदी गई विद्युत के मेरिट ऑर्डर** के संदर्भ में सूचनाओं की एक विस्तृत सारणी को प्रदर्शित करता है, जैसे कि सभी विद्युत् जनित्रों की दैनिक राज्यवार सीमांत परिवर्तनीय लागत, स्रोतवार निश्चित और परिवर्तनीय लागतों, ऊर्जा की मात्रा एवं खरीद मूल्यों के साथ संबंधित राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की दैनिक स्रोतवार विद्युत खरीदें आदि।
- यह राज्यों को अपने विद्युत खरीद **पोर्टफोलियो में सुधार करने का अवसर भी प्रदान करता है।**

इको निवास संहिता (ECO Niwas Samhita)

- **यह रिहायशी इमारतों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ECBC-R) है।**
- **उद्देश्य:** ऐसे घरों, अपार्टमेंटों और टाउनशिप का डिजाइन तैयार करना तथा उनके निर्माण में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है।

नेशनल पावर पोर्टल (National Power Portal: NPP)

- भारत में विद्युत उत्पादन, पारेषण (Transmission) और वितरण के लिए भारतीय विद्युत क्षेत्रक की जानकारी के **मिलान एवं प्रसार के लिए एक केंद्रीकृत मंच है।**
- NPP डैशबोर्ड, सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए पूर्ववर्ती विद्युत क्षेत्रक के ऐप्स, यथा तरंग (TARANG), उजाला (UJALA), प्रवाह (PRAVAH), गर्व (GARV), ऊर्जा (URJA) और मेरिट (MERIT) हेतु एक एकल बिंदु इंटरफ़ेस के रूप में भी कार्य करेगा।

प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) {Pradhan Mantri Sahaj Bijli Har Ghar Yojana (SAUBHAGYA)}

- **लक्ष्य: सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण** प्राप्त करना।

प्रमुख गतिविधियां		
ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों को **लास्ट माइल कनेक्टिविटी और विद्युत कनेक्शन प्रदान करना।**	**शहरी क्षेत्रों में** सभी शेष आर्थिक रूप से गरीब **गैर-विद्युतीकृत घरों को** लास्ट माइल कनेक्टिविटी और विद्युत कनेक्शन प्रदान करना।	गैर-विद्युतीकृत घरों के लिए **सौर फोटोवोल्टिक (SPV) आधारित स्टैंड-अलोन सिस्टम** प्रदान करना जहां ग्रिड का विस्तार व्यवहार्य या लागत प्रभावी नहीं है।

प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (Perform, Achieve and Trade: PAT) योजना

- **पृष्ठभूमि:** इसे 2008 में **'संवर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन' (National Mission for Enhanced Energy Efficiency: NMEEE)** के तहत शुरू किया गया था।
  - ध्यातव्य है कि **NMEEE, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC)** के तहत एक परियोजना है।
- **उद्देश्य:** भारतीय उद्योगों में ऊर्जा दक्षता में सुधार करना और इसके परिणामस्वरूप ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाना।
- इसके अंतर्गत तापीय विद्युत संयंत्र, सीमेंट, एल्यूमीनियम, लोहा और इस्पात, लुगदी व कागज, उर्वरक, पेट्रोलियम रिफाइनरियों आदि सहित **13 ऊर्जा-गहन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।**
- **ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र (ESCerts)**
  - इसके तहत, **सरकार उद्योगों (नामित उपभोक्ताओं) को शॉर्टलिस्ट करती है और ऊर्जा की उस मात्रा को प्रतिबंधित/सीमित करती है, जिसका वे उपभोग कर सकते हैं।** साथ ही, तीन वर्ष की समय सीमा को परिभाषित किया जाता है, इसे एक परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड (पैट) चक्र कहते हैं। इस समयावधि में प्रतिबंध को पूरा किया जाना चाहिए।
  - **ऐसे उद्योग जो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं, उन्हें ऊर्जा बचत प्रमाण-पत्र (ESCerts)** जारी किए जाते हैं। ये प्रमाण-पत्र उन उद्योगों के साथ व्यापार योग्य होते हैं, जिन्होंने अपने लक्ष्य हासिल नहीं किए हैं।

बड़ी रुकावट की स्थिति में आवश्यक लोड को बनाए रखने हेतु विद्युत क्षेत्रक के लिए आइलैंडिंग योजनाएं (Islanding Schemes for Power Sector for maintaining essential load in event of major outage)

- **आइलैंडिंग योजना:** आइलैंडिंग योजना विद्युत व्यवस्था के लिए एक रक्षा तंत्र है। इसमें प्रणाली के एक हिस्से को बाधित ग्रिड से पृथक किया जाता है, ताकि यह उप-भाग बाकी ग्रिड से अलग रह सके और इस क्षेत्र में आवश्यक लोड की आपूर्ति में निरंतरता बनी रहे। इससे महत्वपूर्ण अवसंरचना बाधित नहीं होती है।

महत्वपूर्ण अवसंरचना (Critical infrastructure): यह प्रणालियों, नेटवर्क और परिसंपत्तियों का एक सेट होता है, जो किसी राष्ट्र की सुरक्षा, उसकी अर्थव्यवस्था तथा उसकी जनता के स्वास्थ्य और/या सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है।

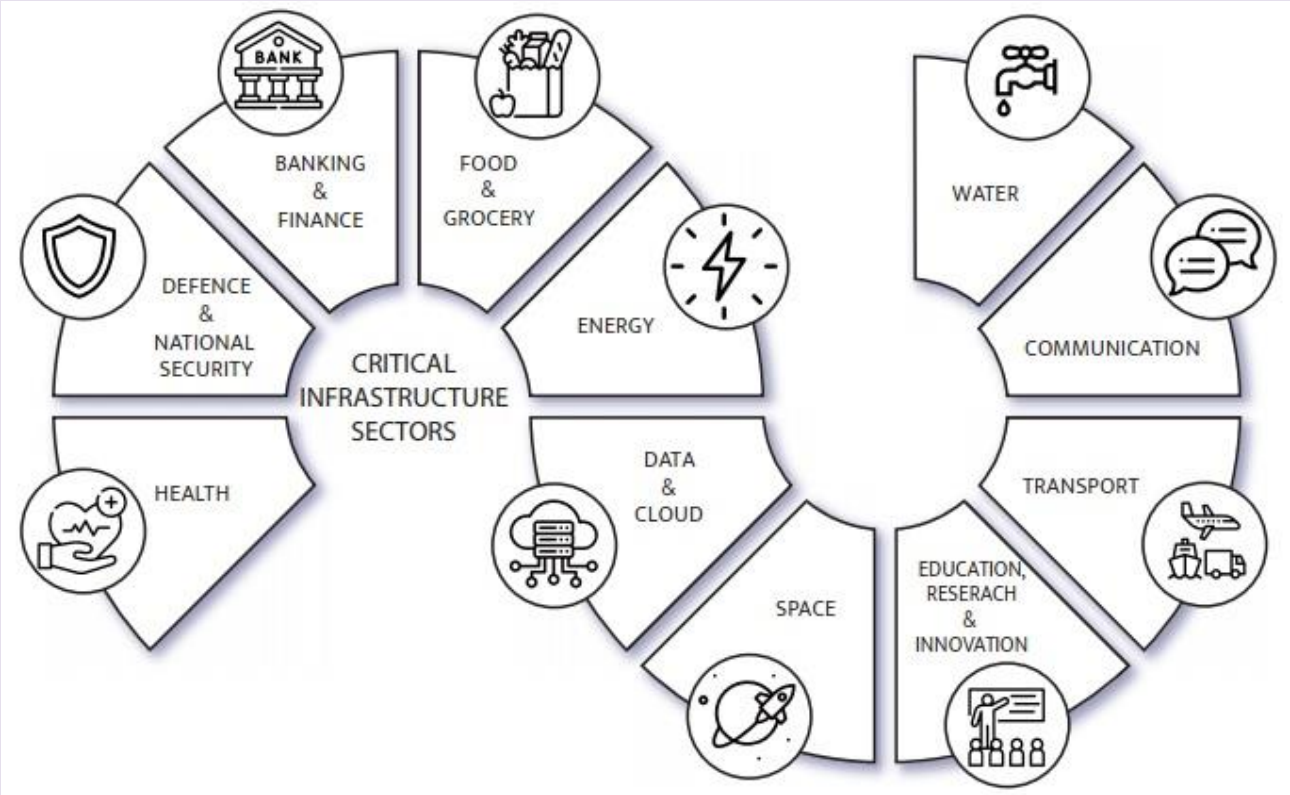

 © Vision IAS

16. रेल मंत्रालय (Ministry of Railways)

16.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

समर्पित माल ढुलाई गलियारा (Dedicated Freight Corridor)

- **उद्देश्य: एक्जिम ट्रैफिक के विकास हेतु** DFCs के सेवित (Catchment) क्षेत्रों में स्थित उद्योगों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक के लिए **आपूर्ति शृंखला को बढ़ावा देना।**
- **उच्चतर परिवहन निष्पादन और वहन क्षमता** प्राप्त करने के लिए देश में कुल **6 DFCs प्रस्तावित** किए गए हैं।
- इससे **मालगाड़ियों का तेजी से पारगमन होगा** और **डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनें तथा भारी मालगाड़ियां भी चलेंगी।**
- **विदेशी सहायता:**
  - **पश्चिमी गलियारा** पूरी तरह से **जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी** द्वारा वित्त-पोषित है।
  - **पूर्वी गलियारा आंशिक रूप से विश्व बैंक द्वारा वित्त-पोषित है।**
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत **राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा निगम (NICDC),** एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप के विकास के लिए **DFC के साथ-साथ विभिन्न परियोजनाओं को** कार्यान्वित कर रहा है।
- **परिचालित अनुभाग-**
  - EDFC के दादरी से चुनार अनुभाग के बीच **मालगाड़ियों का नियमित परिचालन शुरू** हो गया है।
    - EDFC **माल ढुलाई के लिए देश की सबसे बड़ी रेलवे लाइन है।**
  - मुंबई की तरफ से बने **DFC (पश्चिमी गलियारे)** को भी **EDFC से जोड़ा गया है।**

निवारण- शिकायत पोर्टल (NIVARAN-Grievance Portal)

- यह सेवारत तथा पूर्व रेलवे **कर्मचारियों की सेवा संबंधी शिकायतों के समाधान** हेतु एक प्लेटफार्म है।
- यह **रेलक्लाउड** पर आरम्भ किया गया **पहला आई.टी. (IT) एप्लिकेशन है।**

विकल्प योजना

- यह एक **अल्टरनेट ट्रेन एकोमोडेशन स्कीम** है।
- इस योजना के अंतर्गत **किसी ट्रेन की प्रतीक्षा सूची वाले यात्रियों को अन्य ट्रेनों में निश्चित सीट/बर्थ** का विकल्प चुनने की सुविधा दी गई है। साथ ही, इसके तहत उपलब्ध सुविधाओं का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जाता है।
- इसे **सभी प्रकार की ट्रेनों और श्रेणियों के यात्रियों के लिए** लागू किया गया है।

'समन्वय' पोर्टल

- इसे **विभिन्न रेलवे एजेंसियों द्वारा किए जा रहे** अवसंरचनात्मक विकासात्मक परियोजनाओं से संबंधित **राज्य सरकारों के पास** लंबित मुद्दों की **ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए विकसित किया गया है।**

किसान रेल योजना

- **उद्देश्य: उत्पादन केंद्रों को बाजार एवं उपभोग केंद्रों से जोड़कर** कृषि क्षेत्रक की आय में वृद्धि करना।
- भारतीय रेलवे द्वारा **दूध, मांस और मछली सहित शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं और कृषि उत्पादों** के परिवहन के लिए किसान रेल नामक ट्रेन सेवाओं का परिचालन किया जा रहा है।

भारत गौरव ट्रेन योजना

- **उद्देश्य: थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनों के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करना।**
- थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनें **या तो निजी अथवा राज्य के स्वामित्व वाले ऑपरेटरों द्वारा संचालित की जा सकती हैं।**
- भारत गौरव ट्रेन योजना के लिए कोई फंड आवंटित नहीं किया जाएगा, क्योंकि **यह राजस्व सृजन मॉडल पर आधारित है।**

इंडियन रेलवे ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम (IREPS)

- यह ई-निविदा, ई-नीलामी या रिवर्स नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से **वस्तुओं, विनिर्माण और सेवाओं, सामग्री की बिक्री एवं संपत्ति के पट्टे के लिए ऑनलाइन गतिविधियों हेतु** भारतीय रेलवे का आधिकारिक पोर्टल है।
- **विकास और अनुरक्षण:** इसे रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र (Centre for Railways Information System: CRIS) द्वारा विकसित और अनुरक्षित किया जाता है।
- इसके **मोबाइल एप्लिकेशन "आपूर्ति (Aapoorti)"** को भी लॉन्च किया गया है।

रेल मदद ऐप

- इसे **यात्रियों की शिकायतों के त्वरित निवारण के उद्देश्य से** आरंभ किया गया था।

रेल सहयोग वेब पोर्टल

- यह निगमित **सामाजिक उत्तरदायित्व कोष** के माध्यम से **रेलवे स्टेशनों पर एवं इसके निकट सुविधाओं के सृजन में योगदान करने के लिए** पोर्टल निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है।

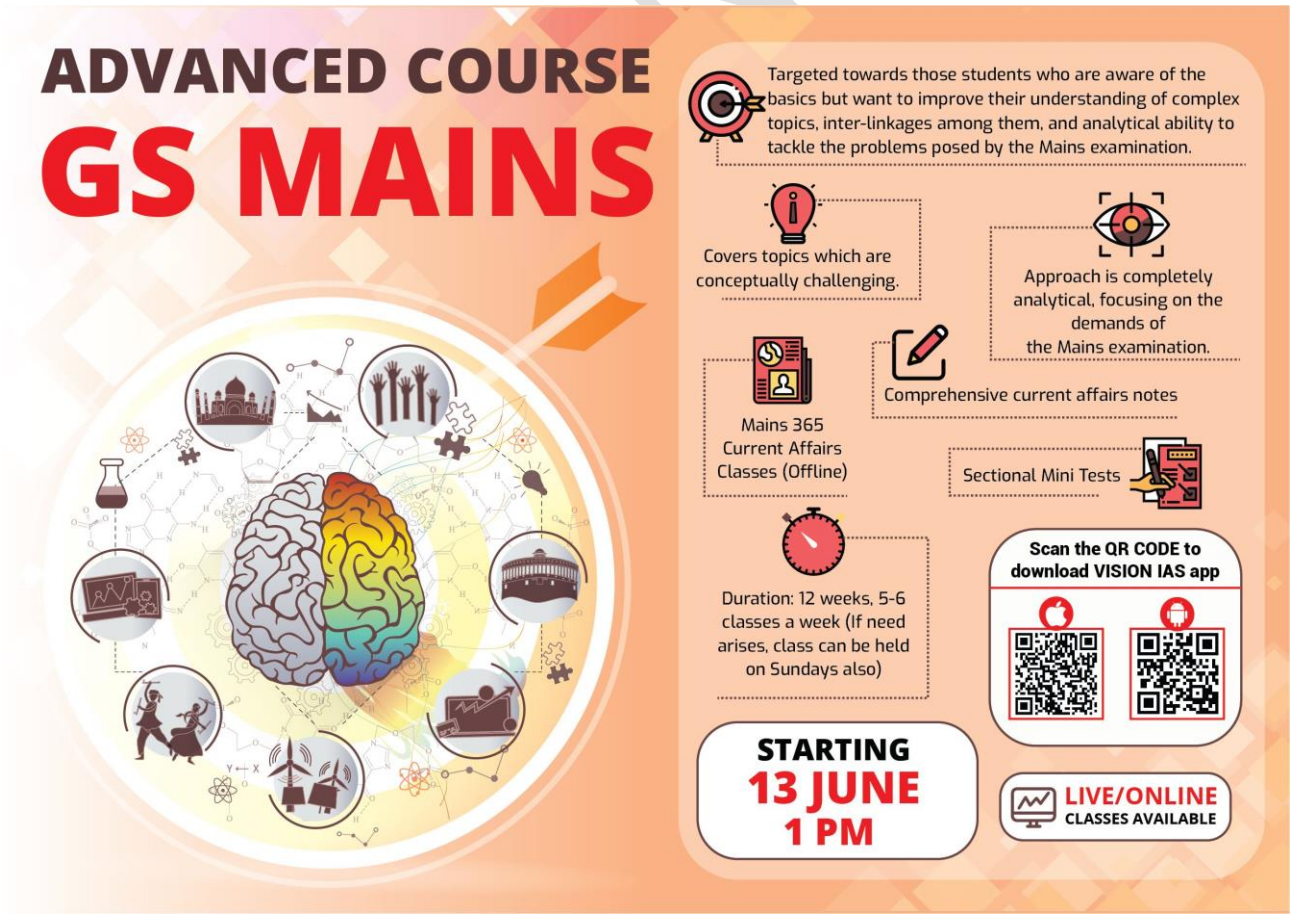

 © Vision IAS

17. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways)

17.1. भारतमाला परियोजना (Bharatmala Pariyojana)

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** देश भर में माल ढुलाई और यात्री आवाजाही की दक्षता का अनुकूलन करना।
- **कार्यान्वयन एजेंसियां:** भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI), राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL), राज्य लोक निर्माण विभाग, राज्य सड़क विकास निगम।
- **सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा देना: टोल-ऑपरेट-ट्रांसफर (TOT) मॉडल** का उपयोग EPC मार्ग के माध्यम से निर्मित सभी सड़कों के मुद्रीकरण के लिए किया जाएगा।
- **निगरानी:** पत्र सूचना कार्यालय (PIB) लागत और समय की अधिकता से बचने के लिए छह महीने में एक बार इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करेगा।

अन्य उद्देश्य: समग्र राजमार्ग विकास/ सुधार पहल के लिए इष्टतम संसाधनों का आवंटन करना।

मुख्य विशेषताएं

<table>
<tr><td>अम्ब्रेला कार्यक्रम</td><td>• यह राजमार्ग क्षेत्रक (हाईवे सेक्टर) हेतु एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण अवसंरचना की कमियों को दूर करके पूरे देश में माल ढुलाई और यात्री आवागमन की क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित है।</td></tr>
<tr><td>कार्यक्रम का फोकस</td><td><table><tr><td>पहले से निर्मित अवसंरचना की प्रभावशीलता में वृद्धि</td><td>बहु-मॉडल एकीकरण</td><td>निर्बाध आवाजाही के लिए अवसंरचना संबंधी अंतराल को समाप्त करना</td><td>राष्ट्रीय और आर्थिक गलियारों का एकीकरण</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>घटक</td><td><table><tr><td colspan="6">प्रमुख घटक</td></tr><tr><td>आर्थिक गलियारे</td><td>राष्ट्रीय और आर्थिक गलियारों के लिए अंतर-गलियारा (Inter-corridor) एवं फीडर सड़कें</td><td>राष्ट्रीय गलियारा की दक्षता में सुधार</td><td>सीमा और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी के लिए सड़कें</td><td>तटीय और पत्तन कनेक्टिविटी के लिए सड़कें</td><td>ग्रीन-फील्ड एक्सप्रेसवे</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>परियोजना अवधि</td><td>• इसे स्वीकृति की तिथि से 5 वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना है।</td></tr>
<tr><td>वित्त-पोषण के स्रोत</td><td><table><tr><td colspan="5">स्रोत</td></tr><tr><td>पेट्रोल और डीजल से एकत्रित उपकर</td><td>टोल से वसूली गई राशि</td><td>अतिरिक्त बजटीय सहायता</td><td>TOT के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों (NHs) का अपेक्षित मुद्रीकरण</td><td>आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (IEBR)</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>ग्रैंड चैलेंज मैकेनिज्म</td><td>• 'ग्रैंड चैलेंज' मैकेनिज्म के तहत परियोजनाओं को लागू करने के लिए 10% धनराशि निर्धारित की जाएगी।
• यह मैकेनिज्म फास्ट ट्रैक आधार पर परियोजनाओं को शुरू करने की सुविधा प्रदान करता है। इसमें राज्य सरकारें समय पर और पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराती हैं।
• किसी एक वित्तीय वर्ष में किसी एक राज्य से अधिकतम दो लेन (Streches) वाली सड़कों की अनुमति दी जाएगी, जिसका विस्तार 100 किलोमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए।</td></tr>
<tr><td>यदि सड़क का निर्माण भारतमाला परियोजना चरण-I का हिस्सा नहीं है</td><td>• ऐसी परियोजनाओं पर तभी विचार किया जा सकता है जब राज्य एजेंसी भूमि अधिग्रहण की कम-से-कम 50% लागत वहन करने के लिए तैयार हो।</td></tr>
</table>

निगरानी और प्रक्रिया स्वचालन के लिए ऑनलाइन सिस्टम	• सभी परियोजनाओं की स्थिति को ट्रैक करने, रिपोर्ट तैयार करने आदि के लिए **परियोजना निगरानी सूचना प्रणाली (PMIS)।** • भूमि अधिग्रहण से संबंधित अधिसूचनाएं तैयार करने और जमा करने के लिए **भूमि राशि प्रणाली।** • तकनीकी जानकारी के रखरखाव के लिए सभी कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा **बोलीदाता सूचना प्रबंधन प्रणाली (BIMS)** का उपयोग किया जाएगा। • **प्रदर्शन प्रबंधन प्रणाली "लक्ष्य"** का उपयोग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा **सभी तकनीकी अधिकारियों** के लिए निर्माण और पुरस्कार लक्ष्य निर्धारित करने के लिए किया जाएगा। • सभी व्यक्तिगत प्रणालियों/उपकरणों को एकीकृत करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH), NHAI और राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) के साथ **एक व्यापक ERP प्रणाली स्थापित की जा रही है।**

17.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

सेतु भारतम् (Setu Bharatam)

उद्देश्य: रोड ओवर ब्रिज (ROBs) / रोड अंडर ब्रिज (RUBs) **के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेलवे क्रॉसिंग को प्रतिस्थापित करना।**

- सरकार ने **राज्य PWDs, NHAI और NHIDCL** जैसी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से इस प्रकार के ROBs/RUBs का निर्माण शुरू कर दिया है।
- **अन्य राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की तरह ही** ROBs/RUBs के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है।

इनाम प्रो + (INAM PRO +)

- **अवसंरचना उद्योग के क्रेताओं और विक्रेताओं के लिए एक वेब पोर्टल है।** इसमें सीमेंट, नए/ प्रयुक्त उत्पादों और सेवाओं की खरीद/ किराये पर लेना/ लीज पर लेना आदि शामिल हैं।
- यह पोर्टल **मूल्य की तुलना करने, सामग्री की उपलब्धता** संबंधी जानकारियां आदि उपलब्ध कराता है।
- **डिज़ाइन:** यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक के उपक्रम (CPSE) है। इसे **NHIDCL** द्वारा डिजाइन किया गया है।

बोलीदाता सूचना प्रबंधन प्रणाली (Bidder Information Management System: BIMS) पोर्टल

- यह राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यों हेतु **अनुबंधों के EPC मोड के बोलीदाताओं के बारे में सूचना का** एक डेटाबेस है। इसमें आधारभूत विवरण, सिविल कार्य अनुभव, नकद उपार्जन और नेटवर्क, वार्षिक टर्नओवर आदि शामिल हैं।

भूमि राशि पोर्टल (Bhoomi Rashi Portal)

- इसमें **देश का संपूर्ण राजस्व डेटा** शामिल है।
- इस पोर्टल का सृजन **भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचनाओं के प्रकाशन की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किया गया है।**
- भूमि राशि के साथ सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) का एकीकरण प्रमुख कार्यात्मकताओं में से एक है। इसके तहत भूमि राशि प्रणाली के माध्यम से **प्रत्यक्ष रूप से सभी लाभार्थियों को भूमि अधिग्रहण के लिए प्रतिपूर्ति से संबंधित भुगतान की सुविधा** प्रदान की जाएगी।

गुड सेमेरिटन को पुरस्कार प्रदान करने की योजना (Scheme for grant of Award to the Good Samaritan)

- इस योजना के **तहत प्रत्येक दुर्घटना के लिए प्रत्येक गुड सेमेरिटन को 5,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है।** गुड सेमेरिटन वह व्यक्ति होता है जो **मोटर व्हीकल से हुई एक घातक दुर्घटना** के पीड़ित व्यक्ति को तत्काल सहायता प्रदान करके और **दुर्घटना के गोल्डन आवर के भीतर** चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए अस्पताल/ट्रॉमा केयर सेंटर में पहुंचाकर उसकी जान बचाता है।

शब्दावली को जानें

गुड सेमेरिटन: वह व्यक्ति, **जो सद्भाव में अथवा किसी भुगतान या इनाम की उम्मीद के बिना स्वेच्छा से किसी दुर्घटना,** या टक्कर में, या आपातकालीन चिकित्सा स्थिति, या आपातकालीन परिस्थिति **में घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता या आपातकालीन देखभाल प्रदान करने के लिए आगे आता है।**

18. ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development)

18.1. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihoods Mission: DAY-NRLM)

स्मरणीय तथ्य

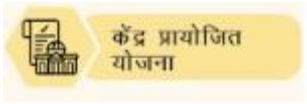

- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **उद्देश्य:** ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों (SHG) में संगठित करके गरीबी का उन्मूलन करना।
- **लाभार्थी:** लाभार्थियों की पहचान बी.पी.एल. के बजाय **गरीबों की पहचान की भागीदारी प्रक्रिया (Participatory Identification of Poor: PIP)** द्वारा की जाती है।
- **कार्यान्वयन:** स्पेशल पर्पज़ व्हीकल (स्वायत्त राज्य समाज) के द्वारा।

अन्य उद्देश्य:

- **गरीबों के लिए स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना,** ताकि वे गरीबी से बाहर आ सकें।
- **औपचारिक ऋण, लाभ (Entitlement) और लोक सेवाओं** तक उनकी पहुंच को बढ़ाना तथा **आजीविका का विविधीकरण करना एवं उसे बेहतर बनाने के लिए सहायता देना।**

मुख्य विशेषताएं

सामाजिक एकजुटता	• **प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार से एक सदस्य (विशेष रूप से एक महिला) को SHG नेटवर्क** में शामिल किया जाएगा। • महिला SHG **समूहों के पास बैंक लिंकेज की व्यवस्था होगी।**
वित्तीय समावेशन	• इसके तहत गरीबों के बीच **वित्तीय साक्षरता** को बढ़ावा दिया जाता है तथा SHG और उनके संघों को उत्प्रेरक पूंजी प्रदान की जाती है।
सतत संसाधनों के रूप में सामुदायिक निवेश कोष	• गरीब संस्थाओं के लिए सतत संसाधनों के रूप में **परिक्रामी निधि (Revolving Fund: RF)** और **सामुदायिक निवेश कोष (CIF)** के माध्यम से संसाधन प्रदान करता है। • यह **उनकी संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत** करता है तथा **मुख्यधारा के बैंक के वित्त को आकर्षित करने** के लिए उनके ट्रैक रिकॉर्ड का निर्माण करता है।
कौशल विकास	• **आजीविका कौशल विकास कार्यक्रम (ASDP) के लिए NRLM फंड का 25%** निर्धारित किया गया है।
दिल्ली में प्रशिक्षण संस्थान	• **सभी जिलों में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (Rural Self Employment Training Institutes: RSETI)** स्थापित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रक के बैंकों को प्रोत्साहित करता है। RSETI को ग्रामीण विकास स्वरोजगार संस्थान (Rural Development Self Employment Institute: RUDSETI) मॉडल की तर्ज पर बनाया जाएगा।
महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP)	• NRLM, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP) के माध्यम **से सफल, लघु-स्तरीय परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रहा है,** जो कृषि और संबद्ध गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी एवं उत्पादकता को बढ़ाती है।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका परियोजना (NRLP)	• **यह राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन** की एक उप-योजना है। इससे **'अवधारणा का प्रमाण (Proof of Concept)'** निर्मित होगा। साथ ही, 13 उच्च गरीबी वाले राज्यों में केंद्र और राज्यों की क्षमताओं का निर्माण हो सकेगा। इन राज्यों में 90% गरीब परिवार अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
NRLM के तहत अन्य पहलें	
राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (NRETP)	• **उद्देश्य: डिजिटल वित्त और आजीविका संबंधी उपायों को बढ़ावा देना ।** • **अंतर्राष्ट्रीय वित्त-पोषण: विश्व बैंक** द्वारा।
सक्षम केंद्र (SAKSHAM Centres)	• **उद्देश्य:** SHG सदस्यों और ग्रामीण गरीबों को **वित्तीय साक्षरता प्रदान करना और वित्तीय सेवाओं** (बचत, ऋण, बीमा, पेंशन आदि) के वितरण की सुविधा प्रदान करना।

संबंधित पहलें	
आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (AGEY)	• **उद्देश्य:** AGEY का उद्देश्य **स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों द्वारा संचालित वाहनों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्टिविटी प्रदान करना** है। • SHG सदस्यों को वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर निश्चित मार्गों पर **वाहनों के संचालन के लिए** समुदाय आधारित संगठनों (Community Based Organisations: CBOs) **द्वारा ब्याज मुक्त ऋण** प्रदान किया जाता है। • **राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLMs)** उन मार्गों की पहचान करते हैं, **जहां प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)** के तहत सड़कों का निर्माण किया जा चुका है, परन्तु परिवहन सेवाएं निम्नस्तरीय हैं।
दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)	• **उद्देश्य:** ग्रामीण निर्धन परिवारों की आय में विविधता लाना और ग्रामीण युवाओं की कैरियर संबंधी आकांक्षाओं को पूरा करना। • **लाभार्थी:** 15 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के ग्रामीण युवा और 45 वर्ष की आयु वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिला/ विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (Particularly Vulnerable Tribal Groups: PVTG) एवं दिव्यांगजन। • **लाभ:** ग्रामीण निर्धनों को नि:शुल्क **मांग आधारित** कौशल प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जाती है। • **समावेशी कार्यक्रम डिजाइन- सामाजिक रूप से वंचित समूहों का अनिवार्य कवरेज** (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति को 50%; अल्पसंख्यक को 15% तथा महिलाएं को 33%)। • **प्रशिक्षण से कैरियर की प्रगति पर जोर देना, पदस्थ उम्मीदवार के लिए अधिक समर्थन देना।** • **क्षेत्रीय फोकस -** जम्मू और कश्मीर (हिमायत/HIMAYAT योजना द्वारा), पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं 27 वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित जिलों (रोशनी/ROSHNI योजना द्वारा) में निर्धन ग्रामीण युवाओं के लिए परियोजनाओं पर अधिक जोर देना।

18.2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (MGNREG) योजना (या अधिनियम, 2005) {Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee (MGNREG) Scheme (Or ACT, 2005)}

स्मरणीय तथ्य

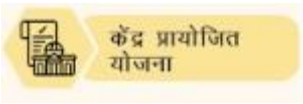

- **उद्देश्य:** अकुशल शारीरिक श्रम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में पूरक आजीविका को विधिक अधिकार बनाना।
- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **लाभार्थी:** सभी घरेलू सदस्य जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं।
- **निगरानी:** सोशल ऑडिट ग्राम सभा द्वारा किया जाएगा।

अन्य उद्देश्य: आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे **प्रत्येक परिवार को** एक वित्तीय वर्ष में **कम-से-कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी आधारित रोजगार** मुहैया कराया जाता है, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से **अकुशल मैन्युअल कार्य** करना चाहते हैं।

मुख्य विशेषताएं

मनरेगा, 2005 का उद्देश्य	**उद्देश्य** • रोजगार • गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्तियां • सामाजिक समावेशन • पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना • पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रभावी बनाना
कवरेज	• **100 प्रतिशत शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़कर सम्पूर्ण देश।**

 © Vision IAS

<table>
<tr><td>वित्त-पोषण में हिस्सेदारी</td><td>
<table>
<tr><th colspan="2">केंद्र की हिस्सेदारी (Share of Centre)</th></tr>
<tr><td>100 %- अकुशल श्रमिक लागत के लिए</td><td>75%- कार्य की सामग्री लागत के लिए</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>मांग संचालित, लोगों पर केंद्रित</td><td>
<table>
<tr><th>रोजगार की गारंटी</th><th>बेरोजगारी भत्ता</th><th>अतिरिक्त रोजगार</th><th>राज्यों को विवेकाधिकार</th></tr>
<tr><td>ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार को मांग के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिन का अकुशल मैन्युअल कार्य।</td><td>मांग के 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में।</td><td>सूखा/ प्राकृतिक आपदा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 50 दिनों का अकुशल मजदूरी आधारित रोजगार</td><td>राज्य सरकारें अपने स्वयं के कोष से अधिनियम के तहत गारंटीकृत अवधि के बाद अतिरिक्त दिन प्रदान करने के लिए प्रावधान कर सकती हैं।</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>महिला सशक्तिकरण</td><td>• कम-से-कम एक-तिहाई लाभार्थी महिलाएं होंगी।</td></tr>
<tr><td>मजदूरी भुगतान</td><td>• यदि मजदूरी को विशेष रूप से व्यक्ति के खाते में डाला जाएगा तो इससे बेहतर पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
• कार्य पूरा होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए।</td></tr>
<tr><td>ग्रामीण परिवारों को जॉब कार्ड</td><td>• अकुशल मैन्युअल कार्य के लिए प्रयास करने वाला कोई भी ग्रामीण परिवार अपने परिवार को ग्राम पंचायत में पंजीकृत करा सकता है और जॉब कार्ड प्राप्त कर सकता है।</td></tr>
<tr><td>गैर-परक्राम्य प्रावधान (Non-negotiable provisions)</td><td>• ग्राम पंचायत स्तर पर मजदूरी और निर्माण सामग्री (Wage and material ratio) में 60:40 के अनुपात को बनाए रखा जाना चाहिए।
• किसी भी ठेकेदार या मशीनरी को शामिल किए बिना मैन्युअल श्रम का उपयोग करके किए जाने वाले कार्य (अनुमति के अतिरिक्त)।
• कार्य की मात्रा के आधार पर बिना किसी लैंगिक भेदभाव के सभी को समान मजदूरी प्रदान करना।</td></tr>
<tr><td>दुर्घटना की क्षतिपूर्ति</td><td>• कार्यस्थल पर दुर्घटना हो जाने की स्थिति में दुर्घटना की क्षतिपूर्ति के दावे का प्रावधान किया गया है।
• कार्यस्थल पर दुर्घटना के परिणामस्वरूप स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाने या मृत्यु हो जाने पर अनुग्रह (Ex-Gratia) भुगतान प्रदान किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td>मजदूरी चाहने वाले के लिए पात्रता</td><td>
<table>
<tr><th colspan="4">प्रमुख अधिकार</th></tr>
<tr><td>सुरक्षित पेयजल</td><td>विश्राम की सुविधाएं</td><td>प्राथमिक चिकित्सा पेटी (First aid box) एवं दवाइयों की उपलब्धता</td><td>5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाली कामकाजी महिलाओं के लिए बच्चों की देखभाल*</td></tr>
</table>
* नोट: सामूहिक रूप से चाइल्ड केयर की सुविधा का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम 5 बच्चे वहां होने चाहिए।
</td></tr>
<tr><td>सृजित की गई परिसंपत्तियों की जियोटैगिंग</td><td>• जियो मनरेगा (Geo MGNREGA) के तहत निर्मित संपत्तियों की जियोटैगिंग के लिए राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC), इसरो और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRD) का एक अनूठा प्रयास है।</td></tr>
<tr><td>शिकायत निवारण</td><td>• इस अधिनियम में सोशल ऑडिट के विशेष प्रावधान कार्यों की प्रभावी पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं।</td></tr>
</table>

18.3. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-III (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana-III)

स्मरणीय तथ्य

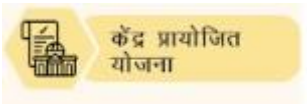

- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **प्रयोजन:** ग्रामीण कनेक्टिविटी प्रदान करना।
- **लक्ष्य:** राज्यों में 1,25,000 किलोमीटर सड़क की लंबाई को समेकित करना।
- **अवधि:** 2019-20 से 2024-25 तक

अन्य उद्देश्य: मौजूदा मार्गों और प्रमुख ग्रामीण संपर्क-मार्गों का उन्नयन करना तथा **वर्तमान ग्रामीण सड़क नेटवर्क का समेकन करना,** जो ग्रामीण अधिवासों को निम्नलिखित से जोड़ता है:

- ग्रामीण कृषि बाजार (GrAMs),
- उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, या
- अस्पताल।

प्रमुख विशेषताएं

पृष्ठभूमि	**PMGSY-I**	**PMGSY-II**	**वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (RCPLWEA)**
	• निर्दिष्ट जनसंख्या आकार की **पात्र असंबद्ध बस्तियों को एकल बारहमासी सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करना** ○ मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी होनी चाहिए, और ○ पूर्वोत्तर, पहाड़ी आदिवासी और मरुस्थली क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी होनी चाहिए।	• इसे PMGSY-I के दौरान 2013 में शुरू किया गया। • **गांवों को जोड़ने के लिए** पहले से बनी 50,000 किलोमीटर की **सड़कों का उन्नयन** किया जाएगा।	• इसे PMGSY के तहत वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए **2016 में एक पृथक कार्य योजना के रूप में** शुरू किया गया था। • **कवरेज: 44 जिले** (35 जिले सर्वाधिक बुरी तरह वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं और 09 जिले उनके पास के जिले हैं), जो सुरक्षा और संचार के लिए महत्वपूर्ण हैं।
प्रतिभागी सड़कों का चयन	• सेवित जनसंख्या, बाजार, शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाओं आदि के मानकों के आधार पर किसी विशेष सड़क द्वारा प्राप्त अंकों के योग के आधार पर।		
सेतुओं का निर्माण	• **मैदानी क्षेत्रों में 150 मीटर तक और हिमालयी एवं पूर्वोत्तर राज्यों में 200 मीटर तक** सेतु का प्रस्ताव किया गया है (क्रमशः, 75 मीटर और 100 मीटर के तत्कालीन मापदंडों के विपरीत)		
सड़कों का रखरखाव	• **राज्य, 5 वर्ष के निर्माण के पश्चात्** PMGSY के तहत निर्मित सड़कों के रखरखाव के लिए **पर्याप्त धन उपलब्ध कराएंगे।**		
अन्य विशेषताएं	• सड़कों के निर्माण के लिए **उचित विकेन्द्रीकृत योजना।** • **भारतीय सड़क कांग्रेस (Indian Road Congress) और ग्रामीण सड़क नियमावली (Rural Roads Manual)** के अनुसार सड़कों का निर्माण करना। • **3-स्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन** प्रणाली। • **निधियों का निर्बाध** प्रवाह।		

18.4. प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) {Pradhan Mantri Awas Yojana (Grameen)}

स्मरणीय तथ्य

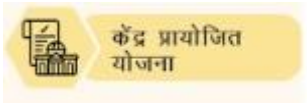

- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **उद्देश्य:** 2024 तक 'सभी के लिए आवास' प्रदान करना।
- **लाभार्थी:** सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना (SECC), 2011 सर्वेक्षण के माध्यम से लाभार्थियों की पहचान की गई है।
- **सुविधाएं:** स्वच्छ खाना बनाने के लिए समर्पित क्षेत्र सहित न्यूनतम 25 वर्ग मीटर आकार का मकान उपलब्ध होगा।

उद्देश्य: सभी ग्रामीण आवास विहीन परिवारों तथा कच्चे व जीर्ण-शीर्ण घरों में रहने वाले परिवारों को **वित्तीय सब्सिडी** प्रदान कर 2024 तक **सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त 2.95 करोड़ घरों का निर्माण करना।**

प्रमुख विशेषताएं

लाभार्थियों

- **लाभार्थी परिवार** में **पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और/या अविवाहित बेटियां** शामिल होंगी।

लाभार्थी			
	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	निम्न-आय समूह (LIGs)	मध्यम आय समूह (MIGs)
पारिवारिक आय (रुपये प्रति वर्ष)	3 लाख रुपये तक	3 से 6 लाख रुपये तक	6 से 18 लाख रुपये तक

लाभार्थियों की पहचान

- यह कार्य **तीन चरणों वाले सत्यापनों (सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011, ग्राम सभा और भू-टैगिंग) के माध्यम से संपन्न किया जाता है।**

लाभार्थियों के लिए वित्तीय सहायता

अनुदान	ऋण	4 किश्तों में भुगतान
मैदानी क्षेत्रों में: 1.20 लाख रुपये अनुदान।	7,000 रुपये तक	निर्माण के विभिन्न चरणों का जियोटैग फोटोग्राफ से सत्यापन कर प्रत्यक्ष रूप से लाभार्थी के बैंक खाते में किश्तों का भुगतान किया जाता है।
पहाड़ी राज्यों/पूर्वोत्तर राज्यों/दुर्गम क्षेत्रों/जम्मू-कश्मीर संघ शासित प्रदेशों और लद्दाख/समेकित कार्य योजना (IEP)/ वामपंथी उग्रवाद (LWE) से प्रभावित जिलों में: 1.30 लाख रुपये का अनुदान।		

अकुशल श्रम मजदूरी के लिए लाभार्थियों को सहायता

- योजना के लाभार्थी मनरेगा के तहत **90-95 रुपये प्रति श्रम दिन** का अकुशल रोजगार प्राप्त करने के भी पात्र होते हैं, और
- इसके तहत लाभार्थी को स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण या **वित्त-पोषण के** किसी **अन्य समर्पित स्रोत** के माध्यम से **शौचालय निर्माण हेतु 12,000 रुपये की सहायता दी जाती है।**

अन्य योजनाओं के साथ समायोजन

बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए अन्य योजनाओं को समायोजन किया गया है:

- **प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना** के तहत एल.पी.जी. कनेक्शन
- **जल जीवन मिशन** के तहत सुरक्षित पेयजल तक पहुंच **आदि।**

निगरानी के विभिन्न तंत्र

सामुदायिक भागीदारी (सामाजिक अंकेक्षण)	संसद के सदस्य (दिशा/DISHA समिति)	केंद्र और राज्य सरकार अधिकारी	राष्ट्रीय स्तर निगरानी

शिकायत निवारण तंत्र	• शिकायत या समस्याओं की प्राप्ति की तारीख से **15 दिनों के भीतर शिकायतों के समाधान करना।** • **ग्राम पंचायत, ब्लॉक, जिला और राज्य** जैसे प्रशासन के विभिन्न **स्तरों पर एक शिकायत निवारण तंत्र को स्थापित** करना। • जनता द्वारा **केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली** (CPGRAMS) पोर्टल (pgportal.gov.in) पर शिकायतें दर्ज करना।

18.5. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

सांसद आदर्श ग्राम योजना (SAGY) या सांझी (SAANJHI)

- **उद्देश्य:**
  - निर्धारित ग्राम पंचायतों के समग्र विकास में मददगार प्रक्रियाओं में तेजी लाना।
  - आबादी के सभी वर्गों के जीवन स्तर और जीवन गुणवत्ता में पर्याप्त रूप में सुधार लाना।
- **लक्ष्य:** 2024 तक 5 आदर्श ग्राम (प्रति वर्ष एक) का चयन और उनका विकास किया जाएगा।
- **विकास की आधारभूत इकाई:** आदर्श ग्राम के निर्धारण के लिए ग्राम पंचायत आधारभूत इकाई होगी। मैदानी क्षेत्रों में इसकी आबादी 3000-5000 और पहाड़ी, आदिवासी एवं दुर्गम क्षेत्रों में 1000-3000 होगी।
- **ग्राम विकास योजना: इसे प्रत्येक चिह्नित ग्राम पंचायतों के लिए** तैयार किया जाएगा।
- **विकास का मॉडल:** मांग-आधारित विकास
- **लाभार्थी ग्राम पंचायत की पहचान:** सांसद द्वारा इसकी पहचान की जाएगी।

संबद्ध सांसद	**ग्राम पंचायत, जिसका चयन किया जाना है**
लोक सभा सांसद	**अपने निर्वाचन क्षेत्र** से
राज्य सभा सांसद	जहां से वह चुना गया है वहां अपनी पसंद के जिले के ग्रामीण अंचल से
नामनिर्दिष्ट सांसद	देश में किसी भी जिले के ग्रामीण क्षेत्र से
शहरी निर्वाचन क्षेत्रों (जहां ग्राम पंचायत नहीं हैं) के मामले में, सांसद निकट के ग्रामीण क्षेत्र से ग्राम पंचायत की पहचान करेंगे।	
योजना के लिए अपात्र: इस योजना के तहत सांसद अपने खुद के या अपनी/अपने पति/पत्नी के गांव का चयन नहीं कर सकते/सकती हैं।	

सांझी (SAANJHI) का उद्देश्य कुछ निश्चित मूल्यों को स्थापित करना है, जैसे:

- अंत्योदय: "निर्धनतम और सबसे कमजोर व्यक्ति" का कल्याण
- लोगों की भागीदारी
- सामाजिक न्याय की गारंटी देना
- स्वच्छता की संस्कृति को बढ़ावा देना
- स्थानीय स्वशासन को विकसित करना
- स्थानीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देना
- प्रकृति के अनुरूप जीवन व्यतीत करना

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन

- **दृष्टिकोण: अनिवार्य रूप से शहरी** मानी जाने वाली **सुविधाओं** से समझौता किए बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए **ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते** हुए **गांवों के क्लस्टर को 'रुर्बन गांवों'** के रूप में विकसित करना है।
- **उद्देश्य:** स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, आधारभूत सेवाओं में वृद्धि करना और सुव्यवस्थित रुर्बन क्लस्टरों का सृजन करना।
- **रुर्बन क्लस्टर: मैदानी और तटीय क्षेत्रों में लगभग 25,000 से 50,000 की** आबादी वाले **एवं** मरुभूमि, पर्वतीय या जनजातीय क्षेत्रों में 5,000 से 15,000 तक की आबादी वाले **भौगोलिक रूप से एक-दूसरे के समीप बसे गांवों का क्लस्टर होगा।**

© Vision IAS

- **अन्य योजनाओं के साथ ताल-मेल:** राज्य सरकार **इन क्लस्टरों के विकास से संबद्ध मौजूदा केंद्रीय क्षेत्र की, केंद्र प्रायोजित और राज्य सरकार की**

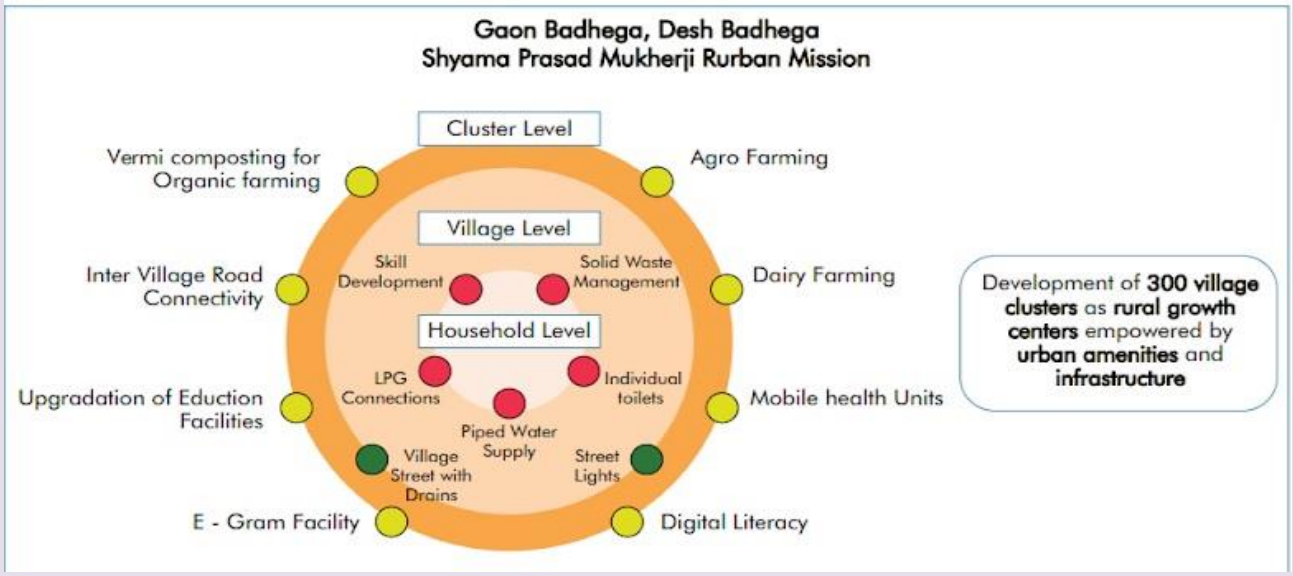

योजनाओं का निर्धारण करेगी। साथ ही, समयबद्ध एवं समेकित ढंग से **उनके क्रियान्वयन में ताल-मेल बिठाएंगी।**

मिशन अंत्योदय

- **यह ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु** अलग-अलग कार्यक्रमों के तहत भारत सरकार के **27 मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों का इष्टतम उपयोग और प्रबंधन के लिए एक अभिसरण एवं जवाबदेही फ्रेमवर्क है।**
- **ग्राम पंचायत** परिवर्तन की निगरानी और वस्तुनिष्ठ मानदंडों (Objective criteria) के आधार पर रैंकिंग के **लिए एक मूल इकाई है।**

परिकल्पित प्रमुख परिणाम

- पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की क्षमता निर्माण, सार्वजनिक प्रकटीकरण के माध्यम से **लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना।**
- विविध आजीविका के माध्यम से **आर्थिक अवसरों में वृद्धि करना।**
- भागीदारी योजना और कार्यान्वयन को बढ़ावा देने वाली **प्रभावी सामाजिक पूंजी का सृजन करना।**
- चयनित ग्राम पंचायतों/क्लस्टरों के लिए **मजबूत आधारभूत संरचना तैयार करना।**

- **प्रमुख प्रक्रियाएं:**
  - **मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण संपन्न कराना। यह सर्वेक्षण घरों का बेसलाइन सर्वेक्षण (Baseline Survey) है और यह समय-समय पर इस योजना की प्रगति की निगरानी करता है।**
  - ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए लक्षित **कार्यक्रमों/योजनाओं का समायोजन** करना।
  - PRIs, सामुदायिक संगठनों, गैर-सरकारी संगठन (NGOs), स्वयं सहायता समूहों (SHGs), संस्थानों और विभिन्न विभागों के क्षेत्र स्तर के अधिकारियों (जैसे कि आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आदि) के बीच **ग्राम पंचायत/ क्लस्टर में संस्थागत साझेदारी सुनिश्चित करना।**
  - संस्थानों और पेशेवरों के साथ साझेदारी के माध्यम से **उद्यम को बढ़ावा देना।**

19. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Science and Technology)

19.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

इंस्पायर (अभिप्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान उपलब्धियों में नवोन्मेष) योजना {INSPIRE (Innovation in Science Pursuit for Inspired Research) SCHEME}

- **विजन:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रणाली के सुदृढ़ीकरण तथा देश के अनुसंधान एवं विकास प्राधार व विस्तार हेतु महत्वपूर्ण मानव संसाधन पूल का निर्माण करना।

योजना के मुख्य घटक		
योजना के घटक	**लक्षित समूह**	**लक्षित आयु समूह**
इंस्पायर इंटर्नशिप	दसवीं कक्षा के बोर्ड में शीर्ष 1% छात्र	16-17 वर्ष
उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति (SHE)	बारहवीं कक्षा के बोर्ड में शीर्ष 1% छात्र + IIT - JEE और अन्य राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में 10,000 छात्र	17-22 वर्ष
इंस्पायर फैलोशिप	इंस्पायर-SHE स्कॉलर्स के लिए M.Sc. में 70% अंक + M.Sc. टॉपर्स (न्यूनतम 70% अंकों के साथ)	22-27 वर्ष
इंस्पायर फैकल्टी फैलोशिप	पीएचडी	27-32 वर्ष

- **इसे 2017 में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन (NIF)** के साथ साझेदारी में शुरू किया गया था।
- **उद्देश्य: कक्षा 6 से 10 में पढ़ने वाले 10-15 वर्ष** के आयु वर्ग के स्कूली बच्चों में **रचनात्मकता और नवोन्मेषी सोच की संस्कृति को बढ़ावा देना।**
- **मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशंस एंड नॉलेज (MANAK)** या इंस्पायर अवार्ड: इसके लिए छात्र के मौलिक और नवीन विचारों हेतु एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है।

उम्मीद (वंशानुगत विकारों के उपचार एवं प्रबंधन की विलक्षण पद्धतियां) पहल {Unique Methods Of Management And Treatment Of Inherited Disorders (UMMID) Initiative}

- **उद्देश्य:** देश में **आनुवंशिक विकारों के बोझ** को कम करना।
- इसके तहत **नैदानिक देख-भाल प्रदान करने के लिए निदान/NIDAN केंद्र** (राष्ट्रीय वंशानुगत रोग प्रबंधन केंद्र) स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

निदान/NIDAN केंद्र में नैदानिक देखभाल

- आनुवंशिक विकारों के लिए प्रसव पूर्व परीक्षण
- अपेक्षाकृत सामान्य उपचार योग्य आनुवंशिक चयापचय विकारों के लिए नवजात की जांच
- आनुवंशिक विकारों के उच्च जोखिम वाले भ्रूण को धारण करने वाली गर्भवती माताओं का आनुवंशिक परामर्श

नेशनल बायोफार्मा मिशन- "इनोवेट इन इंडिया (i3)"

- **लक्ष्य: किफायती उत्पाद विकास** के माध्यम से देश के स्वास्थ्य मानकों को बदलना।
- **उद्देश्य:** उत्पाद विकास, बुनियादी ढांचे के स्तर पर महत्वपूर्ण कमी या अंतर को दूर करना, कौशल विकास और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करना।
- **वित्त-पोषण:** इसे पांच वर्ष के लिए **विश्व बैंक ऋण सहायता के माध्यम से 50% लागत साझाकरण** के आधार पर भारत सरकार द्वारा वित्त-पोषित किया जाएगा।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (BIRAC)

© Vision IAS

बायोटेक-किसान (कृषि अभिनव विज्ञान एप्लीकेशन नेटवर्क) {Biotech-KISAN (Krishi Innovation Science Application Network)}

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य खेतों के स्तर पर विकसित एवं लागू किए जाने वाले नवीन समाधानों और प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए विज्ञान प्रयोगशालाओं को किसानों से जोड़ना है।
- इसमें जल, मृदा, बीज और विपणन से संबंधित समस्याओं पर **किसानों को परामर्श देना एवं उनका समाधान उपलब्ध कराना शामिल** है।
- इस योजना के तहत, अब तक देश के सभी 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों को कवर करते हुए लगभग **150 बायोटेक-किसान हब स्थापित** किए गए हैं।
- **बायोटेक-किसान हब** उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक संस्थानों/कृषि विज्ञान केंद्रों (KVK)/अन्य किसान संगठनों का एक मजबूत नेटवर्क प्रदान करता है।

मवेशी जीनोमिक्स योजना (Cattle Genomics Scheme)

- **उद्देश्य:** प्रदर्शन रिकॉर्ड के साथ डीएनए स्तर की जानकारी का उपयोग करके पशुओं के **प्रजनन मूल्यों का सटीक अनुमान** लगाना तथा प्रारंभिक आयु में पशुओं (श्रेष्ठ पशु) के **आनुवांशिक मूल्य की पहचान** करना है।
- कम उम्र में श्रेष्ठ प्रजनन पशु का चयन करने की क्षमता **भविष्य में किसान स्तर पर उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगी।**

अंतःविषय साइबर भौतिक प्रणालियों में राष्ट्रीय मिशन {National Mission in Interdisciplinary Cyber Physical Systems (NM-ICPS)}

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- यह एक व्यापक मिशन है जो शिक्षा, उद्योग, सरकार और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को एक साथ लाता है।
  - यह एक ऐसे पारितंत्र का निर्माण करता है जो **उद्यमशीलता को बढ़ावा देता है, अगली पीढ़ी की कुशल जनशक्ति का विकास करता है, अनुप्रयोगी अनुसंधान (Translational research)** को उत्प्रेरित करता है और CPS प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देता है।
- **प्रकार:** यह एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है।
- **योजना की अवधि:** इसे 2018 में पांच वर्ष की अवधि के लिए शुरू किया गया है।
- इसके तहत देश भर के **प्रतिष्ठित संस्थानों में** उन्नत तकनीकों के साथ **25 टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब (TIH)** स्थापित किए गए हैं।
- ये TIH, प्रौद्योगिकी विकास और रूपांतरण, **मानव संसाधन एवं कौशल विकास, उद्यमिता व स्टार्ट-अप विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं।**

अटल जय अनुसंधान बायोटेक मिशन - राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक प्रौद्योगिकी नवाचार उपक्रम {Atal Jai Anusandhan Biotech Mission-Undertaking Nationally Relevant Technology Innovation (UNaTI)}

- इसके द्वारा अगले 5 वर्षों में **स्वास्थ्य, कृषि और ऊर्जा क्षेत्रकों** में बदलाव की उम्मीद की गई है।

इस मिशन में 'उन्नति' शामिल है

- **गर्भिनी (GARBH-ini)-** यह मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और प्री-टर्म बर्थ के लिए प्रीडक्शन टूल विकसित करने का एक मिशन है।
- **इंड-सीईपीआई (Ind-CEPI) -** इसका उद्देश्य **स्थानिक रोगों के लिए किफायती टीके** तथा **बायो फोर्टिफाइड और प्रोटीन युक्त गेहूं विकसित करना है।** यह पोषण (POSHAN) अभियान में भी योगदान देगा।
- किफायती निदान और चिकित्सा हेतु **एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध** पर मिशन की शुरुआत की गई है।
- **स्वच्छ ऊर्जा मिशन -** यह स्वच्छ भारत के लिए नवीन प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप मिशन है।

सर्ब-पावर (खोजपूर्ण अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ाना) {SERB-POWER (Promoting Opportunities for Women in Exploratory Research)}

- **शुरुआत:** इसकी शुरुआत विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) द्वारा की गई है।
- **उद्देश्य:**
  - **विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान निधि** में **लैंगिक असमानता** को कम करना, तथा
  - **अनुसंधान गतिविधियों में महिला वैज्ञानिकों की तुलनात्मक रूप से कम भागीदारी की समस्या** पर विशेष ध्यान देना।
- **अनुसंधान और विकास गतिविधियों में संलग्न भारतीय महिला वैज्ञानिकों के लिए समान पहुंच** और भारित अवसर सुनिश्चित करने के लिए **अनुसंधान में संरचित सहायता** प्रदान करता है।

निम्नलिखित तरीकों से महिला वैज्ञानिकों को अनुसंधान एवं विकास सहायता प्रदान की जाती है:

- **SERB-पावर फैलोशिप:** नियमित आय के अलावा **15,000 रुपये प्रति माह की फैलोशिप दी जाती है। प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये का अनुसंधान अनुदान दिया जाता है।**
- **SERB- पावर रिसर्च ग्रांट्स:** तीन वर्ष के लिए 30 लाख/60 लाख तक का वित्त-पोषण किया जाता है।
- **SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार:** महिला अकादमी पुरस्कार विजेताओं को उनके अनुसंधान सीमा को उच्च स्तर तक विस्तारित करने के लिए मान्यता देता है।

उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में गहन अनुसंधान (Intensification Of Research In High Priority Areas: IRHPA)

- **शुरुआत:** इसकी शुरुआत विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB) द्वारा की गई है।
- **उद्देश्य:** मूलभूत विज्ञान में प्रगति के दृष्टिकोण से उच्च प्राथमिकता वाले **अनुसंधान के क्षेत्रों (इनकी संख्या कम होती है) को प्रमुख सहायता** प्रदान करना।
- **योजना के लिए कौन पात्र नहीं:** NMR, XRD जैसे नियमित विश्लेषणात्मक टूल। इन्हें **फंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल (FIST) कार्यक्रम** के तहत समर्थन दिया जा रहा है।

प्रमुख उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र

- कटैलिसीस, प्रोसेस केमिस्ट्री, एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री और केमिकल इकोलॉजी
- एनर्जी, बिग डेटा
- सरफेस और इंटरफेशियल साइंस
- उन्नत कार्यात्मक सामग्री
- मानसिक स्वास्थ्य
- क्वांटम कम्प्यूटिंग और स्पिंट्रोनिक्स
- बायो-एनर्जी, जेनेटिक टू फिजियोलॉजी
- जटिल प्रणालियां
- मेकेनोबायोलॉजी / फिजिकल बायोलॉजी
- सिंथेटिक और स्टेम सेल बायोलॉजी
- आनुवंशिकी और जीनोमिक दृष्टिकोण

- IRHPA योजना के तहत विज्ञान के संबंधित क्षेत्रों में **सुपर स्पेशलाइजेशन रखने वाली इकाई या कोर ग्रुप** को **विकसित और अधिक विकसित किया जाएगा।**
  - इस कार्यक्रम के तहत **अन्य वैज्ञानिकों को** इन सुपर स्पेशल क्षेत्रों में **प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।**
- कार्यक्रम के माध्यम से विकसित ऐसी सुविधा को **SERB राष्ट्रीय सुविधा** के रूप में नामित किया जाएगा।
- इन **सुविधाओं का 50 प्रतिशत समय मेजबान संस्थान के बाहर के वैज्ञानिकों/शिक्षाविदों को** दिया जाएगा।

विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड-फंड फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च एंगेजमेंट {Science and Engineering Research Board- Fund for Industrial Research Engagement (SERB-FIRE)}

- **उद्देश्य:** समाज के व्यापक लाभ के लिए **उद्योग-विशिष्ट समस्याओं का समाधान निकालने** हेतु **शैक्षणिक संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं में उपलब्ध विशेषज्ञता का उपयोग** करना है।
- **इसे उद्योग प्रासंगिक अनुसंधान एवं विकास (Industry Relevant R&D) योजना** के तहत शुरू किया गया है।
- **SERB उद्योग-अकादमिक कार्यक्रमों** के माध्यम से, धन, संसाधनों और नेटवर्क का एक पूल बनाया जाता है। यह देश के कुछ प्रमुख मुद्दों पर महत्वपूर्ण प्रभाव के साथ एक **मजबूत अनुसंधान परियोजना की सुविधा** प्रदान करता है।

वज्र फैकल्टी योजना {Visiting Advanced Joint Research (VAJRA) Faculty Scheme}

- यह विदेशी वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के लिए एक समर्पित कार्यक्रम है। इसमें निर्दिष्ट अवधि हेतु भारतीय सरकारी वित्त-पोषित शैक्षणिक एवं शोध संस्थानों में **अनुबद्ध/आगंतुक** फैकल्टी सदस्य एक साथ मिलकर काम करते हैं।
- भारत में वज्र फैकल्टी सदस्यों की निवास अवधि एक वर्ष में न्यूनतम 1 माह तथा अधिकतम 3 माह होगी।
- ध्यातव्य है कि यह कार्यक्रम विशेष रूप से अनिवासी भारतीयों (NRI) और भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIO)/ प्रवासी भारतीय नागरिकों (OCI) को लक्षित करता है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB)

किरण (पोषण के माध्यम से अनुसंधान उन्नति में ज्ञान भागीदारी) {KIRAN (Knowledge Involvement in Research Advancement through Nurturing)}

उद्देश्य: विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में **विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करना।**

प्रमुख उप-योजना

- **मोबिलिटी योजना (Mobility Scheme):** यह योजना **कामकाजी महिला वैज्ञानिकों के स्थानांतरण के मुद्दों का समाधान** करती है और 2-5 वर्षों के लिए परियोजना मोड में सहायता प्रदान करती है।
- **महिला वैज्ञानिक योजना (WOS):** यह योजना **बेरोजगार महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों** को फेलोशिप सहित **करियर के अवसर** प्रदान करती है। यह योजना विशेष रूप से उन महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को अवसर देती है जिनका करियर किसी कारणवश रुक गया है।

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा (STEMM) में महिलाओं के लिए इंडो-यूएस फैलोशिप {Indo-US Fellowship for Women in STEMM (Science, Technology, Engineering, Mathematics & Medicine)}

- **यह 3-6 माह की अवधि के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रमुख संस्थानों में** अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी अनुसंधान करने हेतु **भारतीय महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को प्रोत्साहित करता है।**

'महिला विश्वविद्यालयों में नवाचार और उत्कृष्टता के माध्यम से विश्वविद्यालय अनुसंधान का समेकन (CURIE)' कार्यक्रम {'Consolidation of University Research through Innovation and Excellence in Women Universities (CURIE)' Programme}

- **उद्देश्य:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना।
- **अनुसंधान अवसंरचना के विकास और अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशालाओं के निर्माण के लिए** प्रदान किया जा रहा है।
- इसके द्वारा **केवल महिला विश्वविद्यालयों** का समर्थन किया जा रहा है।

महिला उद्यमी खोज (Women Entrepreneur's Quest: WEQ) कार्यक्रम

- इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के अनिता बोर्ग संस्थान के साथ साझेदारी में **प्रौद्योगिकी में महिला उद्यमियों की देख-भाल और समर्थन के लिए** शुरू किया गया है।

बायोटेक्नोलॉजी करियर एडवांसमेंट एंड री-ओरिएंटेशन प्रोग्राम (BioCARe)}

- **उद्देश्य:** जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान में महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी बढ़ाना।
- **प्राथमिक लाभार्थी: 45 वर्ष की आयु तक** कार्यरत/बेरोजगार **महिला वैज्ञानिकों** के लिए यह प्रथम **बाह्य अनुसंधान अनुदान** है।
- **समर्थन के लिए फोकस क्षेत्र:** चिकित्सा जैव प्रौद्योगिकी, संयंत्र एवं कृषि जैव प्रौद्योगिकी, औद्योगिक तथा औषधीय उपयोगिता के यौगिक, पशु और समुद्री जैव प्रौद्योगिकी, आदि।

विज्ञान ज्योति (Vigyan Jyoti)

- **इसके तहत 9वीं से 12वीं कक्षा की छात्राओं को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में शिक्षा और करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।** इसमें विशेष रूप से उन क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिया जाता है जहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है।
- **यह ऐसे चयनित उम्मीदवारों को विज्ञान शिविर, विशेष व्याख्यान/कक्षाएं, छात्रों और अभिभावकों की काउंसलिंग** जैसी विभिन्न गतिविधियों के साथ-साथ **सहयोग व समर्थन** की सुविधा प्रदान करता है।
- **लाभार्थी:** छोटे शहरों के जवाहर नवोदय विद्यालय (JNV), केंद्रीय विद्यालय, सरकारी स्कूल एवं आर्मी स्कूल और ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** नवोदय विद्यालय समिति (NVS)

साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑग्मेंटेशन - प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजेनस काऊ {Scientific Utilisation Through Research Augmentation Prime Products from Indigenous Cows (SUTRA PIC)}

- सूत्र पिक (SUTRA PIC) वस्तुतः 'स्वदेशी' गायों पर शोध करने हेतु अंतर-मंत्रालयी वित्त-पोषण कार्यक्रम है।
- **इसमें शामिल प्रमुख संगठन:** इसमें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आदि शामिल हैं।
- **मुख्य विषय:** स्वदेशी गायों की विशिष्टता, चिकित्सा और स्वास्थ्य, कृषि अनुप्रयोगों आदि के लिए स्वदेशी गायों के प्रमुख उत्पाद।

टीचर एसोसिएट्स फॉर रिसर्च एक्सीलेंस मोबिलिटी स्कीम {TARE (Teacher Associateship for Research Excellence) Mobility Scheme}

- यह योजना राज्य विश्वविद्यालयों या कॉलेजों में नियमित रूप से काम कर रही **फैकल्टी द्वारा अंशकालिक शोध** करने की सुविधा प्रदान करती है।
- **वित्त-पोषण एजेंसी:** विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB)
- **पात्रता:** भारत में रहने वाले 45 वर्ष तक के भारतीय नागरिक जिनके पास विज्ञान में पीएचडी डिग्री या चिकित्सा में एमएस/एमडी या इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में एम.ई/एम.टेक डिग्री है।
- **वित्तीय सहायता:** शोधकर्ता के अपने वेतन के अतिरिक्त प्रति वर्ष 60,000 रुपये की रिसर्च फेलोशिप प्रदान की जाएगी। **प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का अनुसंधान अनुदान** (मेजबान और मूल संस्थान प्रत्येक को 50% अनुदान) एवं उपरिव्यय (Overheads) भी दिया जाएगा।

अवसर: ऑगमेंटिंग राइटिंग स्किल फॉर आर्टिकुलेटिंग रिसर्च (Augmenting Writing Skills for Articulating Research: AWSAR)

- **उद्देश्य: युवा शोधार्थियों और पोस्ट-डॉक्टरेट अभ्यर्थियों द्वारा** अपने उच्च अध्ययन एवं शोध गतिविधियों के दौरान समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, ब्लॉगों, सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से **लोकप्रिय विज्ञान लेखन** को प्रोत्साहित करना है।
- **अवसर (AWSAR) प्रतियोगिता** का आयोजन **विज्ञान प्रसार** द्वारा किया जाता है।

आवासीय ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने हेतु पहल (Initiative to Promote Habitat Energy Efficiency: I-PHEE)

- **उद्देश्य:** यह भवनों और शहरों के ऊर्जा निष्पादन में सुधार हेतु एक नवीन राष्ट्रीय कार्यक्रम है।
- यह भवनों के डिज़ाइन, निर्माण और संचालन में **ऊर्जा के संरक्षण हेतु ज्ञान तथा कार्यप्रणाली में वृद्धि का समर्थन** करेगा।

निधि: नवाचार के विकास और दोहन के लिए राष्ट्रीय पहल (NIDHI: National Initiative for Development and Harnessing Innovations)

- यह एक अम्ब्रेला कार्यक्रम है जिसमें **ज्ञान आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित विचारों** एवं नवाचारों को सफल **स्टार्ट-अप** में परिवर्तित करने की दिशा में कार्य किया जाता है।
- **उद्देश्य:** नवाचारों की खोज, समर्थन और स्केलिंग के माध्यम से **स्टार्ट-अप के विकास में मदद करना।**
- **वित्त-पोषण एजेंसी:** राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास बोर्ड (NSTEDB)

नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मिशन (नैनो मिशन) {Mission on Nano Science and Technology (Nano Mission)}

- **उद्देश्य:** नैनो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोगों में यथार्थपूर्ण तरीके से सफलता प्रदान करना।
- **नैनोसाइंस में अत्यंत केंद्रित अनुसंधान करने और नैनो प्रौद्योगिकी आधारित अनुप्रयोगों को विकसित** करने हेतु **सक्षम समूहों (संस्थानों के एक समूह से) को आवश्यक निधि प्रदान** करता है।
- **लाभार्थी:** वैज्ञानिक/शिक्षाविद।

परिष्कृत विश्लेषणात्मक और तकनीकी सहायता संस्थान (साथी) पहल {Sophisticated Analytical & Technical Help Institute (SATHI) Initiative}

- **उद्देश्य:** फैकल्टी, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और मेजबान तथा उपयोगकर्ता संस्थानों/संगठनों के छात्रों की मांगों को पूरा करने के लिए एक **साझा, पेशेवर रूप से प्रबंधित सेवाएं** तथा मजबूत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी **अवसंरचना/ सुविधाएं** प्रदान करना।
- यह अनुसंधान/परीक्षण/निर्माण/निर्माण के लिए आवश्यक **उच्च अंत उपकरण और बुनियादी सुविधाओं** की प्राप्ति और रखरखाव प्रदान करता है।
- लाभार्थियों को न्यूनतम डाउनटाइम के साथ **24 घंटे अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को करने में सक्षम बनाता है।**
- SATHI सुविधाओं का उपयोग उनके उपलब्ध समय का **80% बाहरी उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जाएगा,** अर्थात् मेजबान संस्थानों के बाहर और उपलब्ध समय का 20% मेजबान संस्थान के आंतरिक उपयोगकर्ताओं हेतु किया जाएगा।

वैज्ञानिक और उपयोगी गहन अनुसंधान उन्नति (Scientific and Useful Profound Research Advancement: SUPRA)

- **उद्देश्य:** हमारी **मौलिक वैज्ञानिक समझ** पर दीर्घकालिक प्रभाव के साथ **नई वैज्ञानिक सफलताओं का पता लगाने** और **अत्याधुनिक तकनीकों की पेशकश** करना।
- **योग्यता:** अनुदान के लिए आवेदन करते समय विज्ञान, गणित, इंजीनियरिंग में पीएचडी डिग्री या एमडी/एमएस/एमडीएस/एमवीएससी डिग्री होनी चाहिए।

© Vision IAS

- **वित्त-पोषण एजेंसी:** विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (SERB)।
- **परियोजना अनुदान के लिए कोई ऊपरी सीमा या निम्नतम सीमा नहीं** है।

भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सुविधाएं मानचित्र (I-STEM)

- STEM **अनुसंधान एवं विकास (R&D) सुविधाओं को साझा** करने के लिए एक राष्ट्रीय वेब पोर्टल है।
- इसे **प्रधान मंत्री विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद मिशन** के तत्वावधान में भारत सरकार के **प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय** की पहल के रूप में 2020 में शुरू किया गया है।
- **लक्ष्य:** शोधकर्ताओं को संसाधनों से जोड़कर और मौजूदा सार्वजनिक रूप से वित्त-पोषित अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं तक पहुंच को सक्षम करके **अनुसंधान व विकास का पारितंत्र विकसित करना है।**

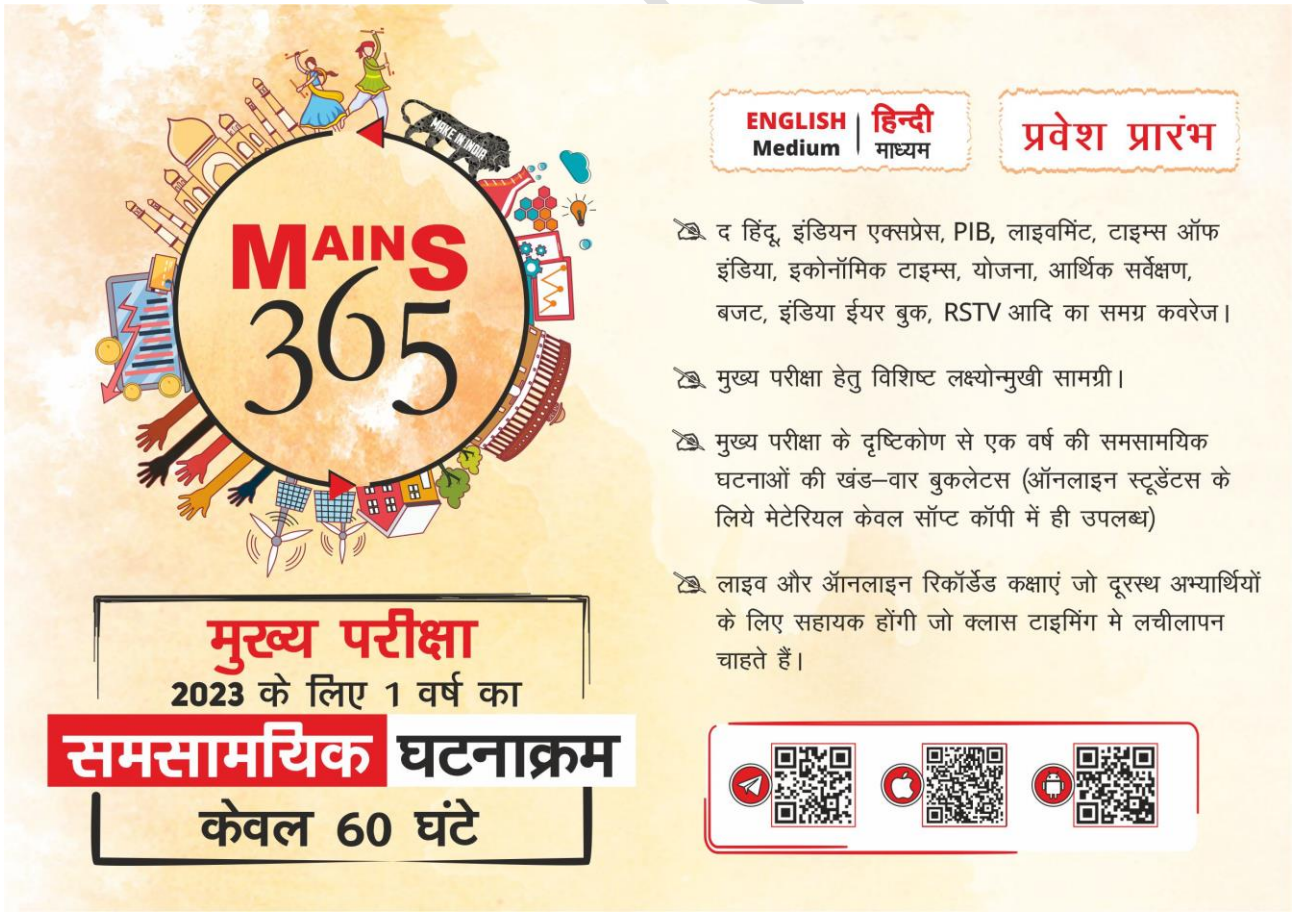

20. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (Ministry of Skill Development and Entrepreneurship)

20.1. प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana: PMKVY)

स्मरणीय तथ्य

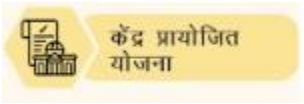

- **लक्ष्य:** युवाओं को रोजगारपरक बनाने के लिए अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने तथा कौशल प्रमाणन प्रदान करना।
- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **लाभार्थी:** स्कूल/कॉलेज छोड़ने वाले या बेरोजगार तथा पूर्व शिक्षण अनुभव अथवा कौशल वाले व्यक्ति।
- **फोकस: नए युग और उद्योग 4.0 (Industry 4.0) से संबंधित नौकरियों की भूमिकाओं के संदर्भ में** कौशल विकास को बढ़ावा देना।

अन्य उद्देश्य: उद्योग द्वारा डिजाइन किए गए गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने, रोजगार योग्य और अपनी आजीविका निर्वहन योग्य बनाने के लिए **बड़ी संख्या में युवाओं को सक्षम एवं संगठित करना।**

मुख्य विशेषताएं

<table>
<tr><td>प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 1.0</td><td>• इसमें निःशुल्क लघु अवधि कौशल प्रशिक्षण तथा कौशल प्रमाणन के लिए युवाओं को मौद्रिक पुरस्कार प्रदान करना शामिल है।
• इसके पायलट चरण के दौरान लगभग 19.85 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया था।</td></tr>
<tr><td>चरण 2: PMKVY 2.0 (2016-20) {Phase 2: PMKVY 2.0 (2016-20)}</td><td>• इसके दूसरे चरण को क्षेत्रक और भूगोल, दोनों के संदर्भ में वृद्धि करके प्रारंभ किया गया था।
• भारत सरकार के अन्य मिशनों, जैसे- मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, आदि के साथ इसे अधिक संरेखित किया गया था।
प्रमुख घटक
अल्पावधि प्रशिक्षण (Short Term Training: STT)
ऐसे उम्मीदवार जो या तो स्कूल/कॉलेज ड्रॉपआउट या बेरोजगार थे, उन्हें नौकरी की भूमिका के अनुसार (आमतौर पर 2-6 महीने के लिए) प्रशिक्षित किया गया था। अपने मूल्यांकन और प्रमाणन के सफल समापन पर, उम्मीदवारों को प्रशिक्षण भागीदारों (Training Partners: TPs) द्वारा प्लेसमेंट सहायता प्रदान की गई थी।
पूर्व शिक्षण मान्यता (Recognition of Prior Learning: RPL)
इस घटक के तहत पूर्व शिक्षण अनुभव या कौशल वाले व्यक्तियों का आकलन और मूल्यांकन किया जाता है। इसका उद्देश्य देश के असंगठित कार्यबल की दक्षताओं को राष्ट्रीय कौशल अर्हता फ्रेमवर्क (National Skills Qualifications Framework: NSQF) के अनुरूप संरेखित करना है। प्रशिक्षण/अभिमुखीकरण की अवधि 12-80 घंटे होती है।
विशेष परियोजनाएं
सरकारी निकायों, निगमों/उद्योग निकायों के विशेष क्षेत्रों और परिसरों में प्रशिक्षण एवं विशेष कार्य/ रोजगार भूमिकाओं में प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करने हेतु। इसमें ऐसे कार्य/ रोजगार भूमिकाएं शामिल हैं, जो उपलब्ध योग्यता पैक (QPs)/राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (NOSs) के तहत परिभाषित नहीं है।
• PMKVY 1.0 और PMKVY 2.0 के तहत देश में बेहतर मानकीकृत कौशल पारितंत्र के माध्यम से 1.2 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित/दिशा-निर्देशित किया गया है।
• जिलों में प्रधान मंत्री कौशल केंद्र (PMKKs) स्थापित किए गए हैं।
2 घटक
केंद्र प्रायोजित और केंद्र द्वारा प्रबंधित (CSCM):
• राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) द्वारा
केंद्र प्रायोजित और राज्य द्वारा प्रबंधित (CSSM):
• राज्य द्वारा कार्यान्वित</td></tr>
</table>

	कार्यान्वित। • PMKVY 2016-20 के फंड और लक्ष्यों का 75% कवर करता है • राज्य कौशल विकास मिशनों (SSDM) के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित। • PMKVY 2016-20 के फंड और लक्ष्यों का 75% कवर करता है।
PMKVY 3.0	• **उद्देश्य:** आठ लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करना • इसे जनवरी 2021 में लगभग 600 जिलों में शुरू किया गया था। • **कौशल विकास को अधिक मांग-संचालित और इसके दृष्टिकोण को विकेंद्रीकृत** बनाने में मदद मिली है। • **इसमें जिला कौशल समितियां (District Skill Committees: DSCs) महत्वपूर्ण भूमिका** निभाएंगी। • इसके तहत युवाओं के लिए 300 से ज्यादा कौशल पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं। • **इसमें नए युग और उद्योग 4.0 (Industry 4.0) से संबंधित नौकरियों की भूमिकाओं के संदर्भ में** कौशल विकास को बढ़ावा देना शामिल है।
PMKVY 4.0	• **इसके तहत अगले तीन वर्षों** में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की गई है। • **इसमें ऑन जॉब प्रशिक्षण, उद्योग साझेदारी** और उद्योग की जरूरतों के साथ पाठ्यक्रमों के संरेखन पर जोर दिया जाएगा। • इसमें **उद्योग 4.0 के लिए कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, मेक्ट्रोनिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), 3D प्रिंटिंग, ड्रोन और सॉफ्ट स्किल जैसे नए युग के पाठ्यक्रमों को** शामिल किया जाएगा।

20.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (National Apprenticeship Promotion Scheme: NAPS)

- **उद्देश्य:**
  - **शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और उन नियोक्ताओं को प्रोत्साहन** प्रदान करना, जो प्रशिक्षुओं को नियुक्त करना चाहते हैं।
  - 2020 तक प्रशिक्षुओं की संख्या को 2.3 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करना।
- **लाभार्थी:** स्नातक, तकनीशियन और व्यावसायिक/वोकेशनल तकनीशियन प्रशिक्षुओं के **अतिरिक्त** प्रशिक्षुओं की सभी श्रेणियां।
- **कार्यान्वयन:** प्रशिक्षण महानिदेशक (DGT) द्वारा।

वित्तीय सहायता	
प्रशिक्षुओं को नियुक्त करने वाले सभी नियोक्ताओं को **निर्धारित वजीफे के 25% (अधिकतम 1,500 रुपये प्रति माह प्रति प्रशिक्षु) की प्रतिपूर्ति** भारत सरकार द्वारा की जाएगी।	फ्रेशर प्रशिक्षुओं के संबंध में **बुनियादी प्रशिक्षण की लागत साझा** की जाएगी। यह लागत 500 घंटे/3 माह की अधिकतम अवधि के लिए **प्रति प्रशिक्षु 7,500 रुपये होगी।**

प्रधान मंत्री युवा योजना/ युवा उद्यमिता विकास अभियान (Pradhan Mantri Yuva Yojana/ Yuva Udyamita Vikas Abhiyan)

- **उद्देश्य:**
  - उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से **उद्यमिता के लिए सक्षम पारितंत्र का निर्माण करना;**
  - **उद्यमिता सहयोग नेटवर्क तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना,** और
  - समावेशी विकास के लिए **सामाजिक उद्यमों को बढ़ावा** देना।
- **लक्ष्य:** 3050 संस्थानों के माध्यम से 5 वर्षों (2020-21 तक) में **7 लाख से अधिक छात्रों को उद्यमिता शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना।**
- **अन्य उद्देश्य:**
  - व्यापक ओपन ऑन-लाइन पाठ्यक्रम (Massive Open Online Courses: MOOC) और अन्य ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से **संभावित एवं प्रारंभिक चरण के उद्यमियों को शिक्षित करना।**
  - **राष्ट्रीय उद्यमिता संसाधन और समन्वय केंद्र** स्थापित करके उद्यमिता हब (ई-हब) के माध्यम से उद्यमियों का सहयोग करना।
  - **समकक्ष परामर्शदाताओं के नेटवर्क** में उद्यमियों को जोड़ना।

आजीविका संवर्द्धन के लिए कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) {Skills Acquisition and Knowledge Awareness for Livelihood Promotion: SANKALP}

- **उद्देश्य: गुणात्मक एवं मात्रात्मक रूप से अल्पकालिक कौशल प्रशिक्षण में सुधार करना।** इसके लिए संस्थानों को मजबूत किया जाएगा, बेहतर बाजार संपर्क सुनिश्चित किया जाएगा और समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में शामिल किया जाएगा।

- **इसके तहत विश्व बैंक ऋण सहायता देगा।**

परिणाम के तीन प्रमुख क्षेत्र

- केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत सुदृढ़ीकरण
- कौशल विकास कार्यक्रमों में गुणवत्ता आश्वासन
- कौशल विकास कार्यक्रम में सीमांत आबादी को शामिल करना

औद्योगिक मूल्य संवर्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement: STRIVE)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **प्रकार**: यह **केंद्रीय क्षेत्रक की योजना** है।
- **उद्देश्य:** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) और प्रशिक्षुता के माध्यम से प्रदान किए जाने वाले **कौशल प्रशिक्षण की प्रासंगिकता/गुणवत्ता एवं दक्षता में सुधार करना।**

परिणाम के 4 क्षेत्र

- बेहतर और व्यापक शिक्षुता प्रशिक्षण
- बेहतर शिक्षण और अधिगम
- ITIs और शिक्षुता प्रशिक्षण का समर्थन करने के लिए राज्य सरकारों की क्षमता में वृद्धि
- ITIs का बेहतर प्रदर्शन

- यह एक **परिणाम केंद्रित योजना** है, जो व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में सरकार की कार्यान्वयन रणनीति में परिवर्तन को दर्शाती है।

जन शिक्षण संस्थान (Jan Shikshan Santhans: JSS)

- **उद्देश्य: ग्रामीण आबादी को आवश्यक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके आर्थिक रूप से सशक्त बनाना,** ताकि स्थानीय व्यवसाय के विकास को सक्षम बनाते हुए क्षेत्र के निवासियों के लिए नए अवसरों का सृजन किया जा सके।
- **लाभार्थी:**
  - गैर-साक्षर, नव-साक्षर,
  - प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर 8वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति
  - 15-45 वर्ष के आयु वर्ग में 12वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ने वाले व्यक्ति।
- इसे **केंद्र सरकार द्वारा 100% अनुदान के साथ गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।**
- **प्राथमिकता समूह:** महिलाएं, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, अल्पसंख्यक और समाज के अन्य पिछड़े वर्ग।
- इन्हें **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया गया है।** इन संस्थानों के मामलों का प्रबंधन केंद्र द्वारा अनुमोदित संबंधित प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाता है।

स्किल बिल्ड प्लेटफार्म (SkillsBuild Platform)

- **उद्देश्य:** स्किल बिल्ड प्लेटफार्म, आईबीएम (IBM), कोडडोर, कोर्पकादमी (Coorpacademy) तथा स्किल्सॉफ्ट (Skillsoft) जैसे भागीदारों से डिजिटल शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराता है।
- **यह IBM की वैश्विक प्रतिबद्धता का हिस्सा है जिसमें नौकरी हेतु तैयार कार्यबल का निर्माण** और नए कॉलर करियर के लिए आवश्यक अगली पीढ़ी के कौशल का निर्माण किया जाएगा।
- आईटी, नेटवर्किंग और क्लाउड कंप्यूटिंग में दो वर्षीय उन्नत डिप्लोमा को **IBM द्वारा सह-निर्मित और डिज़ाइन** किया गया है। इसे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (NSTI) में प्रारंभ किया जाएगा।
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में कौशल निर्माण पर **ITI और NSTI फैकल्टी को प्रशिक्षित** करने के लिए विस्तारित किया जाएगा।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप कार्यक्रम (Mahatma Gandhi National Fellowship Programme: MGNF)

- **उद्देश्य:** यह जिला स्तर पर कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन के साथ **जमीनी स्तर पर व्यावहारिक अनुभव के एक अंतर्निहित घटक के साथ दो वर्ष का एक शैक्षणिक कार्यक्रम है।**
- इन घटकों के पूर्ण होने पर, फेलोशिप अर्जित करने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक नीति और **प्रबंधन प्रमाण-पत्र** प्रदान किया जाएगा।
- **कार्यान्वयन भागीदार:** भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) बैंगलोर।

© Vision IAS

21. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (Ministry of Social Justice and Empowerment)

21.1. यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना {National Action Plan for Mechanized Sanitation Ecosystem (NAMASTE)}

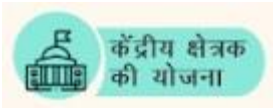

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **उद्देश्य:** मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना और सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा एवं सम्मान सुनिश्चित करना।
- **नोडल कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC)।
- **अवधि:** 2022-23 से 2025-26 तक।

अन्य उद्देश्य:

- यह सुनिश्चित करना कि भारत में स्वच्छता कार्य के कारण किसी की मृत्यु न हो।
- सभी स्वच्छता संबंधी कार्य **कुशल श्रमिकों** द्वारा ही किए जाएंगे।
- **कोई भी सफाई कर्मचारी सीधे मानव मल के संपर्क** में न आए।
- **स्वच्छता कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूहों में एकजुट करना** और **उन्हें स्वच्छता उद्यम चलाने का अधिकार प्रदान करना।**
- यह सुनिश्चित करना कि सभी सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों (SSWs) **की वैकल्पिक आजीविका तक पहुंच हो।**
- सुरक्षित स्वच्छता कार्य का प्रवर्तन और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और शहरी स्थानीय निकाय (ULB) स्तरों पर **पर्यवेक्षक एवं निगरानी प्रणाली को मजबूत करना।**
- स्वच्छता सेवा चाहने वालों (व्यक्तियों एवं संस्थानों) को पंजीकृत और कुशल सफाई कर्मचारियों की सेवाएं लेने के लिए **जागरूक करना।**

मुख्य विशेषताएं

<table>
<tr><td>कार्यक्रमों को आपस मे जोड़ना</td><td>
<table>
<tr><th>आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA)</th><th>पेयजल और स्वच्छता विभाग (DoDWS)</th><th>पंचायती राज मंत्रालय</th></tr>
<tr><td>• यह सुनिश्चित करता है कि राज्य, राष्ट्रीय कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करें।
• शहरी स्थानीय निकायों को अमृत और स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त होती है।</td><td>• स्वच्छ भारत मिशन- ग्रामीण (SBM-R) के तहत पंचायत राज संस्थानों (PRIs) को स्वच्छता सेवाओं के उन्नयन और मशीनीकृत सफाई के लिए आवश्यक उपकरण तथा प्रशिक्षित जनशक्ति की खरीद हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।</td><td>• PRIs के साथ समन्वय किया जाता है।
• इसके अंतर्गत एसआरयू की सेवाओं तक पहुंच स्थापित करने के लिए जोखिमपूर्ण सफाई और हेल्पलाइन से संबंधित अधिनियम एवं नियमों के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जाता है।</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>पात्र शहर</td><td>• इसमें छावनी बोर्डों (नागरिक क्षेत्रों) सहित अधिसूचित नगर पालिकाओं के साथ एक लाख से अधिक आबादी वाले सभी शहर और कस्बे शामिल हैं।
• राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (UTs) के सभी राजधानी शहर/कस्बें, जो 4(i) में शामिल नहीं हैं।
• पहाड़ी राज्यों, द्वीपों और पर्यटन स्थलों से 10 शहर शामिल हैं, लेकिन प्रत्येक राज्य से एक से अधिक शहर शामिल नहीं होंगे।</td></tr>
</table>

अमृत शहरों को शामिल करना	• नमस्ते (NAMASTE) के इस चरण के अंतर्गत अमृत शहरों को कवर करते हुए **500 शहरों को शामिल किया जाएगा।**
सीवर/सेप्टिक टैंक श्रमिकों (SSWs) की पहचान करना	• **शहर के नमस्ते (NAMASTE) प्रबंधक, ऐसे SSWs की पहचान करेंगे** जो **जोखिमपूर्ण सफाई कार्यों में लगे हुए हैं।** • **आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)** के तहत कवरेज प्रदान किया जाएगा। साथ ही, चिह्नित SSWs को **सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत पूंजी सब्सिडी, ब्याज अनुदान और आजीविका सहायता सुनिश्चित की जाएगी।**
स्थानीय निकायों के उत्तरदायित्व	**सीवरों एवं सेप्टिक टैंकों की जियो टैगिंग** कर उनका डेटाबेस तैयार करना **सीवर लाइनों का निवारक रख-रखाव करना,** ताकि आपातकालीन सफाई की आवश्यकता न पड़े शहर/कस्बे के लिए सबसे उपयुक्त **तकनीकी समाधान की पहचान करना**
सीवर रहित क्षेत्र	**सेप्टिक टैंक** वाले क्षेत्रों में **मल कीचड़ प्रबंधन संयंत्र** सहित एक **सेप्टेज प्रबंधन प्रणाली** स्थापित की जाएगी। **स्थानीय प्राधिकरण सेप्टिक टैंक के डिजाइन का मानकीकरण करेगा** और यह सुनिश्चित करेगा कि इसे अपनाया जाए।
कानून में संशोधन	• हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 में रोकथाम हेतु संशोधन की सिफारिशें करना।

कार्यान्वयन निकाय	**उत्तरदायी स्वच्छता प्राधिकरण (RSA)**	**स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाई (SRU)**	**निजी स्वच्छता सेवा संगठन (PSSOs)**
	अध्यक्षता: जिलाधीश या उसके द्वारा नामित एक अधिकारी जो उप-संभागीय दंडाधिकारी के पद से नीचे का न हो।	**गठन:** RSA द्वारा।	**यंत्रीकृत सफाई:** PSSOs द्वारा केवल प्रशिक्षित और प्रमाणित कर्मियों को ही नियुक्त किया जाएगा और आवश्यक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। **मैनुअल सफाई:** PSSOs मैनुअल सफाई के लिए सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवाएंगे।
	कार्य: स्वच्छता प्रतिक्रिया इकाइयों (SRUs) के लिए कानूनी प्राधिकरण। निजी स्वच्छता सेवा संगठनों (PSSOs) को लाइसेंस जारी करना। SRUs के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं के प्रचार के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) अभियान।	**कार्य:** **प्रत्येक SRU** में आपातकालीन अवरोधों के प्रबंधन के लिए **लाइसेंस प्राप्त PSSOs तथा पर्याप्त मशीनरी और प्रशिक्षित सीवर एंट्री प्रोफेशनल्स (SEPs)** का एक पैनल होगा। **24X7 हेल्पलाइन नंबर:** शिकायत दर्ज कराने के लिए।	
	क्षेत्राधिकार: जिलों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र।	**क्षेत्राधिकार:** प्रमुख नगरपालिका।	

नमस्ते प्रबंधन इकाई (NMU)	• **राष्ट्रीय नमस्ते प्रबंधन इकाई (NNMU)** ○ **प्रमुख:** NSKFDC की तकनीकी सहायता इकाई (TSU) का प्रबंध निदेशक, IT पेशेवर, IEC विशेषज्ञ, बैंकिंग विशेषज्ञ आदि की एक टीम। • **राज्य नमस्ते प्रबंधन इकाई (SNMU)** ○ **प्रमुख:** राज्य नमस्ते निदेशक, जिसे राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसे कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (PMU) संसाधन (राज्य नमस्ते प्रबंधक) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। • **सिटी नमस्ते मॉनिटरिंग यूनिट (CNMU)** ○ **प्रमुख:** नमस्ते शहर के नोडल अधिकारी को संबंधित शहरी स्थानीय निकाय (ULB) द्वारा नामित किया जाएगा। इसे PMU संसाधन (शहर नमस्ते प्रबंधक) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
IEC अभियान	• **शहरी स्थानीय निकाय (ULBs) और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC)** द्वारा चलाया गया अभियान है। इसमें सोशल मीडिया का अधिकतम उपयोग किया जाएगा।

© Vision IAS

21.2. आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के लिए सहायता (स्माइल) {Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise: SMILE}

स्मरणीय तथ्य

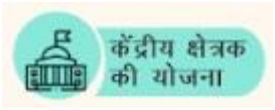

- **प्रकार: यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।**
- **लक्ष्य: अभावग्रस्तता और भिक्षावृत्ति की** स्थायी **समस्या का समाधान करना।**
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) में बनाए गए राष्ट्रीय समन्वयक।
- **अवधि:** 2021-22 से 2025-26 तक

अन्य उद्देश्य: ट्रांसजेंडर समुदाय और भिक्षावृत्ति के कार्य में संलग्न लोगों का कल्याण और पुनर्वास करना। साथ ही स्थानों को भिक्षावृत्ति संबंधी गतिविधियों से मुक्त बनाना।

मुख्य विशेषताएं

<table>
<tr><td>अम्ब्रेला स्कीम</td><td>• इसके तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भिक्षुकों, दोनों के लिए पुनर्वास, परामर्श, शिक्षा, कौशल विकास आदि प्रदान किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>दो उप-योजनाएं</td><td>• ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय योजना
• भिक्षावृत्ति के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास की केंद्रीय योजना</td></tr>
<tr><td>ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास</td><td>• ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद नीतियों के निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन आदि के संबंध में परामर्श प्रदान करती है।
सुरक्षा
• प्रत्येक जिले में जिला मजिस्ट्रेट के प्रभार में एक ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन करना।
• पुलिस महानिदेशक के अधीन एक राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ का गठन करना।
स्वास्थ्य
• आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के साथ सम्मिलन में समग्र चिकित्सा स्वास्थ्य पैकेज।
• इस पैकेज के द्वारा चयनित अस्पतालों के माध्यम से लिंग-पुष्टिकरण सर्जरी की सुविधा प्रदान की जाएगी।
शिक्षा
• इसके तहत नौवीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे ट्रांसजेंडर छात्रों को स्नातकोत्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
रोजगार
• पीएम-दक्ष योजना के तहत कौशल विकास और आजीविका (हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के कौशल के लिए योजना)।
• राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और क्षेत्र कौशल परिषदों (SSC) द्वारा पाठ्यक्रम।
• भारतीय उद्यमशीलता संस्थान (IIE) और राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD) द्वारा प्रशिक्षण।
आवास
• गरिमा गृह- जहां भोजन, वस्त्र, मनोरंजन सुविधाएं, कौशल विकास आदि सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
अन्य प्रावधान
• ई-सेवाएं (राष्ट्रीय पोर्टल और हेल्पलाइन एवं विज्ञापन)।
• ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए संवेदनशीलता और जागरूकता का निर्माण करना।
• नोट: समग्र शिक्षा योजना विशेष रूप से ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने का संकेत नहीं देती है। यह योजना ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा को संबोधित करने की आवश्यकता पर केंद्रित है क्योंकि ऐसे बच्चे कलंक (Stigma) और भेदभाव का सामना करते हैं।</td></tr>
<tr><td>भिक्षावृत्ति के कार्य में संलग्न व्यक्तियों का व्यापक पुनर्वास</td><td>
<table>
<tr><td>अभावग्रस्तता और भिक्षावृत्ति के कारणों को संबोधित करना।</td><td>भिक्षावृत्ति के कार्य में संलग्न व्यक्तियों को लामबंद करना।</td><td>उनके लिए आवास, पुनर्वास, स्वच्छता, भोजन, वस्त्र आदि जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करना।</td><td>भिक्षावृत्ति के कार्य में संलग्न व्यक्तियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना।</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

21.3. लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना (श्रेष्ठ) {Scheme for Residential Education for Students in High schools in Targeted Areas (SHRESTHA)}

स्मरणीय तथ्य

- **उद्देश्य:** देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जाति के मेधावी छात्र-छात्राओं को सीटें उपलब्ध कराना।
- **लाभार्थी:** इसके तहत **8वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले** अनुसूचित जाति के छात्रों को **9वीं से 12वीं** तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
- **पात्रता:** छात्रों के माता-पिता की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक होनी चाहिए।
- **अवधि:** 2022-23 से 2025-26 तक

अन्य उद्देश्य: अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना और सरकार की विकास संबंधी पहल की पहुंच को बढ़ावा देना।

मुख्य विशेषताएं

<table>
<tr><td>लाभ</td><td>• कक्षा 9वीं और 11वीं में प्रवेश के लिए प्रत्येक वर्ष लगभग 3,000 सीटें प्रदान की जाती हैं।
• स्कूल की फीस और आवासीय शुल्क का संपूर्ण खर्च मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>बच्चों को वरीयता</td><td>• जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 1,00,000 रुपये से कम है।
• जो बच्चे शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं।</td></tr>
<tr><td>2 मोड में कार्यान्वयन</td><td>• मोड 1: CBSE के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालय
• मोड 2: गैर-सरकारी संगठन (NGO) द्वारा संचालित विद्यालय</td></tr>
<tr><td>मोड 1: CBSE के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालय</td><td>
<table>
<tr><th>कार्यान्वयन</th><th>चयनित छात्रों के लिए प्रावधान</th><th>विद्यालयों के लिए पात्रता</th><th>छात्रवृत्ति का वितरण</th></tr>
<tr><td>• कार्यान्वयन एजेंसी: जिला प्रशासन
• छात्रों का चयन: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा आयोजित SHRESHTA के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा (NETS) के द्वारा किया जाएगा</td><td>• चयनित छात्रों को सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाता है।
• दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट विषयों को शामिल करते हुए स्कूल द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एक ब्रिज कोर्स आयोजित किया जा सकता है।</td><td>• विद्यालय की स्थापना कम-से-कम 5 वर्ष पूर्व हुई हो।
• पिछले 3 वर्षों से 10वीं और 12वीं बोर्ड का परिणाम 75% से अधिक रहा हो।

कक्षा 9वीं और 11वीं में अतिरिक्त अनुसूचित जाति के छात्रों को प्रवेश देने के लिए पर्याप्त अवसंरचना मौजूद हो।</td><td>• मंत्रालय के 'ई-अनुदान पोर्टल' का उपयोग करते हुए ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से छात्रवृत्ति को सीधे स्कूल के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>मोड 2: गैर-सरकारी संगठन (NGO)/स्वयंसेवी संगठन/अन्य संगठन द्वारा संचालित विद्यालय</td><td>
<table>
<tr><td>पात्रता: संगठन को गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा में एक पंजीकृत गैर-लाभकारी कार्यरत संगठन होना चाहिए। इसके साथ ही, उसकी अपनी वेबसाइट होनी चाहिए।</td><td>संगठन के बैंक खाते में सीधे इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के माध्यम से फंड जमा किया जाता है।</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

21.4. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/ Miscellaneous Initiatives)

सुगम्य भारत अभियान {Sugamya Bharat Abhiyan/ Accessible India Campaign (AIC)}

- **उद्देश्य: दिव्यांग व्यक्तियों (PWDs) के लिए सार्वभौमिक पहुंच** प्राप्त करना।
- **लक्ष्य:**
  - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) एवं सभी राज्य की राजधानियों की 50% सरकारी इमारतों को पूर्णतः सुगम्य इमारतों में बदलना।

- राज्यों के 10 महत्वपूर्ण शहरों में 50% सरकारी इमारतों की सुगम्यता की जांच करना
- सभी सरकारी (केंद्रीय और राज्य सरकारों दोनों) वेबसाइटों में से 50% वेबसाइटों की सुगम्यता की जांच करना
- सरकारी स्वामित्व वाले 25% सार्वजनिक परिवहन को पूर्ण रूप से सुगम्य बनाना
- देश के 50% रेलवे स्टेशनों को पूर्ण रूप से सुगम्य बनाना

तीन स्तंभ		
सुगम्य भौतिक वातावरण तैयार करना	सुगम्य परिवहन प्रणाली का निर्माण करना	सुगम्य सूचना एवं संचार पारितंत्र विकसित करना

- **सुगम्य भारत ऐप:** यह एक क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लिकेशन है।
  - यह सुगम्य भारत अभियान के 3 स्तंभों के प्रति संवेदनशील बनाने और इन तक पहुंच बढ़ाने का एक साधन है।
- **एक्सेस- द फोटो डाइजेस्ट:** इस पुस्तिका की परिकल्पना, एक उपकरण और मार्गदर्शक के रूप में की गई है। यह सुगमता को सुनिश्चित करने वाली 10 मूलभूत विशेषताओं और संबंधित अच्छे-बुरे व्यवहारों के बारे में हितधारकों को संवेदनशील बनाती है। सरलतापूर्वक समझ प्रदान करने के लिए इन विशेषताओं को चित्रात्मक रूप में प्रतिबिंबित किया गया है।

योजना के तहत अन्य पहलें

- दिव्यांग व्यक्तियों (Pwd) के लिए अपने कार्यस्थल को तैयार करने में उद्योगों के प्रयासों का आकलन करने के लिए **समावेशिता और सुगम्यता सूचकांक** लाया गया है।
- **कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) द्वारा सुगम्य अवसंरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है।**
- दृष्टिबाधित दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन लाइब्रेरी **"सुगम्य पुस्तकालय"** का शुभारंभ किया गया है।
- **दिव्यांग सारथी मोबाइल ऐप** द्वारा दिव्यांगजनों को नियमों, अधिनियमों आदि की जानकारी तक आसान पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है

स्वच्छता उद्यमी योजना (Swachhta Udyami Yojana)

- **उद्देश्य:** स्वच्छता तथा सफाई कर्मचारियों एवं मुक्त कराए गए मैनुअल स्केवेंजर्स (हाथ से मैला ढ़ोने वाले लोगों) को आजीविका प्रदान करना।
- **वित्तीय सहायता:**
  - सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मोड में भुगतान और उपयोग आधारित सामुदायिक शौचालयों के **निर्माण, संचालन और रखरखाव** हेतु
  - **स्वच्छता से संबंधित वाहनों की खरीद एवं संचालन हेतु**
  - सफाई कर्मचारी और चिन्हित मैनुअल स्केवेंजर्स के बीच में से निकलने वाले उद्यमी प्रति वर्ष **4%** ब्याज की रियायती दर पर परिभाषित सीमा तक ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
    - महिला लाभार्थियों के मामले में ब्याज दर में **1%** की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी।
- **कार्यान्वयन एजेंसी: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (NSKFDC)**
- **इसे 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था।**

हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों (मैनुअल स्केवेंजर्स) के पुनर्वास हेतु स्व-रोजगार योजना (Self Employment Scheme for the Rehabilitation of Manual Scavengers: SRMS)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **उद्देश्य:** वैकल्पिक व्यवसायों में पुनर्वास हेतु, विभिन्न सर्वेक्षणों के दौरान चिन्हित मैनुअल स्केवेंजर्स की सहायता करना।
- **प्रकार: यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।**
- **लाभार्थी:** चिन्हित मैनुअल स्कैवेंजर्स के प्रत्येक परिवार का एक सदस्य

वित्तीय सहायता			
एक-मुश्त **नकद सहायता**	परियोजना लागत के लिए **रियायती दरों** पर ऋण	क्रेडिट लिंक्ड बैक-एंड **कैपिटल सब्सिडी**	स्टाइपेंड के साथ दो वर्ष तक का **कौशल विकास प्रशिक्षण**

राष्ट्रीय वयोश्री योजना (Rashtriya Vayoshri Yojana)

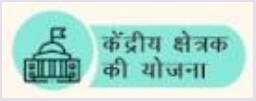

- **उद्देश्य:** वरिष्ठ नागरिकों की उनकी **आयु से संबंधित शारीरिक दुर्बलताओं को दूर** करने तथा देखभाल करने वाले एवं परिवार के अन्य सदस्यों पर उनकी निर्भरता को न्यूनतम करके एक गरिमापूर्ण और उत्पादक जीवन जीने में उनकी सहायता करना।
- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **लाभार्थी:** इसके लाभार्थियों को राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चिन्हित किया जाता है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** इस योजना को **भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (Artificial Limbs Manufacturing Corporation: ALIMCO)** के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत संचालित एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो इस योजना की एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी है।
- **मुख्य विशेषताएं:**
  - इसके अंतर्गत BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए **भौतिक सहायता और सहायक-जीवन यापन के लिए आवश्यक उपकरण** प्रदान किए जाते हैं। जैसे- निम्न दृष्टि, सुनने में कठिनाई आदि।
  - एक ही व्यक्ति में एक से अधिक दिव्यांगता/ दुर्बलता के मामले में **प्रत्येक दिव्यांगता/ अशक्तता के लिए सहायक उपकरण प्रदान करना।**
  - प्रत्येक जिले में **30% लाभार्थी** महिलाएं होंगी।
  - **भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (ALIMCO)** द्वारा बुजुर्गों को दिए जाने वाले जीवन यापन हेतु आवश्यक उपकरणों की एक वर्ष तक निःशुल्क देखरेख की जाएगी।

प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana: PMAGY)

- **उद्देश्य:** वर्ष 2024-25 तक ऐसे गांव जिनकी जनसंख्या 500 या इससे अधिक है और 50% से अधिक अनुसूचित जातियों की आबादी विद्यमान है, उन सभी गांवों को "आदर्श ग्राम" के रूप में परिवर्तित कर एकीकृत विकास सुनिश्चित किया जाएगा।
- **आदर्श ग्राम के लक्ष्य**
  - सभी आवश्यक **भौतिक और सामाजिक आधारभूत संरचनाओं का होना।**
  - सामान्य सामाजिक आर्थिक संकेतकों (जैसे साक्षरता दर, IMR/MMR, लाभप्रद संपत्तियों का स्वामित्व इत्यादि) के संदर्भ में **अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जाति की जनसंख्या के बीच असमानता समाप्त करना।**
  - अनुसूचित जाति के विरुद्ध **अस्पृश्यता, भेदभाव,** पृथक्करण और अत्याचार का **उन्मूलन करना तथा अन्य सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना।**
- **वित्तीय सहायता:** प्रत्येक गांव के लिए **21 लाख** रुपए।
  - 20 लाख रुपए **'गैप-फिलिंग' घटक** के लिए हैं।
  - 1 लाख रुपए **1:1:1:2 के अनुपात में केंद्र, राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर 'प्रशासनिक व्यय'** के लिए हैं।

घटक
- भौतिक अवसंरचना
- स्वच्छता और पर्यावरण
- सामाजिक अवसंरचना
- मानव विकास
- सामाजिक सद्भाव और आजीविका

मादक पदार्थों की मांग में कटौती हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना (वर्ष 2018-2023) {National Action Plan for Drug Demand Reduction (2018-2023)}

- **उद्देश्य:** इसका उद्देश्य एक **बहुआयामी रणनीति** का नियोजन करना है जैसे:
  - **निवारक शिक्षा,** जागरूकता प्रसार, परामर्श, नशामुक्ति, उपचार और प्रभावित व्यक्तियों और उनके परिवारों का पुनर्वास।
  - केंद्र, राज्य और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से **सेवा प्रदाताओं का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।**
- **अवधि: 2018-2023 तक**
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान, नई दिल्ली (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त निकाय)।

© Vision IAS

- **प्रशासनिक तंत्र**
  - शामक, दर्द निवारक आदि दवाओं की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समन्वय करना और साइबर सेल द्वारा कड़ी निगरानी द्वारा दवाओं की ऑनलाइन बिक्री की जांच करना।
  - **बहु मंत्रिस्तरीय संचालन समिति-**
    - सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा मंत्रालय) और कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय।
- **प्रारंभ की गई पहलें**
  - शैक्षिक संस्थानों, कार्यस्थलों आदि पर **जागरूकता सृजन कार्यक्रम शुरू करना**।
  - **स्थानीय निकायों और अन्य स्थानीय समूहों** जैसे महिला मंडलों, स्वयं सहायता समूहों आदि को शामिल करके मादक पदार्थों की मांग में कमी करना।
  - विभिन्न श्रेणियों और आयु समूहों के व्यसनियों के **पुन: उपचार, चल रहे उपचार और उपचार के बाद** के मॉड्यूल।

दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (Deendayal Disabled Rehabilitation Scheme: DDRS)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

उद्देश्य:

- **दिव्यांग जनों (PWDs) के लिए समान अवसर, समानता, सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण** सुनुश्चित करने के लिए एक सक्षम परिवेश सृजित करना।
- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016** का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए **स्वैच्छिक कार्य को बढ़ावा** देना।

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **कार्यान्वयन:** दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग
- **वित्तीय सहायता: विभिन्न सेवाओं के वितरण की सुविधा हेतु** स्वयंसेवी संगठनों के NGOs को सहायता अनुदान दिया जा रहा है।
- माता-पिता/अभिभावकों और **स्वैच्छिक संगठनों को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।**

वयोवृद्ध लोगों के लिए एकीकृत कार्यक्रम (Integrated programme for Older Persons)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **उद्देश्य: वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना।**
- आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करके
  - सरकारी/गैर सरकारी संगठनों (NGO)/पंचायती राज संस्थानों (PRI)/स्थानीय निकायों और समग्र रूप से समुदाय की क्षमता निर्माण हेतु सहायता प्रदान करके **लाभप्रद और सक्रिय वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करना**।
- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक **योजना** है।

समावेशी भारत पहल (Inclusive India Initiative)

- **उद्देश्य:** बौद्धिक और विकासात्मक अक्षमता से ग्रस्त व्यक्तियों को मुख्यधारा में तथा सामाजिक जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं यथा शिक्षा, रोजगार और समुदाय में शामिल करना।
- समावेशी भारत पहल के **तीन मुख्य क्षेत्र** हैं:
  - समावेशी शिक्षा,
  - समावेशी रोजगार
  - समावेशी सामुदायिक जीवन
- **नोडल एजेंसी: राष्ट्रीय न्यास,** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है। इसे "ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, बौद्धिक निःशक्तता और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय ट्रस्ट" अधिनियम (1999) के तहत स्थापित किया गया है।

अंतरजातीय विवाह के माध्यम से सामाजिक एकीकरण हेतु डॉ. अंबेडकर योजना (Dr. Ambedkar scheme for Social integration through Inter Caste Marriages)

- **उद्देश्य:** नवविवाहित जोड़े द्वारा किए गए अंतरजातीय विवाह के सामाजिक रूप से साहसिक कदम की सराहना करना और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।

- **वित्तीय सहायता:**
  - प्रत्येक दंपति को 2.5 लाख रुपए प्राप्त होते हैं, जिनमें से 1.5 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया जाता है।
  - शेष राशि को सावधि जमा के रूप में रखा जाता है और तीन वर्ष के बाद दंपति को जारी किया जाता है।
- **लाभार्थी:** लाभार्थी दंपति में से, पति/पत्नी में से एक अनुसूचित जाति से और दूसरा गैर-अनुसूचित जाति से होना चाहिए।
- ऐसे जोड़ों को प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति प्रदान करना **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन के अध्यक्ष का विवेकाधिकार** होगा।
- किसी राज्य में **योजना का लाभ प्राप्त करने वाले जोड़ों की संख्या,** 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या पर निर्भर करती है।

वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (Varishtha Pension Bima Yojana)

- **उद्देश्य:** यह योजना **वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान** करती है। साथ ही, वरिष्ठ नागरिकों को अनिश्चित बाजार स्थितियों के कारण भविष्य में उनकी ब्याज आय में गिरावट से बचाती है।
- इसे **भारतीय जीवन बीमा निगम** के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।
- **वित्तीय सहायता:** इस योजना के तहत 10 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की रिटर्न की गारंटी दर पर एक निश्चित पेंशन प्रदान की जाती है। लाभार्थी मासिक/त्रैमासिक/अर्ध-वार्षिक और वार्षिक आधार पर पेंशन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकते हैं।

अद्वितीय अक्षमता पहचान पत्र (UDID) परियोजना {Unique Disability Identification (UDID) Project}

- **उद्देश्य**: दिव्यांग जनों के लिए उनकी पहचान और अक्षमता विवरण के साथ **यूनिवर्सल आईडी (पहचान पत्र) और अक्षमता प्रमाणपत्र** जारी करने के लिए एक समग्र एंड-टू-एंड एकीकृत प्रणाली का निर्माण करना।
- **दिव्यांग जनों (PwDs) के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस** का निर्माण करने के लिए इसे कार्यान्वित किया जा रहा है।
- यह दिव्यांग जनों को विभिन्न मंत्रालयों और उनके विभागों के माध्यम से **सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं और प्रोत्साहनों** का लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाती है।
- यह कार्ड **पूरे भारत में** मान्य होगा।

वयो नमन कार्यक्रम

- इस कार्यक्रम का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस (1 अक्टूबर) के अवसर पर **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय** ने किया था।
- इस अवसर पर **निम्नलिखित पहलें आरंभ की गईं हैं:**
  - वृद्धजनों की सहायता के लिए **14567** नामक एक विशेष **हेल्पलाइन नंबर।**
  - वृद्धजनों की देखभाल के क्षेत्र में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए **सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE) पोर्टल।**
  - वरिष्ठ नागरिकों को निजी क्षेत्र में नौकरी प्रदाताओं से जोड़ने हेतु **सक्षम वरिष्ठ नागरिक को आत्म-सम्मान के साथ पुन: रोजगार प्रदान करने के लिए पोर्टल (SACRED)।**

सक्षम वरिष्ठ नागरिक को आत्म-सम्मान के साथ पुन: रोजगार प्रदान करने के लिए पोर्टल (SACRED)

- **उद्देश्य: यह रोजगार प्रदान करने वालों और रोजगार चाहने वालों, दोनों को एक साथ लाएगा।** इससे **वरिष्ठ नागरिकों** को उभरती कार्यस्थल मांगों के लिए स्वयं को पंजीकृत करने में मदद मिलेगी।
- यह **रोजगार बाजार** के रूप में कार्य करता है।

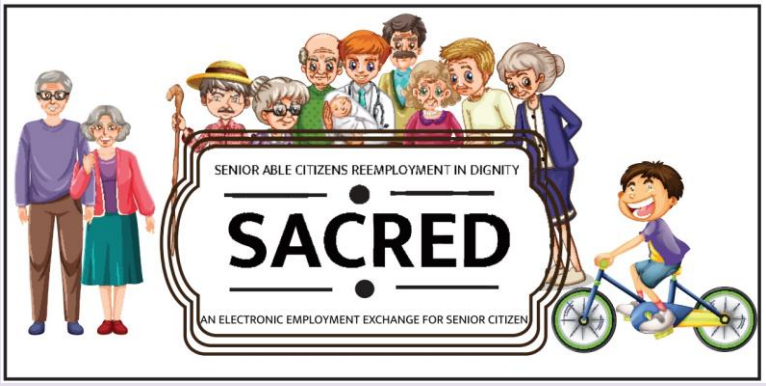

प्रधान मंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही (पीएम-दक्ष) योजना

- **उद्देश्य:** 18-45 वर्ष के बीच की आयु से संबंधित युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना।
- इस योजना में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग/गैर-अधिसूचित जनजाति और कूड़ा बीनने वालों सहित सफाई कर्मचारियों को शामिल किया गया है।
- **यह हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों के कौशल विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना** का हिस्सा है।
- इसके तहत प्रशिक्षुओं को **निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है,** जिसके लिए सरकार द्वारा 100% अनुदान दिया जाता है।

© Vision IAS

- प्रशिक्षित उम्मीदवारों को **मूल्यांकन और प्रमाणन के बाद नियुक्ति** प्रदान की जाती है।

इसके अंतर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के 4 प्रकार शामिल हैं:

- अप-स्किलिंग/ री-स्किलिंग
- अल्पकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
- दीर्घकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम
- उद्यमिता विकास कार्यक्रम

वेतन/वृत्ति (Stipend)	मजदूरी मुआवजा	कार्यान्वयन निकाय
• अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रशिक्षण में **80% और उससे अधिक उपस्थिति** वाले प्रशिक्षुओं के लिए प्रति प्रशिक्षु 1,000/- से 1,500/- रुपये प्रति माह वेतन/वृत्ति।	• **रीस्किलिंग/अप-स्किलिंग में 80% और उससे अधिक उपस्थिति वाले प्रशिक्षुओं के लिए** वेतन मुआवजा @ 3000/- रुपये प्रति प्रशिक्षु (2500/- रुपये पीएम-दक्ष के अनुसार और रु. 500/- सामान्य लागत मानदंड के अनुसार)	• राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम • राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम • राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम

न्यूज़ टुडे

- 4 पृष्ठों में कवर किया जाने वाला दैनिक समसामयिकी समाचार बुलेटिन।
- सुर्खियों के प्राथमिक स्रोत: द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी (PIB)। अन्य स्रोतों में शामिल हैं. न्यूज ऑन एयर, द मिंट, इकोनॉमिक टाइम्स आदि।
- इसका उद्देश्य प्रचलित विभिन्न घटनाओं के बारे में जानने के लिए प्राथमिक स्तर की जानकारी प्रदान करना है।
- इसमें दो प्रकार के दृष्टिकोणों को शामिल किया गया है यथा:
    - दिवसीय प्राथमिक सुर्खियों – 180 से कम शब्दों में दिन की मुख्य सुर्खियों को शामिल किया गया है।
    - अन्य सुर्खियाँ– ये मूल रूप से समाचारों में आने वाली एक पंक्ति की जानकारियाँ हैं। यहां शब्द सीमा 80 शब्द है।
- यह अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यमों में उपलब्ध है। हिंदी ऑडियो, विजन आईएएस हिंदी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है।

22. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation)

22.1. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (Members of Parliament Local Area Development Scheme: MPLADS)

स्मरणीय तथ्य

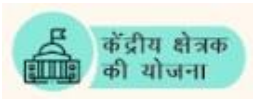

- **प्रकार: यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।**
- **लक्ष्य: विकास में असमानता के मुद्दे का समाधान करना।**
- **निधि: प्रत्येक सांसद** के पास अपने निर्वाचन क्षेत्र में **वार्षिक सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) अव्यपगत निधि** पात्रता **5 करोड़ रुपये** निर्धारित की गई है।
- **निधि जारी करना:** अपेक्षित दस्तावेज प्राप्त होने पर **सीधे जिला प्राधिकारियों को सहायता अनुदान के रूप में निधि जारी की जाती है।**

अन्य उद्देश्य: संसद सदस्यों को स्थानीय स्तर पर अनुभव की जाने वाली आवश्यकताओं के आधार पर स्थायी सामुदायिक संपत्तियों जैसे पेयजल, स्वच्छता आदि के निर्माण के लिए कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना।

मुख्य विशेषताएं

<table>
<tr><td>अनुशंसित किए जाने वाले कार्य</td><td>
<table>
<tr><th>MPs (सांसद)</th><th>सिफारिश कर सकते हैं</th></tr>
<tr><td>लोक सभा के सदस्य (LS)</td><td>उनके निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर</td></tr>
<tr><td>राज्य सभा (RS) के निर्वाचित सदस्य</td><td>निर्वाचित होने वाले राज्य के भीतर न (चुनिंदा अपवादों के साथ)</td></tr>
<tr><td colspan="2">एक निर्वाचित सांसद अधिकतम 25 लाख रुपये तक के प्रासंगिक कार्यों हेतु उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के बाहर या राज्य के भीतर निर्वाचन क्षेत्र के बाहर (या दोनों) के लिए MPLADS निधि से अंशदान कर सकता है।</td></tr>
<tr><td>लोक सभा और राज्य सभा के मनोनीत सदस्य</td><td>देश में कहीं भी काम कर सकते हैं।</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>अनुसूचित जातियों (SCs)/अनुसूचित जनजातियों (STs) के लिए विशेष प्रावधान</td><td>

सांसदों को प्रत्येक वर्ष अधिकृत MPLADS राशि का कम-से-कम 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति द्वारा अधिवासित क्षेत्रों में और 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (ST) द्वारा अधिवासित क्षेत्रों के लिए व्यय करने की संस्तुति करनी होती है।
अनुसूचित जनजाति (STs) आबादी वाले क्षेत्रों में एक वर्ष की अवधि के लिए, MPLADS/एमपीलैड्स के तहत निर्धारित राशि की कम-से-कम 7.5% राशि की सिफारिश की जानी चाहिए।

<table>
<tr><th colspan="2">यदि लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में जनजातीय आबादी कम है।</th></tr>
<tr><td>निर्वाचित सांसद निर्वाचन क्षेत्र के बाहर लेकिन निर्वाचन वाले राज्य के भीतर जनजातीय क्षेत्रों के लिए काम की सिफारिश कर सकते हैं।</td><td>यदि किसी राज्य में अनुसूचित जनजातियों का निवास क्षेत्र नहीं हैं, तो इस राशि का उपयोग अनुसूचित जातियों के निवास क्षेत्रों में तथा यदि किसी राज्य में अनुसूचित जातियों के निवास क्षेत्र नहीं हैं, तो इस राशि का उपयोग अनुसूचित जनजातियों के निवास क्षेत्रों में किया जा सकता है।</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>"देश के किसी भी हिस्से में "गंभीर प्रकृतिक आपदा"</td><td>

एक सांसद आपदा प्रभावित जिले के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक के कार्यों की सिफारिश कर सकता है।
भारत सरकार द्वारा यह निर्धारित किया जाएगा कि आपदा गंभीर प्रकृति की है या नहीं।

</td></tr>
<tr><td>संशोधित प्रावधान</td><td>

संशोधित प्रावधान इस योजना के दायरे को बढाते हैं।
निधि प्रवाह में वास्तविक समय की निगरानी, अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक

</td></tr>
</table>

	नया वेब-पोर्टल लॉन्च किया गया है। **संशोधित प्रावधान** • सांसदों के लिए नई परियोजनाओं की सिफारिश करने से पहले निधि के जारी होने का इंतजार करना अनिवार्य नहीं है। • सांसदों को कुछ शर्तों के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में वार्षिक आहरण सीमा आवंटित की जाएगी। • कार्यान्वयन प्राधिकरणों द्वारा भुगतान किए जाने के बाद, **वास्तविक निधि अब सीधे वेंडर को प्रवाहित होगी।**

22.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

सांख्यिकी शक्तिकरण सहयोग (Support for Statistical Strengthening: SSS) योजना

- **उद्देश्य:** विश्वसनीय आधिकारिक आंकड़ों को एकत्र करने, संकलित करने और प्रसारित करने के लिए **राज्य सांख्यिकीय प्रणालियों की सांख्यिकीय क्षमता और संचालन में सुधार करना।**
- यह राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को **काफी महत्व की सांख्यिकीय गतिविधियों** को करने में सक्षम बनाती है जिसके लिए राज्य का वित्त पोषण उपलब्ध नहीं है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करती है कि केंद्र द्वारा महत्वपूर्ण मानी जाने वाली सांख्यिकीय गतिविधियों को भी मजबूत किया जाए।
- **कार्यान्वयन:** अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय **के माध्यम से** किया जाता है।
- यह **क्षमता विकास योजना** के तहत एक उप-योजना है।

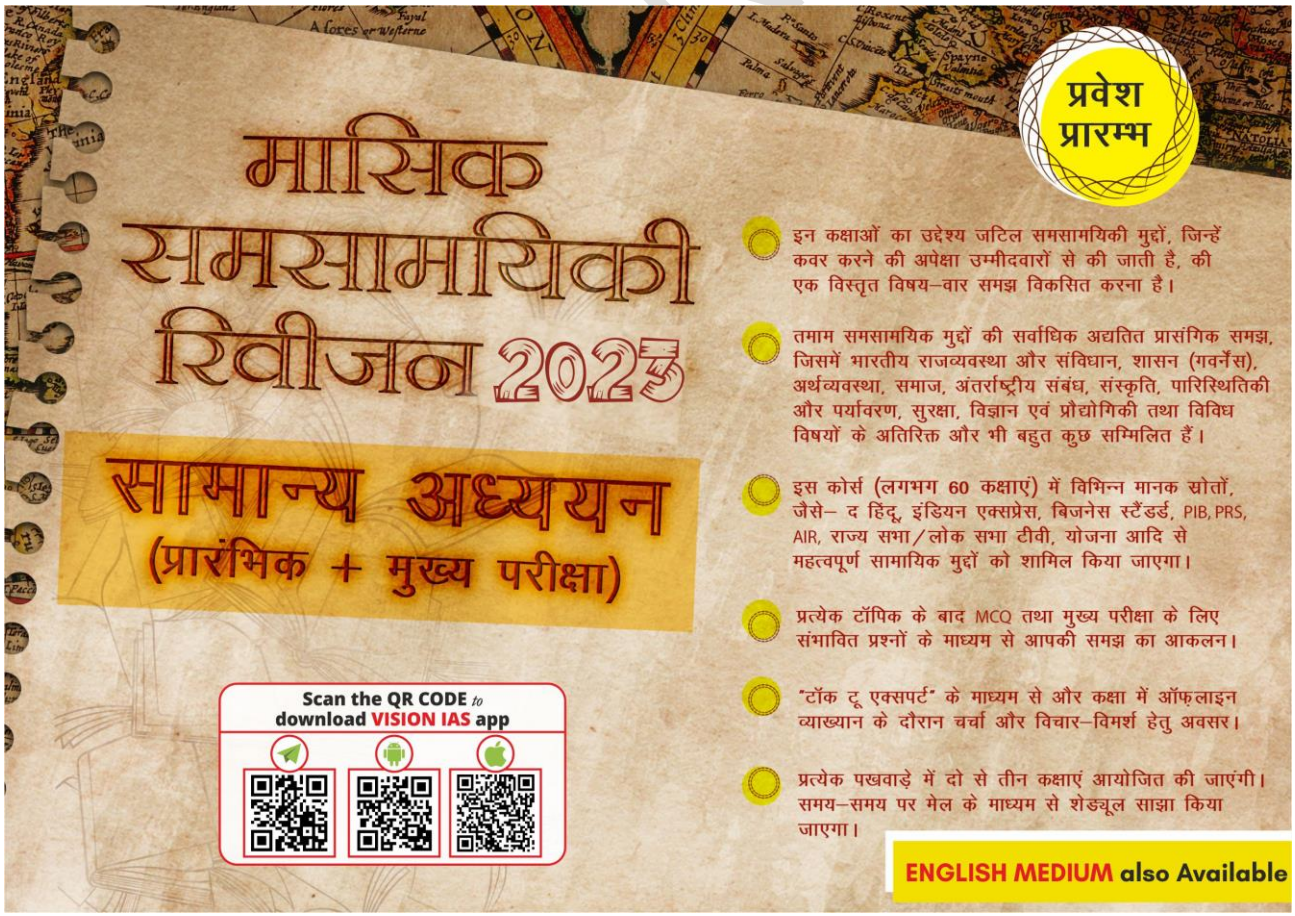

23. इस्पात मंत्रालय (Ministry of Steel)

23.1. विशेष इस्पात के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme For Specialty Steel}

स्मरणीय तथ्य

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **लक्ष्य:** विशेष इस्पात में निवेश और क्षमता में वृद्धि करना।
- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **निगरानी एजेंसी:** कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों के अधिकार प्राप्त समूह (EGoS)।
- **अवधि:** 2023-24 से 2027-28 तक।

अन्य उद्देश्य: विशिष्ट इस्पात के लिए PLI योजना का उद्देश्य देश के भीतर **इस तरह की इस्पात श्रेणी के निर्माण को बढ़ावा देना** है। साथ ही, इसका उद्देश्य भारतीय इस्पात उद्योग को प्रौद्योगिकी के मामले में परिपक्वता प्रदान करना और मूल्य श्रृंखला को उन्नत करने में सहायता करना है।

शब्दावली को जानें

विशेष इस्पात (speciality steel): **यह मिश्र धातु की एक मूल्य वर्धित किस्म है।** इसमें सामान्य रूप से निर्मित इस्पात पर कोटिंग, प्लेटिंग, हीट-ट्रीटमेंट के माध्यम से काम किया जाता है ताकि इसे उच्च मूल्य वर्धित इस्पात में परिवर्तित किया जा सके।

- इसे **रक्षा, अंतरिक्ष, विद्युत् और ऑटोमोबाइल** जैसे विभिन्न रणनीतिक क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है।
- भारत इस तरह के इस्पात का आयात करने में प्रतिवर्ष लगभग 30,000 करोड़ रुपये विदेशी मुद्रा खर्च करता है।
- इस ग्रेड की इस्पात के उपभोक्ता ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल, रक्षा और पाइप जैसे उद्योग हैं।

प्रमुख विशेषताएं

लाभार्थी	• कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत में पंजीकृत कंपनी, जिसमें संयुक्त उद्यम भी शामिल हैं।
लक्षित क्षेत्र	कोट्स/प्लेट्स स्टील के उत्पाद; उच्च शक्ति / क्षमता के लिए प्रतिरोधी इस्पात; विशेष रूप से रेल; एलॉय स्टील के उत्पाद और इस्पात तार; इलेक्ट्रिकल इस्पात
लक्ष्य	• विशेष इस्पात के लिए PLI योजना से यह सुनिश्चित होगा कि प्रयुक्त मूल इस्पात को देश के भीतर ही 'पिघलाया और ढाला' जाए। • इसका अर्थ है कि विशेष इस्पात का विनिर्माण करने के लिए प्रयुक्त कच्चा माल (तैयार इस्पात) भारत में ही बनाया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि योजना से देश के भीतर एंड-टू-एंड विनिर्माण को बढ़ावा मिले।
कंपनियों का चयन	• पात्र कंपनी का चयन करने के लिए एक **पारदर्शी चयन प्रक्रिया** का पालन किया जाएगा। • योजना अवधि के दौरान अपने निवेश को शुरुआत में पूर्णतः आवंटित करने के लिए प्रतिबद्ध पात्र कंपनियों को वरीयता दी जाएगी।
वित्तीय प्रोत्साहन	• **PLI प्रोत्साहन के 3 स्लैब हैं। सबसे कम 4% और उच्चतम 12% है,** जिसका इलेक्ट्रिकल स्टील (CRGO) के लिए प्रावधान किया गया है। • **प्रत्येक आवेदक PLI योजना अवधि के दौरान प्रत्येक उत्पाद उप-श्रेणी के लिए निवेश करेगा।** यह प्रतिबद्ध निवेश, दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट न्यूनतम इकाई निवेश के बराबर या उससे अधिक होना चाहिए।
योजना के लिए उपलब्ध वित्त सीमित है	• अधिक उपलब्धि के मामले में भी प्रोत्साहनों का **कुल भुगतान मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राशि तक ही सीमित होगा।** • **देय वार्षिक प्रोत्साहन राशि 200 करोड़ रुपये प्रति पात्र कंपनी होगी।** इसमें सभी उत्पाद श्रेणियों में कंपनियों के समूह या संयुक्त उद्यम शामिल हैं।

© Vision IAS

23.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

मिशन पूर्वोदय (Mission Purvodaya)

- **लक्ष्य**:
  - लागत और गुणवत्ता दोनों के संदर्भ में **क्षमता वृद्धि तथा इस्पात उत्पादकों की समग्र प्रतिस्पर्धा में सुधार करना**।
  - **एकीकृत स्टील हब की स्थापना** के माध्यम से पूर्वी भारत के त्वरित विकास को गति प्रदान करना।
- एकीकृत स्टील हब में **ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उत्तरी आंध्र प्रदेश** राज्य शामिल होंगे।

एकीकृत इस्पात केंद्र 3 प्रमुख तत्वों पर केंद्रित होगा		
ग्रीनफील्ड इस्पात संयंत्रों की स्थापना को सुगम बनाने के माध्यम से **क्षमता वृद्धि** करना।	एकीकृत इस्पात संयंत्रों के साथ-साथ मांग केंद्रों के निकट **इस्पात क्लस्टरों का विकास करना।**	पूर्वी क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य में परिवर्तन को प्रोत्साहित करने हेतु **लोजिस्टिक्स एवं उपयोगिता अवसंरचना का रूपांतरण करना।**

भारतीय इस्पात अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन (Steel Research And Technology Mission Of India: SRTMI)

- **मुख्य उद्देश्य:**
  - लौह और इस्पात में **राष्ट्रीय महत्व के अनुसंधान एवं विकास** का नेतृत्व करना;
  - अनुसंधान में **अत्याधुनिक सुविधाओं का निर्माण** करना और मानव संसाधन में वृद्धि करना सम्मिलित है;
  - राष्ट्रीय उद्देश्यों और आकांक्षाओं के अनुसार **उद्योग, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं और अकादमिक संस्थानों के बीच सहयोग** विकसित करना;
  - **वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी** के साथ-साथ संधारणीय इस्पात उद्योग को विकसित करना।
- **अन्य उद्देश्य:** पर्यावरण अनुकूल तरीके से निम्न श्रेणी के संसाधनों के उपयोग सहित स्वदेशी कच्चे माल के साथ गुणवत्ता वाले इस्पात के **लागत प्रभावी उत्पादन** के लिए उपयुक्त तकनीक का विकास करना।

पूर्वी बेल्ट में राष्ट्रीय इस्पात नीति द्वारा परिकल्पित देश की वृद्धिशील इस्पात क्षमता का 75% से अधिक जोड़ने की क्षमता है।

2030-31 तक 300 एमटी क्षमता में से 200 एमटी अकेले इस क्षेत्र से आ सकती है, जो उद्योग 4.0 द्वारा संचालित है।

- **उद्योग संचालित पहल: इस्पात मंत्रालय इसका सुविधा प्रदाता** है।
- **वित्त-पोषण:** इसके लिए आवश्यक निधि का 50% इस्पात मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाएगा और शेष राशि प्रतिभागी इस्पात कंपनियों द्वारा प्रदान की जाएगी।
- **अनुसंधान एवं विकास पर फोकस**: इस्पात क्षेत्र के लिए अनुसंधान एवं विकास में निवेश को चरणबद्ध रीति से कुल टर्नओवर के **1% तक बढ़ाया** जाएगा।
- इस्पात प्रौद्योगिकी में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और अनुसंधान को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु **"नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन स्टील टेक्नोलॉजी"** की स्थापना की जाएगी।

24. वस्त्र मंत्रालय (Ministry of Textile)

24.1. एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (Scheme For Integrated Textile Park: SITP)

स्मरणीय तथ्य

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **उद्देश्य:** वस्त्र इकाइयों की स्थापना के लिए अत्याधुनिक विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना।
- **उत्पत्ति:** इसे 2005 में निर्यात योजना के लिए परिधान पार्क (Apparel Parks for Exports Scheme : APES) और वस्त्र केंद्र अवसंरचना विकास योजना (Textile Centre Infrastructure Development Scheme : TCIDS) का विलय करके प्रारंभ किया गया था।
- **लक्ष्य:** यह उच्च विकास क्षमता वाले औद्योगिक क्लस्टर/स्थलों पर लक्षित है, जिसके लिए रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

अन्य उद्देश्य:

- **वस्त्र इकाइयों की स्थापना हेतु विश्व स्तरीय अत्याधुनिक अवसंरचना सुविधाएं** प्रदान करना।
- **अंतर्राष्ट्रीय परिवेश और सामाजिक मानकों को पूरा करना।**
- **वस्त्र क्षेत्रक** में **निजी निवेश** को प्रोत्साहन देना तथा रोजगार के **नए अवसर सृजित** करना।

प्रमुख विशेषताएं

<table>
<tr><td>घटक</td><td colspan="4">वस्त्र पार्क योजना (ITP) के घटक</td></tr>
<tr><td></td><td>भूमि: विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) के तहत 20 एकड़ से अधिक होनी चाहिए</td><td>सामान्य बुनियादी संरचना: सड़कें, जल और विद्युत् की आपूर्ति आदि।</td><td>सामान्य सुविधाओं के लिए इमारतें: प्रशिक्षण केंद्र, परीक्षण प्रयोगशाला आदि।</td><td>कारखानों की इमारतें: उत्पादन उद्देश्यों के लिए होनी चाहिए।</td></tr>
<tr><td>मोड</td><td colspan="4">• सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड
• मांग आधारित योजना</td></tr>
<tr><td>वित्तीय सहायता</td><td colspan="4">• अनुदान के माध्यम से परियोजना लागत का 40% (प्रत्येक विशेष श्रेणी राज्य में प्रथम दो परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत का 90%) केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 40 करोड़ रुपये होगी।
• यह फंड बैंक ऋण और अनुदान/इक्विटी के रूप में निम्नलिखित द्वारा जारी किया जाता है:
○ वस्त्र मंत्रालय,
○ राज्य औद्योगिक विकास निगम (SIDC) और
○ औद्योगिक परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (IPMC)</td></tr>
<tr><td>गतिविधियों का समर्थन</td><td colspan="4">• वस्त्र मशीनरी, वस्त्र इंजीनियरिंग, सामान, पैकेजिंग, आदि।
• ITPs संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS), समर्थ/SAMARTH योजना आदि से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।</td></tr>
</table>

24.2. सिल्क समग्र - रेशम उद्योग के विकास के लिए एकीकृत योजना (Silk Samagra- Integrated Scheme for Development of Silk Industry)

स्मरणीय तथ्य

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **उद्देश्य:** रेशम की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करके उत्पादन को बढ़ावा देना।
- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** केन्द्रीय रेशम बोर्ड (CSB)
- **अभिसरण:** लाभ को अधिकतम करने के लिए MGNREGS, RKVY और PMKSY जैसी योजनाओं के साथ अभिसरण।

अन्य उद्देश्य:

- प्रजनकों के स्टॉक को बनाए रखना, किस्म में सुधार, मशीनीकृत प्रथाओं का विकास, उन्नत प्रौद्योगिकी पर प्रशिक्षण, क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण।
- **उन्नत रेशमकीट किस्मों के मूल और वाणिज्यिक बीज का उत्पादन, बीज क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना, गुणवत्ता मानकों को बनाए रखना और प्रमाणित करना।**
- बिवोल्टाइन रेशम का आयात विकल्प तैयार करना ताकि 2022 तक कच्चे रेशम का आयात शून्य हो जाए।

मुख्य विशेषताएं

घटक	अनुसंधान एवं विकास (R&D), प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और आईटी पहल; बीज संगठन और किसान विस्तार केंद्र; बीज, सूत और रेशम उत्पादों के लिए समन्वय और बाजार का विकास; गुणवत्ता प्रमाणन प्रणाली (QCS)
पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन	बीज की गुणवत्ता की निगरानी के लिए **सेरीकल्चर इंफॉर्मेशन लिंकेज एंड नॉलेज सिस्टम (SILKS/सिल्क्स)।**
अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी प्रगति में सहयोग	**IITs, औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), IISc** और जापान, चीन, बुल्गारिया आदि में रेशम-उत्पादन (सेरीकल्चर) पर **अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों** द्वारा अनुसंधान एवं विकास और तकनीकी प्रगति में सहयोग किया जाता है।
अपेक्षित लाभ	• यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित महिलाओं व देश के अन्य कमजोर वर्गों (जिनमें वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र शामिल हैं) को आजीविका के अवसर प्रदान करेगी।
ब्रांड प्रमोशन	• **सिल्क मार्क** द्वारा गुणवत्ता प्रमाणन के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाएगा।
अन्य क्षेत्रकों का कवरेज	इस योजना के अंतर्गत **शहतूत, वान्या सिल्क (Vanya Silk) और पोस्ट कोकून क्षेत्रों** का समर्थन करने के लिए भी विभिन्न लाभार्थी उन्मुख घटकों को शामिल किया गया है।

24.3. राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (National Technical Textiles Mission)

स्मरणीय तथ्य

- **लक्ष्य:** भारत में तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देना और तकनीकी वस्त्रों में भारत को वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करना।
- **अवधि:** वित्त वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक।
- **तकनीकी वस्त्रों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद:** इस परिषद को 2023-24 तक प्रति वर्ष निर्यात में 10% औसत वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है।
- **उप-घटक:** बायोडिग्रेडेबल तकनीकी वस्त्रों पर अनुसंधान संबंधी ध्यान केंद्रित किया गया है।

अन्य उद्देश्य:

- विभिन्न प्रमुख मिशनों, कार्यक्रमों में **तकनीकी वस्त्रों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी वस्त्रों में भारत को वैश्विक नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करना।**
- **लागत अर्थव्यवस्था, जल एवं मृदा संरक्षण,** बेहतर कृषि उत्पादकता और किसानों की उच्च आय में **समग्र सुधार करना।**

प्रमुख विशेषताएं

मिशन के निम्नलिखित चार घटक होंगे:	**अनुसंधान, नवाचार और विकास**	**संवर्धन और बाजार विकास**	**निर्यात संवर्धन**	**शिक्षा, प्रशिक्षण, कौशल विकास**
	• फाइबर स्तर पर **मौलिक अनुसंधान** एवं तकनीकी वस्त्रों में **अनुप्रयोग आधारित अनुसंधान** • वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) प्रयोगशालाओं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) आदि द्वारा	• **उद्देश्य:** प्रति वर्ष 15 से 20 प्रतिशत की वार्षिक औसत वृद्धि के साथ वर्ष 2024 तक घरेलू बाजार का आकार 40 से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर करना है। • **गतिविधियां:** अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी सहयोग, निवेश प्रोत्साहन और 'मेक इन इंडिया' पहल आदि।	**तकनीकी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा**	• उच्च इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी स्तरों पर तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। • नवाचार और इन्क्यूबेशन केंद्रों का निर्माण करना तथा 'स्टार्टअप' एवं उद्यमों का प्रचार करना।

'मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहन	तकनीकी वस्त्रों हेतु **स्वदेशी मशीनरी और प्रक्रियात्मक उपकरणों का विकास करके मेक इन इंडिया' को प्रोत्साहित किया जाएगा।**
पर्यावरणीय अनुकूल	**प्रयुक्त तकनीकी वस्त्रों के पर्यावरणीय अनुकूल संधारणीय निपटान के लिए** उपयुक्त उपकरण भी विकसित किया जएगा।
त्रिस्तरीय (3-tier) संस्थागत तंत्र	• वस्त्र मंत्रालय **त्रिस्तरीय (3-tier) संस्थागत तंत्र** के माध्यम से **'राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (National Technical Textiles Mission: NTTM)'** को लागू करने की योजना बना रहा है: ○ **टियर III: नीति आयोग के एक सदस्य की अध्यक्षता में अनुसंधान, विकास और नवाचार पर तकनीकी वस्त्र संबंधी एक समिति-** यह रक्षा, अर्द्धसैन्य, सुरक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों से संबंधित सभी अनुसंधान परियोजनाओं की पहचान करेगी तथा अनुशंसा प्रदान करेगी। ○ **टियर II: वस्त्र सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त कार्यक्रम समिति-** यह समिति मिशन संचालन समूह के अनुमोदन के आधार पर अनुसंधान परियोजनाओं को छोड़कर प्रत्येक कार्यक्रम के लिए निर्धारित वित्तीय सीमा के भीतर सभी परियोजनाओं को स्वीकृति देगी। ○ **टियर I: वस्त्र मंत्री के नेतृत्व में एक मिशन संचालन समूह-** इसका कार्य सभी वित्तीय मानदंडों और सभी वैज्ञानिक/तकनीकी अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी देना है।

24.4. वस्त्रों के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना {Production Linked Incentive (PLI) Scheme for Textiles}

स्मरणीय तथ्य

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **लक्ष्य:** उच्च मूल्य के MMF फैब्रिक, गारमेंट्स और तकनीकी वस्त्रों के उत्पादन को बढ़ावा देना।
- **कार्यान्वयन:** इस योजना का कार्यान्वयन वस्त्र मंत्रालय द्वारा नियुक्त परियोजना प्रबंधन एजेंसी (PMA) द्वारा किया जा रहा है।
- **योजना की अवधि:** वर्ष 2021 से 2030 तक

अन्य उद्देश्य:

- **मानव निर्मित फाइबर (MMF) परिधान एवं वस्त्र तथा तकनीकी वस्त्र उत्पादों** के उत्पादन को बढ़ावा देना।
- वस्त्र उद्योग को **आकार एवं विस्तार हासिल करने, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने** और रोजगार के अवसरों का सृजन करने में सक्षम बनाना।

प्रमुख विशेषताएं

लाभार्थी	• **भारत में निगमित** कंपनी/फर्म/सीमित देयता भागीदारी (LLP)/ट्रस्ट सहित कोई भी व्यक्ति। • एक बार चयनित हुए आवेदकों को **कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक नई/अलग कंपनी का निर्माण करना होगा।**
लाभार्थियों के लिए सीमा पात्रता	

अधिकतम सहायता या सीमा का विवरण	**योजना भाग-1**	**योजना भाग-2**
न्यूनतम निवेश (भूमि तथा प्रशासनिक निर्माण लागतों को छोड़कर)	300 करोड़ रुपये	100 करोड़ रुपये
न्यूनतम कारोबार (टर्नओवर)	600 करोड़ रुपये	200 करोड़ रुपये

प्रोत्साहन पर अधिकतम सीमा (कैप)	• दूसरे वर्ष से प्रोत्साहन की गणना के लिए 25 प्रतिशत की निर्धारित न्यूनतम वृद्धिशील कारोबार की वृद्धि पर **10 प्रतिशत की सीमा** का प्रावधान होगा। • प्रथम वर्ष के लिए 10 प्रतिशत की सीमा, योजना के तहत किए गए निवेश के दोगुने से अधिक के कारोबार पर लागू होगी।
ऐसे निवेश जो योजना के लिए पात्र नहीं होंगे	**भूमि और प्रशासनिक निर्माण** में निवेश, उदाहरण- कार्यालय और अतिथि गृह भवन, इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं होंगे।
निगरानी	मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में **सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह (EGoS)** PLI योजना की निगरानी करेगा।

24.4.1. मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क (पीएम मित्र) योजना {Mega Integrated Textile Region and Apparel Parks Scheme (PM MITRA)}

स्मरणीय तथ्य

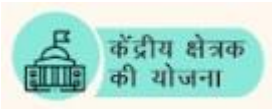

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **मुख्य उद्देश्य:** भारत में विदेशी **निवेश को आकर्षित करना, रोजगार सृजन को बढ़ावा देना** और वैश्विक कपड़ा बाजार में खुद को मजबूती से स्थापित करने में मदद करना है।
- **5F विजन:** फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैब्रिक, फैब्रिक टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन
- **योजना की अवधि:** वर्ष 2027-28 तक

अन्य उद्देश्य: लॉजिस्टिक लागत को कम करने और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने हेतु संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए संधारणीय औद्योगीकरण और नवाचार को बढ़ावा देना (SDG9), आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा को बढ़ावा देना।

मुख्य विशेषताएं

एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला	पीएम मित्र पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये पार्क उद्योग के लिए एक उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा, **प्लग एंड प्ले सुविधाओं** के साथ-साथ प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करेंगे।
पार्क में सुविधाएं	• **कोर इन्फ्रास्ट्रक्चर:** इन्क्यूबेशन सेंटर और प्लग एंड प्ले सुविधा, विकसित फैक्ट्री साइट्स, सड़कें, बिजली, पानी और अपशिष्ट जल निपटान प्रणाली, आदि। • **सहायक अवसंरचना:** कामगार छात्रावास और आवास, लॉजिस्टिक्स पार्क, भंडारण आदि
भूमि की उपलब्धता	राज्य सरकारें **कम-से-कम 1000 एकड़ सन्निहित और बाधा-मुक्त भू-खंड** प्रदान करेंगी
निजी क्षेत्रक का लाभ उठाना	पार्क को **निजी सार्वजनिक भागीदारी (PPP)** के तहत विकसित किया जाएगा।
विशेष प्रयोजन यान (SPV)	प्रत्येक पार्क के लिए **केंद्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाली** विशेष प्रयोजन यान (SPVs) स्थापित किए जाएंगे। ये SPVs परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेंगी।
वित्तीय सहायता	• कपड़ा मंत्रालय पार्क SPV को विकास के लिए **पूंजीगत सहायता के तौर पर प्रति पार्क 500 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता** प्रदान करेगा। • पीएम मित्र पार्क में इकाइयों को तीव्र कार्यान्वयन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए **प्रति पार्क 300 करोड़ रुपये तक का प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन समर्थन (CIS) भी प्रदान किया जाएगा।**
भारत सरकार की अन्य योजनाओं से तालमेल	मास्टर डेवलपर और निवेशक इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की अन्य योजनाओं के साथ तालमेल की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।

24.5. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

पावरटेक्स इंडिया

- **उद्देश्य:**
  - **आर्थिक दृष्टि से कमजोर तथा निचले स्तर की (Low end) पावरलूम इकाइयों को उनके आधुनिकीकरण और अवसंरचनात्मक विकास के लिए वित्तीय सहायता** प्रदान करना।
  - उत्पादित **कपड़े की गुणवत्ता और उत्पादकता में सुधार करना**
  - **क्लस्टर आधारित विकास** को बढ़ावा देना।
  - सूत की बिक्री पर **मध्यस्थ/स्थानीय आपूर्तिकर्ता** ब्रोकरेज चार्ज से बचना।
  - **नवीकरणीय ऊर्जा (सौर ऊर्जा) पर** बल देना।

नौ प्रमुख घटक

- इनसीटू अपग्रेडेशन ऑफ प्लेन पावरलूम
- पी.एम. क्रेडिट स्कीम
- सोलर एनर्जी स्कीम
- पावरलूम सर्विस सेंटर (PSCs) का आधुनिकीकरण एवं उन्नयन और सहायक अनुदान
- पावरलूम योजनाओं के लिए सरलीकरण, आईटी, जागरूकता, बाजार विकास और प्रचार
- जन सुविधा केंद्र (CFC)
- टेक्स वेंचर कैपिटल फंड
- यार्न बैंक स्कीम
- ग्रुप वर्क्सशेड स्कीम (GWS)

संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (ATUFS)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **उद्देश्य:**
  - देश में ईज ऑफ़ डूइंग बिज़नस को प्रोत्साहित करना तथा सामान्य रोजगार के लक्ष्य को प्राप्त करना और विनिर्माण में मेक इन इंडिया और जीरो इफ़ेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट के माध्यम से निर्यात में वृद्धि करना।
  - कपड़ा उद्योग में आयात प्रतिस्थापन के साथ निवेश, उत्पादकता, गुणवत्ता, रोजगार और निर्यात वृद्धि को सुगम बनाना।
- **प्रकार: केंद्रीय क्षेत्रक की योजना**

वित्तीय सहायता: एकमुश्त क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी	
परिधान और तकनीकी कपड़ा सेगमेंट के लिए पात्र मशीनरी हेतु 15% की दर से पूंजीगत निवेश सब्सिडी	बुनाई, प्रसंस्करण, जूट, रेशम और हथकरघा सेगमेंट के लिए 10% की दर से पूंजीगत निवेश सब्सिडी।
सीमा: 30 करोड़ रुपये	**सीमा:** 20 करोड़ रुपये

- सब्सिडी **नोडल वित्तीय संस्थानों** के माध्यम से दी जाएगी न कि राज्य सरकार के माध्यम से।
- **लक्षित क्षेत्र**: फोकस्ड सेगमेंट जैसे - परिधान।
- **योजना के लिए अपात्र**: जिन सेगमेंट्स ने कताई जैसे आधुनिकीकरण का वांछित स्तर प्राप्त कर लिया है।

वस्त्र क्षेत्रक में क्षमता निर्माण के लिए योजना (SAMARTH)

- **उद्देश्य: कपड़ा क्षेत्रक में कौशल कमी को दूर** करना और **युवाओं को रोजगार** प्रदान करना।
- **लक्ष्य: 10 लाख व्यक्तियों** (संगठित क्षेत्रक में कार्यरत 9 लाख और परंपरागत क्षेत्रक में कार्यरत 1 लाख लोग) **को प्रशिक्षित करना।**
- **योजना की अवधि:** मार्च 2024 तक
- यह योजना एक **मांग आधारित और प्लेसमेंट उन्मुख कौशल** कार्यक्रम है।

रणनीति

- आधार सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS)
- प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण
- प्रशिक्षण कार्यक्रम की CCTV रिकॉर्डिंग
- वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS)

साथी (लघु उद्योगों की सहायता के लिए प्रभावी कपड़ा प्रौद्योगिकियों का टिकाऊ एवं त्वरित अंगीकरण) (SAATHI)

- **उद्देश्य**: लघु और मध्यम पावरलूम इकाइयों को बिना किसी अग्रिम लागत के ऊर्जा कुशल **पावरलूम, मोटर और रेपियर किट** प्रदान करना।
- **साथी (SAATHI):** लघु उद्योगों की सहायता के लिए प्रभावी कपड़ा प्रौद्योगिकियों का टिकाऊ एवं त्वरित अंगीकरण (Sustainable and Accelerated Adoption of Efficient Textiles Technology to Help Small Scale Industries).
- **विद्युत मंत्रालय** द्वारा संयुक्त रूप से प्रारंभ की गयी है। (नोट: अधिक जानकारी के लिए विद्युत मंत्रालय के तहत योजनाएं देखें)।

दीनदयाल हस्तकला संकुल

- वाराणसी में हस्तशिल्प के लिए **व्यापार सुविधा केंद्र** स्थापित किया गया है।
- **उद्देश्य**: यह बुनकरों और कारीगरों को विश्व स्तरीय विपणन सुविधाएं प्रदान करेगा और वाराणसी की पर्यटन क्षमता में भी वृद्धि करेगा।

पुश्तैनी हुनर विकास योजना

- **उद्देश्य: परंपरागत कालीन बुनने वाले परिवारों के बुनकरों को** तकनीकी और सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण प्रदान करना।
- यह योजना भदोही के कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान से शुरू की गई।

कपास प्रौद्योगिकी सहायता कार्यक्रम (Cotton Technical Assistance: TAP)

- भारत ने वर्ष 2012 से 2018 तक छह अफ्रीकी देशों (बेनिन, बुर्किना फासो, चाड, मालावी, नाइजीरिया और युगांडा) में **कपास प्रौद्योगिकी सहायता (TAP) कार्यक्रम** संचालित किया था।
- हालांकि हाल ही में, कपड़ा मंत्रालय ने 5 वर्षों के लिए TAP के दूसरे चरण की शुरुआत की है, जिसके तहत C4 (बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और

माली) सहित 11 अफ्रीकी देशों को शामिल किया जाएगा।

- **उद्देश्य**:जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान, जैव-नियंत्रण उपायों, ओटाई (Ginning) प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान एवं विकास क्षमताओं को बढ़ाने के अलावा कपास उत्पादन प्रौद्योगिकियों, कटाई के बाद की हैंडलिंग, उप-उत्पाद उपयोग पर स्थानीय क्षमता का निर्माण और उपर्युक्त को प्राप्त करने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना।

इम्प्रूव कल्टीवेशन एंड एडवांस रेटिंग एक्सरसाइज फॉर जूट (Jute – ICARE)

- इसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था।
- **उद्देश्य**: किसानों के मध्य **कुछ बेहतर कृषि विज्ञान संबंधी प्रथाओं** और हाल ही में विकसित सूक्ष्म जीवों की सहायता से **कच्चे जूट को सड़ाने की प्रक्रिया (microbial assisted retting)** को **लोकप्रिय बनाने/प्रस्तुत करने हेतु आरंभ** किया गया था।
- **कार्यान्वयन क्षेत्र:** पायलट आधार पर पश्चिम बंगाल और असम में कुछ प्रखंडों में इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है।
- **उन्नत कृषि पद्धतियां:**
  - उपज बढ़ाने के लिए सीड ड्रिल का उपयोग कर जूट की कतार में बुवाई (Line swoing);
  - निराई की लागत को कम करने के लिए व्हील-होइंग और नेल-वीडर्स द्वारा पटसन में खरपतवार प्रबंधन;
  - गुणवत्तापूर्ण प्रमाणित बीजों का 50% सब्सिडी पर वितरण करना।
- उत्पादन और साथ ही **गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सोना (SONA) नामक** एक माइक्रोबियल कंसोर्टियम विकसित किया है।
  - इसे केंद्रीय पटसन और समवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान (CRIJAF) द्वारा विकसित किया गया है।

'पहचान' कार्ड

- यह **विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय** की एक पहल है।
- **उद्देश्य:** कपड़ा मंत्रालय ने "पहचान (PAHCHAN)" पहल के तहत हस्तशिल्प कारीगरों को **आधार से संबद्ध पहचान पत्र जारी करने** हेतु एक पहल की शुरुआत की है।
- पहचान कार्ड में हस्तशिल्प कारीगरों से संबंधित निम्नलिखित सूचनाओं को शामिल किया जाता है: नाम और पता, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर तथा शिल्प व्यवसाय।

महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना

- **उद्देश्य: हथकरघा बुनकरों/श्रमिकों को** जीवन, दुर्घटना और दिव्यांगता बीमा कवरेज जैसे **सामाजिक सुरक्षा लाभ** प्रदान करना।
- **लक्षित लाभार्थी:** 51-59 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति
- **वित्तीय प्रोत्साहन**: वार्षिक प्रीमियम 470 रुपये है (भारत सरकार द्वारा 290 रुपये सहित)।
- दावा लाभों (Claim benefits) को **LIC द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से** सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रदान किया जाता है।

सतत संकल्प (SU.RE) परियोजना

- सतत संकल्प परियोजना वस्तुतः **सतत फैशन (sustainable fashion) की ओर अग्रसर होने** के लिए **भारतीय परिधान उद्योग की** सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है। SU.RE का अर्थ है - **'सतत संकल्प' (Sustainable Resolution)** - जो स्वच्छ पर्यावरण में योगदान देता है।
- **उद्देश्य**: इसका उद्देश्य **संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDGs-2030),** विशेष रूप से **उत्तरदायी उपभोग और उत्पादन हेतु SDG-12** में योगदान देना है।
- **भागीदार:** क्लोथिंग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (CMAI), भारत में संयुक्त राष्ट्र और IMG रिलायंस के साथ शुरू किया गया।

व्यापक हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (CHCDS)

- **उद्देश्य:** CHCDS का उद्देश्य एक ऐसा **विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार** करना है, जो **उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के क्रम में स्थानीय कारीगरों व सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) की व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा** करता हो।
- **गतिविधियां:** इन समूहों को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य **कारीगरों और उद्यमियों को** आधुनिक बुनियादी ढांचे, नवीनतम प्रौद्योगिकी व पर्याप्त प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास इनपुट, मार्केट लिंकेज और उत्पादन संबंधी विविधीकरण वाली विश्व स्तरीय इकाइयां स्थापित करने में **सहायता करना** है।

25. पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism)

25.1.स्वदेश दर्शन (Swadesh Darshan)

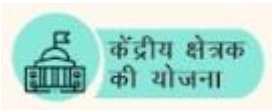

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना
- **मुख्य उद्देश्य:** देश में **संधारणीय और उत्तरदायी पर्यटन गंतव्य स्थलों** का विकास करना।
- **लाभ:** पर्यटन सर्किट के अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों को **केंद्रीय वित्तीय सहायता**।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** केंद्र या राज्य सरकार द्वारा नामित एजेंसी।

अन्य उद्देश्य:

- पर्यटन और संबद्ध अवसंरचना, पर्यटन सेवाओं आदि को शामिल करते हुए **संधारणीय और उत्तरदायी पर्यटन गंतव्य स्थलों का विकास** करना।
- स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में **पर्यटन के योगदान को बढ़ाना**
- **रोजगार सृजित** करना, **कौशल बढ़ाना और पर्यटन में** निजी क्षेत्रक **के निवेश को बढ़ाना**
- **स्थानीय सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करना और उनका संवर्धन** करना

मुख्य विशेषताएं

<table>
<tr><td>पृष्ठभूमि</td><td>• स्वदेश दर्शन योजना वर्ष 2015 में शुरू की गई थी।</td></tr>
<tr><td>योजना के तहत पालन किए जाने वाले सिद्धांत</td><td>
<table>
<tr><th colspan="8">प्रमुख सिद्धांत</th></tr>
<tr><td>प्रमुख पर्यटन विषयों के लिए बेंचमार्क और मानक विकसित करना</td><td>संधारणीय और जिम्मेदार पर्यटन</td><td>पर्यटक और गंतव्य स्थल केंद्रित दृष्टिकोण</td><td>नीति और संस्थागत सुधार</td><td>घरेलू पर्यटन पर फोकस</td><td>पर्यटन स्थल का एकीकृत विकास</td><td>संधारणीय आधार पर संचालन और रखरखाव</td><td>अन्य केंद्रीय और राज्य योजनाओं के साथ तालमेल</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>पर्यटन के लिए प्रमुख थीम</td><td>
<table>
<tr><th colspan="8">पर्यटन थीम</th></tr>
<tr><td>संस्कृति और विरासत</td><td>एडवेंचर पर्यटन</td><td>पारिस्थितिकी पर्यटन</td><td>वेलनेस पर्यटन</td><td>बैठक, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनी (MICE) पर्यटन</td><td>ग्रामीण पर्यटन</td><td>पुलिन / बीच पर्यटन</td><td>महासागर और अंतर्देशीय क्रूज पर्यटन</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>राज्य परिप्रेक्ष्य योजना</td><td>• विभिन्न गंतव्यों की पर्यटन क्षमता का विश्लेषण करते हुए राज्य द्वारा तैयार की गई योजना है।
<table>
<tr><th colspan="6">संभावित पर्यटन स्थल तय करने के लिए प्रमुख कारक</th></tr>
<tr><td>प्रमुख पर्यटन आकर्षक स्थल, तीर्थ और थीम</td><td>स्थानीय यात्रा सहित हवाई, रेल और सड़क मार्ग से कनेक्टिविटी</td><td>किसी भी पर्यटक सर्किट से कनेक्टिविटी</td><td>गंतव्य स्थल पर वर्तमान पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र</td><td>गंतव्य पर भविष्य की पर्यटन क्षमता</td><td>गंतव्य स्थल के लिए राज्य का समर्थन</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>गंतव्य मास्टर प्लान</td><td>• बेंचमार्किंग और विस्तृत अंतराल मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक चयनित गंतव्य स्थल के संबंध में तत्पर रहना।
<table>
<tr><th colspan="9">प्रमुख हस्तक्षेप</th></tr>
<tr><th colspan="5">ठोस हस्तक्षेप</th><th colspan="4">मध्यम हस्तक्षेप</th></tr>
<tr><td>पर्यटन कोर उत्पाद</td><td>पर्यटन गतिविधियां</td><td>स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वच्छता</td><td>परिसंचरण और यातायात</td><td>साइट इंफ्रास्ट्रक्चर</td><td>पर्यटक सेवाएं</td><td>विपणन और प्रचार</td><td>क्षमता निर्माण</td><td>डिजिटाइजेशन/GIS मानचित्रण</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

© Vision IAS

गैर-स्वीकार्य परियोजना	• इस तरह की परियोजनाओं को इस योजना के तहत वित्त पोषित नहीं किया जाएगा। हालांकि इसे किसी अन्य योजना के तहत राज्य द्वारा समर्थित किया जा सकता है।

गैर-स्वीकार्य परियोजना

विकास के लिए भूमि अधिग्रहण	पुनर्स्थापन और पुनर्वास पैकेज	मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों प्रकार के जलाशयों के बांधों का कायाकल्प/तलकर्षण/विकास	निजी संस्थाओं के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों/संरचनाओं में सुधार/निवेश

25.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

तीर्थयात्रा कायाकल्प एवं आध्यात्मिक संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन- (प्रसाद) योजना (PRASAD)

- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक योजना
- **उद्देश्य:** अवसंरचना विकास जैसे एंट्री पॉइंट (सड़क, रेल और जल परिवहन), लास्ट माइल कनेक्टिविटी, आधारभूत पर्यटन सुविधाएं जैसे सूचना / विवेचना केंद्र, ATM/ मनी एक्सचेंज, परिवहन के पर्यावरण के अनुकूल तरीके आदि।
- **उद्देश्य:**
  - **तीर्थ स्थलों का एकीकृत विकास करना।**
  - **रोजगार सृजन और आर्थिक विकास** के लिए तीर्थ पर्यटन का उपयोग करना
  - **पर्यटक आकर्षण को बढ़ाना;**
  - **स्थानीय कला, संस्कृति, हस्तशिल्प, व्यंजन** इत्यादि को बढ़ावा देना।
- परियोजना के बेहतर स्थायित्व के लिए, **PPP और CSR को** शामिल करने के प्रयास भी किए जाएंगे।
- **नए सम्मिलित स्थल:** केंद्र सरकार ने **उत्तराखंड के गंगोत्री और यमुनोत्री तथा मध्यप्रदेश के अमरकंटक व झारखंड के पारसनाथ** को इस योजना में शामिल किया है।

एक धरोहर गोद लो /अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना

- **उद्देश्य**:
  - धरोहर स्मारकों में और इनके आस-पास **आधारभूत पर्यटन ढांचे** का विकास करना।
  - संबंधित धरोहर स्थल/स्मारक/पर्यटक स्थल के स्थानीय समुदायों की आजीविका हेतु **देश के सांस्कृतिक और विरासत मूल्यों को बढ़ावा** देना।
  - **पर्यटकों के आकर्षण में वृद्धि, समावेशी पर्यटक अनुभव।**
  - **संधारणीय पर्यटन अवसंरचना का विकास** करना।
- **अंतर मंत्रालयी कार्यक्रम**: **यह संस्कृति मंत्रालय एवं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI)** के सहयोग से **पर्यटन मंत्रालय** की एक विशिष्ट पहल है।
  - इस **योजना के तहत निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों और कॉर्पोरेट से संबंधित व्यक्ति** किसी भी स्थल को गोद ले सकते हैं
  - संरक्षण एवं विकास के माध्यम से धरोहर तथा पर्यटन को और अधिक संधारणीय बनाने का उत्तरदायित्व वहन कर सकते हैं। यह परियोजना मुख्यतः **विश्व स्तरीय पर्यटक अवसंरचना और सुविधाओं** के विकास एवं रखरखाव पर केंद्रित है।
- **स्मारक मित्र:** निजी कंपनियां भविष्य की **'स्मारक मित्र'** होंगी, जो अपनी CSR गतिविधियों के साथ गौरव को जोड़ती है।
  - पर्यटन मंत्रालय द्वारा किसी भी प्रकार की **निधि** प्रदान **नहीं** की गई है।
  - गोद लेने के बाद **स्मारक के विधिक दर्जे में कोई परिवर्तन नहीं होता है।**
  - यह परियोजना **गैर-प्रमुख क्षेत्रों तक सीमित 'पहुंच' की परिकल्पना करती है** तथा इसके अतिरिक्त 'स्मारकों को किसी अन्य को सुपुर्द नहीं' किया जा सकता।

पर्यटन पर्व

- **उद्देश्य:**
  - भारतीयों को देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों की यात्रा करने हेतु प्रोत्साहित करने के लक्ष्य के साथ **"देखो अपना देश" के संदेश का प्रचार-प्रसार करना।**
  - **"सभी के लिए पर्यटन"** के संदेश को प्रसारित करना।

पर्यटन पर्व के घटक

देखो अपना देश: यह भारतीयों को अपने देश में भ्रमण करने हेतु प्रोत्साहित करेगा। इसके अंतर्गत वीडियो, फोटोग्राफ और इस अवसर पर उपस्थित लोगों के मध्य ब्लॉग प्रतियोगिताएं, पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पर्यटकों के अनुभव से प्राप्त भारत के वृत्तांत चित्रण आदि शामिल होंगे।	**सभी के लिए पर्यटन:** देश के सभी राज्यों में पर्यटन समारोहों के आयोजन को बढ़ावा देगा। ये मुख्य रूप से व्यापक स्तर पर जन सहभागिता के साथ लोगों के कार्यक्रम होंगे। इन कार्यकलापों में नृत्य, संगीत, थिएटर, पर्यटन प्रदर्शनियां, पाक शैली, हस्तशिल्प, हथकरघा आदि का प्रदर्शन शामिल है।	**पर्यटन और शासन:** देश भर में विभिन्न विषय वस्तुओं (पर्यटन क्षेत्र में कौशल विकास, पर्यटन में नवाचार और प्रतिष्ठित स्थलों के निकट स्थित स्थानों पर ग्रामीण पर्यटन का विकास आदि) पर हितधारकों के साथ मिल कर संवादमूलक सत्रों एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

इंडिया टूरिज़्म मार्ट (IMT)

- यह पर्यटन से जुड़े अलग-अलग हितधारकों को विदेशी खरीदारों के साथ बातचीत करने और व्यापार करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
  - इसे फेडेरेशन ऑफ़ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी (FAITH) के साथ साझेदारी में पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है।

अतुल्य भारत 2.0 अभियान (Incredible India 2.0)

- **उद्देश्य**: इस अभियान का उद्देश्य **विदेशी और घरेलू, दोनों प्रकार के पर्यटकों की संख्या को दोगुना** करना है।
- यह **परंपरागत प्रचार साधनों के स्थान पर बाजार विशिष्ट प्रचार योजनाओं एवं उत्पाद विशिष्ट रचनाओं** की ओर स्थानांतरण को चिन्हित करता है, इसके लिये डिजिटल उपस्थिति और सोशल मीडिया पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा रहा हैं।
- **फोकस क्षेत्र:** प्रमुख मौजूदा बाजार और साथ ही महत्वपूर्ण संभावित बाजार।
- **निकेत (Niche) पर्यटन उत्पाद** जैसे हेरिटेज टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, क्रूज टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, वेलनेस एवं मेडिकल टूरिज्म, MICE, गोल्फ आदि।

26. जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs)

26.1. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (Eklavya Model Residential School: EMRS)

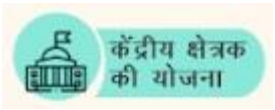

स्मरणीय तथ्य

- **प्रकार: केंद्रीय क्षेत्र की योजना।**
- **प्रयोजन:** आदिवासी बहुल क्षेत्रों में **अनुसूचित जनजाति (ST) के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।**
- **लाभार्थी:** VI से XII कक्षा में पढ़ने वाले छात्र।
- **वित्त पोषण:** जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी (NESTS)

अन्य उद्देश्य: अनुसूचित जनजाति के छात्रों को उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में अवसरों का लाभ उठाने तथा विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाना।

मुख्य विशेषताएं

पृष्ठभूमि	• EMRS की शुरुआत **वर्ष 1997-98 में** हुई थी। • **संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत** राज्य सरकारों को विद्यालयों के निर्माण एवं आवर्ती व्यय हेतु अनुदान दिये गए थे।
कवरेज	• **50% से अधिक जनजाति आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों** वाले सभी जनजातीय ब्लॉक।
गुणवत्ता पर जोर	• ये **जवाहर नवोदय विद्यालयों** के समान हैं। • इन विद्यालयों में खेल और कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के अतिरिक्त **स्थानीय कला एवं संस्कृति को संरक्षित** करने हेतु विशेष सुविधाएं होंगी। • इन विद्यालयों में न केवल **अकादमिक शिक्षा** बल्कि छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाएगा।
एकलव्य मॉडल डे बोर्डिंग स्कूल (EMDBS)	• इन्हें उन चिह्नित उप-जिलों में स्थापित किया जाना है जहां **अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का घनत्व अधिक है (90% या अधिक)।** • **आवासीय सुविधा के बिना स्कूली शिक्षा** प्रदान करना।
खेलों को बढ़ावा देना	• **प्रवेश हेतु आरक्षण:** खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए **खेल कोटे के तहत 20% सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।** • **खेल के लिए उत्कृष्टता केंद्र (खेल के लिए CoE):** सभी संबंधित अवसंरचनाओं (भवन, उपकरण आदि) के साथ **खेल के लिए CoE की स्थापना के लिए समर्पित अवसंरचना।**

26.2. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) तथा लघु वनोपज (MFP) मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वनोपज के विपणन हेतु तंत्र

- यह योजना **लघु वनोपज (MFP) संग्राहकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के साथ उचित मूल्य प्रदान करके उनकी आजीविका में सुधार** हेतु एक **सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क** के रूप में तैयार की गई है।
- **क्रियान्वयन:** राज्य सरकार की एजेंसियों के सहयोग से **भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (TRIFED)** द्वारा।
- प्रभावी परिणाम के लिए योजना को **वन धन योजना** के अभिसरण में क्रियान्वित किया जा रहा है।

- **लघु वनोपज (MFP):** यह वनोपज का एक उपसमुच्चय है जो भारतीय वन अधिनियम 1927 में परिभाषित है।
  - इसे अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत परिभाषित किया गया है।
  - यह 'पादप मूल के सभी गैर-इमारती वन उत्पाद' को संदर्भित करता है और इसमें बांस, ब्रशवुड, स्टंप, बेंत, तसर, कोकून, शहद, मोम, लाख, तेंदू / केंदू के पत्ते, औषधीय पौधे और जड़ी-बूटियां, जड़ें, कंद और इसी तरह शामिल हैं।

MSP और MFP का निर्धारण			
यह योजना भारत भर के सभी राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है।	इसका सर्वेक्षण ट्राइफेड में गठित एक मूल्य निर्धारण प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है।	MoTA अंतिम रूप से उस राज्य हेतु लिए गए प्रत्येक MFP के लिए राज्यवार MSP को मंजूरी देता है और उनकी घोषणा करता है।	संग्रह की लागत में संशोधन के आधार पर प्रत्येक तीन वर्ष में मूल्य समीक्षा की जाती है।

वन धन विकास योजना

- **उद्देश्य:** आदिवासी आबादी का सामाजिक-आर्थिक विकास
- **क्रियान्वयन एजेंसी: भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (TRIFED)**
- यह योजना **न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा लघु वनोपज मूल्य श्रृंखला के विकास के माध्यम से लघु वनोपज के विपणन हेतु तंत्र** का एक घटक है।
- **जनजातीय संग्रहकर्ताओं के लिए आजीविका सृजन** हेतु प्रयास करता है। यह मुख्य रूप से वन जनजातीय जिलों में जनजातीय समुदाय के स्वामित्व वाले **वन धन विकास केंद्रों (VDVK)** के माध्यम से उन्हें उद्यमियों में परिवर्तित करता है।
- स्वामित्व स्थापित करने के लिए जनजातीय संग्रहकर्ता को प्रति सदस्य 1,000 रुपये का योगदान करना होगा।

ट्राईफूड/स्फूर्ति मॉडल (Trifood/SFURTI Model)

- यह **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय (MoTA) और ट्राइफेड (TRIFED)** की एक संयुक्त पहल है।
- इस योजना के अंतर्गत आदिवासी वन संग्रहकर्ताओं द्वारा एकत्रित **लघु वनोपज (MFP)** के प्रसंस्करण के लिए **तृतीयक मूल्य संवर्धन केंद्र** स्थापित किए जाएंगे। **प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY)** के अंतर्गत बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज के निर्माण वाली योजना के अधीन प्रसंस्करण इकाइयों को स्थापित किया जाएगा।
- **ट्राइफूड/स्फूर्ति मॉडल (Trifood/SFURTI Model):** यह कृषि, बागवानी, रेशम की खेती, फूलों की खेती और औषधीय एवं सुगंधित पौधों के लिए **क्लस्टर कार्यक्रमों के माध्यम से आदिवासी आबादी के लिए वर्ष भर की आय सुनिश्चित करेगा।**
- **नोट:** परंपरागत उद्योगों के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण के लिए कोष की योजना (SFURTI)[1] अर्थात स्फूर्ति योजना को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के अंतर्गत संचालित किया गया है।

"आदिवासियों के मित्र" पहल (Friends of Tribes)

- इस पहल के तहत, ट्राइफेड ने आदिवासियों की आजीविका बढ़ाने के लिए CSR कोष को संबद्ध किया है।

गो ट्राइबल कैंपेन

- **उद्देश्य:** इसे ट्राइफेड ने जागरूकता सृजन और जनजातीय कला एवं शिल्प को प्रोत्साहित करने तथा साथ ही देश भर में 700 से अधिक भारतीय जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक कल्याण में सहायता प्रदान करने हेतु प्रारंभ किया है।
- इसके तहत ट्राइब्स इंडिया ब्रांड एंड आउटलेट्स के तहत उपलब्ध उत्पादों की ऑनलाइन रिटेलर्स जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट आदि के माध्यम से खरीद की जा सकती है।
- **क्रियान्वयन**: ट्राइफेड (TRIFED) द्वारा

गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स (GOAL) कार्यक्रम

- संबंधित क्षेत्रों में भविष्य के नेतृत्वकर्ता बनने के लिए **आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने हेतु फेसबुक द्वारा की गई डिजिटल रूप से सक्षम/संचालित परामर्श पहल**

[1] Scheme of Fund for Regeneration of Traditional Industries

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI © Vision IAS

27. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (Ministry of Women and Child Development)

27.1. मिशन शक्ति: एक एकीकृत महिला अधिकारिता कार्यक्रम (Mission Shakti: An Integrated Women Empowerment Programme)

स्मरणीय तथ्य (Quick Facts)

- **उद्देश्य**: **जीवन-चक्र निरंतरता के आधार पर** महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दों का समाधान करना।
- **प्रकार:** केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्र प्रायोजित योजना
- **निगरानी**: महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र (HEW) इस योजना के प्रदर्शन की निगरानी करेगा।
- **अवधि:** वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26

अन्य उद्देश्य:

- महिलाओं का सशक्तिकरण, **उन पर घरेलू देखभाल का बोझ कम करना** और कौशल विकास को बढ़ावा देकर **महिला श्रम शक्ति की भागीदारी बढ़ाना आदि।**
- हिंसा से प्रभावित एवं पीड़ित महिलाओं को **तत्काल और व्यापक रूप से निरंतर देखभाल**, समर्थन व सहायता प्रदान करना।
- **लोगों को** सरकारी योजनाओं, **क्षमता निर्माण और पदाधिकारियों के प्रशिक्षण,** सहयोगी मंत्रालयों/विभागों आदि के साथ सहयोग के बारे में **जागरूक करना।**

प्रमुख विशेषताएं

2 उप-योजनाएं	**संबल:** इसमें महिलाओं की **रक्षा और सुरक्षा** से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। 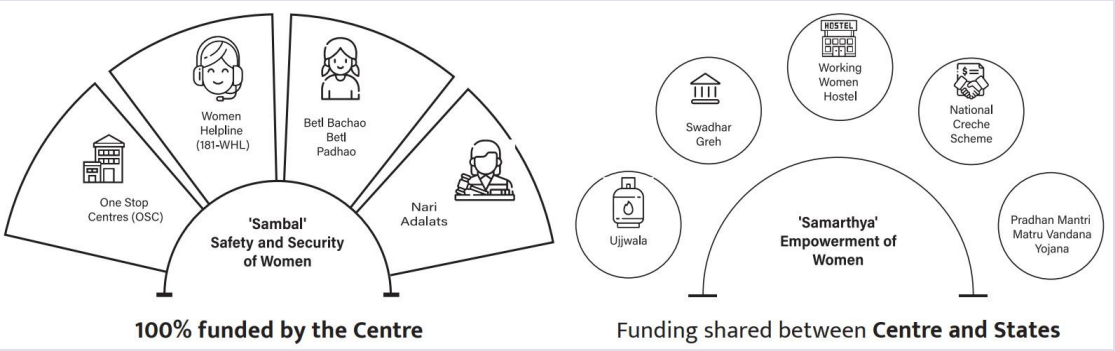
वन स्टॉप सेंटर (OSC)	• इसके तहत **निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित व पीड़ित** महिलाओं को एक ही स्थान पर एकीकृत सहयोग एवं सहायता प्रदान की जाती है।
महिला हेल्पलाइन (WHL)	• यह ऐसी महिलाओं जिन्हें **आपातकालीन सेवाओं के लिए** सहायता और सूचना की आवश्यकता होती है, उन्हें 24 घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवा प्रदान करती है। इन आपातकालीन सेवाओं में पुलिस/अग्निशमन/एम्बुलेंस सेवाओं और वन स्टॉप सेंटर जैसी सभी सेवाएं शामिल होती हैं।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP)	• इस अभियान के घटक बहु-क्षेत्रीय हस्तक्षेपों के माध्यम से देश के **सभी जिलों को कवर** करेंगे। यह अभियान पहले **केवल 405 जिलों में** ही लागू था। • इस योजना का **उद्देश्य शून्य बजट को बढ़ावा देना** और जमीनी स्तर पर प्रभाव वाली गतिविधियों पर अधिक खर्च को प्रोत्साहित करना है। उदाहरण के लिए आत्मरक्षा शिविरों का निर्माण करना इत्यादि।
नारी अदालत	• महिलाओं को **वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र** प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक नई योजना है। इसमें महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले छोटे मोटे (उत्पीड़न, निष्कासन इत्यादि) मामलों को **ग्राम पंचायत स्तर पर** हल किया जाएगा। • प्रतिबद्ध और सामाजिक रूप से सम्मानित महिलाओं से मिलकर '**नारी अदालतें या महिला समूह**' बनेंगे। • **चयनित सदस्यों को कोई पारिश्रमिक प्रदान नहीं** किया जाएगा।

	• **बैठकें आयोजित करने और सदस्यों को बैज/वर्दी प्रदान करने का खर्च** मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा। **'नारी अदालत या महिला समूह' का उपयोग किया जाएगा:** • सेवाओं के प्रभावी सार्वजनिक वितरण के लिए • योजनाओं में सुधार के लिए फीडबैक प्राप्त करना • जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जनता से जुड़ना
सामर्थ्य: इसमें महिला सशक्तीकरण हेतु संचालित योजनाएं शामिल हैं।	
शक्ति सदन	• एकीकृत राहत और पुनर्वास गृह। इसमें तत्कालीन स्वाधार गृह और उज्ज्वला योजना भी शामिल हैं। • यह **निराश्रित, संकटग्रस्त, उपेक्षित, तस्करी का शिकार हुए आदि के लिए एक घर** होगा। **अन्य प्रमुख समर्थन** • **वित्तीय सहायता:** निवासियों के लिए बैंक खाते खोले जाएंगे ○ **प्रति निवासी 500 रुपये प्रति माह की राशि** जमा की जाएगी ○ **खाताधारकों द्वारा घर में रहने के दौरान राशि नहीं निकाली जा सकती है** ○ **इसमें रहने वाले के बच्चों के लिए सहयोग:** इसमें रहने वालों के बच्चे अपनी मां के साथ रह सकते हैं: ▪ **किसी भी आयु की अविवाहित लड़कियों और 12 वर्ष तक के लड़कों को रहने की अनुमति होगी** ▪ **12 वर्ष से अधिक आयु के लड़कों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट/एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS) के तहत संचालित बाल गृहों में स्थानांतरित किया जाएगा।**
मानव तस्करी निरोधी इकाइयां	• ये तस्करी और व्यावसायिक लैंगिक शोषण से पीड़ितों के **'पुनः एकीकरण तथा समाज में पुनर्वापसी'** की सुविधा प्रदान करेंगी।
विधवाओं के लिए घर	• महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारिता के लिए यह एक अम्ब्रेला योजना का एक **केंद्रीय क्षेत्रक घटक** है। • **1000 विधवाओं को रहने के लिए** एक भयरहित और सुरक्षित स्थान प्रदान करने को अनुकूल बनाना। • **स्वास्थ्य सेवाओं, पौष्टिक भोजन, कानूनी और परामर्श सेवाओं** की सुविधाएं।
सखी निवास - कामकाजी महिला छात्रावास	• **कामकाजी महिलाओं और उच्चतर शिक्षा या प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली अन्य महिलाओं** के लिए **सुरक्षित व सुविधाजनक आवास की उपलब्धता** को बढ़ावा देना। इन महिलाओं को पेशेवर प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवारों से दूर रहना पड़ता है।
पालना- क्रेच सुविधा	• सभी माताओं को क्रेच की सुविधा (अन्य सेवाओं के एकीकृत पैकेज के साथ) प्रदान करना, चाहे उनकी रोजगार की स्थिति कुछ भी हो **एकीकृत पैकेज (मिशन पोषण 2.0 के साथ)** • डे केयर सुविधाएं • 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक प्रेरणा • 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए प्री-स्कूल शिक्षा • पूरक पोषाहार (स्थानीय रूप से व्यवस्था की जानी है) • शारीरिक विकास निगरानी और स्वास्थ्य जांच • टीकाकरण
प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)	• इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के अनुसार लागू किया गया है। इसे **एकीकृत बाल विकास सेवाओं (ICDS)** के तहत लागू किया गया है। **गर्भवती और स्तनपान कराने वाली मां को सहायता** • **मुफ्त भोजन: गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के छह महीने बाद** स्थानीय आंगनवाड़ी के माध्यम से दिया जाएगा **लिंगानुपात में सुधार** • **पहले दो जीवित बच्चों के लिए लागू,** बशर्ते कि **दूसरी संतान एक लड़की हो।** • यहां तक कि यदि **दूसरे गर्भ से दो / तीन / चार बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें** **नियमित निगरानी** प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना-**कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (PMMVY-CAS),**

 © Vision IAS

	• वेतन हानि के लिए **आंशिक मुआवजा** (6000 रुपये तक) दिया जाएगा **एक या अधिक बच्चा लड़की** हैं, तो भी लागू। • **समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों की महिलाओं के लिए** दो किस्तों में **कम-से-कम 5,000 रुपये का सशर्त मातृत्व लाभ।** • जननी सुरक्षा योजना (JSY) जैसी किसी अन्य योजना के तहत उपलब्ध किसी भी **अतिरिक्त प्रोत्साहन का लाभ** उठाना **जारी रहेगा।** ○ **इस प्रकार,** औसतन एक **महिला को 6000/- रुपये** मिलेंगे।
महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए हब (HEW)	• इसे **केंद्र तथा राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तर** पर महिलाओं के लिए बनाई गई **योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय समन्वय की सुविधा हेतु** बनाया जा रहा है।
जेंडर बजटिंग	• इस घटक के अंतर्गत **जेंडर बजटिंग, अनुसंधान, प्रकाशन और निगरानी योजनाओं** को शामिल किया गया है। • आर्थिक सशक्तिकरण के लिए **अंतराल (Gap) फंडिंग का एक नया घटक** भी जोड़ा गया है। • **महिला शक्ति केंद्र (MSK) और महिला पुलिस स्वयंसेवी (MPV)** की उप-योजनाओं को **बंद कर दिया** गया है। **टिप्पणी:** • भारत सरकार द्वारा **2005-06 में जेंडर बजटिंग को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने** और सरकारी योजना और बजट के माध्यम से निरंतर निवेश सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण के रूप में अपनाया गया था। • लैंगिक असमानताओं को कम करने हेतु **लैंगिक समानता के लिए वित्तपोषण करना इसका** केंद्रीय घटक है और इस प्रयास में लैंगिक बजट एक महत्वपूर्ण रणनीति है।
अन्य प्रमुख प्रावधान	
अभिसरण	• योजनाओं के अभिसरण की रणनीति और **वांछित परिणामों को प्राप्त करने** के प्रयासों के माध्यम से योजनाओं कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से लागू करना।
प्रस्तावों का अनुमोदन	• राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वित्तीय प्रस्तावों को अनुमोदित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) द्वारा गठित एक **कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (PAB)।**
जियो-टैगिंग	• वास्तविक समय के आधार पर मानचित्रण, विश्लेषण और निगरानी करने के लिए मंत्रालय द्वारा समर्थित **सभी संस्थानों को** जियो टैग किया गया है।
सामाजिक लेखा-परीक्षा	• उन लोगों से **प्रत्यक्ष फीडबैक** प्राप्त किया गया है जिन्होंने उपयुक्त साक्ष्य एकत्र करने के तरीकों के माध्यम से योजना के तहत सेवाओं का लाभ उठाया है।
राज्य सरकारों द्वारा पूरी की जाने वाली अनिवार्य शर्तें	• **मंत्रालय की सभी योजनाओं** में - **सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSSs) के उनके आधिकारिक नाम** [स्थानीय भाषा में सही अनुवाद के साथ अनुमत] से और **CSSs की ब्रांडिंग के संबंध में** केंद्र द्वारा जारी किसी भी **दिशा-निर्देश/अनुदेश** का पूर्ण अनुपालन। • CSSs के तहत धन जारी करने की नई प्रक्रिया के संबंध में **व्यय विभाग के निर्देशों** या समय-समय पर जारी किए गए विषय पर किसी अन्य निर्देश का पूर्ण अनुपालन।

27.1.1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (Beti Bachao Beti Padhao)

स्मरणीय तथ्य

- **लक्ष्य:** देश भर में बालिकाओं के प्रति दृष्टिकोण में, व्यावहारिक और सामाजिक परिवर्तन लाना।
- **वित्त पोषण: केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषण** प्रदान किया जाएगा।
- **नकद लाभ:** प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) या पूंजीगत संपत्ति के निर्माण हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
- **कवरेज:** देश के **सभी जिले।**

उद्देश्य

- **जन्म के समय लिंगानुपात (SRB)** में **प्रत्येक वर्ष 2 अंकों का सुधार** करना।
- **संस्थागत प्रसव** के प्रतिशत में सुधार करना अथवा **95% या उससे अधिक** की दर पर बने रहना।
- प्रति वर्ष पहली तिमाही में **एंटी-नेटल केयर (ANC) पंजीकरण** में **1% की वृद्धि** करना।

- **माध्यमिक शिक्षा स्तर पर नामांकन में 1% की वृद्धि** और प्रति वर्ष **लड़कियों/महिलाओं के कौशल में वृद्धि करना।**
- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तरों पर **लड़कियों के ड्रॉप आउट दर को संतुलित करना।**
- सुरक्षित **मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन (MHM)** के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

प्रमुख विशेषताएं

पृष्ठभूमि (Background)	• बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP) योजना 2015 में **बाल लिंग अनुपात (CSR) में गिरावट के समाधान** के साथ-साथ **जीवन चक्र निरंतरता** से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु शुरू की गई थी।
मुख्य ध्यान (Prime focus)	• यह योजना मुख्य रूप से सभी हितधारकों को सूचित करने, प्रभावित करने, प्रेरित करने, संलग्न करने और सशक्त बनाने के साथ देश भर में बालिकाओं के प्रति **व्यवहार और सामाजिक परिवर्तन लाने** पर केंद्रित है।
बहुक्षेत्रीय हस्तक्षेप (Multisectoral interventions)	**इसके क्रियान्वयन में शामिल प्रमुख मंत्रालय हैं:** शिक्षा मंत्रालय; स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय; कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय; अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय; गृह मंत्रालय; पंचायती राज मंत्रालय; आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय।
क्षमता निर्माण (Capacity building)	• जिला परिषद, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA), आदि में अग्रिम पंक्ति के **कार्यकर्ताओं, चिकित्सकों, अधिकारियों का संवेदीकरण करना।**
बाल विवाह को रोकना (Preventing Child Marriage)	• **बाल विवाह पर निगरानी रखना और उन्हें रोकने के लिए सख्त कार्रवाई करना।**
सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार (Social and Behaviour Change Communication: SBCC)	**व्यवहार परिवर्तन के लिए प्रमुख गतिविधियां:** • **प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस** मनाना। • **लड़कों की संख्या की तुलना में जन्म लेने वाली लड़कियों की संख्या को प्रदर्शित** करने के लिए ग्राम पंचायतों (GPs) और सार्वजनिक स्थानों पर **गुड्डी-गुड्डा बोर्डों का प्रदर्शन।** • लड़कियों के मूल्य और उनकी जरूरतों को बेहतर ढंग से समझने के लिए **माता-पिता/परिवारों के साथ जागरूकता गतिविधियां आयोजित करना।**
गतिविधि कैलेंडर (Activity Calendar)	• यह कैलेंडर **जिलों के लिए प्रत्येक माह के भीतर कई गतिविधियां** निर्धारित करता है। • हालांकि, **जिले अपने स्थानीय संदर्भ और जरूरतों के आधार पर अपनी गतिविधियों का संचालन करने का विकल्प चुन सकते** हैं।
वित्तपोषण (Financing)	• **केंद्र सरकार** द्वारा **100% वित्तपोषण** प्रदान किया जाता है। • **जिलों की विभेदकारी SRB स्थिति के आधार पर** जिलों को धन का आवंटन किया गया है।
जिला स्तरीय स्कोर कार्ड (District Level Scorecard)	• **मिशन शक्ति MIS सिस्टम से निकाले गए डेटा** के आधार पर स्कोर दिया जाता है। • जिला स्कोर कार्ड के अनुसार **वार्षिक जिला BBBP रैंकिंग** जारी की जाएगी। • इस डेटा का उपयोग **राज्य के प्रदर्शन को जांचने के लिए** किया जाएगा।
कार्यान्वयन (Implementation)	• मिशन शक्ति शासनादेश के तहत बनाई गई **समिति** इसके कार्यान्वयन की समीक्षा करने वाली शीर्ष समिति होगी। **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) के सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे।**
संबंधित पहलें (Related initiatives)	
सुकन्या समृद्धि खाता (SSA) योजना (Sukanya Samriddhi Account: SSA Scheme)	• इस **छोटी जमा योजना** का उद्देश्य **बालिकाओं की शिक्षा और विवाह के खर्चों को पूरा करना है।**

एक बालिका के नाम पर **एक खाता** तब तक खोला जा सकता है जब तक कि **वह 10 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती है, न्यूनतम 250 रुपये की प्रारंभिक जमा राशि** और उसके बाद 50 रुपये के गुणकों में राशि जमा की जाएगी।	एक खाते में जमा की गई कुल राशि **एक वित्तीय वर्ष में 1,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।**	**जमा की गई राशि पर ब्याज** (समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित दर पर) की **वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना** की जाएगी और खाते में जमा की जाएगी।
खाता खोलने की तिथि से **21 वर्ष के बाद** या बालिका के विवाह के समय यह	खाते को **भारत में कहीं भी एक डाकघर/बैंक से दूसरे डाकघर/बैंक में**	**इस योजना को सभी डाकघरों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं**

	परिपक्व होगा। बालिका की **मृत्यु, निवास स्थान में परिवर्तन, चिकित्सा आपात स्थिति आदि के कारण समय से पहले खाता बंद किया जा सकता है।**	**स्थानांतरित** किया जा सकता है।	**और तीन निजी क्षेत्रक के बैंकों** - HDFC बैंक, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

27.2. सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (Saksham Anganwadi and Poshan 2.0)

स्मरणीय तथ्य

- **लक्ष्य:** पोषण सामग्री और वितरण में रणनीतिक बदलाव के माध्यम से कुपोषण की चुनौतियों का समाधान करना।
- **प्रकार**: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **योजना का मूल्यांकन: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** (MoWCD) **द्वारा नामांकित** किसी प्रतिष्ठित **तीसरे पक्ष द्वारा** योजना का मूल्यांकन किया जाएगा।
- **योजना की अवधि**: वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक।

उद्देश्य

- देश के **मानव पूंजी विकास** में योगदान देना और **कुपोषण** की चुनौतियों का समाधान करना।
- संधारणीय स्वास्थ्य और कल्याण के लिए पोषण जागरूकता और **खाने की अच्छी आदतों** को बढ़ावा देना।

- **मुख्य विशेषताएं**

पृष्ठभूमि (Background)	• **एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) योजना** की शुरुआत 1975 में की गई थी। यह प्रारंभिक बचपन की देखभाल और विकास के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम कार्यक्रम है। ○ **6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं** इस योजना की लाभार्थी थीं। ○ ICDS **में आंगनवाड़ी सेवा योजना (ASS) को शामिल किया गया है।** ○ **छह में से तीन सेवाएं** राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना द्वारा प्रदान की जाती हैं। • **पोषण अभियान**, सर्वांगीण पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना है। इस योजना को आंगनवाड़ी सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार करके मिशन मोड में ठिगनेपन (Stunting), अल्प-पोषण एवं छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों में एनीमिया तथा जन्म के समय अल्प वजन को कम करने के लिए शुरू किया गया था। ○ **इसके तहत 18 मंत्रालयों/विभागों के उच्च प्रभाव वाली कार्रवाइयों के प्रभाव का आकलन किया गया।** इसमें विशेष रूप से गर्भधारण के बाद से बच्चे के जीवन के पहले 1000 दिनों के दौरान की अवधि शामिल है। • **आंगनवाड़ी सेवा रोजना** ○ पूरक पोषण ○ स्कूल जाने से पूर्व अनौपचारिक शिक्षा ○ पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा ○ टीकाकरण ○ हेल्थ चेकअप ○ रेफरल सेवाएं
मिशन पोषण 2.0 (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0)	• **इसे एक एकीकृत पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था।** • **उद्देश्य: पोषण सामग्री, वितरण, पहुंच (आउटरीच) और परिणामों को मजबूत करने के लिए** विकासशील प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो स्वास्थ्य, कल्याण और रोग से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं एवं कुपोषण को दूर करते हैं।
लाभार्थी	• 0-6 वर्ष तक की आयु के बच्चे। • गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं **(PW&LM)**। • पूर्वोत्तर के साथ-साथ राज्यों के आकांक्षी जिलों में भी **14-18 वर्ष आयु वर्ग की सभी किशोरियों को लाभार्थी** माना गया है।

प्रमुख स्तम्भ (Key pillars)	• **तालमेल, गवर्नेंस और क्षमता निर्माण**
प्रमुख घटक (Key component)	• **पोषण और किशोरियों के लिए पोषण सहायता।** • **प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा (3-6 वर्ष) और** प्रारंभिक उद्दीपन (0-3 वर्ष) • **सक्षम आंगनवाड़ी के तहत** देश भर में **प्रति वर्ष 40,000 आंगनबाड़ी केंद्रों की दर से कुल 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत और अपग्रेड किया जाएगा।** • **पोषण में सुधार के एजेंडे को जन आंदोलन में बदलने के लिए पोषण अभियान चलाया जायेगा।**
आहार विविधता (Diet diversity)	• **स्थानीय आहार आदानों और ताजा उपज (**हरी सब्जियां, फल, औषधीय पौधे और जड़ी-बूटियां), **फोर्टिफाइड चावल और मोटे अनाज (Millets) को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा।** • **सप्ताह में कम-से-कम एक बार मोटे अनाज (Millets) की आपूर्ति अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए और इसे** स्वादिष्ट रूप में **टेक होम राशन (कच्चा राशन नहीं) और गर्म पका हुआ भोजन (HCM) में** उपयुक्त रूप से एकीकृत किया जाना चाहिए।
पोषण वाटिका (Poshan Vatikas)	• महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने **आंगनवाड़ी केंद्रों में या उसके आस पास और सरकारी स्कूलों एवं ग्राम पंचायत भूमि में** जहां संभव हो, पोषण वाटिका (रसोई उद्यान और पोषक-उद्यान) **विकसित करने का प्रस्ताव दिया है।**
परंपरागत ज्ञान का लाभ उठाना (Leveraging of traditional knowledge)	• **आयुष प्रथाओं के माध्यम से** ठिगनेपन (Stunting) और एनीमिया के अलावा बाल दुबलापन (Child wasting) और अल्प वजन के प्रसार को कम करना।
समुदाय का समर्थन (Community support)	• **आंगनवाड़ी कार्यकर्ता** कार्यक्रम के संचालन हेतु **सामुदायिक सहयोग और भागीदारी प्राप्त कर सकते हैं।**
पोषण ट्रैकर (Poshan Tracker)	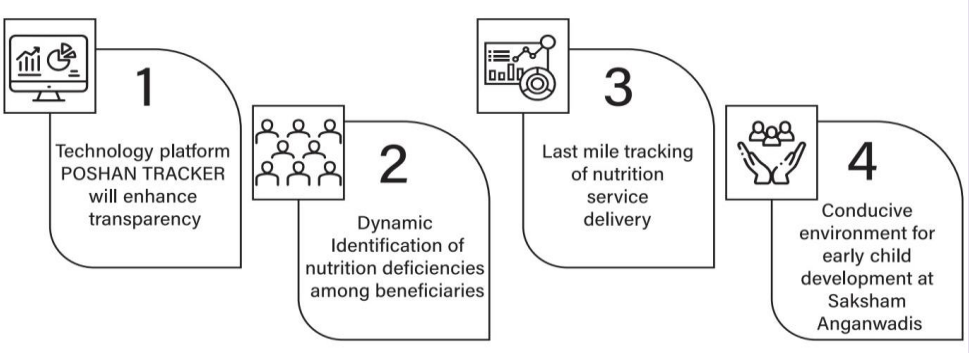 1. प्रौद्योगिकी मंच पोषण ट्रैकर पारदर्शिता को बढ़ावा देगा। 2. लाभार्थियों में अलग-अलग प्रकार की पोषक तत्वों की कमी का पता लगाया जाएगा। 3. पोषण सेवा वितरण का लाभ सभी को मिल रहा है या नहीं यह ट्रैक किया जाएगा। 4. सक्षम आंगनवाड़ियों में बाल विकास हेतु हितकर पर्यावरण का निर्माण करना।
लाभार्थी का पंजीकरण (Registration of beneficiary)	• **लाभार्थी को आधार पहचान के साथ निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र में पंजीकरण** कराना आवश्यक होगा। • **बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है,** माता के आधार कार्ड का उपयोग करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। • **आधार कार्ड प्राप्त करने में लाभार्थी** को सहायता प्रदान की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका (Role of District Magistrate)	• **जिला मजिस्ट्रेट,** पोषण स्तर और गुणवत्ता मानकों की निगरानी के लिए **जिले में नोडल प्वाइंट के रूप में कार्य** करेगा।
सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit)	• **सामाजिक अंकेक्षण** पोषण पंचायतों, माताओं के समूहों एवं ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समितियों (VHSNCs) जैसे हितधारकों द्वारा किया जाता है।
योजना के तहत अन्य पहलें (Other initiatives under the scheme)	
राष्ट्रीय पोषण माह (Rashtriya Poshan Maah)	• **'स्वस्थ भारत' के दृष्टिकोण** को साकार करने के लिए देश भर में **प्रत्येक वर्ष सितंबर माह को राष्ट्रीय पोषण माह** के रूप में मनाया जाता है। • यह संवेदीकरण अभियान, आउटरीच कार्यक्रम, पहचान अभियान, शिविर और मेला आदि के माध्यम से **जमीनी**

 © Vision IAS

	स्तर पर पोषण के बारे में जागरूकता के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
किशोरी स्वास्थ्य कार्ड (Kishori Health Cards)	• किशोरियों के लिए योजना (SAG) के तहत **आंगनबाड़ी केंद्र (AWC)** में किशोरी स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाते हैं। • **इसमें वजन, लंबाई, बॉडी मास इंडेक्स (BMI)** के बारे में जानकारी दर्ज की जाती है। • **यह कार्ड योजना के तहत उपलब्ध विभिन्न सेवाओं की जानकारी प्रदान करता है, जैसे- पोषण प्रावधान**, आयरन और फोलिक एसिड (IFA) पूरकता, कृमिनाशक, रेफरल सेवाएं और टीकाकरण आदि।
भारतीय पोषण कृषि कोष (B.P.K.K.)	• सभी जिलों में **भारत की फसल विविधता की जानकारी रखने वाला एक वेब पोर्टल** है। यह वर्तमान और ऐतिहासिक दोनों फसलों के लिए विकसित किया गया है। • फूड एटलस के रूप में कार्य करता है और इसका उद्देश्य **पारंपरिक और स्थानीय रूप से उपलब्ध पोषण युक्त फसलों के उत्पादन के लिए आवश्यक कृषि पारिस्थितिक संदर्भों से संबंधित डेटा** प्रदान करना है। • **यह योजना बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (BMGF)** के सहयोग से संचालित है।

27.3. मिशन वात्सल्य (Mission Vatsalya)

स्मरणीय तथ्य (Quick facts)

केंद्र प्रायोजित योजना

- **लक्ष्य:** प्रत्येक बच्चे के लिए एक स्वस्थ और खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना और उन्हें अपनी पूर्ण क्षमता को प्रकट करने के लिए अवसर प्रदान करना।
- **प्रकार:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **राज्यों को वित्तपोषण: राज्यों को महिला एवं बाल विकास सचिव** के तहत **मिशन वात्सल्य परियोजना स्वीकृति बोर्ड (PAB)** के अनुमोदन से वित्त प्रदान किया जाता है।
- **योजना की अवधि: वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक।**

उद्देश्य

- **उत्तरजीविता, विकास, संरक्षण और भागीदारी हेतु** बच्चों के **अधिकार को** सुनिश्चित करना।
- बच्चों की सहायता करने के लिए **निजी क्षेत्रक की भागीदारी और हस्तक्षेप को प्रोत्साहित करना।**
- बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुनिश्चित करने के लिए **सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना और सभी स्तरों पर समुदाय एवं स्थानीय निकायों को हितधारक के रूप में शामिल करना।**
- सभी स्तरों पर **कर्तव्य धारकों और सेवा प्रदाताओं की क्षमता का निर्माण करना।**

मुख्य विशेषताएं

पृष्ठभूमि	• इस मिशन में तत्कालीन **बाल संरक्षण सेवाएं (CPS) और बाल कल्याण सेवाएं भी शामिल हैं।** • **किशोर न्याय देखभाल और संरक्षण प्रणाली को मजबूत करने के साथ-साथ बाल अधिकारों, उनके समर्थन और जागरूकता** पर बल देना। • **'कोई बच्चा पीछे न छूटे'** आदर्श वाक्य है।
योजना के लिए विधायी अधिदेश (Legislative mandates for the scheme)	• **किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम (JJ अधिनियम), 2015** • **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012**
प्रमुख घटक	• वैधानिक निकायों के कामकाज में सुधार करना। • सेवा वितरण सेवाओं को मजबूत करना। • संस्थागत देखभाल/ सेवाओं के स्तर को ऊपर उठाना। • गैर-संस्थागत समुदाय-आधारित देखभाल को प्रोत्साहित करना। • ड्यूटी करने वालों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करना।
संस्थागत सेवाएं (Institutional	• **बाल देखभाल संस्थान (CCIs)**: बच्चों की आवासीय देखभाल के लिए राज्य सरकार को प्रत्येक जिले या जिलों के समूह में **बाल देखभाल संस्थान** स्थापित करने चाहिए।

Services)

CCIs के प्रकार

देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए (CNCP): बाल गृह, खुले आश्रय, विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियां (SAAs), पालना शिशु स्वागत केंद्र (Cradle Baby Reception Centre)।	**कानून के साथ संघर्षरत बच्चों के लिए (Children in Conflict with Law :CCL):** निरीक्षण गृह, विशेष घर, सुरक्षित स्थान।	**वात्सल्य सदन:** किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के कार्यान्वयन के लिए **एकल परिसर में** CCIs, किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति बनाई जानी चाहिए।

- **स्वच्छता कार्य योजना (SAP): CCIs के लिए** राज्यों/संघ शासित प्रदेशों **द्वारा विकसित की जाएगी।**

बच्चों के लिए गैर-संस्थागत देखभाल सेवा (Non Institutional Care Services for children)

प्रयोजक (Sponcership)	**पालन पोषण संबंधी देखभाल (Foster Care)**	**दत्तक-ग्रहण (Adoption)**	**देखभाल के पश्चात् (After Care)**
विस्तारित परिवारों/जैविक रिश्तेदारों के साथ रहने वाले सुभेद्य **बच्चों को** वित्तीय सहायता देना।	बच्चे के पालन-पोषण के लिए **जैविक रूप से असंबंधित माता-पिता** को वित्तीय सहायता देना।	विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसियों (SAAs) द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है।	18 वर्ष की आयु पूरी होने पर CCI छोड़ने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता। यह सहायता 21 वर्ष तक दी जाती है, जिसे 23 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है।

पी.एम. केयर्स (PM CARES) के तहत बालकों के लिए प्रावधान:

- **गैर-संस्थागत** देखभाल के लिए अभिभावक के खाते में प्रत्येक बच्चे को **4,000 रुपये प्रतिमाह** की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- **संस्थागत देखभाल के अधीन बच्चों की देखरेख के लिए बाल देखभाल संस्थानों** को **3,000 रुपये प्रतिमाह** अनुदान दिया जाएगा।
- **राज्य योजना के तहत बच्चों के जीवन निर्वाह में सहायता के लिए अलग से कोई अन्य प्रावधान भी किया जा सकता है।**

कार्यान्वयन के लिए संस्थागत ढांचा (Institutional framework for implementation)

राज्य स्तर	• राज्य बाल कल्याण और संरक्षण समिति: योजना के पर्यवेक्षण के लिए। • राज्य बाल संरक्षण सोसायटी (SCPS): योजना के कार्यान्वयन के लिए। • प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में राज्य दत्तक-ग्रहण संसाधन एजेंसी (SARA): केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) की सहायता करने के लिए।
जिला स्तर	• जिलाधिकारी के तहत जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति। • किशोर न्याय अधिनियम के क्रियान्वयन के तहत किशोर न्याय बोर्ड (JJB)। • बच्चों के साथ पुलिस इंटरफेस का समन्वय और उन्नयन करने के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाइयां।
शहर स्तर	• बालकों के अनुरूप पुलिस इंटरफेस को समन्वित और अपग्रेड करने के लिए नामित विशेष किशोर पुलिस इकाइयां।

 © Vision IAS

	• विशेष किशोर पुलिस इकाइयों में पुलिस अधिकारियों को **बाल कल्याण अधिकारियों** के रूप में नामित किया गया है ताकि वे **बच्चों के अनुरूप पुलिस इंटरफेस** को समन्वयित और अपग्रेड कर सकें।
मिशन वात्सल्य पोर्टल	• यह कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों से संबंधित विभिन्न प्रबंधन सूचना प्रणालियों (MIS) के लिए एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। **मिशन वात्सल्य पोर्टल निम्न को एकीकृत करेगा** **ट्रैक चाइल्ड** (लापता/पाए गए बच्चों के लिए), **केयरिंग्स** (बच्चों को गोद लेने के लिए), **खोया-पाया** (लापता और पाए गए बच्चों के लिए नागरिक केंद्रित मोबाइल ऐप्लिकेशन)। **ICPS पोर्टल** (योजना की निगरानी के लिए)
चाइल्ड हेल्पलाइन (Child Helpline)	• मिशन वात्सल्य राज्यों और जिलों के साथ साझेदारी में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत परिभाषित **बच्चों के लिए 24×7 हेल्पलाइन सेवा** शुरू करेगा।
राज्यों के लिए दायित्व (Obligations for states)	• इस योजना के तहत केंद्रीय धन और लाभों का उपयोग करने के लिए **राज्यों को केंद्र द्वारा दिए गए आधिकारिक नाम को बनाए रखना होगा।**

27.4. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

जेंडर चैंपियंस योजना (Gender Champions scheme)

- **उद्देश्य:** एक ऐसे **लैंगिक न्यायपूर्ण समाज (Gender just society)** की ओर बढ़ना जो महिलाओं के साथ समान व्यवहार करता है।
- **शुभारंभ:** यह **महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय)** का एक सहयोगात्मक प्रयास है।
- जेंडर चैंपियंस की ऐसे जिम्मेदार नेतृत्वकर्ताओं के रूप में कल्पना की गई है, जो अपने स्कूलों/कॉलेजों/शैक्षणिक संस्थानों के भीतर एक ऐसे सक्षम परिवेश का निर्माण करेंगे, जिसमें लड़कियों के साथ गरिमापूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार किया जाता हो।
- शैक्षिक संस्थानों में नामांकित 16 वर्ष से अधिक आयु के लड़के और लड़कियां, दोनों **जेंडर चैंपियंस** बन सकते हैं।

पीएम केयर्स (आपात स्थिति में प्रधानमंत्री की नागरिक सहायता और राहत) {PM Cares (Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations)}

- 11 मार्च 2020 के बाद कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता-पिता दोनों को खोने वाले बच्चों के लिए इसे 2021 में शुरू किया गया।
- **उद्देश्य: सतत तरीके से बच्चों की व्यापक देखभाल और सुरक्षा** सुनिश्चित करना।
- लाभार्थी बच्चों को **स्वास्थ्य बीमा** प्रदान करता है, उन्हें **शिक्षा** के माध्यम से सशक्त बनाता है और **23 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए तैयार करता है।**

बच्चों के लिए लाभ	**वित्तीय सहायता** - सभी बच्चों के लिए 10 लाख रुपये की राशि।	**बोर्डिंग और लॉजिंग के लिए सहायता** - सभी बच्चों का पुनर्वास।	**स्कूली शिक्षा के लिए सहायता** - स्कूलों में प्रवेश।
	उच्चतर शिक्षा के लिए सहायता - उच्चतर शिक्षा के लिए शैक्षिक ऋण। ऋण पर ब्याज का भुगतान PM CARES द्वारा किया जाता है।	**स्वास्थ्य बीमा** - आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर।	**छात्रवृत्ति** - स्कूल जाने वाले सभी बच्चों (कक्षा 1-12) के लिए प्रतिवर्ष प्रति बच्चा 20,000 रुपये।

महिला ई-हाट (Mahila E-Haat)

- यह महिलाओं के लिए **एक ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफार्म** है।
- **लाभार्थी** - 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की सभी भारतीय महिला नागरिक और महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs)
- यह महिला उद्यमियों की आकांक्षाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक पहल है। इसके माध्यम से महिला उद्यमियों द्वारा निर्मित/विनिर्मित/बिक्री योग्य उत्पादों के प्रदर्शन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है।
- **इसे राष्ट्रीय महिला कोष** से प्राप्त निवेश से स्थापित किया गया है।
- राष्ट्रीय महिला कोष महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत एक **स्वायत्त निकाय है**। यह महिलाओं के **सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण** के लिए **सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860** के तहत पंजीकृत है।

सुपोषित माँ अभियान (Suposhit Maa Abhiyan)

- **उद्देश्य:** नवजात बच्चों और गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ रखना और कुपोषण-मुक्त भारत का निर्माण करना।
  - इस अभियान की शुरुआत राजस्थान के कोटा से की गई है।
- इस अभियान के तहत, 1,000 महिलाओं को एक माह के लिए भोजन सामग्री प्रदान की जाएगी।
- साथ ही, बच्चे के स्वास्थ्य को कवर किया जाएगा, जिसमें चिकित्सा परीक्षण, रक्त परीक्षण, औषधियां, प्रसव आदि शामिल हैं।
- पहचान की गई महिलाओं को इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वेबसाइट पर पंजीकरण करावाना आवश्यक होगा।
- एक परिवार से केवल एक गर्भवती महिला को ही लाभार्थी के रूप में शामिल किया जाएगा।

28. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय (Ministry of Youth Affairs and Sports)

28.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम (Target Olympic Podium Scheme: TOPS)

- **उद्देश्य:** भारत के शीर्ष एथलीटों को सहायता प्रदान करना।
- **लाभार्थियों की पहचान**: खेल विभाग उन एथलीटों की पहचान करता है जो ओलंपिक पदक विजेता बनने हेतु सक्षम हैं।
- यह योजना भविष्य पर दृष्टि रखती है और एथलीटों के ऐसे विकासात्मक समूहों को निधि प्रदान करती है, जो **2024 में पेरिस में और 2028 में लॉस एंजेलिस में आयोजित होने वाले ओलंपिक खेलों** में पदक जीतने की क्षमता रखते हैं।

राष्ट्रीय युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम (Rashtriya Yuva Sashaktikaran Karyakram)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **उद्देश्य:** इस योजना का उद्देश्य युवाओं के व्यक्तित्व और नेतृत्व गुणों को विकसित करना तथा उन्हें राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में शामिल करना है।
- **लाभार्थी:** युवा (15-29 वर्ष) और किशोर (10-19 वर्ष)
- **योजना की अवधि:** वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक।
- यह योजना **युवाओं को** राष्ट्रीय निर्माण के लिए अपार युवा ऊर्जा का उपयोग करने के लिए **उत्कृष्टता हेतु प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है।**
- **योजना के अंतर्गत 7 उपयोजनाएं शामिल हैं:**
  1. नेहरू युवा केंद्र संगठन (NYKS)
  2. राष्ट्रीय युवा कोर (NYC)
  3. राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (NPYAD)
  4. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
  5. राष्ट्रीय युवा नेता कार्यक्रम (NYLP)
  6. स्काउटिंग और गाइडिंग संगठनों को सहायता
  7. यूथ होस्टल्स (YH)

खेलो इंडिया - खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (Khelo India- National programme for development of sports)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है।
- **उद्देश्य:** बड़े पैमाने पर भागीदारी और खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना।
- **योजना की अवधि:** वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक।
- योजना के तहत प्राप्त सभी प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए **परियोजना मूल्यांकन समिति (Project Appraisal Committee:PAC)।**
- **स्वीकृत परियोजनाएं** तीसरे पक्ष की निगरानी **सहित कड़ी निगरानी के अधीन होंगी।**
- **प्रभारी मंत्री की** अध्यक्षता में **एक सामान्य परिषद (GC) शीर्ष नीति निर्माता निकाय के** रूप में कार्य करती है।
- खेल प्रतियोगिता एवं प्रतिभा विकास घटक के तहत **'खेलो इंडिया विंटर गेम्स'** को शामिल किया गया है।

खेलो इंडिया के प्रमुख घटक

- खेल प्रतियोगिताओं और प्रतिभा का विकास।
- खेलो इंडिया केंद्र और खेल अकादमी।
- फिट इंडिया मूवमेंट।
- खेलों के माध्यम से समावेशिता को बढ़ावा देना।
- खेल अवसंरचना का निर्माण और उनका उन्नयन।

राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme: NSS)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **प्रकार:** यह केंद्रीय क्षेत्रक योजना है।
- **उद्देश्य:** सामुदायिक सेवा प्रदान करने **हेतु युवा छात्रों को व्यावहारिक अनुभव** प्रदान करना।
- यह योजना भारत में **11वीं एवं 12वीं कक्षा के युवा स्कूली छात्रों** और तकनीकी संस्थानों के युवा छात्रों को अवसर प्रदान करती है। **आदर्श वाक्य:** "मैं नहीं, बल्कि आप (NOT ME, BUT YOU)"
- **स्नातक एवं परास्नातक** के युवा छात्रों को विभिन्न **सरकारी नेतृत्व वाली सामुदायिक सेवा** संबंधी गतिविधियों तथा कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है।

29. नीति आयोग (Niti Aayog)

29.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

अटल नवोन्मेष मिशन (Atal Innovation Mission: AIM)

केंद्रीय क्षेत्रक की योजना

- **प्रकार:** यह **केंद्रीय क्षेत्रक एक योजना** है।
- **उद्देश्य**: देश में नवाचार संस्कृति और उद्यमशीलता पारितंत्र निर्मित करना।
- **योजना की अवधि:** मार्च 2023 तक।
- अटल नवोन्मेष मिशन **स्कूल, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थानों, MSMEs और उद्योग स्तरों के** लिए मध्यवर्ती तंत्र प्रदान करता है (बॉक्स देखें)।

अटल टिंकरिंग लैब्स (स्कूल स्तर पर)

ये ऐसे केंद्र हैं जहां कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्र नवीन कौशल सीखते हैं और ऐसे विचारों का विकास करते हैं। इसके तहत अटल टिंकरिंग मैराथन का आयोजन किया जा रहा है।

अटल इन्क्यूबेशन सेंटर (AICs) और अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर (ACIC)

विश्वविद्यालयों और उद्योग में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, SME और कॉर्पोरेट उद्योग स्तर पर इनकी स्थापना की जाती है।

मेंटर इंडिया अभियान

अटल टिंकरिंग लैब में छात्रों को मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के इस कार्य में अग्रणी भूमिका निभाने वाले लोगों को शामिल करना। उद्योग, शैक्षिक जगत, सरकार, वैश्विक सहयोग इसकी सफलता की कुंजी है।

अटल न्यू इंडिया चैलेंज (ANIC)

सामाजिक एवं वाणिज्यिक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए प्रौद्योगिकी संचालित नवाचारों और उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देना।

ARISE- ANIC

इसरो और रक्षा, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आवासन एवं शहरी कार्य **मंत्रालयों** की भागीदारी के साथ **प्रायोगिक अनुसंधान और नवाचार** को बढ़ावा देना।

- **2 मुख्य कार्य:**
  - **स्व-रोजगार और प्रतिभा उपयोग (Self-Employment and Talent Utilization: SETU) योजना** के माध्यम से **उद्यमशीलता को प्रोत्साहन**, जिसमें इन्नोवेटर (innovators) को सफल उद्यमी बनने हेतु समर्थन एवं परामर्श प्रदान किया जाएगा।
  - **नवाचार को प्रोत्साहन:** नवाचारी विचारों के सृजन के लिए मंच उपलब्ध करवाना।
- **ANIC 2.0: यह 7 क्षेत्रकों में चुनौतियों को कम करता है जैसे कि**; ई-मोबिलिटी, सड़क परिवहन, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग, स्वच्छता प्रौद्योगिकी, आदि।
- **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से कुछ पहल:**
  - **AIM - SIRIUS** (स्टूडेंट इनोवेशन एक्सचेंज प्रोग्राम) यह रूस के साथ नवाचार सहयोग कार्यक्रम है।

- **AIM - ICDK** (इनोवेशन सेंटर डेनमार्क) डेनमार्क के साथ **वाटर चैलेंज** कार्यक्रम है।
- **ऑस्ट्रेलिया के साथ IACE** (इंडिया ऑस्ट्रेलिया सर्कुलर इकोनॉमी हैकथॉन)।

मानव पूंजी के रूपांतरण के लिए संधारणीय (साथ) कार्यक्रम {Sustainable Action For Transforming Human Capital (SATH) Programme}

- **उद्देश्य**: मानव पूंजी परिवर्तन के लिए संधारणीय कार्रवाई हेतु **'साथ (SATH-E)'** कार्यक्रम दो मुख्य क्षेत्रकों - शिक्षा और स्वास्थ्य में तीन 'रोल मॉडल' राज्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

शिक्षा	स्वास्थ्य
मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा	असम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश

- इसे नीति आयोग और भागीदार राज्यों के मध्य एक **लागत-साझाकरण** तंत्र के माध्यम से वित्तपोषित किया जाएगा।

परिवर्तनकारी गतिशीलता और बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन (National Mission on Transformative Mobility and Battery Storage)

- **उद्देश्य:** भारत में **"स्वच्छ, संबद्ध (कनेक्टेड), साझा और संधारणीय" गतिशीलता पहल को बढ़ावा** देना है।
- इस हेतु एक **अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति गठित की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के CEO** करेंगे।

मिशन का फोकस

- विनिर्माण
- विनियामक ढांचा
- अनुसंधान एवं विकास
- मांग सृजन और अनुमान लगाना
- वित्तीय प्रोत्साहन
- विनिर्देश और मानक

- यह मिशन **EVs, EV घटकों और बैटरियों** हेतु परिवर्तनकारी मॉडल एवं **चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम** (PMP) के लिए रणनीतियों की सिफारिश और संचालन करेगा।
- PMP **5 वर्ष के लिए अर्थात् 2024 तक वैध होगा।**

आकांक्षी जिलों का कायाकल्प कार्यक्रम (Transformation of Aspirational Districts Programme: TADP)

- **उद्देश्य:** देश के **सबसे अविकसित जिलों में से कुछ को** तत्काल एवं प्रभावी रूप से **परिवर्तित करना।**
- **कवरेज: 112 आकांक्षी जिलों** (शुरुआत में 117) **को गरीबी, खराब स्वास्थ्य, शिक्षा और अवसंरचना की कमी के** आधार पर चुना गया था।
- **प्रत्येक जिले के सामर्थ्य पर फोकस करना** व तत्काल सुधार के लिए **आसानी से उपलब्ध सुविधाओं की पहचान करना।**
- **49 संकेतकों द्वारा 5 प्रमुख विषयगत क्षेत्रों के लिए ट्रैक किया जाता है।**
- **डैशबोर्ड वास्तविक समय के आधार पर प्रगति को दर्शाता है।**

कार्यक्रम के तीन मूल सिद्धांत

- जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा

 © Vision IAS

- नागरिकों और सरकार (केंद्र, राज्य, जिला) के पदाधिकारियों के बीच सहयोग
- केंद्र एवं राज्य की योजनाओं के साथ तालमेल

थीम		
स्वास्थ्य एवं पोषण 30%	शिक्षा 30%	कृषि एवं जल संसाधन 20%
वित्तीय समावेशन 5%	कौशल विकास 5%	अवसंरचना 10%

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम (Aspirational Block Programme)

- **पृष्ठभूमि:** आकांक्षी जिला कार्यक्रम के मॉडल पर आधारित।
- **उद्देश्य**: स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास और अवसंरचना जैसी **आवश्यक सरकारी सेवाओं** के संपूर्ण विकास के प्रयास किए जा रहे हैं।
- **कवरेज**: देश में 500 ब्लॉक।

यूथ को: लैब इंडिया (Youth Co: Lab India)

- **शुभारंभ:** UNDP इंडिया और सिटी फाउंडेशन ने अटल नवोन्मेष मिशन (AIM) के साथ साझेदारी में इसकी शुरुआत की है।
- **उद्देश्य**: नेतृत्व, सामाजिक नवाचार और उद्यमिता के माध्यम से **SDGs के कार्यान्वयन में तेजी लाने हेतु इसमें निवेश करने और युवाओं को सशक्त बनाने** के लिए **एशिया-प्रशांत देशों के लिए क्षेत्रीय रूप से एक साझा एजेंडा तैयार करना।**
- स्टार्ट-अप्स के स्तर को बढ़ाने के लिए **आरंभिक अनुदान के माध्यम से प्रारंभिक चरण के स्टार्ट-अप्स का समर्थन करता है।**

30. प्रधान मंत्री कार्यालय (Prime Minister's Office)

30.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन (प्रगति) (Pro-Active Governance And Timely Implementation: PRAGATI)

- **उद्देश्य: सामान्य जन की शिकायतों का निवारण और** साथ ही केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा संचालित **महत्वपूर्ण परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की निगरानी** एवं समीक्षा करना।
- एक बहु-उद्देशीय और मल्टी-मॉडल प्लेटफार्म है, जो विशिष्ट रूप से **तीन नवीनतम प्रौद्योगिकियों** को समूहबद्ध करता है:
  - डिजिटल डेटा मैनेजमेंट;
  - वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा
  - भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी।
- इसमें एक त्रिस्तरीय प्रणाली है, जिसमें प्रधान मंत्री कार्यालय, केंद्र सरकार के सचिव तथा राज्यों के मुख्य सचिव सम्मिलित हैं।
- यह **सहकारी संघवाद** को सुनिश्चित करता है क्योंकि यह केंद्र सरकार के सचिवों और राज्यों के मुख्य सचिवों को एक ही मंच पर लाता है।

राष्ट्रीय रक्षा निधि (National Defence Fund)

- इसका उपयोग **सशस्त्र बलों (अर्धसैनिक बलों सहित) के सदस्यों एवं उनके आश्रितों के कल्याण** हेतु किया जाता है।
- **प्रशासनिक नियंत्रण:** यह **निधि एक कार्यकारिणी समिति के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। इस समिति में प्रधान मंत्री (अध्यक्ष के रूप में), रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री तथा गृह मंत्री (अन्य सदस्यों के रूप में) शामिल** होते हैं।
- **निधि के कोषाध्यक्ष: वित्त मंत्री**
  - इसके खाते (Accounts) की देखरेख भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की जाती है।
- यह निधि पूर्णतः जनता के **स्वैच्छिक योगदान पर निर्भर** है तथा इसे किसी भी प्रकार की बजटीय सहायता प्राप्त नहीं होती है।
  - **व्यक्तियों, संगठनों, ट्रस्टों, कंपनियों और संस्थानों आदि** से स्वैच्छिक दान स्वीकार करता है।
- NDF **के लिए किए गए सभी दान धारा 80(G) के तहत आयकर से मुक्त होते हैं।**

प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (Prime Minister's National Relief Fund : PMNRF)

- इसका गठन **पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की सहायता** हेतु 1948 में किया गया था, किन्तु यह संसद द्वारा गठित नहीं है।
  - अब इसका **उपयोग बड़ी दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल राहत** प्रदान करने हेतु किया जाता है।
- इस कोष को आयकर अधिनियम के तहत **एक ट्रस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त है।**
- **पूरी तरह से जनता के योगदान से गठित किया गया है और इसे कोई बजटीय सहायता प्राप्त नहीं है।**
- समग्र कोष की राशि का **अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में विभिन्न रूपों में निवेश** किया जाता है।
- प्रधान मंत्री द्वारा अनुमोदन के पश्चात् ही कोष से धनराशि का वितरण किया जाता है।
- प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) में किए गए अंशदान को **आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 (G) के तहत कर योग्य आय से 100 % छूट** प्राप्त है।

31. अंतरिक्ष विभाग/ इसरो की पहलें (Department of Space)/ ISRO's Initiatives

31.1. अन्य योजनाएं/ विविध पहलें (Other Schemes/Miscellaneous Initiatives)

भुवन पोर्टल (BHUVAN portal)

- **उद्देश्य:** उपयोगकर्ताओं द्वारा **पृथ्वी की सतह के 2D/3D प्रतिरूप** का अन्वेषण करने हेतु एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित करना।
- यह 350 से अधिक शहरों के लिए 1 मीटर रेज़ोल्यूशन वाले उपग्रह आँकड़ों के साथ प्रयोक्ताओं को उनके सुदूर संवेदन अनुप्रयोग आवश्यकताओं के लिए भी सेवाएं प्रदान करता है।
- **विभिन्न कार्यक्रमों को सहयोग प्रदान करना: विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा इसकी सेवाओं का उपयोग:**
  - पर्यावरण, वानिकी एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का **एनविस (ENVIS)** कार्यक्रम।
  - **'भुवन पंचायत'** नामक वेब पोर्टल जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकृत योजना निर्माण को सुलभ बनाता है।
  - **भुवन गंगा मोबाइल ऐप एवं वेब पोर्टल,** स्वच्छ गंगा परियोजना हेतु महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करता है।

युवा विज्ञानी कार्यक्रम (Yuva Vigyani Karyakram: YUVIKA)

- **उद्देश्य**: कार्यक्रम का उद्देश्य युवा छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर बुनियादी ज्ञान प्रदान करना है।
- **पात्रता**: 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र।
- CBSE, ICSE और राज्य पाठ्यक्रम को कवर करते हुए प्रत्येक वर्ष इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए **प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों से 3 छात्रों का चयन किया जाएगा**। ऐसे **छात्र जो 8वीं कक्षा पूरी कर चुके हैं और वर्तमान में 9वीं कक्षा** में पढ़ रहे हैं, वे इस कार्यक्रम के लिए पात्र होंगे।
- **चयन मानदंड में ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को विशेष महत्व दिया गया है।**

यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम (उन्नति) (Unispace Nanosatellite Assembly & Training programme: UNNATI)

- इस कार्यक्रम का शुभारंभ बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण एवं शांतिपूर्ण उपयोग पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की **50वीं वर्षगांठ (यूनीस्पेस +50)** के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी के दौरान किया गया।
- **उद्देश्य**: यह प्रशिक्षण **भाग लेने वाले विकासशील देशों को** नैनो उपग्रहों के संयोजन, एकीकरण और परीक्षण में अपनी क्षमताओं को मजबूत करने का **अवसर प्रदान** करता है।

विद्यार्थियों के साथ संवाद कार्यक्रम (Samvad with Students)

- इसरो (ISRO) ने विद्यार्थियों के साथ संवाद नामक एक **छात्र आउटरीच कार्यक्रम** आरंभ किया है जहां इसरो के अध्यक्ष अपनी बाह्य स्थान यात्राओं के दौरान विद्यार्थियों से मिलते हैं तथा उनके प्रश्नों का समाधान और वैज्ञानिक जिज्ञासाओं का निदान करते हैं।

साकार (Sakaar)

- यह एंड्रॉयड उपकरणों हेतु परिकल्पित **इसरो की एक ऑगमेंटेड रियलिटी (AR) एप्लीकेशन है।**
- यह एप्लीकेशन मार्स ऑर्बिटर मिशन (MOM), RISAT व PSLV, GSLV और Mk-III जैसे स्वदेशी रॉकेट्स के त्रि आयामी (3D) प्रतिरूपों को शामिल करता है।

32. विविध योजनाएं (Miscellaneous Schemes)

32.1. मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (NMP) {PM Gati Shakti National Master Plan (NMP) for Multimodal Connectivity}

स्मरणीय तथ्य

- **लक्ष्य:** उद्योगों की **उत्पादकता** और **रोजगार के अवसरों में सुधार** करना।
- **संचालन**: **आर्थिक परिवर्तन के 7 इंजनों** अर्थात् रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, जन परिवहन वाले हवाई अड्डे, लौजिस्टिक्स अवसंरचना द्वारा संचालित है।
- **लाभ**: **विभागीय अलगावों को कम करना तथा** परियोजनाओं के **समय और लागत** में कमी लाना।
- **कार्य-क्षेत्र:** सामाजिक और भौतिक अवसंरचना वाली परियोजनाओं को शामिल करता है।

उद्देश्य: विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी अवसंरचना निर्मित करना।

<table>
<tr><td>पृष्ठभूमि</td><td>• इस परियोजना की शुरुआत एक परिवर्तनकारी और संधारणीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2021 में 100 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ की गई थी।
• इसे भारत के अवसंरचनात्मक परिदृश्य को रूपांतरित करने के लिए शुरू किया गया था।</td></tr>
<tr><td>डिजिटल मंच</td><td>• गति शक्ति या मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान (NMP), इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना निर्माण और समन्वित कार्यान्वयन के लिए विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाने वाला एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है।</td></tr>
<tr><td>सरकार का समग्र दृष्टिकोण</td><td>• इसे बेहतर निर्णय-निर्माण और स्कूलों, अस्पतालों, सेवाओं, सार्वजनिक जनोपयोगी सेवाओं आदि के विस्तृत मानचित्रण जैसी परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए अपनाया जा रहा है।</td></tr>
<tr><td>लक्ष्य</td><td>
<table>
<tr><th colspan="6">2024-25 तक प्राप्त किए जाने वाले प्रमुख लक्ष्य</th></tr>
<tr><td>2 लाख कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करना।</td><td>रेलवे अपने नेटवर्क के 51% मार्गों पर भीड़ कम करने के साथ ही 1,600 मिलियन टन के कार्गो का परिवहन करेगा।</td><td>डबल एविएशन फुटप्रिंट के तहत 220 हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट और वाटर एयरोड्रोम का निर्माण किया जायेगा।</td><td>गैस पाइपलाइन नेटवर्क को डबल किया जायेगा।</td><td>विद्युत लाइनों के 4.52 लाख कि.मी. सर्किट और नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 225 GW तक पहुंचाना।</td><td>11 औद्योगिक गलियारे और दो नए रक्षा गलियारे का निर्माण करना।</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>भू-मानचित्रण (Geo-mapping)</td><td>• रीयल-टाइम अपडेशन के साथ सभी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का क्रियाशील मानचित्रण (Dynamic Mapping) BiSAG-N (भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन एंड जियोइन्फॉर्मेटिक्स) द्वारा विकसित मानचित्र के माध्यम से प्रदान की जाती है।
• मानचित्र ओपन-सोर्स प्रौद्योगिकियों पर बनाया गया है और भारत सरकार (अर्थात मेघराज) के क्लाउड पर सुरक्षित रूप से होस्ट किया गया है।</td></tr>
</table>

© Vision IAS

डेटा अपडेशन (Data updation)	• **आवधिक आधार पर अपने डेटा को अपडेट करने के लिए** अलग-अलग मंत्रालयों को **अलग-अलग लॉगिन आईडी** दी जाती है। • वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का **लॉजिस्टिक डिवीजन** (MoCI) **सभी हितधारकों को** अपने डेटाबेस को अपडेट करने में सहायता करता है।
सामाजिक क्षेत्रक (Social Sector)	• इसमें 14 सामाजिक क्षेत्रक के मंत्रालयों/विभागों अर्थात् पंचायती राज मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, डाक विभाग आदि, को शामिल किया गया है।

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

39 IN TOP 50 SELECTIONS IN CSE 2022

from various programs of VisionIAS

1 AIR

ISHITA KISHORE

2 AIR

GARIMA LOHIA

3 AIR

UMA HARATHI N

हिन्दी माध्यम में 40+ चयन

66 AIR

कृतिका मिश्रा

हिंदी माध्यम टॉपर

DELHI

- **HEAD OFFICE:** Apsara Arcade, 1st Floor, 1/8-B, Near Gate 7, Karol Bagh Metro Station, Delhi
  +91 8468022022 +91 9019066066
- **Mukherjee Nagar Center:** Plot No. 857, Ground Floor, Banda Bahadur Marg (Opp Punjab & Sindh Bank), Dr. Mukherjee Nagar- 110009

JAIPUR | PUNE | AHMEDABAD | BHOPAL | GUWAHATI | HYDERABAD | RANCHI | LUCKNOW | PRAYAGRAJ | CHANDIGARH

/c/VisionIASdelhi /vision_ias /visionias_upsc /VisionIAS_UPSC www.visionias.in